खण्ड-385, अंक-8
शुक्रवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(18 मार्च, 1988 ई0)

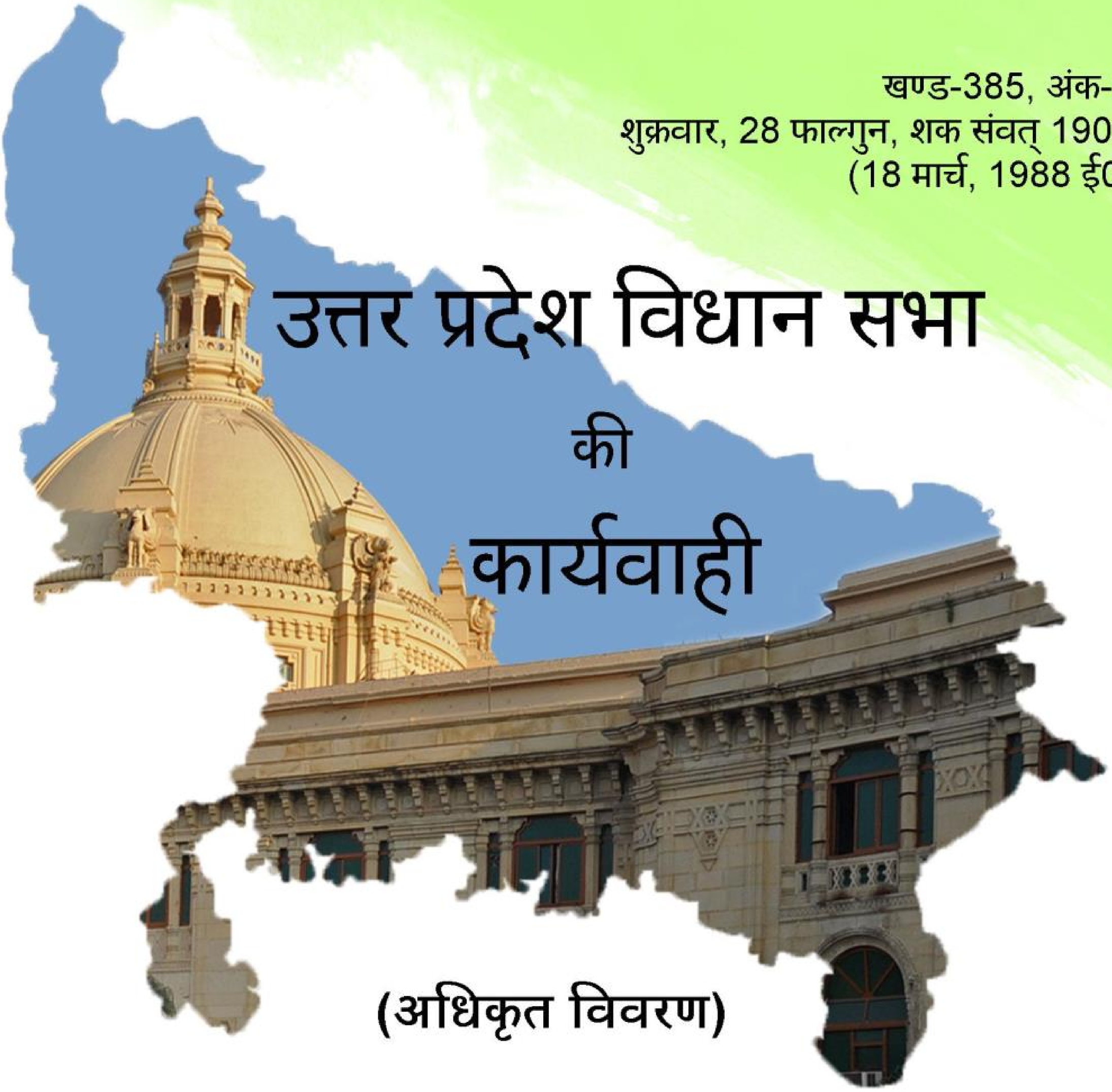

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 385 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
प्रश्नोत्तर	..	3–61
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	..	61–62
शारदा सहायक पोषक नहर के किनारे स्थित कतिपय गांवों की भूमि पर सिंचाई व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	62
जनपद इलाहाबाद में जी0 टी0 रोड पर गंदे पानी की निकासी हेतु नालों आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	62
मिर्जापुर जिले में बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण से विस्थापित लोगों के उत्पीड़न के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	63
जनपद आगरा के अछनेरा पशु चिकित्सक द्वारा सरकारी दवाइयों को चोर बाजारी तथा सैकड़ों पशुओं की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	63–64
आजमगढ़ जिलान्तर्गत घोसी तहसील में हरहर नाले पर पुल बनाये जाने में विलम्ब होने से जनता में भारी असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	64
जिला लखीमपुर खीरी के विद्युत वितरण खंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	64
कानपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत सीमावर्ती ग्रामीण अंचलों में नागरिक सुविधाओं की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	65
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	..	65–67
उत्तर प्रदेश विनियोग (1987–88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	..	66
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	66–67
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–10 ऊर्जा विभाग (जारी)	..	67–68
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं की जानकारी	..	69–70

वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 10––ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) .. 70–130

वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 4––उद्योग विभाग (खनि और खनिज) अनुदान संख्या 5, उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) अनुदान संख्या 6, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या 7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8, उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या 9, उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) .. 130–175

डा0 संजय सिंह तथा श्री जगदीश सिंह बरार के निर्वलीय होने की घोषणा .. 175

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं .. 176

ग्राम बढ़नी कलां, थाना रोहनिया, वाराणसी में श्री बिहारी लाल गुप्त की कुएं में दब कर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य .. 176

जनपद आगरा की नहर में पानी की आपूर्ति न होने से भीषण संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन .. 176–177

नत्थियां .. 179–181

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री (मेरठ)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अवनीश कुमार सिंह, श्री (बदायूं)
औलान सिंह, श्री (इटावा)
कल्यान सिंह, श्री (अलीगढ़)
काजी कलीमुर्रहमान, श्री (आजमगढ़)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशन लाल दिलेर, श्री (अलीगढ़)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
चन्द्र भान मौर्य, श्री (आगरा)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
जागन सिंह, श्री (रामपुर)
दूधनाथ, श्री (जौनपुर)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
नरेन्द्र सिंह, चौधरी (कानपुर)
प्रभूदयाल, प्रधान (मेरठ)
प्रमीला बछवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रेवती रमण सिंह, कुंवर (इलाहाबाद)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विष्णु देव, श्री (आजमगढ़)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शतरूद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, डा० (सुल्तानपुर)
सखावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री (बांदा)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य सरकार के समस्त निगमों/उपक्रमों एवं बोर्डों आदि में कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया की जानकारी

**1--श्री सरदार सिंह एवं श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के निगमों/उपक्रमों एवम् बोर्डों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति किसी स्वतन्त्र चयन बोर्ड से की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा निगमों में नियुक्ति हेतु चयन बोर्ड, जिसका प्रारूप लोक सेवा आयोग जैसा हो, का गठन विचाराधीन है ; यदि हां, तो गठन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

जी नहीं ।

प्रदेश के निगमों/उपक्रमों एवं बोर्डों आदि में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति किसी स्वतन्त्र चयन बोर्ड से नहीं की जाती है क्योंकि निगमों आदि के निम्न स्तरीय अधीनस्थ पदों पर चयन के लिए उनके प्रबन्धक मण्डल को अधिकार देना उपयुक्त समझा गया है ताकि वे अपनी आवश्यकतानुसार उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकें । परन्तु सार्वजनिक निगमों आदि के मुख्य कार्यकारियों तथा अन्य उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए चयन शासन स्तर पर गठित सार्वजनिक उच्च चयन समिति द्वारा किया जाता है ।

जी नहीं ।

शासन द्वारा निगमों में नियुक्ति हेतु चयन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि निगमों द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रकृति के अनुकूल आवश्यकतानुसार पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति विभिन्न स्रोतों से किया जाना उनकी स्वायत्तता तथा उपादेयता के लिये आवश्यक है ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, इनके निगमों में भ्रष्टाचार है, आप देखते हैं कि विधान सभा में प्रतिदिन किसी न किसी रूप में इनके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आपके सामने समस्यायें आती हैं और यहां पर जो नियुक्तियां की जाती हैं, उनमें बहुत भ्रष्टाचार है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नियुक्तियों के बारे में एक स्वतन्त्र चयन बोर्ड की स्थापना करने में क्या परेशानी है ? अगर स्वतन्त्र चयन बोर्ड की स्थापना कर दी जाय तो जो संविधान के अन्तर्गत फण्डामेन्टल राइट्स हैं कि सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, तो उन लोगों को भी अधिकार मिल जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जो कारपोरेशन्स हैं, वह कमर्शियल आर्गनाइजेशन्स हैं, तो इनमें कभी-कभी टेक्निकल आदमी को लेना पड़ता है । उनके अनुभव के आधार पर उनसे संविदा करनी

पड़ती है । इस लिये उनके वेतन में यूनिफार्मिटी नहीं रहती है । हमें इस कारण से, जो प्राइवेट कम्पनियां हैं उनसे कम्पटीशन करना पड़ता है । इसलिये किसी चयन बोर्ड की स्थापना करने की बात नहीं है ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने निगमों को कमर्शियल इन्स्टीट्यूशन बताया है, आप जानते हैं कि इनकी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होने के कारण इनके ज्यादातर निगम घाटे पर चल रहे हैं क्योंकि अनुपयुक्त लोगों को रख लिया जाता है । कोई मन्त्री का आदमी रहता है और कोई किसी का आदमी रहता है। क्या माननीय मन्त्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और एक स्वतन्त्र चयन बोर्ड की स्थापना करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, गम्भीरता से विचार करने के उपरान्त ही पाया गया कि किसी स्वतन्त्र चयन बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता नहीं है । जो भर्ती की प्रक्रिया है, उसके लिये चयन समिति बनी हुई है, वह चयन समिति किसी बोर्ड से किसी भी प्रकार इनफीरियर नहीं है । इस समय जो चयन समिति है, उसमें चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सचिव, नियुक्ति विभाग, प्रशासकीय विभाग के सचिव और एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जाता है और इनके अलावा सार्वजनिक ब्यूरों के डाइरेक्टर जनरल होते हैं । आप इस चयन समिति को किसी बोर्ड से इनफीरियर नहीं कह सकते हैं । जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित लोगों द्वारा भी कभी-कभी भ्रष्टाचार के समाचार प्राप्त होते हैं । इस तरह से जब यहां पर भ्रष्टाचार का समाचार मिलता है तो उसमें संदेह होता कि इस तरह से हुआ है । उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही की जाती है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपके निगम हैं मेंडं उन ब बने हुये हैं । इन बोर्ड्स में 7, 9, 11 इस तरह से पदेन अधिकारी रखे गये हैं । जैसा कि आपने चयन प्रक्रिया के बारे में बताया 3,300 रु0 के ऊपर के पदों के लिये चयन समिति चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में बनी हुई है, अप्वाइन्टमेन्ट सेक्रेट्री उसके सदस्य हैं और जो उपक्रम समिति है उसके सचिव उसके मेम्बर हैं । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेट्री के पास स्वयं का बहुत बड़ा दायित्व है और वे बीसों निगमों और कमेटियों के चेयरमैन हैं । चीफ सेक्रेटरी को समय नहीं मिल पाता है कि वह बोर्ड की मीटिंग में बैठे । आप इन निगमों के मैनेजिंग डाइरेक्टर आई0 ए0 एस0 अधिकारी को बनाते हैं । वह मनमानी करते हैं । बोर्ड की मीटिंग मुल्तवी हो जाती है । इस बात को देखते हुये वेतन-क्रम के हिसाब से एक तकनीकी कमेटी बना दें जिसमें पी0 डब्लू0 डी0, सिंचाई, इंजीनियरिंग और जिस विषय के ज्ञाता को आप चाहते हैं उस विषय के लोगों की एक कमेटी बनाने में आपको क्या परेशानी है ताकि एम0 डी0 मनमानी न कर सके । चीफ सेक्रेटरी पचासों निगमों का पदेन सदस्य है इस बात को देखते हुये अधिकारियों की अलग से एक तकनीकी समिति बनाने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन् जिन पदों के अधिकारियों का नाम माननीय सदस्य ने लिया है उनके पास भी पचासों काम हैं । मुख्य सचिव के पास यह भी एक काम है जिसे वह बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं । जो वेतन वर्ग के लोगों के लिए चयन करने की बात कही गई उसके लिए अलग से चयन समितियां हैं ।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय--

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 50 से अधिक निगम हैं जो घाटे में चल रहे हैं और घाटे का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इन निगमों में कर्मचारी अधिक हैं और वे योग्य नहीं हैं। जो आपने चयन बोर्ड बनाया है, जिसका उल्लेख आपने किया है उसके रहते यह घाटा सदैव बना रहेगा। ऐसी परिस्थिति में सारे निगमों और उनकी आवश्यकता को देखते हुए क्या आप अलग से एक चयन बोर्ड बनायेंगे तो घाटा दूर हो सकता है। इस तरह का बोर्ड बनाने से आपको क्या कठिनाई है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, पहले तो यह विवादास्पद है कि इस चयन समिति के कारण जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसमें घाटा हो रहा है। हमारे इन 51 निगमों में 22 में घाटा हो रहा है कुछ में ग्रांस प्रोफिट हो रहा है और कुछ में प्रोफिट हो रहा है। मान्यवर, टाटा बिरला की सारी फैक्ट्रियों में प्रोफिट हो रहा है। लास होने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, निगम एक कारपोरेट बाडी है और यह देखा जा रहा है कि इसमें अधिक वरिष्ठ अधिकारियों का वर्चस्व प्राप्त है। इस लिए यह मांग हो रही है कि इन पर जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व दिया जाय जिससे उन पर अंकुश लगाया जा सके। क्या माननीय मन्त्री जी सिद्धांत रूप में इस बात से सहमत हैं कि जो निगम हैं उनमें योग्यता के आधार पर गैर सरकारी लोगों की नियुक्ति की जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, दोनों ही प्राविधान हैं। अध्यक्ष सरकारी और गैर सरकारी भी नियुक्त किये जाते हैं। उपयोगिता के अनुसार जैसा देखा जाता है वैसे किया जाता है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस पर 10 मिनट हो गये।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में छोटी सेवाओं के लिए चयन बोर्ड गठित किया जा रहा है। तो क्या उस चयन बोर्ड के परव्यू में इन निगमों को भी लाया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

उस बोर्ड का गठन इसलिए किया जा रहा है कि लोक सेवा आयोग से जो विलम्ब होता है उसको खत्म करने के लिए किया जा रहा है ताकि लोगों को आसानी से चयनित किया जा सके। इन कारपोरेशन में ठीक तरह की प्रक्रिया से चयन होता है जब और जितनी आवश्यकता होती है चयन समय पर कर लिया जाता है इस हालत में मेरी समझ में नहीं आता है कि इसके लिये चयन बोर्ड बनाने की आवश्यकता है

जनपद बहराइच की नानपारा तहसील में ओला वृष्टि से प्रभावित परिवारों को राहत वितरण में की गई अनियमितता के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

**2—श्री देवता दीन—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील नानपारा (बहराइच) में ओला वृष्टि से प्रभावित परिवारों को वितरित राहत सहायता में अनियमितता बरतने के कारण कतिपय दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 6(51)/87-38/87, दिनांक 23 जुलाई, 1987 प्रश्नकर्त्ता को उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है और अपेक्षित कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)—

जी हां ।

विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है और शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

श्री देवता दीन—

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में ओला वृष्टि से राहत हेतु 3 लाख कुछ हजार रुपया बांटा गया जिसमें अनियमितता के सम्बन्ध में हमने एक पत्र दिया था जिसका 23 जुलाई, 1987 को यह जवाब दिया गया कि आपके क्षेत्र नानपारा में ओला वृष्टि से प्रभावित राहत सहायता वितरण में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री को प्रेषित पत्र में जिलाधिकारी बहराइच से जांच कराई गई और जांच अधिकारी ने राहत सहायता वितरण में पर्याप्त अनियमिततायें पाईं । इन अनियमितताओं के संदर्भ में नायब तहसीलदार और लेखपाल दोषी पाये गये । सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने के लिये सक्षम अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर अपना प्रश्न कर लीजिये ।

श्री देवता दीन—

मैं जानना चाहता हूं कि तीन लाख कुछ हजार रुपये बांटे गये जिनमें साढ़े 62 हजार की वसूली के लिए काश्तकारों से कार्यवाही की जा रही है और जो नायब तहसील-दार दोषी पाया गया उसे तहसीलदार बना दिया गया है । काश्तकारों से रुपया वसूल करने की कार्यवाही हो रही है . . . ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री देवता दीन—

जो पत्र लिखा था उसके संदर्भ में दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है और कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गौरी शंकर—

माननीय सदस्य ने स्वयं जिस पत्र का संदर्भ दिया है वह स्वतः स्पष्ट है और इस बात पर मैं पुनः बल देना चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने अनियमितताओं के सम्बन्ध

में कहा है कि अनियमिततायें हुई हैं जिसके कारण ही दो नायब तहसीलदारों, एक मूलेख निरीक्षक तथा 11 लेखपाल दोषी पाये गये। इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है कि पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार सहायता का तुरन्त भुगतान किया जाय। जिलाधिकारी से अभी आख्या प्राप्त नहीं हुई है। हमने पुनः अनुस्मारक 16 मार्च, 1988 को भेजा है। अतः माननीय सदस्य को संतुष्ट हो जाना चाहिये कि शासन ने प्रभावी कार्यवाही की है और हम उसके लिये सजग हैं। जिन्होंने अनियमिततायें की हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि शासन बहुत सजग है और त्वरित कार्यवाही कर रहा है। यह पत्र जो प्रश्नकर्ता को प्राप्त हुआ है वह 23 जुलाई, 1987 का है लेकिन तबसे आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है? जो दोषी पाये गये हैं उनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही न होने का क्या कारण है? 10 मार्च, 1988 को माननीय सदस्य ने जब प्रश्न किया है तब 16 मार्च, 1988 को अनुस्मारक भेजा गया है, तो यह सरकार की सजगता है। मैं जानना चाहता हूं कि जुलाई, 1987 से अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण था?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इसमें किसी प्रकार का विलम्ब करने की शासन की कोई मंशा नहीं थी, और जो कहा है कि शासन सजग है तो उसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिखा गया था और उसके बाद पुनः अनुस्मारक पत्र भेज दिया गया है। आपका कहना है कि इसमें विलम्ब हुआ है, तो मैं इसको मानता हूं कि विलम्ब हुआ है और माननीय सदस्य का आभारी हूं कि एक गम्भीर प्रकरण की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री त्रिभुवन प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी निजी जानकारी है कि नायब तहसीलदार, नानपारा ने ओला वृष्टि में अपात्र व्यक्तियों को कमीशन के चक्कर में राहत सहायता दी गयी है। आपको जब इस सम्बन्ध में पत्र दिया गया तो बताया गया कि नायब तहसीलदार दोषी हैं, तो दोषी होने के बावजूद नायब तहसीलदार, नानपारा को मंत्री द्वारा प्रोमोशन देने का क्या कारण है?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि किसी प्रकार के कंसीडरेशन में और कुछ किया गया है, इससे ज्यादा और शासन की सजगता क्या होगी कि इसके बावजूद जांच करायी गयी और दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है लेकिन अभी पूरी नहीं हो पायी है और बीच में ही उनकी पदोन्नति हो गयी है तो इसको देख लूंगा चूंकि हमारे अभी तक संज्ञान में नहीं था। इसलिए आपकी भावनाओं के अनुरूप देखकर कार्यवाही की जायेगी।

श्री विजय सिंह राणा—

आपने बताया कि जो सहायता बांटनी थी वह उचित व्यक्तियों को नहीं मिली और इसकी जांच जिलाधिकारी से करा रहे हैं। मान्यवर, जिले में कोई सहायता दी जाती है तो उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार जिलाधिकारी होता है, वह दोषी है और

आप उसी से जांच करा रहे हैं, तो जिलाधिकारी जो सहायता बंटवाने के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, उससे जांच करवाने का कोई लाभ नहीं है ?

श्री गौरी शंकर--

माननीय सदस्य श्री राणा का आशय है कि जिलाधिकारी का इसमें इंवाल्वमेन्ट है तो कुछ नहीं कहना है । यह गम्भीर प्रकरण जब आया, तो जांच की गई और नायब तहसीलदार और लेखपाल दोषी पाये गये और कार्यवाही करने के लिए मैंने निवेदन किया कि अब तक परिपालन आख्या प्रतीक्षित है और 16 मार्च को अनुस्मारक भेजा गया है । मान्यवर, जानकारी आ जायेगी तो आपकी और माननीय सदस्य के संज्ञान में वह लायी जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तर में स्वीकार किया कि जब पहले प्राथमिक जांच हुई सो यह लोग दोषी पाये गये थे, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्राथमिक जांच के बाद कारण बताओ नोटिस दिया है । उनको जो दोषी पाये गये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को तत्काल निलम्बित न करके कारण बताओ नोटिस देने का क्या कारण है ?

दूसरा प्रश्न है कि अनुस्मारक जो आपने भेजा है उसको पढ़कर सुना दें, क्या उन्हें चेतावनी दी है, क्या आपने यह भी निर्देशित किया है कि निर्धारित अवधि में सूचित करें और अनुपालन आख्या दें या मात्र रिमाइन्डर दिया है ?

श्री गौरी शंकर--

इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामला गम्भीर है । उसकी गम्भीरता को मैं स्वयं स्वीकार करता हूं और शासन स्वीकार करता है इसमें अवश्य विलम्ब हुआ है और जिला स्तर पर भी इसमें अनावश्यक विलम्ब हुआ है, इसको भी स्वीकार करता हूं । इसलिये इन दोनों नायब तहसीलदारों और लेखपालों के खिलाफ कार्यवाही करने की प्रक्रिया जारी है, और जो गुप्त जी ने पूछा, जो अनुस्मारक दिया है वह मात्र इसके लिए दी है कि जो राहत सहायता नहीं दी गई, तो उनको दी जाए या इसके लिये भी कि उन पर विभागीय कार्यवाही पूरी कर ली जाए, तो पूरे संदर्भ को देते हुए यह पत्र लिखा गया है ।

श्री मंजेजर सिंह--

इस प्रकार की शिकायतें प्रति दिन आ रही हैं कि राजस्व विभाग का पैसा जो समय-समय पर गांवों में जाता है, उसका राजस्व विभाग के कर्मचारी लेखपाल, अमीन, कानूनगो, नायब तहसीलदार व तहसीलदार तथा अन्य कर्मचारी व अधिकारीगण, कलेक्टर की साजिश से फर्जी भुगतान दिखा देते हैं और रुपया हड़प कर परस्पर बांट लेते हैं, तो क्या मन्त्री जी, जो रुपया क्षेत्रों में बांटा जाता है उसकी एक-एक सूची सम्बन्धित क्षेत्र के विधायकों को दिलवाने की कृपा करेंगे, ताकि क्षेत्रीय विधायक को मालूम हो सके कि किन-किन लोगों को राहत दी गयी है, ताकि वे सच्चाई से आपको भी समय-समय पर अवगत करा सकें । आपके विभाग का पैसा फर्जी भुगतान में प्राप्त करके, आपके अधिकारी लोग राष्ट्रीय बचत में जमा कर रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर--

जस्टिस ओन्ली शुड नाट बी गिवेन, बट इट शुड वि एपियर्ड शुड वि गिवेन । इस पर कार्यवाही हो रही है और निष्पक्षता से हो रही है । इसकी जिलाधिकारियों से अपेक्षा

की जा रही है ताकि वह जो कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी अधिक से अधिक जन-प्रतिनिधि के पास रहे और यदि उसमें कोई जनता को परेशानी आती है या उसमें अनियमितता होती है तो वह चीज यहां प्रकाश में आ सके। इसमें यह नीति का प्रश्न है, लेकिन इसमें सिद्धान्ततः सहमति प्रकट करता हूं कि इस प्रकार की जानकारी माननीय सदस्यों के पास होनी चाहिये। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों की जानकारी में आयेगा तो उचित नियन्त्रण बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[दिनांक 26 फरवरी, 1988 को ता0 प्र0 सं0 20 द्वारा उत्तरित]

*2--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

[6वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त किसानों को दी गयी सहायता की जानकारी

*3--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज व हैदरगढ़ समेत प्रदेश के अनेक भागों में दिनांक 14 फरवरी, 1988 को हुई ओलावृष्टि से रबी की फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है? यदि हां, तो सरकार की ओर से किसानों को सूखे के बाद इस भयानक प्रकोप को देखते हुये क्या सहायता दी गई है?

श्री गौरी शंकर--

दिनांक 14 फरवरी, 1988 को जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज, हैदरगढ़, रामसनेहीघाट तथा फतेहपुर में ओला वृष्टि हुई थी जिससे 881 ग्रामों की फसल को क्षति पहुंची। इनमें से तहसील फतेहपुर को छोड़कर अन्य तीनों तहसीलों के 469 ग्रामों में क्षति का प्रतिशत 50 से अधिक था। हैदरगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति के मरने की सूचना प्राप्त हुई जिसके वारिस को सहायता देने की कार्यवाही की जा रही है। भू-राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई है और छूट के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्य चलाये जा रहे हैं।

बाराबंकी के अलावा प्रदेश के 22 अन्य जनपदों में फरवरी, मार्च, 1988 में ओलावृष्टि होने तथा उसमें क्षति की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिलाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि जहां फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है। वहां भू-राजस्व की वसूली स्थगित करके छूट के प्रस्ताव तैयार किए जायें, अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान आदि का भी वितरण निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाय।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि बाराबंकी जनपद के 469 गांवों में और प्रदेश के 22 जिलों में इस ओलावृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान

हुआ है । मान्यवर, तो क्या ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई विशेष धनराशि जिलों-जिलों में आवंटित की गई है ? यदि की गई है, तो कितनी की गई ? क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जितने किसानों की 50 फीसदी से ज्यादा फसल नष्ट हो गई है उनका लगान और सिंचाई के बिल को माफ कर दिया जायगा ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर मैंने मूल उत्तर में भी बता दिया है कि जहां-जहां पशु हानि या मानव जीवन की हानि हुई है उनको सहायता देने की व्यवस्था कर दी गई है जहां पर 50 फीसदी से अधिक फसल का नुकसान हुआ है उनको तीन महीने की लगान की छूट जिलाधिकारी द्वारा दे दी गई है जो तीन महीने से ज्यादा के मामले हैं तो कोर्ट के माध्यम से वह शासन के समक्ष आ जाते हैं । इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो बता दें ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रदेश के 22 जनपदों को ओलावृष्टि से क्षति हुई है, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों में क्या-क्या क्षति हुई है और कौन-कौन सी सहायता मांगी गई है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैं जनपदों की सूची पढ़ दूं । थोड़ा सा समय तो जरूर लगेगा । मेरठ में मान्यवर क्षति का प्रतिशत 40 प्रतिशत था, यहां पर 40 प्रतिशत क्षति हुई है, लेकिन जहां हानि नहीं हुई है, वहां भू-राजस्व स्थगन के आदेश तीन महीने के लिए किए गये हैं । सहारनपुर में मान्यवर 39 प्रतिशत क्षति हुई है । यहां पांच प्रतिशत क्षति हुई है । तीन गांवों में 100 प्रतिशत क्षति हुई है वहां पर अहेतुक सहायता बांटी जा रही है । गाजियाबाद में 71 गांवों में फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है । इसी तरह से मुरादाबाद में और अलीगढ़ में अलग-अलग गांव हैं । मथुरा में 20 प्रतिशत क्षति हुई है । जो 50 प्रतिशत से कम है । एटा में 75 प्रतिशत क्षति हुई है । यह पचास प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है यहां पर छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । कानपुर-देहात में और कानपुर नगर में सर्वेक्षण किया जा रहा है । इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर में 75 प्रतिशत तक क्षति हुई है इसमें छूट का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । झांसी, मिर्जापुर और गोरखपुर में 25 से 75 प्रतिशत तक क्षति हुई है । इसमें छूट के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं तो मान्यवर, अलग-अलग जनपदों की अलग-अलग स्थिति है । कुछ गांव बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं वहां पर भू-राजस्व की वसूली के स्थगन के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं एक नीतिगत प्रश्न माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं । माननीय राजस्व मन्त्री जी चले गये । मान्यवर, वैसे माननीय राजस्व मन्त्री जी चले गये मान्यवर, आप जानते होंगे जब दैवी आपदा आती है तो बाढ़ सूखे के अलावा ओलावृष्टि भी होती है वह कभी-कभी ऐसी होती है कि ओला पूरे गांव में न पड़कर आधे से अधिक गांव में भी ओला पड़ जाता है । जब 50 प्रतिशत

से अधिक दिखाया जाता है तो जिनको छूट मिलनी चाहिये उनको तो मिलती है और जिनको नहीं मिलनी चाहिये उनको भी छूट मिल जाती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई नीति निर्धारित की जायगी कि खाते के अनुसार जांच कराकर खातेदार को छूट देने की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी बहुत प्रबुद्ध और वरिष्ट सदस्य हैं। उन्होंने एक नीति विषयक प्रश्न किया है। आप स्वयं सहमत होंगे कि यह एक नीति विषयक प्रश्न है, अभी तक तहसील और ब्लाक स्तर को यूनिट माना गया है। खातेदार के हिसाब से कर पाना व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है इसमें बहुत समय लगेगा। सिद्धांततः मैं इससे सहमत हूं कि यदि खातेदार के हिसाब से किया जाय कि किसकी कितनी क्षति हुयी है ? लेकिन व्यवहारिक रूप से यह सम्भव नहीं है इसलिये तहसील और ज्यादा से ज्यादा ब्लाक को इकाई मानकर निकाला जाता है और उसी हिसाब से छूट का प्राविधान किया जाता है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जगहों पर ओला पड़ा है और उससे जो नुकसान हुआ है जैसे कि गोरखपुर में 30 से 75 प्रतिशत हुआ है तो इसका आकलन करने वाले कौन से लोग हैं तहसीलदार, लेखपाल या जिलाधिकारी, किसी एजेंसी ने यह जांच की है कि इतनी क्षति हुयी है। गांवों से अनेक इस तरह की दरख्वास्तें आयी हैं कि हमारी फसल नष्ट हो गयी है। इस तरह की जो दरख्वास्तें गांवों से आयी हैं उन पर क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य वर्मा जी स्वयं जानकार हैं वह शासन के बहुत निकट रहे हैं। आप जानते हैं कि जो आपने निर्णय लिये हैं उन्हीं का पालन हम प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। मथुरा, फतेहपुर, आगरा, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बरेली, एटा, कानपुर आदि जिलों में क्षति हुयी है। मथुरा में 22 लाख 2 हजार रुपये आगरा में 18 लाख 22 हजार, कानपुर नगर में 15 लाख 15 हजार तथा इलाहाबाद में 25 लाख 40 हजार तथा अन्य जिलों में भी राजस्व छूट हुयी है। आपने पूछा है कि कौन सी एजेंसी से जांच करायी है तो आपको स्वयं जानकारी है कि रेवेन्यू से बड़ी और कौन सी एजेंसी है बल्कि और भी कार्य रेवेन्यू की एजेंसी से होते हैं ? लेखपाल, कानूनगो नायब तहसीलदार आदि लोग हैं जिनसे जांच करायी जाती है। आप स्वयं सहमत होंगे कि जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती है।

श्री राजेन्द्र सिंह (अलीगढ़)—

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पांडेय जी के प्रश्न के उत्तर में मन्त्री जी ने यह कहा कि वह सिद्धान्त रूप से इस बात से सहमत हैं कि छूट खातेदार के हिसाब से मिलनी चाहिये लेकिन चूंकि यूनिट ब्लाक को माना है इसलिये यह व्यवहारिक नहीं है। तो क्या मैं यह समझूं कि यह जो सर्वे होता है वह ब्लाक स्तर पर बैठकर

होता है और गांव में लेखपाल सर्वे नहीं करते हैं। सर्वे गांव में जाकर स्पाट वाइज होता है या ब्लाक पर बैठकर फर्जी सर्वे हो जाता है दोनों में कौन-सी बात सही है ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, वरिष्ठ सदस्य माननीय राजेन्द्र सिंह जी से मैं क्या निवेदन करूं मैं तो यही कहूंगा फर्जी कोई चीज नहीं करायी जाती है। मैंने कहा है कि माता प्रसाद जी की बात सिद्धान्ततः सही है लेकिन वह व्यवहारिक नहीं लगती।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने लफ्फाजी में बड़े अच्छे ढंग से शब्दों का चयन करके बहुत सी बातें कह दिया। लेकिन मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मान्यवर, लाखों एकड़ जमीन सूखे से प्रभावित हैं और सूखा ओलावृष्टि से पूरी फसल नष्ट हो गयी है और ये नियमों के अधीन अहेतुक सहायता का अनुदान कुछ भी दे नहीं पा रहे हैं और न देंगे। मान्यवर, जो ओला-वृष्टि से, सूखे से लोग तबाह हो गये हैं, क्या उनको आर्थिक सहायता देने के लिये शासन द्वारा जिलों को कोई धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि की गयी है, तो वह कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और मान्यवर, जो ओला वृष्टि से प्रभावित हुये हैं, उनकी फसलें नष्ट हो गयी हैं, क्या उनके लगान, सिंचाई शुल्क और बिजली का बिल माफ करने का आश्वासन माननीय मन्त्री जी देंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इसमें कुछ धनराशि जनपद स्तर पर जिला-धिकारियों के पास पहले उपलब्ध होती है, यह आपके संज्ञान में भी है, यहां तक कि जिलाधिकारियों को यह अधिकृत किया गया है कि दैवी आपदाओं से निपटने के लिये, वह उस धनराशि का उपयोग करें और बाद में वह धनराशि दूसरे मद में चली जायेगी और यह सदस्यगण की जानकारी में है। दूसरी बात यह भी है कि स्थगन के के अलावा छूट की जहां तक बात है, उसके लिये कहा गया है कि प्रस्ताव बनायें। तीसरी बात जो माननीय सदस्य ने कहा, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शब्दों का चयन तो कृपा करके मैंने इन्हीं से ही सीखा है, लेकिन लफ्फाजी की बात सही नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार दो मिनट के लिये करता हूं।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद वाराणसी व गाजीपुर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी अति पूर्ति का विवरण

*1—सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी एवं गाजीपुर जिला अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सितम्बर, 1987 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ द्वारा मकान क्षतिग्रस्त हो गये थे ? क्या यह सही है कि इसके अतिरिक्त इन लोगों के जन एवं पशुधन को भी व्यापक पैमाने पर क्षति हुयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इनकी सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु न्यायसंगत योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या जनहित में सरकार ऐसे गम्भीर प्रश्न पर तत्काल न्याय-संगत निर्णय लेने पर विचार करेगी ?

श्री गौरी शंकर—

जी हां ।

वाराणसी जनपद में 44 मनुष्यों तथा 35 पशुओं की मृत्यु हुयी । गाजीपुर जनपद में 23 मनुष्यों तथा 45 पशुओं की मृत्यु हुयी थी ।

प्राकृतिक आपदओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिये उन्हें अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, तकावी, भूराजस्व में छूट/स्थगन देने का प्राविधान है । वर्ष 1987-88 में वाराणसी व गाजीपुर जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशियों के विवरण †संलग्न हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मान्यवर, मैंने दो सवाल किया था, एक तो ओलावृष्टि का और दूसरा बाढ़ का । मान्यवर, मुझे पूरी जानकारी है कि गाजीपुर की तहसीलों में बहुत अधिक मात्रा में किसानों की फसलों की क्षति हुयी है, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि उनको अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, तकावी, भू-राजस्व में छूट/स्थगन आदि दिया गया है, मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि 90 फीसदी से ज्यादा लोगों के पशु मरे हैं, और उनको आज तक कोई भी सहायता नहीं दी गयी है । तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को यह सहायता नहीं दी गयी है, उनको यह सहायता दिलाने की कृपा करेंगे । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इसके लिये क्या सरकार ने कोई धन देने की योजना बनाई है, जिससे उनको धन दिया जा सकता है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य सुरेन्द्र सिंह जी ने गाजीपुर जनपद के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, स्वाभाविक है कि यहां पर जैसा आपने कहा, हमारे द्वारा भी इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कम कोई नुकसान हुआ है । मान्यवर, गाजीपुर में प्रभावित जो गांव में है बाढ़ से वह 1609 है और प्रभावित जनसंख्या है 11,21,250, प्रभावित कुल क्षेत्रफल 1,57,167 हेक्टेयर है और प्रभावित फसली क्षेत्रफल 42,712 हेक्टेयर दिया गया है, गृह हानि पूर्ण रूप से 3,202 है और आंशिक रूप से 75,722 है, जीवन हानि मनुष्य की 23 है और पशु की 45 है । मान्यवर, अहेतुक सहायता

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 179 पर) ।

गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान आदि मदों के लिये दिया गया है 58 लाख 35 हजार रुपये, तकावी के लिये 14 लाख रुपये, बाढ़ प्रभावित हथकरघा बुनकरों को क्षतिग्रस्त औजारों उपकरणों की मरम्मत व प्रतिस्थापन हेतु धनराशि 3.50 लाख रुपये, बाढ़ प्रभावित लघु/सीमान्त कृषकों को उर्वरकों पर क्रमशः 25 प्रतिशत तथा साढ़े 33 प्रतिशत की दर से अनुदान 13 लाख रुपया दिया गया है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पंचायत भवनों की मरम्मत हेतु गाजीपुर को 1.20 लाख रुपया दिया गया है बाढ़ से क्षतिग्रस्त जिला परिषदों की सड़कों मरम्मत के लिये अनुदान 5.89 लाख रुपया दिया गया है। अब मान्यवर, आप स्वयं देखिये कि इस धनराशि से स्वतः स्पष्ट है कि शासन ने इसको गम्भीरता से लिया गया है और तदानुसार उनको राहत प्रदान करने के लिये प्रभावी कार्यवाही की है।

श्री अमिताभ अनिल दुबे--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1987-88 में गाजीपुर शहरी क्षेत्र में जो प्रभावित लोग थे उन सभी लोगों को राहत दी जा चुकी है ?

श्री गौरी शंकर--

जी हां, गाजीपुर जनपद के विषय में जितने भी गांव थे उनमें सभी जगह कार्यवाही करने के लिये उनको कह दिया गया है। मान्यवर, यदि माननीय सदस्य को कोई जानकारी ऐसी है, अन्यथा कोई प्रसंग आपके संज्ञान में है तो कृपया उसको अवगत करा दें तो कार्यवाही करा दी जायेगी।

श्री अमिताभ अनिल दुबे--

मान्यवर, अधिकांश गाजीपुर में नहीं बटा है।

श्री गौरी शंकर--

उसकी सूची दे दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

मान्यवर, गाजीपुर जनपद के बारे में अभी इन्होंने कहा है कि बुनकरों को अतिवृष्टि और बाढ़ से हुई क्षति की सहायता दी गयी है। मान्यवर, गाजीपुर में बहादुरगंज टाउन एरिया है जहां सबसे ज्यादा बुनकर रहते हैं लेकिन वहां किसी भी बुनकर को कोई सहायता नहीं दी गयी है। और वाराणसी जनपद में शहर के हिस्से के कुछ बुनकरों को दी गयी है तो यह जो सूचना माननीय मन्त्री जी को मिली है अतिवृष्टि और बाढ़ की, यह सत्य से परे मिली है। जिस अधिकारी ने ऐसी सूचना दी है माननीय मन्त्री जी, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे और जिन लोगों को बुनकरों की सहायता नहीं मिली है उनको दिलाने की कृपा करेंगे ? मान्यवर, दूसरी बात जो गृह अनदान की बात कही गयी है तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरे गाजीपुर जिले में 95 प्रतिशत लोगों को सहायता नहीं दी गयी है और तकावी भी नहीं दी गयी है। और जो 200 रुपया दिया गया है वह भी राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेकर दिया गया है। क्या माननीय मन्त्री जी इस सबकी जांच कराकर जिनको नहीं दिया गया है, उनको दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न लम्बा है, उत्तर भी यदि लम्बा हो जाय तो अनुमति चाहता हूं। मान्यवर, बनारस और गाजीपुर के बारे में बताना चाहता हूं की बाढ़ प्रभावित हथकरघा बुनकरों को क्षतिग्रस्त औजारों उपकरणों की मरम्मत व प्रतिस्थापन हेतु 40 लाख रुपया बनारस में दिया गया है और गाजीपुर में 3.50 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया है। आपका कहना है कि किसी को कुछ नहीं मिला तो मैं इसमें क्या कहूं ? मेरी जानकारी है कि इतना खर्च किया गया है। आपने कहा गृह अनुदान के बारे में मान्यवर, इसमें वाराणसी जनपद में 18,78,800 रु0 व्यय किया जा चुका है। शहरी क्षेत्रों के पात्र 40 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों तथा 1629 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों में से 40 पूर्ण तथा 643 आंशिक क्षति वाले मकान मालिकों को गृह निर्माण अनुदान वितरण किया किया जा चुका है तथा अवशेष पात्र व्यक्तियों को वितरण किया जा रहा है। 44 व्यक्तियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अनुग्रह सहायता के रूप में 2.20 लाख 35 मृत पशुओं के 29 मालिकों में से 13 पशु मालिकों को उनके मृत 21 पशुओं के लिये 21-21 हजार रुपये की अनुग्रह राशि बांटी जा चुकी है। गाजीपुर में भी मान्यवर, इसी तरह से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 320 में, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 75,722 मकानों को क्षति के लिए अनुदान दिया गया। इन 23 व्यक्तियों की मृत्यु पर उनके परिवारों को 5 हजार की सहायता दी जा चुकी है। मान्यवर, सब कुछ काम किया जा चुका है। उत्तर लम्बा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं।

जनपद मजफ्फरनगर के ग्राम गढ़ी देशराज मौजा बहारा के रास्ते पर से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश

*2--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम गढ़ी देशराज मौजा बहारा में रास्ता गाटा संख्या 976 पर किन्हीं किसानों ने अवैध कब्जा कर रक्खा है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान ने पूर्व में ही सम्बन्धित तहसीलदार को प्रश्नकर्ता के माध्यम से शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गौरी शंकर--

जी हां। रास्ते का कथित गाटा संख्या 976 नहीं बल्कि 976/2 है"।

ग्राम प्रधान के कथित प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 3 मई, 1986 को तहसीलदार द्वारा अनाधिकृत कब्जा हटवाने, निशानदेही करने और यदि आवश्यक हो तो पुलिस सहायता से कब्जा हटाने के निर्देश दिये गये थे। तदनुसार भू-लेख निरीक्षक द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 3 जुलाई, 1986 की तिथि नियत की गई थी किन्तु मौके पर इसी रास्ते से मिले हुए खेत संख्या 921 के कृषक श्री कालू राम व महाबीर प्रसाद आदि ने वाद संख्या 353/86 में न्यायालय सिविल जज मुजफ्फरनगर से दिनांक 2 जुलाई, 1986 को अन्तरिम आदेश एवं दिनांक 12 मार्च, 1987 को स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त कर ली गई थी। कि वादीगण की भूमि खसरा संख्या 921 में वादीगण के अधिपत्य में हस्तक्षेप करने व खेतों में खड़े पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई।

उक्त स्थायी निषेधाज्ञा को खारिज कराने के लिये इसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु प्रार्थना-पत्र दे दिया गया है जिसमें सुनवाई हेतु 28 मार्च, 1988 की तिथि नियत है।

अतः जब तक उक्त स्थाई निषेधाज्ञा खारिज नहीं हो जाती तब तक रास्ते से मिले खेतों की पैमाइश कर रास्ते का सही सीमांकन सम्भव नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि 3 मई, 1986 को शिकायत की गई और 2 जुलाई, 1986 को न्यायालय से अन्तरिम अदेश लिए गये और 8 माह के बाद 12 मई, 1987 को स्थाई स्थगन आदेश लिया गया। इस बीच में राजस्व विभाग ने क्या कार्यवाही की और जो 28 मार्च, 1988 तारीख तय की गई है, उसका प्रार्थना-पत्र कब दिया गया इस बीच में राजस्व विभाग क्या करता रहा ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर जैसा कि माननीय सदस्य को बताया 3 मई, 1986 को तहसीलदार के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम गढ़ी देशराज मौजा बहारा के खसरा संख्या 976/2 जो रास्ता अंकित है पर किये गये अनधिकृत कब्जे को हटवाने एवं उसकी पैमाइश कराने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा भू-लेख निरीक्षक को अनधिकृत कब्जे हटवाने, निशानदेही करने और यदि आवश्यक हो तो पुलिस बल प्रयोग करने के निर्देश दिये गये थे।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आप देखते नहीं। जो पहले पढ़ दिया, उसी को फिर पढ़ रहे हैं।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, ऐसा नहीं। आपने पूछा है कि स्टे आर्डर लेकर जब परमानेंट किया गया, इसके बीच तहसीलदार ने क्या कार्यवाही की। मान्यवर, दिनांक 24 जून, 1986 को श्री महावीर प्रसाद, कृषक खसरा नं0 921 के द्वारा एक प्रार्थना-पत्र जिस पर एक माननीय विधायक जी की संस्तुति थी, यह कहते हुए दिया गया कि वह उस दिनांक को कहीं शादी ब्याह में जाना चाहते हैं और उनकी उपस्थिति में ही पैमाइश कराई जाय। इस पर भू-लेख निरीक्षक द्वारा 3 जुलाई, 1986 की तिथि निश्चित की गई। इसी बीच में दिनांक 2 जुलाई, को न्यायालय सिविल जज, मुजफ्फरनगर के द्वारा वाद संख्या 353/86 में ये लोग स्टे ले आए और उसके बाद निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। जब तक यह निषेधाज्ञा हटाई नहीं जाती है, तब तक कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। क्योंकि यह मामला न्यायालय के समक्ष है, इसमें किसी प्रकार की कार्यवाही करना हमारे स्तर पर अपेक्षित नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जवाब में बताया जा रहा है कि अनधिकृत कब्जा किया गया है। एक विधायक ने संस्तुति की थी, ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा। मैं जानना चाहता हूं कि किस माननीय विधायक ने यह संस्तुति की थी ? मान्यवर, जब 3 मई, 1986

को दरख्वास्त दी गई, जब स्टे कन्फर्म हुआ 12 मार्च, 1987 को तो सम्बन्धित एस0 डी0 एम0 तहसीलदार और दूसरे कर्मचारियों ने क्या कार्यवाही की ।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, किसी भी माननीय के समक्ष में जो बात जाती है, आप स्वयं माननीय सदस्य हैं, अगर आपके सामने कोई बात आती है, तो यह नहीं पता रहता है कि कोई अनधिकृत कब्जा है या क्या है ? जनहित में किसी भी माननीय सदस्य का नाम लेना जरुरी नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा--

जब आपने कह ही दिया कि एक माननीय सदस्य ने पत्र दिया, तो उसका नाम भी बतायें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राणा जी आप बैठें ।

श्री गौरी शंकर--

माननीय सदस्य ने केवल इस बातकी संस्तुति की थी कि फलां व्यक्ति को शादी ब्याह आदि का मामला देखना है, इसलिये इसे थोड़ा समय दीजिये । जिस व्यक्ति ने ऐसी संस्तुति करायी, वह व्यक्ति कोर्ट चला गया, निषेधाज्ञा ले आया । अब वह चीज न माननीय सदस्य की जानकारी में हो सकती है, न आपकी जानकारी में हो सकती है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आप देखें माननीय मंत्री जी का उत्तर हमारे प्रश्नों के संदर्भ में है या नहीं ? आप प्रश्न और उत्तर मंगाकर स्वयं देख लें । ग्राम प्रधान के कथित प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 3 मई, 1986 को तहसीलदार द्वारा अनाधिकृत कब्जा हटाने निशानदेही करने और यदि आवश्यक हो तो पुलिस सहायता से कब्जा हटाने के निदेश दिये गये थे । एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि फलां-फलां व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है । आपने यह भी बताया कि माननीय विधायक ने संस्तुति की थी, उस माननीय विधायक का नाम भी नहीं बता रहे हैं । मान्यवर, वहां लाखों रुपये के पेड़ हैं, वह व्यक्ति जिला परिषद् में अच्छे पद पर कार्यरत है । इस नाते वह तहसीदार और एस0 डी0 एम0 मिला हुआ है मान्यवर, मेरा खुला आरोप है कि क्योंकि वह जिला परिषद् में अच्छे पद पर कार्यरत है इसलिये तहसील-दार और दूसरे लोग उसको जानबूझ कर संरक्षण दे रहे हैं । इसी संरक्षण से जाहिर है कि जब 3 मई, 1986 को एक बात हुई तो तुरन्त जाकर मौके पर अनधिकृत कब्जा हटवाते । लेकिन, उसको मौका दिया गया कोर्ट में जाकर कार्यवाही करने का । भू-लेख निरीक्षक द्वारा 3 जुलाई, 1986 को कार्यवाही करने की तिथि नियत की जाती है, इस बीच वह कोर्ट हो आता है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राणा जी आप प्रश्न करें ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह प्रश्न और उत्तर की प्रति आप अपने पास मांगकर रख लें इससे स्वयं आभास होगा कि उस व्यक्ति को पर्याप्त मौका दिया गया कोर्ट आदि जाने

का । मान्यवर, जब वह कोर्ट से स्टे ले आया तो फिर तुरन्त तहसीलदार ने दरखास्त दे कर उसे स्टे को वेकेट कराने की कार्यवाही करनी चाहिये थी ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय राणा जी आपका प्रश्न क्या है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, न सवालों का ठीक से जवाब दिया जा रहा है और न आप ही इसे देख रहे हैं तो हम कहां जायें ? आपकी इस प्रश्नोत्तर की प्रति अपने पास मंगाकर देख लें । इस प्रश्न पर विभाग से न्याय नहीं मिला है । अतः मेरा अनुरोध है कि आप इसे इस सदन की प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आवश्यक जांच आदि हेतु सुपुर्द कर दें वहां उसे न्याय मिल जायेगा । ग्राम प्रधान कोई बात कह रहा है तो वह जायज नहीं है लेकिन दूसरी ओर तहसीलदार एस0 डी0 एम0 मनमानी कर रहे हैं, उनकी मनमानी चल रही है ।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय सदस्य जिन तथ्यों को आपके संज्ञान में लाये हैं, मैं उसके सम्बन्ध मे कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन मान्यवर, मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं । दिनांक 3 मई, 1986 को प्रार्थना-पत्र दिया गया और उसके बाद 26 जून, 1986 को, जहां तक शासन की जानकारी है, जांच के प्रोसीजर का समय था अगर आप मेरी जगह होते, तो शायद आप भी यही करते । दिनांक 3 मई, 1986 को उसका कब्जा नहीं हो सकता था क्योंकि प्रोसीजर में कुछ समय लगता है । उसके बाद एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि उन्हें किसी शादी में जाना है, अतः जब वह लौटकर आयेंगे, तब उनके सामने ही पैमाइश की जाये । इसके बाद वह चुपचाप जाकर कोर्ट से स्थगन आदेश ले आये, इसलिये इसमें अब कोई सवाल ही नहीं उठता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर में कुछ समय लगा । उस बीच में एक प्रार्थना-पत्र आया कि शादी के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना है और जब वह आ जायें तो उनके सामने ही उसकी जांच तथा पैमाइश वगैरह की जाय या कब्जे को हटवाया जाये । उसके बाद वह कोर्ट में चले गये और स्थगन आदेश ले आये । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दोनों तिथियों के बीच में कितने माह का अन्तर था ? और क्या शादी इतने दिनों तक होती रही । इतने दिनों में कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, 26 जून, 1986 को स्थगन पर पैमाइश करने की तिथि थी और इसी बीच में उसके दो दिन पूर्व 24 जून, 1986 को महावीर प्रसाद और कुछ लोगों ने एक प्रार्थना-पत्र दे दिया, उस पर किसी विधायक की संस्तुति भी थी । उसके बाद एक सप्ताह बाद पैमाइश करने की तिथि निर्धारित की गई । चूंकि उन्होंने शादी में जाने की बात लिखी थी, अतः उनको समय दे दिया गया । इस बीच में वह कोर्ट से स्थगन आदेश भी ले आये ।

जनपद लखनऊ के ग्राम सभा नटकुर में भूमि आवंटन सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच कार्यवाही

*3--श्री शारदा प्रताप--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ग्राम सभा नटकुर, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की ग्राम समाज की भूमि का आवंटन भूमिहीन हरिजनों एवं किसानों को न कर बाहरी व्यक्तियों की नाम पट्टा किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 1987, 5 जून, 1987 9 सितम्बर, 1987 तथा 14 जनवरी, 1988 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी बाहरी व्यक्तियों के नाम किए गए फर्जी पट्टों को निरस्त कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गौरी शंकर--

जी हां, प्रश्नगत ग्राम में ग्राम समाज भूमि का आवंटन किसी भी व्यक्ति को नहीं किया गया है । अतः पट्टों के निरस्तीकरण का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, मैंने 14 जनवरी, 1988 को माननीय राजस्व मंत्री को एक पत्र दिया था, जिसमें लगभग 600 बीघा जमीन की हेरा-फेरी किये जाने का मामला था । उसके सम्बन्ध में मेरी जानकारी है । माननीय मंत्री जी भी लखनऊ सदर तहसील से बड़े करीब रहे हैं और वह भी सब जानते हैं । मान्यवर, वहां पर रिकर्ड में हेरीफेरी करके लगभग 600 बीघा जमीन को 38 व्यक्तियों ने चकबन्दी प्रक्रिया के बाद उसको रिकार्ड में चढ़वा लिया और अब वह जमीन शहर के कुछ लोग, मोहन सिंह जिन्होंने 14 बीघा जमीन मोहनलालगंज में हड़प लिया है और शहर के एक इंजीनियर अधिकारी ने उसका बेनामा किया है, जिसके सम्बन्ध में मैंने तहसीलदार को एक पत्र लिखा था । मान्यवर, लखनऊ तहसील के तमाम ऐसे गांव हैं, जो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हैं जैसे जेती खेड़ा, चन्द्रावल और मीरानपुर पिनवट आदि, उन गांवों की जमीन में हेराफेरी की गई है । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 600 बीघा जमीन फर्जी लोगों के द्वारा और शहर के लोगों के द्वारा हड़प ली गई है, उसको निरस्त कर क्या वहां के जो मूल निवासी और हरिजन भूमिहीन लोग हैं, उनके नाम आवंटित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय सदस्य स्वयं बहुत जागरुक हैं । वह जानते भी हैं कि इस मामले में कितनी तत्परता बरती जा रही है । माननीय सदस्य स्वयं प्रशंसा करेंगे कि जैसे ही शिकायती पत्र मिला, उसी के आधार पर जांच कराई गई । जांच में यह मामला प्रकाश में आया कि जिल्द चकबन्दी आकार पत्र-45 में 1976-77 में कुछ कतिपय लोगों के नाम चकबन्दी न्यायालय द्वारा अंकित पाये गये, जब इसकी जांच कराई गई तो जिल्द चकबन्दी में जो नाम अमल दरामद हुए, वे संदेहास्पद थे । फर्जी अमल दरामद नाम जो पाये गये, उसके लिए परगना अधिकारी, लखनऊ द्वारा जांच कराई जा रही है और प्रभावी कार्यवाही की जा रही है और माननीय सदस्य को इसकी पूरी जानकारी भी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ अमल दरामद फर्जी पाये गये, जिन लोगों के नाम जमीन नहीं थी और न उनके नाम कोई खाता था, लेकिन उनके नाम

खातों में अंकित हो गये । जिन अधिकारियों ने बिना जांच-पड़ताल के यह कार्य किया, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, क्योंकि प्रादर्शन में यह बात मान ली गई ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने स्वयं बताया कि इसमें कुछ इन्दिराज सन्देहास्पद पाये गये । कतिपय व्यक्ति जो अमल दरामद हुए हैं, उनके खिलाफ परगना अधिकारी लखनऊ द्वारा जांच कराई जा रही है, ज्योंही जांच रिपोर्ट आ जायेगी, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर दी जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आरोप नितान्त गम्भीर हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब यह कम्पलेन्ट माननीय श्री शुक्ला जी ने दी और आपने राजस्व विभाग का एक जांच अधिकारी नियुक्त किया और चोरी करने वाले भी राजस्व विभाग के ही हैं तो क्या आपने इसकी सूचना श्री शुक्ला जी को दी कि फलां तारीख को जांच होगी ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इशारा किया है कि जांच करने वाला अधिकारी राजस्व का है और गलत काम करने वाले भी राजस्व के हैं तो जांच ठीक नहीं हो सकती है, ऐसी बात नहीं है । जो जाँच कर रहे हैं, यदि माननीय श्री शुक्ला जी उसके जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो, दूसरा अधिकारी जांच कर लेगा, यदि माननीय सदस्य श्री शुक्ला जी कहेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया । शासन के यह स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि कोई माननीय सदस्य शिकायत करता है और उस पर जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो उसकी सूचना माननीय सदस्य को दी जायेगी । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में भी माननीय सदस्य को सूचना दी गई कि फलां तारीख को जांच होगी, आप साक्ष्य लेकर उपस्थित हों ?

(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी को पुकारे जाने पर)

मान्यवर, जो निर्देश आप देते हैं, स्वयं उसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं करवाते हैं, इससे मुझे बड़ा कष्ट होता है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अभिलेखों में गलत इन्दिराज पाये गये और ऐसे लोगों के नाम अंकित हो गये, जो उसके अधिकारी नहीं थे और जमीन हड़पने का प्रयास किया गया । तो एक अपराधिक प्रकरण बनता है, क्या इस सम्बन्ध में उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई एफ0 आई0 आर0 अंकित करायी गयी ? क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन कराया जा रहा है या नहीं ?

श्री गौरी शंकर--

मैं ही कदाचित स्पष्ट नहीं कर सका हूं, जिससे कि द्विवेदी जी को प्रश्न करना पड़ा। जब संदिग्ध अमल-दरामद का मामला प्रकाश में आया और माननीय सदस्य द्वारा जब शिकायत की गयी, उस पर बड़ी गम्भीरता से जांच करायी गयी और तब यह मामला प्रकाश में आया। कौन-कौन से लोग दोषी हैं, उस पूरे प्रसंग में परगनाधिकारी द्वारा जांच हो रही है, सारा मामला प्रकाश में आ जायगा। अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, शुक्ला जी का विश्वास है कि जांच ठीक होगी। अगर उनको विश्वास नहीं होगा तो अधिकारी बदल दिया जायगा।

श्री शारदा प्रताप--

जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभिलेखों में गलत नाम इन्दराज कर दिया गया और मेरी निश्चित जानकारी है कि चूंकि जमीन नगर महापालिका की सीमा के अन्दर है, उसकी कीमत तो हो ही गयी है, इसीलिये दूसरे लोगों के नाम बेनामा कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि वह बेनामा न कर पायें, इसके लिये क्या रजिस्ट्री प्रक्रिया पर रोक लगायेंगे और तहसील को निर्देशित करेंगे कि दाखिल खारिज न हो ?

श्री गौरी शंकर--

जैसा माननीय सदस्य जानते हैं ग्राम नटकुर, परगना बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ बड़ा ग्राम है, उसकी जमीन में लोगों की रुचि होगी लेकिन विधिक स्थिति क्या है, यह आप भी जानते हैं। इस पर बल देना चाहता हूं कि जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(समय 12 बजे मध्याह्न)

जनपद उन्नाव, पुरवा विधान सभा क्षेत्र में सूखे से हुई क्षति का आकलन एवं अहेतुक सहायता

*4--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूखे से उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में यह क्षति कितने रुपये की हुई है ? क्या यह सच है कि पुरवा क्षेत्र की क्षति का आकलन करने के लिये जुलाई, अगस्त, 1987 में किसी राज्य स्तरीय अधिकारी ने दौरा भी किया था ? यदि हां, तो दौरे के निष्कर्ष क्या हैं ? पुरवा विधान सभा क्षेत्र को कुल कितनी राहत राशि आवंटित हुई ? क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि विभिन्न जिलों को सूखे के संबंध में सहायता देने के मानक क्या थे।

श्री गौरी शंकर--

सूखे के कारण पुरवा विधान सभा क्षेत्र में कृषि की क्षति का अनुमान 6,38,37,500·00 रु० आंका गया।

दिनांक 29-8-1987 को जनपद में केन्द्रीय अध्ययन दल के साथ राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश के निरीक्षण हेतु पहुंचे थे, परन्तु उन्होंने पुरवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का स्थानीय निरीक्षण नहीं किया था। दौरे के निष्कर्ष की जानकारी नहीं है।

पुरवा विधान सभा क्षेत्र को विशेष सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 10·19 लाख रुपये की योजनायें, पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 कूप निर्माण हेतु 1·65 लाख रु०, कृषि निवेश

अनुदान हेतु 17,368 रु0 तथा 29 असहाय व्यक्तियों को 935·25 रु0 की अहेतुक सहायता निःशुल्क खाद्यान्न के रूप में स्वीकृत की गयी है। इसके अलावा 26 निराश्रितों को 50 रु0 के मूल्य के वस्त्र (वर्ष में एक बार) तथा 10 किग्रा0 गेहूं प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह गेहूं का वितरण नवम्बर, 1987 से किया जा रहा है।

क्षति व आवश्यकता के आधार पर विभिन्न जिलों को आवंटन किया गया है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, यहां जो प्रश्न है, वह दो भागों में था। पहले में तो तथ्यात्मक जानकारी चाही थी। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि साढ़े छः करोड़ रु0 की क्षति हुई है। प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में जानकारी चाहूंगा कि यह साढ़े छः करोड़ रु0 की जो क्षति है किसानों की ही क्षति है फसल की? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति के लिये क्या सहायता की गयी है?

प्रश्न का दूसरा भाग नीति पूरक है मैंने पूछा था कि क्या बतायेंगे कि विभिन्न जिलों को सूखे के सम्बन्ध में सहायता देने के मानक क्या थे? माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि क्षति व आवश्यकता के आधार पर विभिन्न जिलों को आवंटन किया गया है। जब क्षति के आधार पर आवंटन किया गया है तो साढ़े छः करोड़ रुपये की क्षति माननीय मन्त्री जी के विभाग ने अंकित की है, तो मानक क्या है बता दें?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जैसा कि माननीय ने प्रश्न किया, तो मैंने मूल उत्तर में स्पष्ट रूप से बतला दिया था कि 6,38,37,500·00 की क्षति आंकी गयी थी। अब कहीं जब क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये या कम्पनसेशन के लिये शासन के पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो केवल राहत देते हैं, तात्कालिक सहायता करते हैं, आदमी जिन्दा रहें, उसे रोजगार मिले, इन सब बातों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन फसल के कम्पेनसेशन की बात कोई नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि करीब साढ़े 6 करोड़ रु0 की क्षति हुई है, तो इसमें जो अहेतुक सहायता दी गयी है उसकी पूरी सूची मेरे पास है, आप इजाजत दें तो मैं उसे पढ़ दूं. किन्तु मैं समझता हूं कि इसमें समय बहुत लगेगा और इतना समय है नहीं आपके पास। तो जिस प्रकार की क्षति हुई है उसके महत्व और गम्भीरता को देखते हुए तात्कालिक राहत कार्य करने के लिये आदेश दिये गये हैं और राहत कार्य कराये भी जा रहे हैं।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित द्वारा पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपका आगे भी प्रश्न आ रहा है, अब आप आगे चलने दीजिये।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, इसी में मुझे एक बात और पूछनी है।

श्री अध्यक्ष--

अरे, अब समय भी देखिये, खतम हो रहा है। आगे चलिये।

[शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ग्राम सभा अकोहरी, तहसील पुरवा जिला, उन्नाव में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*1--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या फरवरी, 1987 में उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के ग्राम सभा अकोहरी के प्रधान के विरुद्ध ग्राम सभा भूमि पर खेती करने और फसल तैयार करने की शिकायत ग्राम पंचायत के सदस्य श्री शिव मोहन के पत्र सहित प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र द्वारा एस0 डी0 एम0 पुरवा को मिली है ? यदि हां, तो ग्राम समाज की कितने एकड़ भूमि पर प्रधान द्वारा अवैध कब्जा किया गया था ? क्या यह सच है कि परगनाधिकारी के तमाम आदेशों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने ग्राम प्रधान द्वारा तैयार फसल जब्त नहीं की है ? क्या यह भी सच है कि अवैध कब्जे की कार्यवाही प्रधान को बचाकर प्रधान के नौकर पर की गयी है ?

श्री गौरी शंकर--

जी हां । ग्राम प्रधान का अवैध कब्जा नहीं अपितु गांव सभा अकोहरी की भूमि संख्या 1712-रकबा 0-9-13, 1798/1 रकबा 0-16-0, 1798/2-रकबा 0-5-0, 1796 मि0 रकबा 0-4-4, 1797/1 रकबा 0-11-0 कुल रकबा 2-5-17 पर श्री गोले पुत्र शिवनाथ निवासी अकोहरी का अवैध कब्जा पाया गया ।

जी नहीं, खड़ी फसल को दिनांक 27-3-86 को तुपुर्दगी लेकर नीलाम किया गया तथा नीलाम की धनराशि रु0 132·00 रुपये संचित गांव कोष में जमा किया गया ।

शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यवाही की गयी । चूंकि श्री गोले ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया है । अतः नियमानुसार नियम 115 सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही श्री गोले के विरुद्ध की गयी ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, अब मुझे प्रश्न नहीं करना है ।

(श्री गौरी शंकर द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा जाता रहा । इस बीच माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष पीठ पर पीठासीन हुए ।)

(इस समय 12 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, मैं पहले आपसे एक जानकारी चाहूंगा कि जो भी मैं सवाल करता हूं उस पर आप मुझे दूसरे पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देते हैं, पहले आप इस संबंध में मुझे बतला दें, तब मैं आगे सवाल करूंगा । मुझे यह निवेदन करना है कि मैं तीन वर्षों से विधान सभा का सदस्य हूं, जब भी कोई मेरा प्रश्न होता है और उस पर मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं तो मुझे उसकी अनुमति क्यों नहीं दी जाती है ? क्या अब मैं हड़कंप करके या न्यूसेन्स करके प्रश्न किया करूं ? जबकि ऐसी बात करना मेरी आदत में नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो लोग हड़कंप करते हैं और न्यूसेन्स करते हैं आप उनको ही अनुमति देते हैं । मैं समझता हूं कि मुझको आप मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी हड़कंप और न्यूसेन्स करूं तभी मुझे प्रश्न पूछने की इजाजत दी जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय दीक्षित जी व्यवधान नहीं करना चाहिये। मैं तो वैसे ही आपका ख्याल रखता हूं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

इन बातों में समय बहुत जाया गया। मुझे पहले वाले प्रश्न पर पहले एक अनुपूरक प्रश्न करने की आप इजाजत दें। मैं उस प्रश्न के संबंध में एक प्रश्न और करने की इजाजत चाहता हूं क्योंकि उसका पूरा उत्तर नहीं आ पाया है और दूसरा प्रश्न यहाँ आ गया।

मैं पहले वाले प्रश्न के विषय में आपकी अनुमति चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि करीब साढ़े 6 करोड़ रु0 की क्षति हुई तो क्या सरकार ने किसानों को इस क्षतिपूर्ति के लिए उनकी लगान वसूली को रोकने की कृपा करेगी? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि साढ़े 6 करोड़ रुपये की हानि हुई है तो क्या इसको देखते हुये कोई अनुदान किसानों को दिए जाने की घोषणा करेंगे? और हर प्रकार की वसूली को क्यों रोकने के आदेश माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, 50 फीसदी से यदि ऊपर की हानि हुई है तो कार्यवाही उस पर अवश्य की जायेगी, और यदि कोई उत्पीड़न की कार्यवाही कहीं हुयी है तो आप उसे सूचित कर दें उसे भी देख लिया जायेगा।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, यह प्रश्न पहले भी फरवरी, 1987 में उठाया गया था कि ग्राम प्रधान अकोहरी ने रकबी 2, 5 बिसवा और 17 बिसवांसी भूमि का अवैध कब्जा कर लिया है, परन्तु मान्यवर जांच में उसे साफ बचाते हुए उसके नौकर के नाम अवैध कब्जा दिखाया गया है। और जो फसल मान्यवर, नीलाम की गई वह मात्र 132 रु0 में इसलिए इस पूरे प्रकरण में बहुत बड़ा घपला हुआ है, क्या मामले की जांच करायेंगे?

श्री गौरी शंकर--

इस विषय पर जितनी गम्भीरता माननीय सदस्य महसूस कर रहे हैं, उतनी ही गम्भीरता से मैंने भी मान्यवर, अनुभव करके पूरे प्रकरण के जांच के आदेश दे दिये गये हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जायेगा, उसे अवश्य दंडित किया जायेगा।

श्री हरिशंकर तिवारी--

मान्यवर, ऐसी जमीन पर जो गांव समाज की भूमि है, उस पर अवैध कब्जा गांव के ही ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया और उस पर अब जांच पड़ताल हुई तो साजिश करके नौकर के नाम दिखा दी गयी, दोहरा जुर्म किया है, तो क्या ऐसे भ्रष्ट आदमी के प्रति कोई शीघ्र कार्यवाही करने पर विचार करेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, यह अवैध कब्जे का मामला है, इस प्रकार के बहुत से मामले प्रदेश में विचाराधीन हैं, क्या इस ओर कोई कड़ा कदम सरकार उठायेगी जिससे इस प्रकार के मामलों में लोग सचेत हो सकें ?

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, अभी एक मिनट का समय बाकी है, इसी को चलाते रहिए और हरेक को मौका दे दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, प्रश्न संख्या-2, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, माननीय श्रम मंत्री

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो मान्यवर, मुझे भी समय दीजियेगा, एक मिनट का अपनी बात कहने का ।

कानपुर नगर की कताई मिलों में कार्यरत श्रमिकों की भांति प्रदेश के सभी कताई मिल श्रमिकों को अन्तरिम वेतन दिये जाने की मांग

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर के कताई मिलों में कार्यरत मजदूरों के वेतन में 60 रुपया प्रतिमाह की अन्तरिम वेतन वृद्धि सरकार द्वारा पिछले वर्ष की गई है ? यदि हां, तो कानपुर के बाहर प्रदेश के अन्य कताई मिलों के मजदूरों को इस लाभ से क्यों वंचित रखा गया है ?

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)--

कानपुर स्थित सूती मिलों एवं बी0 आई0 सी0 लि0 (कानपुर उलेन मिल्स ब्रान्च) कानपुर के श्रमिकों को दिनांक 1 अक्तूबर, 1985 से 60 रु0 प्रतिमाह अन्तरिम सहायता दी जा रही है ।

कानपुर के बाहर सूती वस्त्र उद्योग में नियोजित श्रमिक तदर्थ वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं । इस संबंध में उभय पक्षों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कानपुर स्थित सूती मिलों के मजदूरों को 1 अक्तूबर, 1985 से 60 रुपया प्रतिमाह अन्तरिम सहायता दी जा रही है, लेकिन कानपुर के बाहर जो एक लाख से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं, उनको सहायता नहीं दी जा रही है । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी बताया है कि इस सम्बन्ध में उभय पक्षों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं माननीय मंत्री

जी से जानना चाहूंगा कि किसी निश्चित अवधि के अन्दर त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सईदुल हसन--

मान्यवर, यह मामला इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया है और वह इसको एक्जामिन कर रहे हैं, उसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने का प्रयास किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त ।

ग्राम छपरौली खादर, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद की ग्राम सभा की कतिपय भूमि का कथित आवंटन

*3--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम छपरौली खादर, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद की ग्राम सभा की भूमि संख्या 75, 48, 49, 60, 76 में कुल रकबा 10-3-0 के पट्टे किस परगनाधिकारी की अनुमति से किये गये हैं ? क्या इन आदेशों की कोई मूल पत्रावली अभिलेखागार में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो इन आदेशों की सत्यता का क्या प्रमाण है ?

संसदीय कार्य एवं राजस्व मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

ग्राम छपरौली खादर, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद की ग्राम सभा भूमि के कथित गाटा संख्याओं जिनका कुल रकबा 10-3-0 है का आवंटन ही नहीं हुआ है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मंगल देव विशारद जांच समिति द्वारा इंगित किए गए कृषि फार्मों पर सीलिंग कानून का प्रभावी ढंग से लागू न किए जाने की शिकायत

*4--श्री हर्ष वर्धन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भूमि सीलिंग हेतु मंगल देव विशारद कमेटी द्वारा इंगित किये गये किसी भी कृषि फार्म पर आज तक सीलिंग की प्रभावी कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? ऐसे कितने फार्म पर आज तक सीलिंग की प्रभावी कार्यवाही हुई और अन्य पर न होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति (मंगलदेव विशारद जांच समिति) के प्रतिवेदन के परिशिष्ट 18, 19 और 20 में क्रमशः 20, 270 व 19 कुल 309 मामले उल्लिखित हैं । इनमें 18 मामलों का वर्णन एक से अधिक बार हुआ है तथा 26 मामलों में खातेदारों की जोत सीलिंग की निर्धारित

नोट :--ताराकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

सीमा से कम पायी गयी । 15 मामलों की अद्यावधिक स्थिति जनपदों से ज्ञात नहीं हो सकी । अवशेष 250 मामलों में खातेदारों को नोटिस दी गयी जिनमें से 168 मामलों का निस्तारण हो चुका है । इन 168 मामलों में से 18 मामले राज्य के पक्ष में पूर्ण रूप से निर्णीत हुए । 60 मामलों का निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में आंशिक रूप से हुआ और 90 मामले पूर्णतः राज्य के विरुद्ध निर्णीत हुए हैं । 82 मामले अभी भी विभिन्न न्यायालयों में निर्णय हेतु लम्बित हैं ।

*5--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ मंडल में कार्यरत नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों की संख्या तथा उनका नियमितीकरण

*6--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्प्रति लखनऊ मंडल में कुल कितने नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार कार्यरत हैं ? उनमें से कुल कितने कितने नियमित (रेगुलर) हैं ? जो रेगुलर नहीं हो पाये उनमें से ऐसे कितने हैं कि जिनका सेवा काल इस पद पर कार्य करते 10 वर्ष से अधिक हो गया है ? कितने वर्ष की सेवा के बाद उन्हें नियमित होना चाहिए ? इस नीति के अधीन उपरोक्त सभी अधिकारी कब तक नियमित कर दिए जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

लखनऊ मंडल में कुल 128 नायब तहसीलदार तथा 40 तहसीलदार (अपर तहसीलदारों तथा कानूनगो प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त तहसीलदारों को सम्मिलित करते हुए) तैनात हैं ।

नायब तहसीलदारों में से केवल 24 नियमित (रेगुलर) हैं किन्तु तहसीलदारों में से कोई रेगुलर नहीं हैं ।

ऐसे 27 नायब तहसीलदार तथा 2 तहसीलदार हैं ।

नायब तहसीलदार सेवा नियमावली तथा तहसीलदार सेवा नियमावली के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किये जाने के पश्चात् नियमित (रेगुलर) किया जाता है ।

लोक सेवा आयोग से चयनित होने से पश्चात् ही यह अधिकारी नियमित हो सकेंगे ।

*7--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जिलाधिकारी कानपुर नगर को सम्बोधित कतिपय शासनादेशों विषयक ज्ञापन पर कार्यवाही

*8--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 5636/1-4-85-965 वी 4/78, दिनांक 14 जनवरी, 1986 एवं शासनादेश संख्या 2537/1-4-82-695 सी-4/78, दिनांक 13 सितम्बर, 1983 के अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में वहां के कर्मचारियों

कलेक्ट्रेट कानपुर (नगर) द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित ज्ञापन जिलाधिकारी, कानपुर नगर को दिनांक 28 दिसम्बर, 1986 व 5 मई, 1986 को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

*9--श्री मित्रसेन--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त] ।

ग्राम अहिरनपुरवा, जनपद बांदा के किसानों की अध्याप्त की गयी भूमि एवं उसका मुआवजा का भुगतान

*10--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में ग्राम अहिरनपुरवा के किसानों का जमीन सन् 1977-78 में कृषि उत्पादन मंडी के निर्माण हेतु अध्याप्त की गयी थी ? यदि हां, तो अध्याप्त भूमि का मुआवजा अभी तक किसानों को अदा न करने के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? क्या यह सही है कि भूमि अध्याप्त अधिकारी, बांदा के कार्यालय के उचित मुआवजा के कागजात तैयार नहीं किये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? मुआवजा की धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 6(1) सपठित धारा 17 (1) की विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 1 जुलाई, 1978 को किया गया । भूमि पर कब्जा दिनांक 27 अप्रैल, 1979 को दिया गया एवं अभिनिर्णय की घोषणा दिनांक 23 सितम्बर, 1986 को की गयी । प्रकरण में धारा 17 लागू होने के कारण अग्रिम प्रतिकर रुपया 4,19,325-का भुगतान भू-स्वामियों को 12 मार्च, 1981 को कर दिया गया था ।

अभिनिर्णय की कुल धनराशि रुपया 8,04,472.73 पैसा है । शेष धनराशि का भुगतान मय ब्याज के तत्काल कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रतिकर की दरों के निर्धारण में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय द्वारा अनियमितता बरती गई है । अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बस्ती, तहसील नौगढ़ के मोहाना लोटन मार्ग के लिए कतिपय गांवों के किसानों की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अध्यापित भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

*11--श्री धनराज यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में मोहाना-लोटन मार्ग जिसको कई वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बनाया है उस सड़क में जो जमीन किसानों की ली गई है, इसका मुआवजा विधान सभा में आश्वासन के बावजूद मात्र तीन गांवों (मधूवनी, शिवपति नगर, दुल्हगनुवी) को दिया गया है

शेष गांव अमराबस्तिया, टकानीपुर, गढ़पीर, सिकरी दरबरियां पानी, कपिया, अज्ञाने मुसौलामाको सुसनहा–कुरमी महदेइया–तरधौना लोटन की जमीन का मुआवजा सा0नि0वि0 ने यह कहकर नहीं दिया कि चकबन्दी प्रक्रिया के तहत किसानों की जमीन सा0 नि0 वि0 को मिल गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि काश्तकारों की जो जमीनें सा0 नि0 वि0 के नाम हो गई, उसकी मालियत लगी थी ? यदि मालियत नहीं लगी, तो क्या चकबन्दी प्रक्रिया में किसानों को मुआवजा देने का निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो किसानों की जमीन सा0 नि0 वि0 के नाम कर देने का क्या कारण है ?

श्री अम्बार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग से विधवा पेंशन को नियमित दिये जाने की मांग

*12––श्री विक्रमादित्य पाण्डेय––

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया में विधवा पेंशन 8 महीने से लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है ? यदि हो, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे समाज के इस निर्बल वर्ग को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त होती रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्श.)––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में जांच

*13––श्री कुशल पाल सिंह––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के फर्जी लोगों तथा बच्चों के नाम से वर्ष 1985-86 व 1986–87 में लाखों रुपया शासकीय धन का दुरुपयोग किया था जिसकी जांच श्री आर0 एस0 शर्मा, सहायक निदेशक (सतर्कता) द्वारा दि0 20–4–87 से 25–4–87 तक कानपुर नगर में मौके पर जाकर की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि सभी आरोप सही पाये गये थे ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी हां ।

जांच पूरी नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा की कतिपय तहसीलों में तहसीलदारों के कथित रिक्त पद

*14––श्री सरदार सिंह––

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद की तहसील मांट, मथुरा व छाता में गत कई महीनों से कोई तहसीलदार नहीं है जिससे जनहित को बहुत हानि

हो रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या शासन अविलम्ब तहसीलदार उक्त तहसीलों में नियुक्त करने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । जनपद की तीनों तहसीलों में तहसीलदार का कोई पद रिक्त नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

*15--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

[प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं एवं पुनरीक्षित वेतनमान

*16--श्री विजय सिंह राणा--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति यू0 पी0 फैक्टरी वेलफेयर रूल्स, 1955 तथा फक्टरी ऐक्ट, 1948 के अन्तर्गत प्रस्तावित अर्हताओं के आधार पर की जाती है ? यदि हां, तो उनके वेतनमान का आज तक पुनरीक्षण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सईदुल हसन--

जी हां । कारखानों में नियुक्त होने वाले कल्याण अधिकारियों के वेतनमान वर्ष 1973 तथा 1979 में पुनरीक्षित किए गए हैं ।

मोहन मीकिन लि0 मोहन नगर गाजियाबाद के श्रमिकों की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर कारखाने के अधिष्ठाता एवं प्रबन्धक के विरुद्ध मामला न्यायालय में विचाराधीन

*17--श्री कौशिक रमा शंकर श्री राम शरण दास, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री भगौती सिंह तथा श्री बलराम यादव--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन मीकिन लि0 मोहन नगर (गाजियाबाद) में मालिकों की लापरवाही से दिनांक 1 मई, 1987 को कई मजदूरों की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने मालिकों के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री सईदुल हसन--

मेसर्स मोहन नगर बेवरीज एन्ड एलाइड डन्ड0 मोहन मीकिन लि0, मोहन नगर, गाजियाबाद में दिनांक 1 मई, 1987 को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें घायल सात श्रमिकों में से तीन श्रमिकों की मृत्यु हो गई । उ0 प्र0 कारखाना नियमावली के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए कारखाने के अधिष्ठाता एवं प्रबन्धक के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया ।

उ0 प्र0 वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण

*18--श्री राज किशोर सिंह--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रम अनुभाग-3 संख्या 735/36-3-1028 एम0 डब्लू0 1-76 दिनांक 21 जून, 1984 की अधिसूचना

के अनुसार उ0 प्र0 में वाणिज्य अधिष्ठानों में और उत्तर प्रदेश में दुकानों में नियोजित कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर पुनरीक्षित हुई है ? क्या यह आदेश सहकारी समितियों पर भी लागू है ? यदि हां, तो निबन्धक सहकारी समिति उत्तर प्रदेश के पत्रांक सी-24/उप-ग-2/दिनांक 3 सितम्बर, 1985 का वेतन सम्बन्धी आदेश का क्या औचित्य है ?

श्री सईदुल हसन--

जी हां । विधिक दृष्टि से प्रश्नगत अधिसूचना सहकारी समितियों द्वारा चलायी जा रही दुकानों में नियोजित कर्मचारियों को भी आवृत्त करती है, किन्तु निबन्धक सहकारी समिति के आदेश दिनांक 3 सितम्बर, 1985 में सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण योजना के अन्तर्गत संचालित दुकानों के विक्रेताओं के लिए अलग वेतन निर्धारित किया गया है । इसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उपबन्धों से छूट दिए जाने की मांग की गई है, जो शासन के विचाराधीन है ।

प्रदेश की चकबन्दी नीति के अन्तर्गत जनपद झांसी के ग्रामों को पुनः चकबन्दी कराए जाने की मांग

*19-कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामों की चकबन्दी कराए जाने के सम्बन्ध में शासन का क्या मापदन्ड एवं नीति है ? क्या मंत्री जी इसमें शिथिलता बरत कर झांसी जिले के चकबन्दी से छूटे ग्रामों की जिनका बन्दोबस्त हुए चालीस वर्ष से अधिक हो गया, की चकबन्दी कराये जाने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस समय 30 प्रतिशत या उससे अधिक चकबन्दी योग्य कृषिक क्षेत्रफल वाले ग्रामों की ही चकबन्दी में लिये जाने का मापदन्ड निर्धारित है ।

जी नहीं ।

पूर्व निर्धारित मापदन्ड को घटा कर उक्त मापदन्ड रखा गया है । और अब शिथिलता सम्भव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में कार्यरत अनुदेशकों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन एवं सुविधाएं देने की मांग

1-श्री अशोक सेहरा तथा श्री यदुनाथ सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में कार्यरत अनुदेशकों को नियत वेतन मात्र 600/ रु0 प्रतिमाह दिया जा रहा है ? यदि हां तो क्या सरकार इस भीषण मंहगाई को देखते हुए उक्त कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में कार्यरत अनुदेशकों को नियत वेतन 600/-रु0 प्रतिमाह दिया जा रहा है ।

प्रश्नगत कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

प्रदेश में सूखा एवं बाढ़ राहत कार्यों के लिए केन्द्र से प्राप्त धनराशि एवं उसके उपयोग का विवरण

2--श्री अमिताभ अनिल दूबे--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखा एवं बाढ़ से उत्तर प्रदेश में हुए नुकसान तथा राहत कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से वर्ष 1987-88 में कितना सहायता धन मांगा गया ? भारत सरकार ने कितना धन दिया ? क्या भारत सरकार द्वारा दिये गये सहायता धन का पूर्ण उपयोग करके लोगों को राहत सहायता दी जा चुकी है ? यदि हां, तो ब्योरा क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूखा एवं बाढ़ से उत्तर प्रदेश में हुए नुकसान तथा राहत कार्यों के लिये केन्द्र सरकार से वर्ष 1987-88 में मांगे गये धन तथा उसके सापेक्ष प्राप्ति का विवरण निम्नवत् है :--

(1) सूखा के सम्बन्ध में धन की मांग रु0 1,314.11 करोड़, केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि रु0 141.53 करोड़ ।

(2) उक्त के अतिरिक्त, सिंचाई कार्यों हेतु रु0 14 करोड़ तथा वेजीटेबुल मिनीकिट्स के वितरण हेतु रु0 20.625 लाख की सूखा सहायता भी प्राप्त हुई है ।

(3) बाढ़ के सम्बन्ध में धन की मांग रु0 186.96 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि रु0 20.49 करोड़ ।

उक्त सहायता के उपयोग की अवधि 31 मार्च, 1988 है । तद्नुसार उपयोग करने की कार्यवाही विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा की जा रही है । उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद उपयोग की अन्तिम स्थिति ज्ञात होगी ।

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों तथा प्रोबेशन अधिकारियों को एक समान वेतनमान लागू करने हेतु द्वितीय आयोग की संस्तुति का क्रियान्वयन

3--श्री अमिताभ अनिल दूबे--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग ने प्रोबेशन अधिकारियों का वेतनमान हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के समान 770-1600 संस्तुत किया है ? यदि हां, तो क्या उसका क्रियान्वयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी कराने विषयक चकबन्दी आयुक्त को दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही

4--श्री गौरी शंकर भैया--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने दि0 1-2-88 को चकबन्दी आयुक्त से मिल कर जनपद बलिया के ग्राम मंगहरा रामपुर चौट एवं एकवनी की चकबन्दी करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इन ग्रामों की चकबन्दी का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करके आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम ससवना व गौहना, के ग्राम प्रधानों के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत पर चल रही जांच का विवरण

5--श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम ससवना व गौहना के प्रधानों के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत पर गत कई वर्षों से जांच चल रही है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ? क्या उक्त दोनों के सम्बन्ध में माननीय सांसद अकबरपुर तथा पूर्व विधायक माननीय प्रियदर्शी जेतली ने जिला अधिकारी व परगना अधिकारियों को गत पांच माह में अनेक पत्र भी लिखे हैं ? यदि हां, तो दोनों प्रधानों के सम्बन्ध में जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है तथा जांच में अब तक क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । प्रधान ससवना के विरुद्ध मुख्य आरोपों की शिकायत, भूमि आवंटन में की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है । प्रधान ग्राम सभा गौहना, तहसील अकबरपुर के विरुद्ध मुख्य आरोप यह हैं कि बिना परगनाधिकारी की स्वीकृति के अपने बड़े भाई के पक्ष में बचत भूमि का पट्टा आवास हेतु देना, मु0 सकीना से अवैध धन 40 रु0 लेकर आवास हेतु मौखिक रूप से गांव समाज भूमि पर अवैध कब्जा करना, सहाबुद्दीन से 450 रु0 अपनी मौजूदगी में अपने साथी को प्राप्त कराकर अवैध भवन निर्माण की मौखिक अनुमति प्रदान करना, कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव दिनांक 1-4-83 में वास्तविक आवन्टी का नाम मिटा कर अपने भतीजे का एक अन्य नाम लिखवाना तथा परगनाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना है । इसकी जांच अपर तहसीलदार, अकबरपुर द्वारा की जा रही है । ग्राम ससवना की जांच पत्रावली में माननीय सांसद अकबरपुर का दिनांक 20-4-87 का पत्र उपलब्ध है, जिसमें उच्च अधिकारी से जांच किये जाने का उल्लेख है । जांच अपर परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा की जा रही है । जांच पूरी होने पर ही तथ्य की जानकारी हो सकेगी ।

ग्राम प्रधान शहजादपुर, तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही

6--श्री शारदा प्रताप--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1988 जिसे उनके द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ को भेजा गया है जिसकी प्राप्ति आपके पत्रांक 249/वी0 आई0 पी0/88, दिनांक 20-1-1988 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गई है, में सन्दर्भित ग्राम प्रधान शहजादपुर, तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ को गम्भीर अनियमितताओं की जांच किस अधिकारी से कराई गई ? जांच रिपोर्ट क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

7--श्री धनराज यादव--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त] ।

जनपद बरेली में माधोबाड़ी नई बस्ती स्थित लेबर वेलफेयर सेंटर के भवन का जीर्णोद्धार

8--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर में माधोबाड़ी नई बस्ती में स्थित लेबर वेलफेयर सेंटर का भवन बहुत जर्जर अवस्था में है एवं दैनिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त इसका जीर्णोद्धार अथवा सेंटर को किसी नये भवन में स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नगत भवन बहुत जर्जर अवस्था में है। उसमें श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को बैठने का स्थान, श्रम हितकारी कार्यालय, चिकित्सालय पुस्तकालय, वाचनालय, सिलाई कक्षा, खेलकूद आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा दलित बंधु एवं कन्या प्राइमरी पाठशाला सुखी, जनपद बरेली के अध्यापकों के वेतन भुगतान में प्रबन्धकों द्वारा की गई अनियमितता

9--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा दलित बंधु एवं कन्या प्राइमरी पाठशाला सुखी, बरेली के प्राइमरी अध्यापकों का दिसम्बर व जनवरी, 1986 माह के वेतन से संबंधित जो चेक दिया गया था, बैंक में रुपया न होने के कारण 20 जून तक भुगतान नहीं हो सका ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सत्य है कि शिक्षकों के वेतन का धन स्कूल के प्रबन्धक ने बैंक से निकाल कर अपने व्यक्तिगत कार्य के लिये खर्च कर लिया ? यदि हां, तो प्रबन्धक के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी)--

शिक्षा दलित समिति प्राइमरी पाठशाला, सुखी बरेली की चार अध्यापिकाओं में से तीन अध्यापिकाओं का दिसम्बर, 1985 व जनवरी, 1986 माह के चेकों का भुगतान अप्रैल, 1986 में हो चुका है। चौथी अध्यापिका के वेतन के चेक का भुगतान प्रबन्धक द्वारा रोके जाने के कारण नहीं हुआ, क्योंकि इस अध्यापिका की सेवायें 15-4-1985 को समाप्त कर दी गयी थी तथा उसकी नवनियुक्ति 1-2-1986 को हुई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

10--डाक्टर दिनेश जौहरी--

[दिनांक 26-2-1988 को तारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित]।

परसरामपुर, जनपद-बस्ती में सम्बन्धित विकास योजना लागू करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

11--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के अर्ध शासकीय पत्र सं0 90 ए/26-2-79 हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग दिनांक 20 अगस्त, 1979 द्वारा जिलाधिकारी बस्ती को विकास क्षेत्र परसरामपुर जिला बस्ती में समन्वित विकास योजना लागू करने के लिए जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी को आदेश देने को लिखा था ? यदि हां, तो दिसम्बर, 1986 तक उक्त योजना को लागू करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सन्दर्भित पत्र जिलाधिकारी बस्ती को नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री दिलीप राम, भू0 पू0 ज्येष्ठ प्रमुख ग्लासी, पो0 रमतौली, जनपद पिथौरागढ़ की भूमि का मुआवजा न दिए जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

12--श्री काशी सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के पत्रांक राज/84-3/87, दिनांक 6 मार्च, 1987 के साथ 744 वी0 आई0 पी0 87, दिनांक 9 मार्च, 1987 श्री दिलीप राम, भू0 ए0 ज्येष्ठ प्रमुख ग्राम ग्लासी, पो0 रमतौली, जनपद पिथौरागढ़ का राजस्व विभाग द्वारा ली गयी भूमि का मुआवजा अब तक न दिये जाने विषयक पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस विषय में दिनांक 12 अक्तूबर, 1987 तक क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। श्री दलीपराम की भूमि के प्रतिकर के भुगतान की जांच करायी गयी। स्थानीय क्षेत्र में वर्ष 1963-64 में हुए बन्दोबस्त एवं 1966 से लागू कु0 जी त्रिनास

अधिनियम के प्राविधानों की पृष्ठ भूमि में भूमि का स्वामित्व विवादास्पद है एवं प्रतिकर की देयता विधिक कारणों से अभी विचाराधीन है । विधि सम्मत निर्णयोपरान्त प्रतिकर का भुगतान सम्भव होगा ।

ग्राम सुरनी विकास खण्ड मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर के ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

13--श्री अफजाल अंसारी--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद के ग्राम सुरनी में भूमिहीन परिवारों की संख्या कितनी है और इस गांव सभा में गांव समाज की कुल कितनी भूमि है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जनपद बलिया के ग्राम नरायनपुर के कुछ काश्तकारों द्वारा जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा सुरनी में ग्राम समाज की जमीनों को अवैध रूप से जोत लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक बेदखली की कार्यवाही कर के इन जमीनों को खाली करके भूमिहीनों में वितरित कर दिया जायेगा ? क्या इस ग्राम की समस्त चकरोडों को जो काश्तकारों द्वारा जोत ली गयी है तत्काल खाली कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

14--श्री अफजाल अंसारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में वृद्धावस्था पेन्शन के नियमित भुगतान में अनियमितता

15--श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था की पेन्शन का नियमित भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी भविष्य के लिए पेन्शन का नियमित भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सईदुल हसन--

वृद्धावस्था पेन्शन की धनराशि का भुगतान जिलाधिकारियों द्वारा त्रैमासिक किश्तों में नियमानुसार किया जाता है ।

नहीं उठता ।

श्री महादेव, निवासी ग्राम अधरोरी, तहसील नरैनी, जनपद-बांदा का भूमि नक्शा दुरूस्ती विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

16--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ग, 013476, दिनांक 26 अगस्त, 1987 बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम अधरोरी के श्री महादेव का नक्शा दुरुस्ती के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ग, 013475, दिनांक 26 अगस्त,

1987 बांदा जनपद के तहसील नरैनी के ग्राम बद्देई के श्री मंझा पुत्र श्री गोला के संलग्न पत्र के साथ नाली की पैमाइश के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

चकबन्दी आयुक्त द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 1987 को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बांदा को जांच करके विसंगतियों को दूर करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जी हां ।

जिलाधिकारी बांदा को पैमाइश कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं ।

ग्राम बहुरावा, तहसील मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर की भूमि के अवैध कब्जे हटाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के विषयक पत्र पर की गई कार्यवाही

17--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्रोत्तर के संदर्भ में उनके पत्र सं0 266 ओरल एम0 एम0 पी0/वी0 आई0 पी0 86, दिनांक 09 मार्च 1986 के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? सार्वजनिक भूमि संख्या 3472' एवं 4473 स्थित ग्राम बहुरावा, तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर के अवैध कब्जे हटाने एवं नाजायज तरीके से भूमि हड़पने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम चांदापार, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती की आवासीय भूमि के पट्टे अपात्र व्यक्तियों को देने का आधार और कब्जा

18--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम चांदापार उर्फ सोहरतगढ़, तप्पा बरहों तहसील नौगढ़, जिला बस्ती के गाटा संख्या 319 में जो आवासीय पट्टे हुये हैं वह सीलिंग की भूमि है ? यदि हां, तो भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा सीलिंग से निकली भूमि को आवास के लिये अपात्र व्यक्तियों को पट्टे करने का क्या आधार है ? क्या उपरोक्त पट्टे को निरस्त करने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

19--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या यह सही है कि उपरोक्त पट्टे की पैमाइश सम्बन्धित लेखपाल द्वारा 1984 में पट्टेदारी करके पुलिस बल द्वारा जबरन कब्जा दिलाया गया है और उक्त भूमि गाटा संख्या 320 के जबरन निकाली गयी है क्योंकि गाटा संख्या 320 की पक्की नशान देही 13 अक्तूबर, 1987 को काश्तकार के खर्च पर सम्पन्न हुई है और काश्तकार 1984 के पूर्व स्थिति में सही पाया गया ? यदि हां, तो काश्तकार की जो हानि लेखपाल के कृत्य से हुई उनकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार शासन करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है '

20--श्री कनक सिंह--

[दिनांक 26 फरवरी, 1988 अत0 प्र0 सं0 55 द्वारा उत्तरित ।]

घुर्मा जनपद मिर्जापुर के श्रमिकों के कल्याणार्थ स्टेट लेबर की योजना की स्थापना हेतु प्राप्त सरकारी धन को निदेशक द्वारा कैनारा बैंक में पी0 एल0 ए0 खाते में जमा किए कथित शिकायत

21--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या घुर्मा, जनपद मिर्जापुर के श्रमिकों को कल्याण एवं रोजगार सम्बन्धी स्टेट लेबर ग्रुप जनपद मिर्जापुर की योजना के स्थान हेतु सन् 1982 में आवटित धनराशि वर्तमान निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योअना के कार्यकाल में उन योजनाओं पर धन न लगा कर उसे लखनऊ स्थित कनेरा बैंक के खातों में जमा कर दिया गया ? क्या यह भी सही है कि मजदूरो के अर्जित परिश्रमिक का लगभग 16 लाख रुपया कनेरा बैंक लखनऊ में पी0 एल0 ए0 एकाउन्ट में जमा है ? यदि हां, तो उन रुपयों का उपयोग योजनाओं और मजदूरों को भुगतान न करके बैंक में जमा करने के क्या कारण है ?

श्री सईदुल हसन--

जी नहीं ,

घुर्मा जपन मिर्जापुर के श्रमिकों के कल्याणार्थ एवं रोजगार सम्बन्धी स्टेट लेबर ग्रुप की योजना के स्थापना हेतु सन् 1982 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी । अतः सन् 1982 में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उक्त मद की कोई धनराशि लखनऊ स्थित केनारा बैंक के खाते में जमा नहीं की गयी थी '

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पी0 एल0 ए0 केनरा बैंक में नहीं है, वरन् स्टेट लेबर ग्रुप घुर्मा योजना से अन्तर्गत कार्यरत मजदूरों द्वारा अर्जित धनराशि सन् 1982 में उक्त योजना की समाप्ति के पश्चात् सेविंग बैंक की एकाउन्ट एवं एफ0 डी0 आर0 एकाउन्ट में केनारा बैंक में जमा कर दी गयी ताकि श्रमिकों के कल्याणार्थ योजना पर व्यय करने हेतु ब्याज अर्जित करना सम्भव हो सके । चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा इन मजदूरों को काम पर वापस नहीं लेने हेतु अंतिम रूप से निर्णय लिया जा चुका है, अतः अब श्रमिकों को उक्त बैंक से आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित कर वापस की जा रही है ।

ग्राम पशुहारी, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

22--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के तहसील रसड़ा अन्तर्गत मौजा पशुहारी में ग्राम समाज की जमीन को हड़पने के लिए कुछ व्यक्तियों ने सरकारी कागजात पर जालसाजी किया था, जिसके सन्दर्भ में कुछ लोगों पर जाल-

साजी का मुकदमा थाना उभांव में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जालसाजी के रजिस्टर की जांच कराकर जालसाजी करने के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया में कतिपय वर्षों में विधवाओं व विकलांगों को स्वीकृत पेंशन

23--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में वर्ष 1984-85, 1985-86 व 1986-87 में कितने विकलांगों व कितनी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम विगह, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा विषयक पत्र पर कार्यवाही

24--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता को भेजे गये उनके पत्र संख्या 566/बी0 आई0 पी0/87 दिनांक 19 नवम्बर, 1987 विधान भवन, लखनऊ के संदर्भ में ग्राम विगह, तहसील रसड़ा जिला बलिया में ग्राम समाज की भूमि हड़पने सम्बन्धी ग्राम-वासियों के शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर के हरिजन पाठशालाओं में अप्रशिक्षत अध्यापकों की नियुक्ति

25--श्री अमिताभ अनिल दूबे--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 4 अप्रैल, 1978 को शासन का यह आदेश हुआ था कि कोई अप्रशिक्षित अध्यापक हरिजन पाठ-शालाओं में न रखा जाय ? यदि हां, तो क्या गाजीपुर जनपद में शासनादेश के पश्चात् अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है ।

26--श्री अमिताभ अनिल दूबे--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

27--श्री राम आसरे वर्मा--

[न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

ग्राम बहेड़ी, जनपद मुरादाबाद के नवोदय विद्यालय की भूमि का पट्टा किया जाना

28--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बहेड़ी ब्लाक भगतपुर टांडा जिला मुरादाबाद में सीलिंग में प्राप्त 48 एकड़ भूमि, जिस पर "नवोदय विद्यालय" बनाये जाने के लिये गांव सभा प्रस्ताव पारित कर चुकी है और क्षेत्र की सभी जनता इस सम्बन्ध में प्रयासरत है ? क्या उक्त भूमि को राजस्व विभाग के अधिकारी शीघ्रातिशीघ्र पट्टे पर आबंटित करना चाहते है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

ग्राम बहेड़ी, ब्लाक भगतपुर टांडा, जिला मुरादाबाद में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत 48.15 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी थी जिसका दिनांक 27 दिसम्बर 1987 को शासन के नीति के अनुरूप नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन कर दिया गया है ।

ग्राम-बहेड़ी जनपद मुरादाबाद मे पट्टे के अवैध आवंटन के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

29--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने एक आदेश नवम्बर, 1987 म दूसरा आदेश 16 जनवरी, 1988 में पट्टे आवंटन रोके जाने के किये थे फिर भी श्री आर0 डी0 एस0 रावत परगना अधिकारी मुरादाबाद द्वारा पीछे की दिनांक 27 दिसम्बर, 1987 में ग्राम बहेड़ी में आवंटन दिलाकर पट्टे बांध दिये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का पालन न करते हुये गलत ढंग से आवंटन करने में कौन कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सीलिंग में अतिरिक्त घोषित 48.15 एकड़ भूमि में से 39.95 एकड़ भूमि का आवंटन सम्बन्धित जिले में शासन के संदर्भगत आदेश पहुंचने से पूर्व दिनांक 27 दिसम्बर, 1987 को किया जा चुका था । अतः शासन के आदेशों का अनुपालन न होने का प्रश्न नहीं उठता है । प्रश्नगत आवंटन के विरुद्ध प्रधान ग्राम सभा ने आयुक्त, मुरादाबाद मंडल के न्यायालय में वाद दायर कर दिया है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

30--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बहेड़ी में उक्त भूमि के पट्टे किन-किन लोगों को और कितने व्यक्तियों को दिये गये हैं और उन्हें भूमि प्रबन्धक समिति या ग्राम प्रधान की सहमति प्राप्त है ? यदि नहीं, तो उक्त पट्टे किस आधार पर दिये गये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

संलग्न सूची के अनुसार 68 पात्र व्यक्तियों को उक्त भूमि आवंटित की गयी है । प्रश्नगत मामला आयुक्त, मुरादाबाद मंडल के न्यायालय में विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 180 पर) ।

31—श्री राम आसरे वर्मा—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम रेहुता तहसील कर्वी जनपद बांदा में सार्वजनिक भूमि पर अवैधानिक कब्जा

32—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 19 अक्तूबर, 1987 का पत्र संख्या ब, 021736 जो बांदा जनपद की तहसील कर्वी के ग्राम सभापुर अथवा रेहुता के श्री गोपी चन्द यादव आदि के पत्र के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा सार्वजनिक भूमि संख्या 48 में अवैधानिक कब्जा के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या जनहित को देखते हुये अविलम्ब अवैधानिक कब्जा हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। ग्राम रेहुता की भूमि संख्या 948 रकबा दो बीघा पर पुरानी आबादी पहले से बनी हुयी है तथा मौके पर 0.17 बिस्वा रकबा खाली पड़ा हुआ है जिस पर ग्रामवासी खलिहान रखते हैं एवं स्कूल के बच्चे खेलते हैं। वर्ष 1987 में कुछ लोगों ने आवास निर्माण प्रारम्भ किया था जिन्हें पुलिस के माध्यम से हटवा दिया गया था। इस समय खलिहान वाली 0.17 बिस्वा भूमि खाली पड़ी है। वर्तमान समय में अवैधानिक कब्जा नहीं है।

जनपद बांदा के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं विधवाओं के देय पेंशन विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

33—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपा बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 4 अगस्त, 1987 का पत्र संख्या 305/ह0 क0/87, हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बाँदा जनपद को वर्ष 1986-87 तथा जुलाई, 1987 तक हरिजन पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं विधवाओं के पेंशन आदि का विस्तृत विवरण एवं जानकारी के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

वर्ष 1986-87 के दौरान 279 विधवाओं को भरण पोषण अनुदान दिया गया। फरवरी, 1987 तक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में 14,52,985 रुपया तथा पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति में 1,01,958 रुपया वितरित किये जा चुके हैं।

इसके पश्चात् नियमित विभागीय अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण मार्च, 1987 से भुगतान की कार्यवाही अवरुद्ध रही परन्तु सितम्बर, 1987 से विभागीय अधिकारी की नियुक्ति होने के बाद मार्च, 1987 से देय धनराशियों का भुगतान नियमानुसार सम्पादित किया जा रहा है।

34—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

सहकारी कताई मिल, महमूदाबाद, सीतापुर के श्रमिकों का स्थायीकरण किये जाने विषयक जानकारी

35--श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी कताई मिल, महमूदाबाद, सीतापुर में कितने श्रमिक ऐसे हैं जो एक वर्ष से अधिक से कम कर रहे हैं ? क्या उन्हें स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने लोगों को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैयद सईदुल हसन--

जी हां, एक वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 124 है। इनमें से 25 श्रमिकों को स्थायी किया जा चुका है। शेष श्रमिकों के कार्य क्षमता का आंकलन अभी पूरा नहीं हुआ है।

ग्राम पिठनी, बुजुर्ग, तप्पा थरौली तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती के नक्शे को चकबंदी अधिकारियों द्वारा संशोधित किया जाना

36--श्री धनराज यादव--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के पिठनी बुजुर्ग, तप्पा थरौली में 1356 फसली के खसरा खतौनी में गाटा संख्या 128-ग. 3 बीघा 8 बिस्वा 14 धुर बंजर दर्ज है, जिस पर गांव के कुछ लोग खलिहान रखते हैं तथा जमींदारी उन्मूलन के पहले ही पेड़ लगाये हैं ? क्या 1356 फसली के बाद लेखपाल ने प्रश्नगत गाटा संख्या 128-ग के मध्य में गाटा संख्या 119 8 बिस्वा 15 धुर दर्ज कर दिया एवं उसे मौजूद नक्शे में तरमीम भी कर दिया ? क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नगत मामले में उसी गांव के श्री जगपति पुत्र लोचन ने 29 जुलाई, 1987 को परगनाधिकारी नौगढ़ को प्रार्थना-पत्र दिया, जिसकी जाँच आख्या नायब तहसीलदार ने 16 अक्तूबर, 1087 को तहसीलदार के माध्यम से दिया, जिसमें लेखपाल के तरमीम को अवैध करार देते हुए नक्शा दुरस्त करने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो लेखपाल ने प्रश्नगत मामले की तरमीम किस अधिकारी के आदेश से किया ? क्या मंत्री जी राजस्व की इस गलत तरमीम को दुरस्त करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्न में उल्लिखित 1356 फसली से सम्बन्धित खसरा खतौनी तलफ हो चुकी है इसलिये इस सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती है।

जी हां। लेकिन यह तरमीम चकबन्दी लेखपाल द्वारा चकबन्दी अधिकारी के न्यायिक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 1982 के अनुपालन में किया गया है।

जी हां।

जी नहीं।

नक्शे में तरमीम चकबन्दी अधिकारी के आदेश से चकबन्दी लेखपाल द्वारा किया गया है।

चकबन्दी अधिकारी के न्यायिक आदेश से हुये तरमीम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कतिपय वर्षों में पंजीकरण कराने वाले बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

37--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त रोजगार कार्यालयों में वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 में कुल कितने लोगों ने नौकरी के लिये अपना पंजीकरण कराया और कितने लोगों को इस अवधि में नौकरी दी गयी ? क्या मंत्री जी अब तक कुल पंजीकृत बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए कोई ऐसी योजना बनायेंगे जिससे उन्हें शीघ्र सेवा का अवसर मिल सके ? यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन--

प्रदेश के समस्त सेवायोजन कार्यालयों में वर्ष 1985-86 में कुल 8, 41,969 तथा वर्ष 1986-87 में कुल 7, 41, 843 बेरोजगार व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण कराया। उक्त अवधि में क्रमशः 34595 तथा 29477 व्यक्तियों को सेवायोजित कराया गया।

प्रदेश में कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारों को पंजीकृत कराकर उन्हें रोजगार दिलाने की कार्यवाही की जाती है। विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों द्वारा व्यक्तियों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में सर्वतनिक रोजगार की रिक्तियों के विपरीत सम्प्रेषण करने के फलस्वरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। श्रम विभाग [प्रशिक्षण प्रखण्ड] के अधीन कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर अभ्यर्थियों की सेवायोजकता बढ़ाई जाती है और स्वतः रोजगार योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाती है।

इसके अतिरिक्त शासन के उद्योग विभाग द्वारा संचालित शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोगगार युवकों को पैकेज सहायता द्वारा अपना उद्योग लगाने, सेवा, उद्योग अथवा व्यवसाय कारोबार प्रारम्भ करने के लिये प्रोत्साहित और इन्हें कार्यरत कराया जाता है।

बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के प्रयासों को तथा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही स्वतः रोजगार योजनायों को ध्यान में रखते हुए अन्य कोई योजना बनाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

ग्राम कोयर पट्टी, तप्पा-मलसी सरेनी, जनपद-देवरिया की बंजर भूमि पर फर्जी नाम दर्ज कराने के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

38--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सभा कोयर पट्टी, तप्पा-मलसी सरेनी, परगना सिघुवा जोगना, तहसील देवरिया सदर की बजर भूमि संख्या 234 पर फर्जी नाम दर्ज कराने के सम्बन्ध में तत्कालीन जिलाधिकारी देवरिया ने दोषी पाये गये व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिनांक 30 अगस्त, 1982 को दिये

थे ? यदि हां, तो कार्यवाही करके उन्हें क्या दण्ड दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । प्रश्नगत मामले में दोषी पाये गये छः व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अभी जारी है । वर्तमान में साक्ष्य हेतु सबूत इकट्ठा किये जाने की कार्यवाही थाना कोतवाली, देवरिया द्वारा की जा रही है ।

दोषी कर्मचारी श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव को जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 18 फरवरी, 1984 के अन्तर्गत निलम्बित किया गया तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सम्पादित कराने के उपरान्त श्री अभिलेखागार के कार्यालय में, उत्तरदायित्व को निभाने में उदासीन रहने की भर्त्सना की प्रविष्टि देते हुए पुनः सेवा में पदस्थ कर दिया गया है । श्री प्रेम प्रकाश मिश्र, चकबन्दी लेखपाल, दिनांक 24 मार्च, 1979 से 31 मई, 1979 तक अवकाशकाल में स्थानापन्न चकबन्दी लेखपाल के पद पर कार्यरत थे । जिनकी सेवायें उसी समय समाप्त हो चुकी थी ।

जिलाधिकारी फैजाबाद को दिये गये 20 सूत्री मांगों के ज्ञापन में मद्यनिषेध विभाग से सम्बन्धित मांगें

39--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25 सितम्बर, 1987 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में मद्यनिषेध विभाग में सम्बन्धित मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां ।

ज्ञापन में मद्यनिषेध विभाग से सम्बन्धित कोई मांग नहीं थी अतः उसे पूरी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के राजस्व विभाग में वाहनों के अभाव में लोक कल्याणकारी कार्यों में बाधा

40--श्री सरदार सिंह--

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि उनके विभाग में जनपद मथुरा में वाहनों (जीप) की भारी कमी है जिससे लोक कल्याणकारी कार्य नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या शासन अविलम्ब पर्याप्त जीप सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बीफ खरसाली, जनपद उत्तरकाशी के नागरिकों द्वारा स्वेक्षा से चकबन्दी प्रक्रिया अपनाए जाने सम्बन्धी जानकारी

41--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्रोत्तर में पत्रांक अ० शा० प० सं० 328/1-8-87-शा-8 राजस्व अनुभाग-8, उ० प्र० शासन

दिनांक 11 मई, 1987 के द्वारा ज्ञात हुआ है कि जिला उत्तर काशी के ब्रीफ खरसाली गांव में वहां के निवासियों द्वारा स्वेच्छा से आपसी सहमति के आधार पर चकबन्दी की गयी है ? यदि हाँ, तो इस चकबन्दी को सरकार मान्य घोषित करते हुये सम्बन्धित अभिलेखों में यथोचित संशोधन तुरन्त करने के लिये अतिशीघ्र आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरकाशी जनपद में अभी चकबन्दी अधिनियम लागू नहीं है ।

जनपद उन्नाव-रायबरेली सीमा पर स्थित भवरेश्वर मंदिर पर लगने वाले मेले से प्राप्त राजस्व

42--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली जनपद और उन्नाव जनपद की सीमाओं पर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के मन्दिर भवरेश्वर पर प्रतिवर्ष मार्च में लगने वाले विशाल मेले में आने वाले दुकानदारों से भूमि के किराये का राजस्व कितना आता है ? राजस्व कौन वसूल करता है एवं मेले की परिधि में ग्राम समाज की कितनी भूमि आती है और इस भूमि पर लगने वाली दुकानों से राजस्व वसूली में किस ग्राम समाज को कितना लाभ होता है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम-शाकरपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद के हरिजनों को किये गए पट्टों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

43--श्री कनक सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी हैं कि ग्राम शाकरपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद को 20 हरिजनों को अब से 10 वर्ष पूर्व सीलिंग की जमीन के पट्टे दिये गए थे और आज तक उनको कब्जा नहीं दिलाया गया ? क्या यह सही है कि वह जमीन अभी तक जमींदारों के कब्जे में है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के जनरल मैनेजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

44--श्री शारदा प्रताप--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के जनरल मैनेजर (निर्माण) के विरुद्ध शिकायती-पत्र,

दिनांक 2 व 17 जुलाई तथा 10 सितम्बर, 1987 उन्हें तथा मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुए हैं तथा मुख्य मन्त्री के तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री बी0 एस0 पाण्डेय ने शिकायती-पत्रों की जांच कराकर प्रश्नकर्ता को अवगत कराने के आदेश सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को दिये थे ? यदि हां, तो अब तक जांच न कराने के क्या कारण हैं तथा क्या मन्त्री जी कृपया गम्भीर आरोपों को देखते हुये उनकी जांच सी0 आई0 डी0 अथवा विजिलेन्स से कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जांच करायी जा रही है, जो प्रगति पर है ।

अभी यह प्रश्न नहीं उठता है ।

सेवायोजन कार्यालय पिथौरागढ़ में पंजीकृत बेरोजगार और रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या का विवरण

45--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में दिनांक 1 मार्च, 1987 को लगातार पांच वर्षों से अधिक समय से पंजीकृत ऐसे कितने बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जिन्हें पंजीकृत अवधि के बीच रोजगार नहीं दिया जा सका है ? इसमें से कितने-कितने अभ्यर्थी की आयु सीमा (प्रादेशिक सेवाओं में मान्य अधिकतम 17 आयु सीमा) समाप्त हो गयी थी ? इन अभ्यर्थियों को रोजगार दिये जाने हेतु आयु सीमा समाप्ति के पूर्व व बाद में क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन--

जिला सेवायोजन कार्यालय, पिथौरागढ़ की सजीव पंजी पर दिनांक 1 मार्च, 1987 को लगातार पांच वर्षों से अधिक समय से पंजीकृत 1186 बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जिन्हें पंजीकृत अवधि के बीच रोजगार नहीं दिया जा सका है ।

दिनांक 1 मार्च, 1987 को उपरोक्त में से 411 अभ्यर्थियों की आयु सीमा (प्रादेशिक सेवाओं में मान्य अधिकतम आयु सीमा) समाप्त हो गयी थी । आयु सीमा समाप्ति के पूर्व इन अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता क्रम के अनुसार विभिन्न नियोजकों को रोजगार हेतु सम्प्रेषित किए गये । आयु सीमा समाप्ति के पूर्व एवं उनके बाद इच्छुक अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन हेतु भी प्रेषित किया गया ।

मौजा सराय धनेठी, जनपद फैजाबाद की आबादी की भूमि का भूमिहीनों में आवंटन

46--श्री भगौती सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के तहसील बीकापुर अन्तर्गत मौजा सराय धनेठी में किस-किस नम्बर की जमीन आबादी एवं ग्राम समाज की छोड़ी गयी थी और क्या उनका आवंटन भूमिहीनों में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम पुरा शिवबक्श पाण्डेय, तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद की आबादी एवं नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे हटाकर भूमिहीनों को बांटने की मांग

47--श्री भगौती सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि फैजाबाद के तहसील बीकापुर अंतर्गत ग्राम सभा सराय धनेठी के ग्राम पुरा शिवबक्श पाण्डेय में आबादी एवं नजूल की भूमि पर गांव के कुछ सरहंग किस्म के लोग जबरिया मकान बना चुके हैं व कब्जा किये हैं तथा अब पुनः उक्त ग्राम सभा से गुजरने वाली मिल्कीपुर-अमानीगंज मार्ग के किनारे पड़ी बंजर भूमि पर भी जबरिया कब्जा कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त जमीनों को भूमिहीनों में बांटने के लिए कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद ब्राह्मणीपुरा जिला बहराइच का हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा भूमि क्रय किए जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

48--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 1987 के अंतिम सप्ताह में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद ब्राह्मणीपुरा जिला-बहराइच का आवेदन पत्र विभाग द्वारा प्रार्थी की भूमि क्रय किये जाने के संबंध में संलग्नकों सहित शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

भूमि क्रय किये जाने की योजना दिनांक 11 नवम्बर, 1987 से समाप्त कर दी थी । अतः प्रश्नगत भूमि को क्रय किया जाना संभव नहीं है । तदनुसार जिलाधिकारी बहराइच को निर्देश दे दिये गये हैं ।

स्व0 श्री केदार नाथ श्रीवास्तव लेखपाल जनपद सीतापुर की आश्रिता को कथित परिवारिक पेंशन भुगतान की मांग

48-ब---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सीतापुर जिला सीतापुर में लेखपाल पद पर तैनात श्री केदार नाथ श्रीवास्तव जिनकी मृत्यु सेवारत रहते दिनांक 16 दिसम्बर, 1974 को हुई थी, उनकी आश्रिता को अभी तक परिवारिक पेंशन ग्रेच्यूटी तथा जी0 पी0 एफ0 न दिये जाने का क्या कारण है ? कब तक दे दिया जायेगा ? इस अस्वाभाविक विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है । क्या उपरोक्त श्री केदार नाथ श्रीवास्तव की विधवा श्रीमती विद्यावती का प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ इस आशय का

कोई पत्र भी अगस्त 1983 के प्रथम पखवारे में मिला है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । परगनाधिकारी सीतापुर के आदेश दिनांक 5 जुलाई, 1967 द्वारा श्री केदार नाथ को सेवा से पृथक् कर दिया गया था । चूंकि मृत्यु के समय श्री केदार नाथ श्रीवास्तव सेवा में नहीं थे अतः उनकी आश्रिता को पेन्शन तथा ग्रेच्युटी नियमानुकूल देय नहीं है । उनके वेतन से जी0 पी0 एफ0 की कटौती न होने के कारण कोई धनराशि देय नहीं है । शेष कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जनपद के ग्राम साहू खिरिया में फर्जी अमल दरामद करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

49--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम साहूखिरिया ब्लाक खेसरहा जनपद बस्ती में फर्जी अमल दरामद को निरस्त करते हुए संयुक्त संचालन चकबन्दी बस्ती ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अपने निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी बस्ती को भेजी है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

श्री राम गोपाल लेखपाल को दोषी पाया गया । उन्हें निलम्बित कर दिया गया है । उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

श्री झिलमिट पुत्र बसावन, ग्राम उदयराजपुर जनपद वाराणसी का पट्टे की भूमि पर कब्जा विषयक जिलाधिकारी आदि को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र

50--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री झिलमिट पुत्र बसावन, ग्राम उदयराजपुर परगना कसवार राजा, तहसील व जिला वाराणसी को 5 जून, 1976 को भूमि का पट्टा मिला था किन्तु सरकार गिरोहबन्द लोगों की आतंकपूर्ण कार्यवाहियों से उसे आज तक कब्जा नहीं मिला ? क्या यह भी सही है कि उसने अभी हाल में अनेक बार तहसीलदार, परगनाधिकारी व जिलाधिकारी को पैमाइश कराने और कब्जा दिलाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये थे ? पैमाइश न कराने और कब्जा न दिलाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? पैमाइश कराकर कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा जनपद के ग्राम देवारी में ग्राम समाज की भूमि पर ग्राम प्रधान व उप प्रधान आदि के नजायज कब्जे पर बेदखली की कार्यवाही

51--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील के ग्राम देवारी में ग्राम समाज की कुल कितनी जमीन उपलब्ध है ? क्या ग्राम समाज की करीब

चालीस बीघा जमीन पर ग्राम प्रधान व उप प्रधान नाजायज कब्जा किए हुए हैं ? यदि हां, तो इनके अवैधानिक कब्जे को हटाने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद बांदा की तहसील कर्वी के ग्राम दंवारी में गांव सभा के नाम 103 बीघा 11 बिस्वा तथा ग्राम दंवारी खादर में गांव सभा के नाम 463 बीघा 3 बिस्वा भूमि खतौनी में अंकित है । इसमें से 20 बीघा भूमि पर प्रधान व उप प्रधान तथा 11 अन्य व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया । अवैध काबिज व्यक्तियों में से प्रधान, उप प्रधान व 11 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ज0 वि0 एवं मू0 व्यय अधि0 धारा 122बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की गयी । जिसमें से 8 व्यक्तियों को बेदखल करके अर्थदण्ड आरोपित किया गया । 5 मामले अभी तक विचाराधीन हैं ।

मेसर्स मुहम्मद इब्राहीम अजीमुल्ला, भदोही जिला वाराणसी से बकाये के वसूली विषयक स्थगन का आदेश

52--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 एवं प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रेषित पत्र पी0 डब्लू0 वाद संख्या 68/83, 150/83 एवं 151/83 में क्रमशः निर्देशित धनराशि रु0 28,198.50 रुपया 13,339.44 एवं रु0 1,04,498.20 की वसूली मेसर्स मुहम्मद इब्राहीम अजीमुल्ला, भदोही, जिला वाराणसी से कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को निर्देश प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो क्या वांछित धनराशियों की वसूली अब तक करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक वसूली करा ली जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, संदर्भित वसूली प्रमाण प्राप्त हुए हैं, किन्तु बाकीदार ने मुन्सिफ ज्ञानपुर के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । जिसके कारण वसूली स्थगित है ।

वाराणसी जनपद के भदोही के कतिपय फर्मों पर बकाया धनराशि की वसूली न कराये जाने की शिकायत पर कार्यवाही

53--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 एवं प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी द्वारा वाद संख्या पी0 डब्लू0 14/82, 15/92, 16/82, 17/82 एवं 18/82 में पारित निर्णय दिनांक 22 जनवरी, 1984 के अनुसार निर्देशित धनराशि क्रमशः रु0 39,700, 17, 744, 39, 39, 700, 26, 087.50 एवं 179.20 की वसूली मेसर्स एम0 के0 इम्पोरियम, भदोही, वाराणसी व श्री अब्दुल लतीफ निजामपुर, भदोही, वाराणसी से किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन), ज्ञानपुर जिला वाराणसी को वर्ष 1986 में पूर्वार्द्ध में ही प्राप्त हो गये थे ? यदि हां, तो वांछित धनराशियों की अब तक वसूली न कराये जाने का कारण क्या है और वसूली के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत वसूली प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 2 दिसम्बर, 1986 को तहसील कार्यालय में प्राप्त हुई । जिस पर बाकीदार के विरुद्ध उपस्थित पत्र जारी किया

गया । उसके उपस्थित न होने पर उसे दिनांक 7 मई, 1987 को गिरफ्तार करके हवालात भेज दिया गया, किन्तु उसने भुगतान नहीं किया । फर्म की अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं नीलामी हेतु विवरण प्राप्त किया जा रहा है ।

लखनऊ की लेबर कालोनियों में कतिपय उच्च अधिकारियों द्वारा कथित कब्जा

54--श्री मित्रसेन--

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में स्थित लेबर कालोनियों में जिनका किराया अत्यधिक कम है, में 90 प्रतिशत ऐसे लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है जो या तो राजपत्रित अधिकारी हैं या समाज के सम्पन्न लोग हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या इस बात की पूरी जांच कराकर ऐसी व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे कि इन आवासों का आवंटन केवल लेबर वर्ग को ही हो ?

श्री सईदुल हसन--

जी नहीं ।

लखनऊ शहर की श्रमिक बस्तियों में कुल 1346 आवास हैं जिनमें से 1018, आवंटित गृहों में से 636 में औद्योगिक श्रमिक तथा 382 में अन्य लोग निवास कर रहे हैं । अवशेष 328 गैर आवंटित गृहों में 169 औद्योगिक श्रमिक 49 सरकारी कर्मचारी तथा 110 अन्य लोग निवास कर रहे हैं ।

बांदा जनपद के कर्वी तहसील में ग्राम समाज की भूमि का आवंटन विषयक शिकायत पर जांच

55--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में ग्राम समाज अथवा सीलिंग की जमीनों को कृषि अथवा आवास हेतु आवंटन के लिये कितने गांवों की भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव तहसील अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा परगनाधिकारियों के समक्ष इस समय लम्बित हैं ? प्रस्ताव कब स्वीकृत हुए थे तथा उन पर अभी तक निर्णय न होने के क्या कारण हैं ? कितने प्रस्तावों पर नायब तहसीलदारों अथवा तहसीलदारों ने स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की संस्तुतियां की हैं तथा उन पर परगनाधिकारी ने क्या निर्णय लिए ? क्या ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि ग्राम खजुरिहा के पट्टों के प्रस्ताव को तहसीलदार ने प्रथम बार अस्वीकृत करने की संस्तुति की और बाद में उसे स्वीकृत करने की संस्तुति देकर परगनाधिकारी से सहमति प्राप्त कर ली थी ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की समयबद्ध जांच राजस्व परिषद् के किसी उच्च अधिकारी से कराई जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, बांदा द्वारा करायी गयी । जांचोपरांत जिले से जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह अत्यन्त विस्तृत है और उससे प्रश्न में सभी संदर्भित बिन्दु स्पष्ट नहीं हैं । जिसकी जांच करायी जा रही है । जांच की प्रक्रिया विचाराधीन है । जांच पूर्ण होते ही माननीय विधायक महोदय को अन्तिम निर्णय से अवगत करा दिया जायेगा ।

जौनपुर जनपद के जमदहा ग्राम के कतिपय व्यक्तियों द्वारा अस्पताल, मस्जिद एवं कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

56--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमदहा, परगना अंगुली, जनपद जौनपुर में गांधी चबूतरा, कब्रिस्तान, मस्जिद और अस्पताल किस--किस नम्बर पर स्थित हैं ? उनका रकबा क्या है ? क्या यह सच है कि उक्त जमीनों पर क्रमशः अब्दुल मन्नान, अब्दुल बारी, मु0 हारून, बेनी माधव, फिरतू, रामदहर, काजिरुद्दीन उर्फ पथरू, मस्तकीम, रामधारी, श्यामधारी, जगई, मगई, स्मारू, बाबूराम, जित्तु, गिरधारी आदि ने अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो इन सभी व्यक्तियों को बेदखल करने के कोई प्रभावी आदेश जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर पालिका रायबरेली के डाक्टर श्री मकबूल हसन की शत्रु सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा हटाने का मामला न्यायालय में विचाराधीन

57--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-106 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शत्रु सम्पत्ति मकान की बेदखली की कार्यवाही किस न्यायालय में विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश को निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत शत्रु सम्पत्ति मकान की बेदखली की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में लम्बित है ।

स्थगनादेश निरस्त कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है । शासन की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1986 को प्रस्तुत किया जा चुका है ।

श्री अब्दुल सकूर पुत्र अब्दुल गफूर खां, ग्राम दौलतपुर, निसुरा, जनपद फैजाबाद की भूमि को निष्क्रान्त घोषित किया जाना

58--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर-निसुरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में खाता संख्या 93 के सहखातेदार श्री अब्दुल शकूर पुत्र अब्दुल गफूर खां पाक राष्ट्रीय हैं ? यदि हां, तो इनकी भू-सम्पत्ति एवं निवास स्थान निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दी गई है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में राजस्व अभिलेखों में किसका नाम अंकित है तथा मौके पर किसका अधिकार है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । इनकी भू-सम्पत्ति एवं निवास स्थान निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित कर दी गई है । वर्तमान समय में राजस्व अभिलेखों में भूमि निष्क्रान्त सम्पत्ति दर्ज है और मौके पर भू-सम्पत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार है । उसका निवास स्थान जरिये नीलाम श्री नूर मोहम्मद पुत्र अब्दुल गफूर को दिया जा चुका है ।

59--श्री शारदा प्रताप--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में खातेदार श्री अब्दुल शकूर खां पुत्र श्री अब्दुल गफूर खां, निवासी ग्राम दौलतपुर, किसुरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर सन् 1955 के पूर्व पाकिस्तान चले गये हैं ? यदि हां, तो इनकी भू-सम्पति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । श्री अब्दुल शकूर खां पुत्र श्री अब्दुल गफूर खां निवासी ग्राम दौलतपुर किसुरा न होकर दौलतपुर निसूरा है । इनकी भू-सम्पत्ति निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित कर दी गई है तथा राजस्व अभिलेखों में भी निष्क्रांत सम्पत्ति के रूप में दर्ज कर दी गई है ।

औरैया, जनपद इटावा में सड़क निर्माण के लिए अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर न दिये जाने की शिकायत पर विधिक कार्यवाही

63--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद में औरैया तहसील में सड़क निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई भूमि का प्रतिकर न दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव को श्री दिलदार हुसैन अंसारी, सा० वि० प० का पत्र दिनांक 11-12-87 राजस्व सचिव को श्री महेश्वर पान्डेय स० वि० प० का पत्र दिनांक 5-12-87 तथा जिलाधिकारी, इटावा को श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, स० वि० प० का पत्र दिनांक 30-11-87 संलग्नकों सहित प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अब तक (दिनांक 18-1-1988 तक) बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । उक्त पत्रों में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही हो चुकी है :

(1) भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का गजट में प्रकाशन दिनांक 30-1-1988 को कराया जा चुका है ।

(2) दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन एवं मौके पर मुनादी की कार्यवाही दिनांक 8-2-1988 को पूर्ण की गयी है ।

(3) धारा 6 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही अध्याप्ति निकाय द्वारा किये जाने के उपरान्त ही प्रश्नकर्ता द्वारा इच्छित बिन्दुओं पर भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा ।

स्व0 मुख्तार अहमद सिद्दीकी कानूनगो सीतापुर के आश्रित पुत्र की नियुक्ति पर कार्यवाही विषयक प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

61--श्री झिलमिट राम--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री मुख्तार अहमद सिद्दीकी, सदर कानूनगो, सीतापुर, जिनका देहान्त सेवाकाल में ही दिनांक 10-11-83 को हो गया था, के आश्रित पुत्र श्री मकसूद आलम सिद्दीकी, ग्राम पड़री, डा0 कुन्डैल मियामत अली, जनपद बलिया की नियुक्ति हेतु उसके प्रार्थना पत्र पर कार्यालय राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 अनुभाग-4, लखनऊ ने अपने पत्रांक संख्या 9458/4-8/84, दिनांक 7 नवम्बर, 1985 द्वारा उसे सूचित करते हुए जिलाधिकारी, बलिया को आवश्यक आदेश निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्न में उल्लिखित राजस्व परिषद् का पत्र संख्या 9458/4-8/84, दिनांक 7 नवम्बर, 1985 श्री मकसूद आलम सिद्दीकी को ही सम्बोधित था और इसमें जिलाधिकारी, बलिया को कोई निर्देश नहीं दिये गये थे ।

इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् के एक अन्य पत्र में जिलाधिकारी, बलिया को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे । जिलाधिकारी, बलिया द्वारा श्री सिद्दीकी को यह सूचना दे दी गयी है कि वे मूल प्रमाण-पत्रों के साथ दिनांक 31-3-88 के बाद उपस्थित हों ।

स्वर्गीय श्री भोलानाथ, लेखपाल, जनपद गाजीपुर की आश्रिता को योग्यतानुसार विभाग में नियुक्त न किये जाने की शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

62--श्री झिलमिट राम--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि विमला देवी पत्नी स्वर्गीय भोलानाथ, मुहल्ला परसपुरा, शहर गाजीपुर का प्रार्थना-पत्र, दिनांक 18-1-1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या आदेश दिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि श्री भोलानाथ लेखपाल के पद पर गाजीपुर जनपद में कार्य करते हुए उनका देहान्त हुआ था तथा शासनादेश होते हुए भी उनकी पत्नी विमला देवी को योग्यतानुसार विभाग में काम क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । श्रीमती विमला देवी को किसी पद पर नियमानुसार नियुक्त करने के आदेश दिये गये थे । श्रीमती विमला देवी ने चतुर्थ श्रेणी पद हेतु आवेदन किया था लेकिन निर्धारित योग्यता कक्षा-5 उत्तीर्ण न होने के कारण उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सका । चतुर्थ श्रेणी के ऐसे पद जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है रिक्त न होने के कारण इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

जनपद इटावा के कतिपय गांवों की सड़क निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान की नीति

63--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग के अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र संख्या 7-4(9)/86-114-राजस्व-13, दिनांक 7 मार्च, 1987 के माध्यम

से शासन ने अधिगृहीत की गई भूमि के प्रतिकर का भुगतान स्टैम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित बाजार मूल्य पर दिनांक 30 जून, 1987 तक किए जाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो मौजा ज्ञानपुर इमामअली, औरैया इटावा में सड़क निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई भूमि का स्टैम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित बाजार मूल्य क्या है तथा इन मूल्यों पर किसानों को अधिगृहीत की गई भूमि के प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, परन्तु 30 जून, 1987 तक की अवधि निर्धारित नहीं हुई थी । ग्राम ज्ञानपुर इमामअली औरैया, इटावा में कृषिक क्षमता की विभिन्न श्रेणियों की भूमि की स्टाम्प ड्यूटी हेतु निर्धारित दरें निम्नानुसार हैं :--

किस्म जमीन	बाजार मूल्य
	रु0
मंझा 1 आबी	22,500
मंझा 1 खाकी	17,000
मंझा 2 खाकी	15,000
मंझा 2 आबी	19,000
उपरहार 1 खाकी	11,000
उपरहार 2 खाकी	9,000

उक्त ग्राम को आवासीय विकसित क्षेत्र की भूमि हेतु नियत दर रुपया 80,000 प्रति एकड़ है । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग में ली गई भूमि की औसत दर रुपया 45,000 प्रति एकड़ है ।

अधिगृहीत भूमि का नियमानुसार अभिनिर्णय घोषित होने के उपरान्त ही प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा ।

ग्राम प्रधान, सुन्दर नगर, जनपद बदायूं द्वारा सार्वजनिक धन के उपयोग में अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही

64-डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान, ग्राम-सुन्दर नगर, तहसील बिसौली, जनपद-बदायूं की, परगनाधिकारी बिसौली, जनपद बदायूं की जांच आख्या संख्या-162/(1) एम0 टी0/वि0 दि0 14 जुलाई, 1987 के अनुसार रु0 7830.40 नकद रूप से रखने का दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो इस रुपये (सार्वजनिक धन) पर ब्याज की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

परगनाधिकारी बिसौली के आदेश सं0 162 (1)/एस0 टी0 वि0 दिनांक 14 जुलाई, 1987 के अनुसार प्रधान कथित अनियमितता का दोषी पाया गया था । जिनके सम्बन्ध में आगामी सम्परीक्षण कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं । इसके परिणाम

स्वरूप यदि प्रधान गांव सभा को क्षति पहुंचाने का उत्तरदायी पाया जाता तो उनसे क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी ।

ग्राम प्रधान, सुन्दरनगर, जनपद बदायूं की बहाली के स्थगन विषयक पत्र एवं आवश्यक कार्यवाही

65–डा0 शिवानन्द नौटियाल––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगेन्द्र कुमार विधायक बिसौली, जनपद बदायूं का कोई पत्र ग्राम प्रधान, सुन्दरनगर, जनपद बदायूं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बदायूं को दिनांक 13 अगस्त, 1987 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्य क्या हैं ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी––

कथित पत्र जिलाधिकारी, बदायूं को दिनांक 17 अगस्त, 1987 को प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य रूप से प्रधान को बहाली के आदेश को स्थगित कराने का उल्लेख किया गया है । उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 95 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही अर्धन्यायिक कार्यवाही होती है । अतः परगनाधिकारी का बहाली आदेश रोकने के सम्बन्ध में प्रशासनिक आदेश पारित करना सम्भव नहीं था । तदनुसार माननीय विधायक जी को जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 19 अक्तूबर, 1987 द्वारा अवगत करा दिया गया था ।

ग्राम प्रधान, सुन्दर नगर, तहसील बिसौली, जनपद बदायूं के विरुद्ध आरोपों की उच्चाधिकारी से जांच की मांग

66–डा0 शिवानन्द नौटियाल––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान, ग्राम सुन्दरनगर, तहसील बिसौली, जनपद बदायूं को दिए गए आरोप–पत्र में 5 आरोप लगाये गए थे जब कि पुनः की गई जांच पर जांच आख्या सं0 162/1/एस0 टी0 1 वि0/दि0 14 जुलाई, 1987 में आरोप सं0 4 (रु0 1000 के गबन) के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और आरोप सं0 2 के सन्दर्भ में उसे निरक्षर कहकर दोष मुक्त करार दिया गया है जबकि वह कक्षा 4 उत्तीर्ण है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रधान को पुनः निलम्बित कर किसी अन्य उच्च अधिकारी से जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी––

परगनाधिकारी बिसौली के आदेश संख्या–162 (1) एस0 टी0 वि0/दिनांक 14 जुलाई, 1987 में आरोप सं0 2 तथा 4 के बारे में विवेचना का उल्लेख है । गबन की धनराशि विशेष सम्परीक्षण के उपरान्त निर्धारित किया जाना अनुमन्य है । उक्त आदेश में यह भी अनुमन्य है कि प्रधान निरक्षर है तथा मात्र हस्ताक्षर करना जानता है । यदि विशेष सम्परीक्षा के उपरान्त प्रधान गांव सभा धनराशि के व्यपहरण का दोषी पाया जाता है तो नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही पुनर्योजित की जायेगी ।

67––डा0 शिवानन्द नौटियाल––

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान, ग्राम सुन्दरनगर, तहसील बिसौली, जनपद बदायूं को नायब तहसीलदार, बिसौली की जांच के आधार पर परगनाधिकारी, बिसौली द्वारा संख्या 808/एस0 टी0 (वि), दिनांक 18 जून, 1986 को निलम्बित किया गया था और पुनः नायब तहसीलदार, तहसील आसफपुर की जांच पर

बहाल किया गया ? यदि हां, तो जांच किसी उच्च अधिकारी से न कराकर समकक्ष अधिकारी से ही जांच कराने के क्या कारण थे ? क्या किसी उच्च अधिकारी से पुनः जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, परगनाधिकारी ने आदेश सं0 162(1)/एस0 टी0 (वि0), दिनांक 14 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत विशेष सम्परीक्षण के आदेश दिये हैं । जो उच्च अधिकारी की श्रेणी में आते हैं । अतः पुनः जांच योजित है ।

जनपद वाराणसी में संग्रह अमीन के सहायक चपरासी की नियुक्ति में आरक्षित जातियों के अभ्यर्थियों का प्रतिशत

68--श्री राज किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में संग्रह अमीन के सहायक चपरासी के पद के लिए दिनांक 27 जून, 1987 को अथवा आस-पास की तिथि को साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो सहायक चपरासी पद की कुल संख्या कितनी थी ? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व सामान्य के क्रमशः कितने-कितने अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद वाराणसी में संग्रह चपरासी के पद के लिए दिनांक 23, 24, 25 एवं 26 जून, 1987 तथा 7 व 8 जुलाई, 1987 को साक्षात्कार लिया गया था । जनपद में कुल 461 संग्रह चपरासियों के पद स्वीकृत है, जिनमें से 74 रिक्त पदों हेतु अनुसूचित जाति के 26, पिछड़ी जाति के 22 एवं सामान्य जाति के 51 अभ्यर्थी चयनित हुए । चयनित अभ्यर्थियों में से 25 प्रतीक्षा सूची में हैं ।

ग्राम जमदहा, जनपद जौनपुर के कब्रिस्तान व अस्पताल की भूमि पर अवैधानिक कब्जा करने वाले को बेदखल करने की मांग

69--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जमदहा, प0 अंगुली, जनपद जौनपुर में कब्रिस्तान व अस्पताल के लिये कितनी भूमि (कौन-कौन नम्बर) में आरक्षित की गई थी ? क्या यह सही है कि चकबन्दी अधिकारियों एवं हाकिम परगना ने अवैध ढंग से उक्त भूमि पर अब्दुल मन्नान, रामधारी, बेनी माधव तथा अन्य बहुत से लोगों का कब्जा करा रखा है ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनपद जौनपुर ने अवैधानिक कब्जा हटाने हेतु व अन्य मांगों को लेकर 15 अक्तूबर, 1981 से आमरण अनशन जिलाधिकारी कार्यालय पर किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल कर दिया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री काले सिंह/नेम राम, ग्राम तरारपुर, गाजियाबाद की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान में अनियमितता बरतने वाले लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही

70--श्री कनक सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के 4 थे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 73 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब लेखपाल द्वारा रुपया निकालना सत्य पाया गया तो क्या लेखपाल की जायदाद नीलाम कर श्री काले सिंह का भुगतान तुरन्त कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, लेखपाल द्वारा रुपया निकालना सत्य पाया गया है तथा अभियुक्त लेखपाल, श्री नरेश चन्द्र की जायदाद को नीलाम करके रुपया वसूलने हेतु बराबर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को लिखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में दिनांक 2 जुलाई, 1986, 9 जुलाई, 1986, 28 जुलाई, 1986, 24 जून, 1987, 10 जुलाई, 1987, 20 अक्तूबर, 1987, 18 नवम्बर, 1987, 5 दिसम्बर, 1987, 8 फरवरी, 1988 एवं अन्तिम बार दिनांक 24 फरवरी, 1988 को पत्र भेजा गया है। पुलिस विभाग से सूचना प्राप्त होने पर ही भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

फैजाबाद जनपद के ग्राम इस्माइलपुर में असंक्रमणीय भूमि पर भवन निर्माण करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

71--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि नं0 378/2/11/2-3 स्थित ग्राम इस्माइलपुरगंज, परगना व तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के मटरू हरिजन को कृषि कार्य हेतु ग्राम सभा द्वारा आवंटित की गई है ? यदि हां, तो उक्त असंक्रमणीय भूमि पर भवन निर्माण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर में संग्रह अमीनों के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा

72--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में संग्रह अमीनों के पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो 1986 तक कार्यरत अनुसूचित जाति के संग्रह अमीनों की छटनी क्यों की गयी? यदि अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है, तो क्या सरकार हटाये गये अनुसूचित जाति के संग्रह अमीनों को पुनः सेवा में बहाल करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में इस समय संग्रह अमीनों के पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है। 1986 तक कार्यरत किसी भी

अनुसूचित जाति के संग्रह अमीन की छटनी नहीं की गयी, जिसके कारण उन्हें सेवा में बहाल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

तहसील चायल, जनपद इलाहाबाद की आवस्थान की भूमि पर अवैध कब्जे पर बेदखली की कार्यवाही

73--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद की चायल तहसील के अन्तर्गत राज्य आवस्थान की भूमि पर काफी लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो वह कितने लोग हैं और शासन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या मध्यम और कमजोर वर्ग के लोगों को भी उसी तरह (शर्तों व दरों पर) आवासीय पट्टा अतिशीघ्र दिलाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

ऐसे लोगों की संख्या 5,000 से अधिक है । इनमें से लगभग 500 वादों में धारा 4/7 पी0 पी0 ऐक्ट के अन्तर्गत बेदखली के आदेश न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में निर्णीत हो चुके हैं तथा 162 वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं । मध्यम तथा कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय पट्टा दिये जाने के बारे में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश जिलाधिकारी को निर्गत कर दिये गये हैं ।

ग्राम इनायतनगर, जिला फैजाबाद के सार्वजनिक चकरोड पर अवैध रूप से फैक्ट्री के निर्माण की शिकायत

74--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-इनायतनगर (धमौलिया), परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, फैजाबाद में स्थित भूमि संख्या 607 से मिला हुआ सार्वजनिक चकरोड नं0 606 को श्री सुधीर प्रदीप पुत्र श्री श्यामा प्रसाद प्रदीप, निवासी मवई खुर्द, इनायत नगर, फैजाबाद ने उपरोक्त भूमि संख्या 607 को बेनामा लेकर चकरोड की भूमि नं0 606 पर भी फैक्ट्री का निर्माण करा रहे हैं जिस पर यू0 पी0 एफ0 सी0 को प्रतिबन्धित करा कर लाखों रुपये का ऋण प्राप्त किया है ? क्या उक्त ग्राम सभा के प्रधान ने परगनाधिकारी, बीकापुर को प्रार्थना पत्र देकर 122-बी की कार्यवाही की मांग की है ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही के बावजूद भी अवैध निर्माण किये जाने तथा ऋण स्वीकृत किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

ग्राम इनायतनगर, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के गाटा संख्या 607 का बेनामा लेकर श्री सुधीर प्रदीप पुत्र श्यामा प्रसाद प्रदीप, निवासी मवई खुर्द द्वारा फैक्ट्री का निर्माण कराया जा रहा है । चकरोड गाटा संख्या 606 जिसके सम्बन्ध में लेखपाल द्वारा धारा 122-बी ज0 वि0 अधि0 के अन्तर्गत रिपोर्ट श्री सुधीर प्रदीप के विरुद्ध की गयी है । मौके पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है । ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धित विभाग द्वारा ही हो सकती है ।

चकरोड गाटा संख्या 606/0-1-2 के सम्बन्ध में धारा 122-बी ज0 वि0 अधि0 के अन्तर्गत न्यायालय अपर तहसीलदार, बीकापुर में बेदखली हेतु वाद विचाराधीन है । ऋण स्वीकृति के औचित्य के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धित विभाग से ही हो सकती है ।

ग्राम प्रधान, सुन्दर नगर, जनपद बदायूं के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

85--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान, ग्राम सुन्दर नगर, तहसील बिसौली, जनपद बदायूं के विरुद्ध आरोपों की जांच आख्या सं0 162/1/एस0टी0/वि0, दिनांक 14 जुलाई, 1987 में उक्त प्रधान के कार्यालय में कराये गये कार्यों की जांच तकनीकी सेल द्वारा तथा अभिलेखों का विशेष आडिट कराये जाने की संस्तुति की गई थी? यदि हां, तो अब तक उक्त जांच न कराये जाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

परगनाधिकारी, बिसौली के आदेश संख्या 162 (1)/एस0टी0वि0, दिनांक 14 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच एवं विशेष सम्परीक्षण कार्य स्वतः योजित हैं । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल में सूखा राहत वितरण में कथित अनियमितताओं की शिकायत

76--श्री शूरवीर सिंह सजवाण--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 21 अगस्त, 1986 को परगना अधिकारी, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से शासन को एक पत्र सूखा राहत के सम्बन्ध में श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थी ? क्या यह सच है कि सूखा राहत के नाम पर मिलने वाला अनाज तथा खान बीज आदि की छूट तथा अन्य राहत सुविधायें तहसील कोटद्वार की जनता को नहीं दी गई हैं ? क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के किसानों तथा मजदूरों में सूखा राहत के नाम पर इस वित्तीय वर्ष में सरकार कोई सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है ? यदि हां, तो सूखा राहत में प्राप्त धनराशि का उपयोग किस मद में किया गया ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

77--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

[सदन में चर्चा हो जाने के कारण निरस्त ।]

श्री कैलाश नाथ बर्नवाल, खमरिया, जनपद वाराणसी द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैधानिक निर्माण कराये जाने पर बेदखली की कार्यवाही

78--श्री मूलचन्द--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री कैलाश नाथ बर्नवाल, खमरिया, तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी द्वारा ग्राम सभा की भूमि अपने कम्पनी के हाते में घेर ली गई है तथा विगत 3 माह से अपने कम्पनी के उत्तर स्थित तालाब, चक रोड आदि का ग्राम सभा भूमि पर बाउन्ड्री बनाकर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । किन्तु यह सही नहीं है कि उनके द्वारा विगत 3 माह मे अपने कम्पनी के उत्तर स्थित तालाब, चकरोड आदि ग्राम सभा भूमि पर बाउन्ड्री बनाकर घेर लिया है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 122-बी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है ।

गाजीपुर जनपद के ग्राम सुरतापुर में भूमिहीनों की संख्या एवं भूमि आवंटन में अनियमितता की शिकायत

79--श्री अफजाल अंसारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा सुरतापुर में भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है ? क्या इस गांव की भूमि प्रबन्धक समिति ने सन् 1986 में 17 अपात्र व्यक्तियों को आवास स्थल हेतु नजराना लेकर ग्राम समाज की भूमि का पट्टा किया है ? यदि हां, तो क्यों तथा किन-किन व्यक्तियों से कितना-कितना पैसा नजराने के रूप में किस दिनांक में प्राप्त किया और यह पैसा गांव सभा कोष में किस-किस तारीख को जमा किया गया ? क्या उक्त पैसा समय से कोष में जमा न करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कोई नियमित कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

तहसील मुहम्मदाबाद की गांव सभा सुरतापुर में भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या 26 है, भूमि प्रबन्धक समिति, सुरतापुर द्वारा वर्ष 1986 में 17 पात्र व्यक्तियों क्रमशः श्री बजरंगी पुत्र सबरू से 25 रु0, भगवान पुत्र मुसाफिर से 25 रु0, कुमार पुत्र टहल से 25 रु0, छागुर पुत्र मुसाफिर से 25 रु0, रामगहन पुत्र टहल से 25 रु0, सुदर्शन पुत्र गुलजार से 25रु0, विसर्जन पुत्र गुलजार से 25रु0, रविन्द्र पुत्र रामबली 25 रु0, राधेश्याम पुत्र लक्ष्मी से 35 रु0, जनक पुत्र सौदागर से 15 रु0, सीरी पुत्र सुखदेव से 17 रु0, विशुन पुत्र बीरा से 15 रु0, राम प्रसाद पुत्र बुधन से 25 रु0, तिलेश्वर पुत्र मुसाफिर से 25 रु0, उमा शंकर पुत्र श्रीराम से 30 रु0, जगदीश पुत्र सुखदेव से 25 रु0, हृदय नारायन पुत्र लल्लन से 30 रु0, नजराना लेकर आवास हेतु पट्टा किया गया है । अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त कुल धनराशि 417 रु0, दिनांक 6 मई, 1986 को नजराने के रूप में प्राप्त कर दिनांक 27 जुलाई, 1986 को गांव सभा कोष में जमा की गई है ।

इस प्रकार दो माह इक्कीस दिन तक अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त राजकीय धन को अपने पास रखने के आरोप में परगनाधिकारी, मुहम्मदाबाद द्वारा अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 के अन्तर्गत दिनांक 8 जनवरी, 1988 को कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

जांचोपरान्त अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति को लापरवाही बरतने के आरोप में परगनाधिकारी, मुहम्मदाबाद द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई है कि वह भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न करें ।

आजमगढ़ के ग्राम गौदापुर की चकबन्दी प्रक्रिया के निस्तारण में हो रहे बिलम्ब की शिकायत

80--श्री बलराम यादव--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गौदापुर, परगना गोपालपुर, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है तथा उपरोक्त ग्राम के समस्त धारा 9

के वादों का निस्तारण एक वर्ष पूर्व ही कर दिया गया है ? यदि हां, तो आज तक किसानों को आकार पत्र 23 क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया है ? क्या उसे अविलम्ब उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81--श्री शारदा नन्द अंचल--

[5 वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

श्री यूसुफ पुत्र मजीद, निवासी खारी बुआ, जनपद गाजियाबाद की सम्पत्ति को निष्क्रान्त घोषित किये जाने का औचित्य

82--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूसुफ पुत्र मजीद, निवासी मु0 खारीबुआ, दादरी, जनपद गाजियाबाद की मृत्यु दिनांक 4, जुलाई, 1966 को दादरी में हुई थी ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त यूसुफ थाना दादरी में वेतन भोगी चौकीदार के रूप में निरन्तर 1940 से 1960 तक कार्य करता रहा ? यदि हां, तो उसकी सम्पत्ति खेत सं0 1070 में रकबा 1.150 को छोड़कर सारी सम्पत्ति के निष्क्रान्त घोषित किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस प्रकरण में विस्तृत जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं पहली सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की शारदा सहायक पोषक नहर के किनारे स्थित गांवों की सिंचाई व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री गोपाल दास यादव की जिला इलाहाबाद में जी0 टी0 रोड पर नाली आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री नरेन्द्र देव की मिर्जापुर जिले में विभिन्न उद्योगों की स्थापना से विस्थापित लोगों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री बबन सिंह की जनपद आगरा के अठनेरा पशु चिकित्सक द्वारा सरकारी दवाइयों को ब्लेक में बेच देने पर क्षेत्र के सैकड़ों पशुओं की मृत्यु के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री विष्णु देव की जिला आजमगढ़ की तहसील घोसी में हाहा नाले पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की जिला खीरी की विद्युत् वितरण खंड में बिजली बिलों में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है और सातवीं सूचना श्री मनोहर लाल की कानपुर महानगर के कतिपय मोहल्लों में जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में है । इन सात सूचनाओं को स्वीकार किया गया है और बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयी)

शारदा सहायक पोषक नहर के किनारे स्थित कतिपय गांवों की भूमि पर सिंचाई व्यवस्थान होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एक महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान में लाना चाहता हूं :

"जनपद लखनऊ का ग्राम जुग्गौर तथा उसके दस मजरे तथा जनपद बाराबंकी के ग्राम भिटौली, रामपुर जौगा, इल्लूखेड़ा, भोजपुर । व तिन्हवानी समेत बारह गांव शारदा सहायक पोषक नहर के किनारे स्थित हैं । परन्तु खेद है कि इन गांवों की 10,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । अनौरा अल्पिका एवं जुग्गौर में आकर समाप्त हो जाती है उपरोक्त गांवों के कृषकों ने धरना, प्रदर्शन आदि करके शारदा पोषक नहर के गोमती क्रास रेगुलेटर के पास बायीं पटरी पर हेड बनाकर ग्राम तिन्हवानी तक 5 किलोमीटर लम्बी अल्पिका बनायी जाने की मांग बराबर की है । शारदा नहर प्रखंड बाराबंकी ने सर्वे करके संस्तुति की है और अधीक्षण अभियन्ता फैजाबाद ने अनुमोदन भी कर दिया है । परन्तु नहर नहीं खोदी जा रही है ।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से उक्त नहर के तत्काल खुदवाये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद इलाहाबाद में जी0 टी0 रोड पर गंदे पानी की निकासी हेतु नाली आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपाल दास यादव--

[मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में जी0 टी0 रोड स्थित सुलेम सराय, जयन्तीपुर, सुबेदारगंज पर स्थित राष्ट्रीय राज्य मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है । पहले सड़कें जो बनायी गयी थी वह सीमेन्ट और ग्रीट की बनायी जाती थी जिससे पानी का जमाव न होने से सड़क की क्षति नहीं होती थी । पुरानी सड़क जिसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी अब तोड़कर मेटल रोड बना दी गयी है । पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है । सड़क ऊंची कर दी गयी है जिसके कारण बरसात का गन्दा पानी घरों में घुस जाता है पानी के निकासी के लिये नाली का निर्माण होना आवश्यक है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को संज्ञान में लाकर नाली के निर्माण की मांग करता हूं ।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिर्जापुर जिले में बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण से विस्थापित लोगों के उत्पीड़न के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र देव--

[मान्यवर, मैं अति लोकमहत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मिर्जापुर के दक्षिणांचल में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना से विस्थापितों की समस्या उग्र रूप लेती जा रही है। परियोजना अधिकारियों व जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये आदेशों के उल्लंघन से वहां के असन्तोष का लाभ किसी भी समय राष्ट्र विरोधी तत्व उठा सकते हैं। स्वयं राज्य सरकार द्वारा दिये गये 28 फरवरी, 1974 पत्रांक सं0 2246-496/10(भू0 अ0)-20एम-74 द्वारा राजस्व सचिव के निर्देशों का तथा माननीय प्रधान मन्त्री, भारत सरकार द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध नेशनल कोल्ड फील्ड्स लि0, स्थानीय पुलिस व जिला प्रशासन जनवरी, 1988 में कई बार चिल्काडाड़ ग्राम के हजारों विस्थापितों को उजाड़ने का प्रयत्न किया गया। उक्त क्षेत्र के विस्थापित सन् 1960 से अब तक 5 बार उजड़े जा चुके हैं और अब सब्र का बांध टूट चुका है। यह सीमावर्ती क्षेत्र है। एन0 सी0 एल0 ने मध्य प्रदेश के विस्थापितों को 18,000 रुपये प्रति एकड़ एन0 टी0 पी0 सी0 द्वारा प्राप्त भूमि 34,000 रुपया प्रति एकड़ और उत्तर प्रदेश के निवासियों को 7,700 रुपया प्रति एकड़ की दर तय किया है वह भी किस्तों में दी जा रही है। इस समय भी चिल्काडाड़ पर किसी भी समय बुल्डोजर चलवाये जाने की आशंका बनी हुयी है। कृपया संविधान के द्वारा प्रदत्त विस्थापितों के अधिकारों को दिलाने हेतु मिर्जापुर जिला प्रशासन को निर्देशित करें व अन्यायपूर्ण आक्रमण करने से रोकें।]

जनपद आगरा के अछनेरा पशु चिकित्सक द्वारा सरकारी दवाइयों की चोर बाजारी तथा सैकड़ों पशुओं की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह—

[महोदय, जनपद आगरा अछनेरा के पशु अस्पताल के चिकित्सक ने सूखाकाल में उपलब्ध हजारों रुपयों की कीमती दवाइयां 20 जनवरी, 1988 को आगरा ले जाकर बेच दी हैं और अस्पताल पर दवाइयों का नितान्त अभाव हो गया है। सूखाकाल में रायभा, कचौरा, अरूआ, सहता आदि ग्रामों में लगाये जाने वाले कैम्पों में भी पशुओं की जीवनोपयोगी, वांछित व कीमती दवाइयां वितरित नहीं की गयी हैं। अस्पताल पर पशु स्वामियों को अपने जेब से दवाइयां भी खरीदनी पड़ती हैं और आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत खरीदे हुये पशुओं के डाक्टरी मुआइना और पोस्टमार्टम के लिये दो-दो सौ, तीन-तीन सौ रुपये रिश्वत में देने पड़ते हैं। अछनेरा पशु चिकित्सालय में औषधियों के अभाव में कचौर जहरौटी, मुबारिकपुर आदि गांवों में सैकड़ों पशु मर गये हैं जिससे क्षेत्र में किसानों में भारी असंतोष एवं हाहाकार व्याप्त है।

इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त पशु चिकित्सक की जांच विजिलेन्स विभाग से करवाई

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय और पशु स्वामियों को पशुओं की मृत्यु के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था की जाय ।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत घोसी तहसील में हाहा नाले पर पुल बनाये जाने में विलम्ब होने से जनता में भारी असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विष्णु देव--

[मान्यवर, आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के तहसील घोसी के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डल में ग्राम लखनौर व वैरियाडीह के बीच हाहा नाले पर दो वर्ष पूर्व पुल स्वीकृत होने व इसके लिए धन आवंटित होने के बावजूद पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के उत्पन्न स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । उक्त सार्वजनिक मार्ग लखनौर वैरियाडीह के बीच हाहा नाले पर पुल की योजना शासन द्वारा 1986-87 में ही स्वीकृत हुई थी और उसके लिए धन भी आवंटित हुआ परन्तु अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने से क्षेत्रीय जनता में भारी असन्तोष पैदा हो गया है । उक्त सार्वजनिक मार्ग से 50 ग्राम के हजारों लोग प्रति दिन यात्रा करते हैं । हाहा नाले के इस पार के किसानों की खेती उस पार होती है और उस पार के किसानों की खेती इस पार होती है । बरसात के दिनों में पूरा आवागमन अवरुद्ध हो जाता है जिससे हजारों यात्रियों और किसानों को काफी परेशानी होती है । पुल के स्वीकृति हो जाने से स्थानीय जनता में खुशी की लहर पैदा हो गयी थी । परन्तु अब तक पुनःनिर्माण कार्य आरम्भ होने से 50 ग्राम की जनता में भारी असन्तोष पैदा हो गया है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर पुल निर्माण हेतु तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जिला लखीमपुर खीरी के विद्युत् वितरण खण्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[महोदय आपकी अनुज्ञा से सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी के विद्युत् वितरण खण्ड में भीषण भ्रष्टाचार तथा अनियमितताएं व्याप्त हैं जिससे कि विद्युत् उपभोक्ताओं का बड़ा शोषण होता है । एक उदाहरण प्रस्तुत है । संलग्न बिजली बिजली बिल देखें । कम्प्यूटर के बजाय हाथ का बना बिल वह भी बिना हस्ताक्षर के हैं । सामान्यतः बिल एक माह बाद आता है । परन्तु फरवरी का इस्तेमाल बिल एक ही पखवारे में देय बताया गया । इसी प्रकार हजारों उपभोक्ताओं को दिया गया तथा पैसा लेकर तारीख ठीक कर दी जाती है । अवैध कनेक्शन चलाये जाते हैं । भ्रष्टाचार के कारण पात्र व्यक्तियों को छूट नहीं दी जाती । आफीसर्स कालोनी के लिए गैर कानूनी लाइन दी गयी है । 16 जनवरी, 1986 को एक टेन्डर बिना समय की सूचना के खोला गया क्योंकि अभियन्ता, लखनऊ आये थे और एक दिन का समय डाला गया । मुरादाबाद की एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी का ठेका दिया । बिजलेन्स की जांच 6 माह से चालू परन्तु दबायी गयी । त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया ।

कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत सीमावर्ती ग्रामीण अंचलों में नागरिक सुविधाओं की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोहर लाल--

[मान्यवर, सन् 1959 में कानपुर नगर महापालिका की स्थापना हुई थी। कानपुर के आस-पास के समस्त गांव नगर महापालिका की सीमा के अन्दर आ गए थे। गृह कर तथा अन्य टैक्सों के रूप में नागरिकों से कर सन् 59 से लिया जा रहा है। नागरिक सुविधाओं के नाम पर किसी भी प्रकार की सुविधा इन ग्रामीणों को नहीं दी जा रही है। जलभराव की वजह से नालियां एवं सड़कें तथा रोशनी की व्यवस्था न होने से नागरिकों को नारकीय जीवन यापन करना पड़ रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र समस्याओं के समाधान हेतु विकास प्राधिकरण बात नगर-महापालिका कानपुर को निर्देश देने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत आज 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री दिवाकर विक्रम सिंह को सुनने के लिये अगले दिन के लिये रखा गया है। बाकी कोई सूचना आज नहीं सुनी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने यह अभी व्यवस्था दी है कि सूचना सोमवार को सुनी जायेगी। अब वह सूचना मेरी निजी सूचना नहीं रह गयी है अब वह सदन की सम्पत्ति बन गयी है। मेरे अलावा और भी माननीय सदस्य उसमें पार्टी-सिपेट करना चाह सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुन लें जिससे विषय की गम्भीरता माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। श्री माता प्रसाद पाण्डेय और श्री शफीकुर्रहमान बर्क ने जो सूचना दी है, इसके बारे में अध्यक्ष जी के कक्ष में मिलकर बात कर लें। बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपनी सूचना पर नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरा निवेदन सुन लें, आज व्यवस्था न उठावें, परसों उठा लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

इतने समय में तो मेरी बात समाप्त हो जाती । मान्यवर, जो ऐक्ट और अधिनियम हैं....।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । मुझे बुड्ढा बनने का डर नहीं है, मौत का डर है । अगर आप को इजाजत दूंगा तो सभी को इजाजत देना पड़ेगा ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1987–88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, जो मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1987–88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 1988, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1988 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 15 मार्च, 1988 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 मार्च, 1988 को वापस प्राप्त हो गया है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें श्री राज किशोर सिंह की सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई है और श्री कल्यान सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री किशन लाल, श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है । श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री राम सागर तथा श्री अचल सिंह की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है....।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, जो सूचना हमने दी है उस पर आपने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है । वहां पर पूरे अलीगढ़ के महापालिका के कर्मचारी एक हफ्ते से हड़ताल पर हैं....।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

बाकी सब सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

(श्री शाही के खड़े रहने पर)

शाही जी, आपको समय मिलेगा बोलने का । शासन का ध्यान इस घटना पर आकर्षित कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं....।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई व्यवस्था की बात नहीं है । आप बैठें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

आज मद संख्या 8 में आपने जो निर्णय दिया है....।

श्री उपाध्यक्ष--

जो स्वीकार करनी थी, वह स्वीकार कर ली और बाकी सब अस्वीकार कर ली ।

(व्यवधान)

सब अस्वीकार कर दी । शाही जी बैठें ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही खड़े होकर बोलते रहे)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 10--ऊर्जा विभाग

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं मद संख्या 9 ले रहा हूं । मद संख्या 9 ।

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 3,49,76,04,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(व्यवधान के मध्य अनुदान प्रस्तुत किया गया ।)

(श्री सूर्य प्रताप शाही अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलते रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष--

शाही जी बैठ जायं ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं यह महत्वपूर्ण बजट बड़े हर्ष के साथ सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । निःसंदेह यह एक ऐसा विभाग है जिसमें प्रदेश की जनता सीधे और परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

शाही जी, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

सब लोग बैठ गये । आप ही व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं कि....

श्री प्रमोद कुमार--

गत वर्ष 1987-88 में इस प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि खरीफ की फसल के लिये जुलाई-अगस्त में पानी नहीं बरसा और मानसून ने हमें धोखा दिया।

(व्यवधान)

(श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होकर एक साथ बोलने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

गुप्ता जी, मैंने निर्णय दे दिया है....

श्री सूर्य प्रताप शाही--

आप यह बता दें कि सोमवार को इसे लेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मने आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर लिया....

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं की जानकारी

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

आप हमारी एक आपत्ति सुन लें तो जितना समय नष्ट हो रहा है वह बच जाय। उसके लिये कोई रास्ता निकल आयेगा। अन्यथा वे भी बोल रहे हैं और मंत्री जी भी बोल रहे हैं। जो प्रक्रिया अपनाई गई है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कम से कम आप अब तक कार्य स्थगन जो हमने दिये हैं उनके विषय बता दिया करते थे। 30-30 प्रश्न आते थे और उन विषयों पर जिनके बारे में वक्तव्य का ध्यान आकृष्ट किया गया है उनका विषय तो बता दे माननीय सदस्य को समाधान हो जायेगा। माननीय शाही जी के आक्रोश का कारण यही है कि और मान्यवर ने विषय भी खोजा। कृपया विषय पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है विषय बता देता हूं जो इस प्रकार है :

1--श्री राज किशोर सिंह की सूचना दिनांक 17/18 मार्च, 1988 की रात में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के शोध शास्त्र श्री देव नारायण मिश्र की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

2--श्री कल्याण सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री विज्ञान लाल, कुंवर मानवेन्द्र सिंह की सूचना नगरपालिका, अलीगढ़ के प्रशासन के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सफाई कर्मियों द्वारा किये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

3--श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री राम सागर, श्री अचल सिंह की सूचना ग्राम बनगावां, थाना टिकैत नगर, जिला बाराबंकी में पुलिस की साजिस से एक

वृद्ध महिला की हत्या तथा उसी के पुत्र को मुल्जिम बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं ।

4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की सूचना उच्चतम न्यायालय की अधिसूचना के उपरान्त अनेकों दवाइयों पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद दवाइयों की बिक्री से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं ।

5--श्री मिश्रसेन की सूचना दहेज के कारण थाना बल्दी राय, सुल्तानपुर में दर्जनों हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं ।

6--श्री शारदा नन्द अंचल की सूचना बलिया जनपद की नहरों में समुचित पानी न दिये जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में हैं ।

7--श्री विष्णु देव की सूचना प्रदेश के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दो वर्ष से मंगाई एक्सरे मशीनों के घटिया किस्म की होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं ।

8--श्री शारदा प्रताप की सूचना लखनऊ जनपद में पेयजल की उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में हैं ।

9--श्री सरदार सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री कुशल पाल सिंह, श्री चन्द्र मान मौर्य, श्री अमीर आलाम खां तथा श्री बीरेन्द्र सिंह मुजफ्फरनगर की सूचना मथुरा, आगरा, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में किसानों से राजस्व की वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही के सम्बन्ध में हैं ।

10--श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुबीर दयाल वर्मा की सूचना माध्यमिक परीक्षा में चल रही नकल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं ।

11--श्री अशोक बाजपेयी की सूचना फैजाबाद मण्डल की सहकारी समितियों में गलत एवं घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं ।

12--श्री बदन सिंह की सूचना आगरा के भूतपूर्व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्थानान्तरण के समय आगरा पुलिस विभाग की दो सौ फाइलें साथ ले जाने के सम्बन्ध में हैं ।

13--श्री मनोहर लाल की सूचना कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही धांधली एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में हैं ।

14--श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सूचना बस्ती जनपद में राजस्व देयों की वसूली में किये जा रहे उत्पीड़न की कार्यवाही के सम्बन्ध में हैं ।

15--श्री राम नरेश यादव की सूचना लखनऊ में जहरीली शराब की बिक्री से दो व्यक्तियों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

(व्यवधान)

यह 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं इनमें से प्रथम तीन सूचनाओं को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं

(व्यवधान)

बाकी अस्वीकार हैं ।

श्री विजय सिंह राणा—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन एक मिनट सुन लें

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री शारदा प्रताप आदि के खड़े होने पर ;

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी अब आप बैठें

(व्यवधान)

शारदा प्रताप जी आप भी बैठें। चूंकि उन्होंने कहा कि विषय भी पढ़ दें, मुझे इसे पहले ही पढ़ना चाहिये था क्योंकि दो महत्वपूर्ण बजट आज है इसलिये सोचा जल्दी हो जाय। अब पढ़ दिया है कोई बात नहीं है। अब आप लोग शांत रहें मैंने जो निर्णय देना था दे दिया।

श्री सरदार सिंह—

मथुरा में उत्पन्न स्थिति के बारे में बता दें। एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं, कृपया आप बैठें।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 10 ऊर्जा विभाग (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय विद्युत् मंत्री आप प्रारम्भ करें।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 3,49,76,04,000 रुपये के अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। मान्यवर, गुजरा हुआ साल एक तरह से प्रदेश में एक भीषण चुनौती लेकर आया था और इस शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष झेला है। निःसंदेह एक तरफ सूखा से जहां प्रदेश में अतिवृष्टि से तबाही का संदेश आया था वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग पर दोहरी जिम्मेदारी भी आयी थी। एक तरफ तो हमारे सामने किसानों के जो खेत सूख रहे थे, उनकी फसल को बचाने के लिये बिजली ज्यादा देने की जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ हमारे स्रोत और जलाशय, जो जल विद्युत् पैदा करते हैं वहां पानी संचित नहीं हो पाया। मैं इस बात के लिये प्रदेश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रकृति की इस मार के सामने घुटने नहीं टेके और सूखे का सामना किया। यही वह क्षण और दौर होता है जहां किसी विभाग की कसौटी पर परखा जाता है। मुझे कहने में गर्व है कि उत्तर प्रदेश में इस बार विद्युत् विभाग किसानों के साथ खड़ा रहा। इस सम्बन्ध में मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं।

मान्यवर, एक तरफ विद्युत् की जो अधिक मांग बढ़ी, किसानों की उससे लगभग 20 प्रतिशत और अधिक विद्युत् देने की जिम्मेदारी आयी। सूखे के कारण फसलों को बचाने के लिये ज्यादा सिंचाई करने के लिये। दूसरी तरफ जो स्रोत और जलाशय थे उसमें 10 प्रतिशत जल कम हुआ जिससे 10 प्रतिशत जल विद्युत् उत्पादन में भी कमी आयी। जो तापीय विद्युत् गृहों से 27 प्रतिशत अधिक उत्पादन करके पूरा किया गया। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि इस प्रदेश के किसानों ने जिम्मेदारी समझी और विभाग ने उनका साथ दिया, नतीजा हुआ कि अधिक विद्युत उत्पादित की गयी जिससे हम सूखे का मुकाबला कर सकें। मान्यवर, जुलाई में जब सूखा पड़ा और केन्द्रीय दल यहां आया तो उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण लगभग 62 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाने का आशा है परन्तु अब जब किसानों की फसल खलिहानों में और बाजारों में पहुंच चुकी है, मुझे कहने में हर्ष हो रहा है कि कुल नुकसान 62 प्रतिशत जो आंका गया था उससे घटाकर 20 प्रतिशत रह गया है। निःसंदेह यह हर सत्य है।

(मेजों की थपथपाहट)

कि पानी नहीं बरसा, लेकिन सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और नहरें, जो सिंचाई के साधन हैं वह भी जो नहरें बिजली से चलाई जाती हैं, उनको बिजली से चलाकर नुकसान 62 प्रतिशत से 20 प्रतिशत सीमित कर देने में विद्युत परिषद् को बधाई देता हूं और खासकर किसानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने सूखे का मुकाबला हिम्मत से किया।

मान्यवर, एक बात चिंता की हो सकती है कि इस बार बर्फ पहाड़ों में नहीं पड़ी है और वर्षा नहीं होती तो आने वाली गर्मी में विद्युत की कमी हो सकती है। लेकिन वह होने नहीं दी जायेगी। हम तापीय विद्युत् का बेहतर उत्पादन करके कमी को पूरा करेंगे।

मान्यवर, जो दूसरे प्रदेशों से बिजली की बात करते हुए हमारा उनसे मुकाबला करना चाहते हैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां बिजली की कोई विशेष कटौती नहीं लागू है जबकि पड़ोसी प्रदेशों में जबर-दस्त कटौती हो रही है।

मान्यवर, नये कनेक्शन देने में रोक लगाई है लेकिन नवजवानों को रोजगार देने के लिये योजनायें चलाते हैं जो छोटा रोजगार करना चाहते हैं उनको नये कनेक्शन देने की सुविधा दे दी गई है। लेकिन एक बात और मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि हमारे सामने दो विकल्प थे. . .।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मंत्री जी बिजली का बजट पेश कर रहे हैं, हम लोग ध्यान से सुनना चाहते हैं, इसलिए बार-बार जो मेजों की थपथपाहट उधर के माननीय सदस्य करते हैं, तो या तो इनका तबला बजवायें या इनका भाषण ही करवा दें।

(हंसी)

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्ति बनाये रखिये। आप शान्ति नहीं बनायेंगे तो लोग कैसे सुन सकेंगे? ठीक बात कही है रामशरण दास जी ने शान्ति बनानी चाहिये और सुनना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार--

प्रदेश के विद्युत उत्पादन की डिरेटेड अधिष्ठापित क्षमता 4714.85 मेगावाट है, जिसमें से 3292.5 मेगावाट तापीय और 1422.35 मेगावाट जल विद्युत् है। मान्यवर, हमारे और प्रदेश के लिए यह भी सौभाग्य का विषय है कि अभी इसी 12 मार्च से नानपारा की दूसरी इकाई भी चालू हो गई है। इसके आ जाने से विद्युत् उत्पादन में और अधिक मदद मिलेगा। इसके अतिरिक्त दो-तीन दिनों के अन्दर टांडा योजना, जो बहुत दिनों से प्रतीक्षित थी और 31 मार्च के पूर्व तो निश्चित ही यह 110 मेगावाट की प्रथम इकाई प्रदेश को समर्पित कर दी जायेगी। इससे प्रदेश का विद्युत् उत्पादन बढ़ जायेगा और जिससे प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता इस माह के अन्त तक 4824.85 मेगावाट हो जायेगी।

जब लड़ाई के लिए कदम आगे बढ़ाया जाता है तो प्रायः भगवान भी मदद करता है, यही यहां हमारे साथ हुआ। यद्यपि पूरे भारतवर्ष में और विशेष कर प्रदेश में सूखा रहा, रामगंगा से जो हम बांध के लिये पानी ले रहे थे उसमें बराबर कमी बनी रहती थी, किन्तु इस वर्ष 16 वर्षों बाद रिहन्द जलाशय में पूरी क्षमता से पूरा पानी भर गया और जब वह पूरे का पूरा भरा, उससे निसन्देह हमें सहायता मिली और हम आगे कदम बढ़ा सके। अब मैं आपके सामने जब यह बजट सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं, तो भारत के एक महान् नेता, महान् हस्ती, जिसने नये भारत की नींव रखी, स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि यह तापीय विद्युत् गृह जो बन रहे हैं, यह इस देश के लिए मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं। उनके यह विचार आज हमारे काम आ रहे हैं। कारण यह है कि प्रकृति साथ दे या न दे, इन विद्युत गृहों पर हम काफी हद तक निर्भर रह सकते हैं निर्भर रहते हैं। हमारा अनुभव है कि यदि इन तापीय विद्युत् गृहों को ठीक रखा जाए तो विद्युत् की कोई समस्या नहीं रह जायेगी आज उत्तर प्रदेश में तापीय विद्युत गृहों ने प्लान्ड लोड फैक्टर जिस तेजी से बढ़ाया है, वह पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ाया है। आज जब पूरे भारतवर्ष में 15 प्रतिशत तापीय विद्युत उत्पादन बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में 27 प्रतिशत बढ़ाया है....

(सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(प्रतिक्रियास्वरूप विरोध पक्ष से भी मेजों की थपथपाहट होने पर घोर व्यवधान मध्य)

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि नेता, विरोधी दलों के नेता भी मेरी बात का समर्थन करते हुए वे भी मेज थपथपा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

आज मुझे भी बहुत जरूरी काम था, बाहर जाने को सोच रहा था। उत्तर प्रदेश में बिजली की वृद्धि के बिना प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है, बिजली बढ़ जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश की समस्या बहुत दूर हो सकती है। हमारे नेता जितने बैठे हैं, अपना-अपना कार्यस्थगन प्रस्ताव खत्म कर दिया है और हमने पूरा समय सत्तापक्ष को सहयोग देने के लिए दे दिया है और केवल इसलिए दे दिया कि बिजली पर मंत्री जी बोलेंगे और हमें लगता था कि वह तैयारी के साथ आयेंगे....

(व्यवधान)

आप मेजें पीटें, अवश्य पीटें और फिर उन्हें आप सिर पर उठा ले जाना इनकी काबिलियत पर परन्तु हमें कुछ सुनने तो दीजिए । आप लोग बार-बार मेज पीट रहे हैं, जिससे हमें कुछ सुनाई नहीं देता है । इस समय तो हमें सुनने दें, सत्ता पक्ष समझता है कि उत्तर प्रदेश के विकास का ठेका इनका ही है और इनकी ही बपौती है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं विरोध पक्ष के सभी नेताओं का आभारी हूं कि उन्होंने कार्यस्थगन के प्रश्न और औचित्य के प्रश्न नहीं किये और बिजली के महत्व को देखते हुए सब चीजों को उन्होंने एक तरफ से वापस ले लिया । जो आपका निर्णय हुआ उसका स्वागत किया । आपके माध्यम से मेरा माननीय सदन से अनुरोध है कि यह महत्वपूर्ण बजट है और सबको इसमें दिलचस्पी है तो चाहे उधर के सदस्य हों चाहे इधर के सदस्य हों ऐसी व्यवस्था बनायें रखें कि सब लोग अपने विचार प्रगट कर सकें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि गत् तीन वर्षों में प्रदेश के तापीय विद्युत् गृहों का प्लांट लोड फैक्टर वर्ष 1985-86 में 34.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1986-87 में 41.2 प्रतिशत तथा 1987-88 में अब तक लगभग 47 प्रतिशत हो गया है इसको हम एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं । मान्यवर, यहां पर हम ओबरा 'बी' का भी जिक्र करना चाहेंगे । यहां पर पहले बहुत अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा था लेकिन जब इसमें सुधार हुआ है और इस विद्युत् गृह ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है । इस विद्युत् गृह का अप्रैल, 1987 से अब तक का पी0 एल0 एफ0 63 प्रतिशत है । जबकि कुछ वर्ष पूर्व 1981-82 में यह केवल 36 प्लान्ट लोड फैक्टर था । इसके लिए मैं ओबरा परियोजना के लोगों को बधाई देना चाहता हूं । इस वर्ष हमारे सामने एक चुनौती आई । 22 जनवरी, 1988 को हमारा सर्वोच्च उत्पादन हुआ । इस तिथि को विद्युत् परिषद् के तापीय विद्युत् केन्द्रों से 44.276 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया जो आज तक किसी एक दिन में हुए तापीय उत्पादन का कीर्तिमान है । इसी दिन प्रातः 21.45 मेगावाट तपीय विद्युत उत्पादन हुआ जो कि एक रिकार्ड है ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष—

शान्ति बनाये रखें ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, प्रदेश में विद्युत् की उपलब्धता वर्ष 85-86 में 44.2 मिलियन यूनिट प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 1986-87 में 50.2 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तथा वर्ष 1987-88 में 58.4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन हो गई है । विद्युत की मांग में भारी वृद्धि होने के कारण 20 से 25 प्रतिशत का गैप बना हुआ है आज तक यह गैप बना रहा है । बिजली की कमी बनी रही है, इसको पूरा करने का हम प्रयत्न करेंगे । एक दिन उत्तर प्रदेश में ऐसा आयेगा जब बिजली की कमी नहीं रह जायेगी । मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में छठी योजना अवधि

में 1980-85 में 974 मेगावट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का सृजन हुआ था। 1985 से 1990 तक सातवीं योजना अवधि में 1562 मेगावाट नई क्षमता जोड़े जाने का लक्ष्य है। वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में 420 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता का सृजन हो चुका है। इस वर्ष 320 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता का सृजन हो रहा है।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है, अगला वर्ष एक ऐतिहासिक वर्ष है, कभी भी 640 मेगावाट एक वर्ष में हमने नहीं जोड़ा है अगले वर्ष हम ऐसा करने जा रहे हैं इसमें हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। मान्यवर, तापीय विद्युत् के अलावा हमारा यह विश्वास है कि जब तक हम और स्रोत जो हैं उनका दोहन नहीं करेंगे तब तक प्रगति नहीं कर सकते है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि जगदीशपुर में गैस पर आधारित परियोजना पर लगभग काम प्रारम्भ करने की स्थिति में आ चुके हैं उसकी स्वीकृति भारत सरकार से मिल चुकी है और पूरा होने पर 90 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता हमसे जुड़ जायेगी। मान्यवर, एक बड़ी अजीब स्थिति है और सुखद भी है कि तापीय इकाइयां प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हैं, मिर्जापुर के आसपास हैं लेकिन उनसे उत्पादित विद्युत् की खपत पश्चिमी हिस्सों में होती है तो विद्युत् ले जाने में थोड़ी सी समस्या होती है।

इसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत में पहला प्रदेश है जहां पर 400 के0 वी0 की लाइन भारतवर्ष में सबसे पहले बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया था और उसके माध्यम से हमने नयी विद्युत् प्रणाली बनायी और उससे कम हानि में विद्युत् ले जाने में सफल हुये। आज फिर मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश फिर भारतवर्ष में एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट।)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह क्या हो रहा है? यह लोग सुनने देने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

थोड़ी शांति रखें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, अगर कोई अच्छा काम किया जा रहा है तो उसको एप्रीशियेशन मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, लेकिन अति नहीं होनी चाहिये। शांति बनाये रखें।

श्री प्रमोद कुमार--

आने वाले वक्त में हम फिर एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। हमें भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और शायद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् भारत की पहली विद्युत् परिषद् होगी जहां पर 800 के0 वी0 की पहली ट्रांसमिशन लाइन बनेगी। निसंदेह यह करके म भारतवर्ष फिर अग्रणी हो जायेंगे। आनपारा-उन्नाव, टिहरी-कोटेश्वर-मेरठ क्षेत्रों के हये यह प्रस्तावित है। इसके बन जाने से हम भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हो जायेंगे। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि घाघरा नदी के कटान से जिस तरह से

धीरे-धीरे विषम परिस्थिति पैदा हो गयी थी और उससे विद्युत् लाइनों को खतरा पैदा हो गया था उसे समय से लाइनों को बचा लिया गया है। हमारा सौभाग्य है कि मिर्जापुर में और उसके आसपास दक्षिणांचल में कोयले का असीमित भंडार है। उसका लाभ उठाकर तापीय विद्युत् गृह लगाये जा रहे हैं। सिंगरौली तापीय विद्युत् गृह में 500 मेगावाट की दूसरी इकाई चालू हो गयी है जिससे उसकी क्षमता 2000 मेगावाट हो गयी है। इससे प्रदेश में 700-800 मेगावाट बिजली मिल रही है। आने वाले वर्षों में 1000 मेगावाट के रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन, 470 मेगावाट के नरोरा एटामिक पावर स्टेशन व 600 मेगावाट एवं 430 मेगावाट के क्रमशः औरया व अंता के गैर टरबाइन के चालू हो जाने से इसकी 40-50 प्रतिशत क्षमता प्रदेश को मिलेगी।

मान्यवर, एक हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि जिसके लिये मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि श्रीनगर-गढ़वाल की जो कंपोजिट परियोजना है वह स्वीकार हो जाय। मुझे बताते हुये हर्ष हो रहा है कि लगभग 750 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना लगभग विश्व बैंक से स्वीकृति के कगार पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बन जाने से प्रदेश को बहुत लाभ पहुंचेगा।

मान्यवर, इस योजना में 330 मे0 वा0 का श्रीनगर जल विद्युत् गृह, 400 एवं 220 के0 वी0 की पारेषण लाइनें हरदुआगंज "ए" तापीय विद्युत् गृह में नवीनतम प्रकार के ब्वावलरों की स्थापना व ओबरा 'बी' विद्युत् गृह में कोल हैंडलिंग प्लांट की अतिरिक्त क्षमता भी सृजित हो जायगी और यह निःसंदेह हमारी एक उपलब्धि होगी। मैं अपने विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे मेरी भावनाओं को समझें। इस सीट पर बैठे हुए मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाऊंगा, और मैं अपने भारत के युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को धन्यवाद न दूं कि उन्होंने 2400 मेगावाट की टेहरी परियोजना को स्वीकृति करने में, उन्होंने जो पहल दिखाई है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो उपहार दिया है, उसके लिए वह निःसंदेह बधाई के पात्र हैं। मैं सोवियत जनता तथा सोवियत नेता गोर्बाचियोव को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने यह मित्रता पूर्ण कदम उठाया है। फिजूल खर्ची रोकी जानी चाहिए। हमने अपने तापीय विद्युत् केन्द्रों पर तेल की खपत कम कर सकते हैं। जो तेल की खपत 25 मिली लीटर प्रति यूनिट होती है, उसे हमने घटा कर 9 मिली लीटर यूनिट पर लाये हैं। ऐसा करके हमने काफी पैसे की बचत की है। इससे लगभग 16 करोड़ रुपये की बचत होती है। मान्यवर, हमने कोयले की बचत के लिए कुछ कदम उठाये हैं और इससे भी हमने 12 करोड़ की बचत की सफलता प्राप्त की है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से गांवों में बसा हुआ है, जब तक गांव का विद्युतीकरण नहीं होगा, तब तक हम पूरी तरह सफल नहीं होंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण हम अपने संसाधनों की कमी के कारण जितनी अपेक्षा करते हैं, वह हम नहीं कर पाये हैं। इसका मुख्य कारण वित्तीय संकट है। भारत में कुल पौने 6 लाख गांवों में से उत्तर प्रदेश हमारा लगभग 1 लाख 12 हजार 568 गांवों में बसा हुआ है, फरवरी 1988 तक प्रदेश में हमने 74,396 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है और इतने गांवों का विद्युतीकरण भारतवर्ष के किसी प्रदेश ने नहीं किया है। फिर भी 70 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में केवल ग्रामों में पूरे राष्ट्र का 67 प्रतिशत विद्युतीकरण है। हरियाणा को अगर मिर्जापुर के नक्शे में रख दिया जाय, तो मिर्जापुर बड़ा पड़ेगा। ग्राम सभायें हमारी बस्ती में ज्यादा हैं और हरियाणा में कम हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए हम अपनी सारी कोशिश करेंगे और निःसंदेह हम ग्रामीण विद्युतीकरण पर ध्यान देंगे। प्रदेश में छठीं योजना

अन्त में लगभग पौने 5 लाख ऊर्जीकृत नलकूप व 24000 राजकीय नलकूप थे, उनकी संख्या अब बढ़कर क्रमशः 5 लाख 60 हजार व साढ़े सत्ताइस हजार हो गयी है। इसमें संदेह नहीं कि संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितना हम चाहते हैं। वर्ष 1987-88 के प्रारम्भ में लगभग 670 करोड़ रुपये की कुल 705 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत थी। लगभग 50 करोड़ रुपये की ग्रामीण क्षेत्रों में सिस्टम सुधार की योजनायें भी स्वीकृत हैं। इन योजनाओं के शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 30 लाख उपभोक्ताओं का कनेक्टेड लोड लगभग 7800 मेगावाट है। इन उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से सही वोल्टेज पर विद्युत् आपूर्ति करने के लिये सक्षम सेकेन्डरी व नीचे की वोल्टेज की वितरण प्रणाली की आवश्यकता है। काफी समय से विद्युत् की भारी कमी के कारण संसाधनों का उपयोग विद्युत् उत्पादन में अधिक होता रहा है और वितरण प्रणाली की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जा सका। एक तो मान्यवर, पहले जो शहरों में विद्युत् आपूर्ति होती थी वह प्राइवेट कम्पनियों के माध्यम से होती थी और उनका मुख्य ध्येय पैसा कमाना होता था। वह चाहते थे कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। मान्यवर, हम यह बताना चाहते हैं कि हम किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, मैं, सिर्फ दो शहरों का उदाहरण देना चाहता हूं कानपुर और बनारस का। मान्यवर, कानपुर में हमने एक सर्वे कराया, विशेष तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से, जो सर्वे हुआ उस सर्वे में जो रिपोर्ट दी गयी है उसमें बताया है कि आज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें लगभग 80-90 करोड़ रुपये और लगेंगे क्योंकि जो तार टूटे हैं, वह बदलने पड़ेंगे और ट्रान्सफारमर आदि बदलने पड़ेंगे तब जाकर विद्युत् वितरण व्यवस्था सही हो सकेगी आज की विद्युत् व्यवस्था जो है वह नाकाफी है।

इसी तरह से मान्यवर, बनारस में 50-60 करोड़ रुपये की बात आई है। इसके अलावा अन्य बड़े जनपदों में आगरा आदि में भी सर्वेक्षण करा रहे हैं। हमारी जो क्षमता है और हमारी जो आवश्यकता है केवल कानपुर में उसके लिए हमें 90 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और बनारस में 50-60 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मान्यवर, शुद्ध रूप से अंदाजा है कि प्रदेश में आज की आवश्यकता के अनुसार अगर विद्युत् व्यवस्था की जाय तो वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए लगभग 5-6 सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ट्रांसफारमर लगाने पड़ेंगे और जहां तार टूट गये हैं वहां तार बदलने पड़ेंगे। इस सबके अभाव में हम विद्युत् व्यवस्था कर रहे हैं जिसके कारण आज की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत् नहीं मिल पा रही है। मेरे पास संसाधनों की कमी है फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास यह भी प्रस्ताव है अगर भारत सरकार स्वीकृति दे दे।

मान्यवर, बाण्ड लाएगें और उसके माध्यम से करेंगे और निगम से रुपया उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। जैसे भी होगा वितरण व्यवस्था को सुधारने में प्रयासों की कमी नहीं रहेगी। किसी भी शहर या कस्बे के बारे में आज जब आप कहें तो निःसंदेह इस बात का ध्यान रखें। इसको मैं स्वीकार करता हूं कि आज की जो वितरण व्यवस्था है, वह नाकाफी है। मान्यवर, इस समय प्रदेश वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है और राज्य विद्युत् परिषद् भी। एक घड़ी थी जब सूखा पड़ा था उस समय 2 ही विकल्प थे कि या तो बढ़ी हुई बिजली को उद्योगों को और बड़े घरों को दे दें और उनसे पैसा कमायें या किसानों को दें। मान्यवर, हमने यह उचित समझा कि किसानों की फसल न सूखने पाये चाहे कितनी ही वित्तीय हानि क्यों न उठानी पड़े और हमने किसानों को विद्युत् दिया जिससे हमारे राज्य विद्युत् परिषद् को 300 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। मान्यवर, हमने

10 घंटे ग्रामों को विद्युत दी है हमारे विपक्ष के लोगों को शायद यह कहने में संकोच होगा। मान्यवर, सूखे के दौरान हमने निसंदेह प्रयास किया है कि विद्युत् की आपूर्ति बनी रहे।

मान्यवर, बिजली के रेट के बारे में कहना चाहता हूं। आज उपभोक्ता के लिए विद्युत का रेट 86 पैसे प्रति यूनिट आता है और औसत निकला है 65 पैसे प्रति यूनिट का। इस प्रकार से 21 पैसे प्रति यूनिट खो रहे हैं। मान्यवर, जहां तक किसानों को बिजली देने की बात है तो किसानों को जो बिजली ट्यूबवेलों के लिए देते हैं वह 86 पैसे में उत्पन्न करते हैं और किसान के खेतों में पहुंचाने के लिए मात्र 10 पैसे मिलते हैं। इस प्रकार 86 पैसे में उत्पन्न कर 10 पैसे का बिजली किसानों को पहुंचाकर निसंदेह यह कह सकते हैं कि इस दल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी है और उनका हित करने लिए कृत संकल्प है। मान्यवर, इसमें कोई संकोच नहीं है कि लाइन लासेस एक बहुत गम्भीर समस्या है। आज 22 प्रतिशत के लगभग लाइन लासेस होता है निसंदेह इस लाइन लासेस को रोकने के लिए अगर हम कदम उठायें और चोरी को रोके तो बहुत कुछ बचत हो सकती है।

मान्यवर, हमने कानून में संशोधन किए हैं और यह प्रयास किया है कि लाइन लासेस घट सके। यद्यपि हमारा लाइन लासेस 22 प्रतिशत है और राष्ट्रीय औसत भी 22 प्रतिशत है। हम इसको कम करने के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। पिछले वर्ष हमने लगभग 27,900 रेड्स आयोजित किये। उसमें 4,305 चोरी के मामले पकड़े गये, जिनमें से 2842 व्यक्तियों को जेल भेजा गया और इसमें परिषदीय पुलिस द्वारा 61.5 करोड़ रुपये की वसूली सम्भव हुई। निःसंदेह हमें बिजली की चोरी रोकने के लिये हमें माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिये। मैं अपील करता हूं। यह एक सामाजिक बुराई है। सरकार पूरी तरह से सक्षम नहीं है इसको रोकने में। जब तक इसको एक आन्दोलन के रूप में नहीं चलाएंगे, तब तक हम विद्युत् चोरी नहीं रोक सकते। निश्चित रूप से राज्य विद्युत परिषद् घाटे में रहता है, लेकिन विद्युत चोरी के रूप में सबसे बड़ा घाटा पड़ोसी उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा घाटा उनको होता है जो, जहां चोरी हो रही है, वहां रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विद्युत चोरी रोकने के लिये हम सब लोग कदम उठावें। इस दिशा में हमने जो प्रयास किये हैं, मेरा कर्तव्य है कि आपको उनसे अवगत कराऊं। मान्यवर, उपभोक्ताओं की सेवा के लिये विद्युत् विभाग समर्पित है, लेकिन वितरण प्रणाली पूरी न होने के कारण हम पूरी ताकत से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये आपसे अपील करते हुए आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अगला वर्ष में उपभोक्ता सेवा वर्ष के रूप में मनाने के लिए राज्य विद्युत परिषद् को निर्देश दे रहा हूं। हमारा प्रयास होगा कि उपभोक्ताओं की सेवा के लिये सभी कदम उठाए जायं। कुछ कदम जो हमने उठाए हैं, मैं उनकी जानकारी दूंगा।

मान्यवर, बिजली के बिलों के भुगतान सम्बन्ध में समय कम मिलता है, यह सब लोगों की शिकायत मिलती रही है। हम किन्हीं भी परिस्थितियों में 15 दिन का समय अवश्य उपलब्ध करायें, जिससे कि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करने में कठिनाई न हो, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, स्थिति यह है कि जो उपभोक्ता शहरों में रहते हैं, उनको भी आफिस जाना पड़ता है और वही आफिस टाइम हमारा भी होता है। मेरा यह प्रयास है और हम यह निर्देश दे रहे हैं कि राज्य विद्युत् परिषद् अब रविवार को भी काउन्टर खोले, जिससे कि जो कर्मचारी हैं, आफिस जाने वाले हैं, उनको सुविधा मिल सके और छुट्टी के दिन वे बिल जमा कर सकें। इसके अलावा मान्यवर, बैंकों के माध्यम से हम पैसा जमा करावें तो सुविधा हो सकती है।

हम यह प्रयास करने जा रहे हैं कि, अभी तो प्रयोग के रूप में कवाल टाउन्स में करने जा रहे हैं, इसमें सफल हुए तो और दूसरे नगरों में भी व्यवस्था करेंगे और सम्भव होगा तो सहकारी बैंकों के माध्यम से इस व्यवस्था को कस्बों में ले जाएंगे। हम निर्देश दे रहे हैं कि जो उपभोक्ता बैंकों के माध्यम से बिजली के बिल जमा करें, तो जो लाइनें लगती हैं और समय काफी लगता है, उसमें सुधार होगा। माननीय सदस्यगण इसमें सुझाव दें कि इसमें किस प्रकार से सुधार लाएं। एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण इसकी गम्भीरता को समझें कि हम जो यह बिजली की चोरी को रोकने के लिये कदम उठाते हैं, वह नाकाफी हैं। मेरा प्रयास है कि जैसा और विभागों ने सफलतापूर्वक किया है, अगले वर्ष से हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि बिजली की चोरी में जो व्यक्ति पकड़ा गया, उसको राज्य विद्युत् परिषद् की ओर से नकद धनराशि दी जायगी। इससे लोगों को इन्सेन्टिव मिलेगा। लोग इसमें रुचि लेंगे और हमको बिजली की चोरी रोकने में सफलता मिलेगी। खास तौर पर पहाड़ के सदस्य बैठे हुए हैं। पहाड़ों में माइक्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका उद्देश्य पहाड़ों में विद्युत् लाइन ले जाने में जो दिक्कत है और जो विपरीत मौसम में असुविधा होती है, उसको दूर करने के लिये हम प्रयास कर रहे हैं।

पहाड़ों में जो छोटे छोटे जल के सोते हैं हमारा प्रयास है कि उनका दोहन करके उनसे बिजली पैदा कर सकें, और इस तरह से जो बिजली पैदा करें उसको उसी अंचल में दे सकें, चाहे एक गांव को मिल सके, दो गांव को मिल सके या एक-दो कस्बे को मिल सके हम कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़ाएं। इसी तरह से मान्यवर, हम जब इस पर माननीय सदस्यों के सुझाव चाहेंगे तो, हम यह जानते हैं कि छोटे स्तर पर या किसी स्तर पर किसी भी कर्मचारी से गलती हो सकती है, लापरवाही हो सकती है। निःसन्देह आप हमें अवगत करावें, आवश्यक कार्यवाही अवश्य की जावेगी। जो दोषी हैं, व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं, उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जायगा। उनके खिलाफ प्रभावकारी कार्यवाही करेंगे और दृढ़ता से करेंगे और दृढ़ता से करूंगा। लेकिन, जब माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करेंगे तो वह भी स्वीकार करें, न स्वीकार कर सकें तो इतना अवश्य बतायें कि ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से इस बार सूखे के दौरान कितनी बिजली दी गयी। इस पर विचार अवश्य प्रकट करें। मान्यवर, लगभग 25 से 30 प्रतिशत की कमी पड़ी हुई है, उसको ध्यान में रखकर माननीय सदस्य हमारा आंकलन करें। जिस वक्त आप हमारे बारे में बात करें, पड़ोसी राज्यों की स्थिति को भी नजर में रखें कि इन परिस्थितियों में उन्होंने कैसे सामना किया और हमने कैसे सामना किया ?

मान्यवर, इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों के विचार आमंत्रित करता हूं। मुझे आशा है कि उनके रचनात्मक सुझावों से महत्वपूर्ण विभाग को दिशा मिल सकेगी। धन्यवाद। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होने पर विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(समय 1 बजकर 10 मिनट)

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा ध्यान आकर्षित करना।

मान्यवर, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी ने जब ऊर्जा विभाग की मांगों पर अपना भाषण शुरू किया था तो मान्यवर मुझे काफी उम्मीद इस बात की थी कि माननीय मंत्री जी कोई नयी बात कहेंगे जिसके फलस्वरूप जो पिछले वर्षों में राज्य विद्युत परिषद् की स्थिति दयनीय रही है, जो उसमें अक्षमता रही है, जो उसमें भ्रष्टाचार रहा है उसमें अंकुश लगाने का तरीका हमें मिलेगा। मान्यवर, जिस तरह से किसी गांव में राजनीतिक भाषण होता है उसी तरह का भाषण आज माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा ने यहां पर दिया। मान्यवर उन्होंने कहा कि 27 प्रतिशत पिछले वर्ष से अधिक उत्पादन किया, मैं नहीं समझता माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की असली स्थिति सदन के सामने रख रहे हैं। इस विद्युत् परिषद् ने जो 1987-88 का बजट बनाकर रखा था, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य के अनुसार कुल उत्पादन 17,916 मिलियन यूनिट उत्पादन करता था और परिषद् को प्रस्तुत बजट के अनुसार जो यह करने जा रहे हैं और वह है सिर्फ 15,417 मिलियन यूनिट। यह उपलब्धि है अपने ही लक्ष्य से सात प्रतिशत कम उस पर भी माननीय राज्य मंत्री जी खुद ही अपनी पीठ ठोक रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं में नहीं आ रहा है कि सदन के माननीय सदस्य उन्हें इस उपलब्धि के लिये बधाई देंगे या उनकी आलोचना करेंगे। मान्यवर, यही नहीं, विद्युत् परिषद के अन्दर जो घाटा है जो भ्रष्टाचार है, जो अक्षमता है, उसके फलस्वरूप इस प्रदेश को कितनी हानि उठानी पड़ रही है। मैं इन चीजों को आपकी अनुमति से कुछ ठोस आंकड़ों के माध्यम से कहना चाहूंगा। छठी योजना में इंस्टाल केपिसिटी जो लगानी थी और लगी उस का आंकड़ा बता रहा हूं। इनका लक्ष्य था 2144 मेगावाट विद्युत परिषद् का जो वर्ष 85 में खत्म हुआ, उसके लिये बजट निर्धारित था 2153 करोड़ रु0 और प्राप्ति किया 85 तक कुल 974 मेगावाट, जो इनका लक्ष्य था उसमें आधा भी नहीं। सातवी योजना में माननीय मंत्री ने बड़ी धूम से यह कहा कि आने वाले वक्त में इतनी विद्युत पैदा होगी कि प्रदेश में विद्युत की कमी खत्म हो जायेगी। छठी योजना में लक्ष्य 2144 मेगावाट और प्राप्ति 974 मेगावाट।

सातवी योजना में 1562 मेगावाट रखा है इन्होंने और उपलब्धि पिछले इनके अनुपात से लगा लें तो आधे से अधिक की उपलब्धि नहीं कर पायेंगे क्योंकि जो इकाइयां इन्होंने बतायी कि चालू कर दी गयी हैं, घोषणा उसकी इन्होंने कर दी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी इकाई अभी कामर्शियल लोड पर भी नहीं आ रही है। कोई भी इकाई समय से चालू नहीं हुई। इकाई चालू करने के सम्बन्ध में जो प्लानिंग राज्य विद्युत परिषद ने की थी समय आदि की बाबत की इस समय चालू करेंगे, किस समय उस पर कार्य प्रारम्भ करेंगे लेकिन कभी वह भी समय से नहीं हुआ। 2 साल 4 साल लक्ष्य से यह पीछे हो गये इन्होंने समय से इकाइयों को चालू नहीं किया है। उसका नतीजा यह है कि विद्युत अधिष्ठापित क्षमता प्रति मेगावाट जो कीमत है, वह सारे भारत वर्ष में यहां की अधिक है, दो करोड़ रु0 प्रति मेगावाट इनकी सृजन कीमत आती है और दूसरे प्रदेशों में सवा करोड़ रु0 प्रति मेगावाट कास्ट आफ इंस्टालेशन आता है।

मान्यवर, इसके अलावा इन्होंने बहुत बड़ा धन्यवाद दे दिया है, माननीय प्रधान मन्त्री जी को, टेहरी बांध परियोजना के लिये। मान्यवर, मन्त्री जी की यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और इसके सम्बन्ध में एक बात याद आई। पुराने जमाने में जो जमींदार हुआ करते थे, उनकी जो अच्छी और ऊपजाऊ जमीन होती थी, उसको तो वह बटाई पर खेती के लिये दे दिया करते थे और जो जमीन बंजर और वीरान हुआ करती थी, उसको वह अपनी शिकारगाह बनाते थे। इसी तरह इन्होंने भी जो अच्छी योजनायें थी, वह इन्होंने भारत सरकार को दे दी। क्योंकि इसमें 80 प्रतिशत हिस्सा उनका

होगा और जो विद्युत् परिषद् के तापीय गृह, बंजर ऊपर की तरह हैं इनके शिकारगाह हैं, उनको यह 8-8 और 10-10 साल से चालू नहीं कर सके हैं। एसी जगहें इन्होंने अपने लिये रख ली हैं इसके लिये वह जापान से 1500 करोड़ रुपये के कर्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं, आनपारा "बी" के लिये।

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के लिये सर्वाधिक लाभ की योजना थी, उसको इन्होंने भारत सरकार को दे दिया। यहां की सब सौगातों को यह इस प्रकार प्रधान मन्त्री जी को दे रहे हैं और हमारा प्रदेश जर्जर हुआ जा रहा है। मैं तो प्रधान मन्त्री को धन्यवाद नहीं दे सकता चाहूं तो आलोचना कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने बधाई दी है पर उनके स्टेटमेंट हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इन मन्त्री जी की भर्त्सना जरूर कर सकता हूं। इसी तरह से इन्होंने जो हमारी जल विद्युत् परियोजनायें थीं, उसको इन्होंने लुटवा दिया। इसी तरह लखवाड़ की भी जल विद्युत् योजना को वर्ष 1982 तक पूरा होना था, उसका टेन्डर वर्ष 1985 में किया गया और वर्ष 1987 तक काम प्रारम्भ नहीं हुआ। तो मान्यवर, यह दो वर्ष पूर्व टेन्डर कर देने के क्या कारण थे, मैं इसको नहीं समझ सका। हो सकता है कि आज से दो साल पहले टेन्डर दे देने से इनको यह फायदा या किसी को भी फायदा हुआ होगा, कोई कमीशन दिया गया होगा कि और कोई इस टेन्डर को इससे कम कीमत पर न ले ले। किसी को फायदा हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, किसे हुआ होगा पर प्रदेश के निश्चित् नुकसान हुआ।

इसी तरह से मान्यवर, इनकी ऊंचाहार परियोजना है, जो 400 करोड़ रुपये जुलाई, 1987 तक इसमें खर्च हो चुके थे। अब के आंकड़े तो मैं नहीं बता सकता। मैंने विद्युत् परिषद् से आंकड़े मांगे थे, लेकिन उन्होंने आंकड़े उपलब्ध नहीं करायें और आज तक यह यूनिट भी चालू नहीं हो सकी है और इसमें एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। यह योजना पिछले 7 वर्षों से निर्माणाधीन है। मान्यवर, इसी तरह आप देखें, इनकी जो कार्य प्रणाली रही है वह इतनी घटिया है जब माननीय मन्त्री जी ने अपना भाषण शुरू किया था, तो उन्होंने ही अपने भाषण में दो विभिन्न बातें कहीं। मान्यवर, इन्होंने कहा कि इस साल भयंकर सूखा पड़ा है और जिसके कारण जलाशयों में पानी की अत्यन्त कमी हो गई। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि रिहन्द में इतना पानी भर, जितना पिछले 16 सालों में कभी नहीं भरत था। मान्यवर, रामगंगा की कपेसिटी और जनरेशन मन्त्री जी जानते हैं और रिहन्द की कंपेसिटी और जनरेशन भी मन्त्री जी जानते हैं। आप मुझसे न कहलवायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं कह दूंगा तो इनको परेशानी हो जायेगी। मान्यवर, तापीय विद्युत् गृह के उत्पादन के जो लक्ष्य थे, वह इनके विद्युत् परिषद् ने ही निर्धारित किये थे....

(शोर)

श्री हरदेव--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नरेन्द्रदेव--

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग गलत परम्परा डाल रहे हैं। जब एक व्यक्ति का भाषण हो रहा है तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। संसदीय कार्य मन्त्री जी इन लोगों को रोकें। इस समय किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं उठाई जा सकती। हरदेव जी, आप बैठिये, कुछ नहीं लिखा जायेगा। कोई व्यवस्था का प्रश्न इस समय नहीं होगा, आप बेमतलब समय नष्ट करते हैं।

श्री जनदीप सिंह बरार--

मान्यवर, 1987-88 में विद्युत् उत्पादन का इन्होंने जो लक्ष्य रखा था, उसमें यह बताया गया है कि तापीय विद्युत् में उससे 8 प्रतिशत बिजली कम पैदा हुई है और जलीय विद्युत् केवल 3 प्रतिशत कम पैदा हुई है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जब वह कोई बात इस विधान सभा में कहें तो वह यह सोचकर न कहें कि जैसे वह प्रतापगढ़ की किसी ग्राम सभा में कह रहे हों। मान्यवर, प्रदेश को जो बिजली की आवश्यकता है, उसका आकलन यह कैसे करते हैं, यह भी विद्युत् परिषद् की एक करामात है। इन्होंने मांग को दो श्रेणियों में बांट रखा है। पहली "प्रतिबन्धित" और दूसरी "अप्रतिबन्धित" श्रेणी है। प्रतिबन्धित मांग को आधार मानकर यह आकलन करते हैं। गांव के आदमी से ये कहते हैं कि तुम्हारे लिये 10 घंटे बिजली काफी है, उनके लिये ये 24 घंटे बिजली के प्रयोग के औचित्य को ही नहीं मानते हैं। शहर के आदमी को अच्छा खाना मिल जाय मुर्गा मिल जाय और गांव वाले को दाल-रोटी मिल जाय यह तो आज तक इनकी नीति रही है लेकिन बिजली के मामले में भी इन्होंने यही नीति अपनाई है। शहर का आकलन तो यह 24 घंटे के हिसाब से करते हैं और गांव वाले का आकलन यह 10 या 8 घंटे बिजली देकर करते हैं। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमने कोई कटौती नहीं की है। इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकता है?

आज बिजली के नाम पर इन्होंने किसानों का हक मार दिया है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमने बिजली के उत्पादन में कटौती नहीं होने दी है। 4500 मिलियन यूनिट बिजली इन्होंने आयात की, और 639 मिलियन यूनिट, जो जलीय विद्युत है, दूसरों दूसरे पूरा का जो हिस्सा बनता था, उनको इन्होंने यह बिजली नहीं दी, उसको अपने यहां रख लिया। इस विद्युत् परिषद् ने प्रतिबन्धित मांग के अनुसार अधिक से अधिक 70 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति की है और यदि अप्रतिबन्धित मांग को लेकर हम चलते हैं तो इन्होंने मांग के आधे से भी कम विद्युत् प्रदेश को दी है। ओबरा में 1983 में अग्निकांड हुआ, 2 इकाइयां पूरी तरह से जल गईं और 3 इकाइयां क्षतिग्रस्त हो गईं। करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया, बताया जाता है 1000 करोड़ की क्षति हुई बिजली की कमी से जो अरबों की क्षति हुई उसका हिसाब नहीं है आज 1988 है, 5 वर्ष बीत गये हैं, लेकिन यह सरकार उसके लिये किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाई है। इस सरकार ने प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को भारी कृषि के उद्योग को फैक्ट्री को 5 साल पीछे ढकेल दिया है। सभी रिपोर्टों को गोपनीय कह कर अपनी अलमारियों में बन्द कर दिया गया है, इसलिये इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो भ्रष्टाचार है, उससे भी बढ़कर जो अक्षमता है, उसके ऊपर से यह सरकार कैसे परदा उठा पायेगी ज्ञात नहीं होता है?

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने प्लान्ट लोड फैक्टर के बारे में बताया कि हमने पिछले सालों के मुकाबले कितना आगे बढ़ गये हैं। माननीय मन्त्री जी ने हमको जो यह चमकती पुस्तक दी है, यह एक प्रकार से पोस्टर है और एक प्रकार से प्रचार सामग्री है। पहली बात तो इस प्रकार की चीजें माननीय सदस्यों को नहीं देनी चाहिए। वैसे

भी माननीय मन्त्री जी की चमचमाती फोटुवें अच्छी लगती हैं। इन्होंने इसमें केवल ओबरा तापीय विद्युत् के प्लान्ट लोड फैक्टर को दिखाया है, शेष विद्युत् गृहों के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसी के आधार पर इन्होंने आंकड़े दिये हैं। यह कोई हंसी की बात नहीं है। यह विद्युत् परिषद् का एक षडयंत्र है, शासन का एक षडयंत्र है कि सही स्थिति माननीय सदस्यों तक न पहुंचाई जाय।

ओबरा का प्लान्ट लोड फैक्टर है 71 प्रतिशत, जबकि कुल तापीय विद्युत् गृहों का लोड उत्पादन है 40 परसेन्ट, फरवरी में ओबरा का है 71 प्रतिशत और सभी विद्युत् गृहों का है 52 प्रतिशत, अगस्त में ओबरा का है 71 प्रतिशत इनका है 45 परसेन्ट। वास्तविकता यह है कि प्लान्ट लोड फैक्टर में कोई विशेष तरक्की नहीं हो पाई है। केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें जो 193 करोड़ रुपये आधुनिकीकरण के लिये मिला, जिसकी वजह से इनके विद्युत् गृहों का आधुनिकीकरण हुआ। जब ये अपने साधन से नहीं कर पाये तो भारत सरकार ने इस शर्त के साथ इन्हें पैसा दिया कि इस चीज में यह पैसा खर्च किया जाना है।

इन्हें 10 से 15 प्रतिशत इम्प्रूव करना था कितना किया है यह भी मन्त्री जी बता दें।

उनके बाद भी यह प्लान्ट लोड फैक्टर में जो तरक्की बताई है, वह सम्भव हो सकी है, लेकिन कितनी हुई है इसको भी देख लें। हमारे माननीय मन्त्री जी चाह रहे थे कि अपने आप को अगल-बगल के प्रदेशों से कम्पेयर करें, लेकिन आप अगर प्रदेश के अन्दर ही कम्पेयर करें, लेकिन आप अगर प्रदेश के अन्दर हैं कम्पेयर करें तो ज्यादा सही होगा आपके एन0 टी0 पी0 सी0 के भी पावर हाउसेज हैं इनके भी पावर हाउसेज हैं। ओबरा, जिस पर कई करोड़ रु0 खर्चा करके आधुनिकीकरण किया गया है, एन0टी0 पी0 सी0 का प्लान्ट लोड फैक्टर 1986-87 में 79.6 था जब कि राज्य का 41 प्रतिशत था। इसी प्रदेश में एन0 टी0 पी0 सी0 का 80 प्रतिशत है, ये कहेंगे कि वह नया है, मैं कहता हूं कि आप अपने नये विद्युत् गृहों का ही बता दें, लेकिन यह नहीं बता सकेंगे। यह चाहते तो हैं, इनके अन्दर भावना भी है कि कुछ करें लेकिन इनका नियंत्रण परिषद् पर नहीं है, इसलिये नहीं बढ़ा पायेंगे। ओबरा-बी की मिसाल देना चाहता हूं, ओबरा-बी में इनके जब विद्युत् गृह लगे तो वहां पर कोल हैण्डलिंग प्लान्ट छोटा लगा दिया, हो सकता है कि छोटे में कमीशन ज्यादा रहे हो बड़े वाले कम दे रहे हों।

विद्युत् गृह को कोयला ज्यादा चाहिये था, कोल प्लान्ट छोटा लगा दिया ये कहते हैं कि घटिया स्तर का कोयला आ रहा है। कहते हैं कि भारत सरकार भेज रही है, आप मन्त्री हैं, अगर आपके दिल में जनता के प्रति थोड़ा भी हमदर्दी है तो आप बता दें कि भारत सरकार से आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्या आपने किसी अदालत में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डैमेजेज का मुकदमा कायम किया है? नहीं किया है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते हैं, उसके कारण हैं बता दूंगा तो कहा जायेगा राजनैतिक बात है इसलिये जिनको मैं इस समय ऊर्जा के इस बजट के समय कहना नहीं चाहता, आपमें हिम्मत नहीं है कि आप ऐसा कर सकें। माननीय मन्त्री जी जब अपना उत्तर भाषण करें, तो इसका भी जवाब दे दें। पहले से अगर आप अपनी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दे देते तो आसानी होती। आनपारा 3 पर 1987-88 में 38 करोड़ रु0 और टांडा पर 70 करोड़ रु0 खर्च करना था योजना आयोग ने स्वीकृति दी थी आपके आग्रह पर क्या यह खर्च उन इकाइयों पर कर लिया? अगर नहीं किया है तो क्या वजह है कि कैपीटल रिसीट में जो पैसा आता है उनको रेवेन्यू में या दूसरे मदों में कैसे खर्च कर देंगे? करोड़ों अरबों रुपया डाइवर्ट हो रहा है पिछले

6 वर्ष में कैपिटल एकाउन्ट से 500 करोड़ रेवेन्यू एकाउन्ट में डाइवर्ट कर दिया। प्लान्स साल भर पूरे नहीं हो पाते हैं, आपने कहा कि आनबारा-बी-चलेगा, जापान से येन क्रेडिट लेंगे, येन मुद्रा महंगी हो रही है 1531 करोड़ रु0 से होगा, अब येन महंगा होने से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अब यह 2 हजार करोड़ रुपया का या उससे भी ज्यादा हो जायेगा। यह कहते हैं कि 2 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट का खर्चा है, मैं समझता हूं कि 3 करोड़ रुपया से ऊपर चला जायेगा। माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर भाषण में बता दें कि उनको बनाने का लक्ष्य कब तक का था क्या इसे 1990 तक पूरा नहीं कराना था ? और अभी किस स्थिति तक पहुंचा है ? यह तो उत्पादन के बारे में कुछ बातें कहीं।

एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि राजनीतिक चश्मे से देखें मैं चाहता हूं कि प्रदेश के हित के चश्मे से आप इनको देखें। 1966-67 तक इस प्रदेश में हाइड्रो-इलेक्ट्रिक और तापीय का अनुपात "डेढ़ अनुपात एक" (1-1/2 : 1) का था, तब तक कोई बिजली की कमी नहीं थी। 1970 के बाद जैसे-जैसे तापीय का अनुपात बढ़ता चला गया, उसके बाद बिजली की कमी हर वर्ष के अन्दर बढ़ती चली गई। अब यह अनुपात 1 और ढ़ाई का हो चुका है। तापीय विद्युत तिगुनी महंगी होती है। उसका कारण यह है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के दो लाभ होते हैं किसानों को पानी और बिजली सस्ती होती है अधिक भी पैदा होती है। परन्तु तापीय विद्युत गृह में उसकी बिजली को विद्युत् परिषद जहां मर्जी हो, डाइवर्ट कर देता है। अधिकतर शहरों और उद्योगों को किसानों का हिस्सा तय करने के लिए इनके हाथ में एक बटन आ जाता है। जलीय विद्युत में कम से कम पानी का हिस्सा किसान का हमेशा सुनिश्चित रहता है। और मान्यवर, इसके अलावा यह भी है कि जलीय विद्युत् योजना बनती है तो उसमें कमीशन बनने के समय ही एक मिलता है और तापीय विद्युत परियोजना में कमीशन हर वर्ष हर खरीद पर और अन्य कामों पर मिल जाता है कमीशन इसलिए तापीय विद्युत् परियोजना किसी भी हालत में मैं नहीं समझता हूं कि प्रदेश में बिजली की कमी को प्रदेश की इस बीमारी का इलाज है जबकि 13 हजार मेगावाट की जलीय विद्युत् जनरेशन संभावना उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में आपके पास मौजूद है तो आप प्रदेश के किसानों को उपभोक्ताओं को क्यों इस हालत में रखे हुए हैं ? उन्हें पूरी बिजली क्यों नहीं दे पा रहे हैं ? शायद अब आप समझ गये होंगे।

अभी माननीय मंत्री जी ने विद्युत् की उत्पादन लागत के बारे में कह दिया कि किसानों को हम 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं फिर क्यों नहीं आप विद्युत् परिषद् के खिलाफ कार्यवाही करते क्योंकि उसमें इस वार्षिक विवरण-पत्र 1988-89 में पृष्ठ 15 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिंचाई पर औसत बिजली की दर 27 पैसा है और माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि हम 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। मैं इनकी बात को झूठ सिर्फ इसीलिए नहीं कह सकता क्योंकि "झूठ" शब्द असंसदीय है, इस समय डिबेट हो रही है वैसे यह यदि बजट बहस न होती तो मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि माननीय मंत्री जी के इस कथन पर विशेषाधिकार भंग करने का प्रस्ताव तो आ ही जाता। परन्तु अब इनकी पोल खुल गयी है, ये पूरी तरह से नंगे हो गये हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं तो सामने बैठा हुआ हूं और इनको दिखाई भी दे सकता हूं मैं कपड़े पहने हुए हूं। इनसे कहिये कि ये असत्य भाषण तो न करें।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

इन्होंने उन्हें कई बार नंगा देखा हुआ है इसलिए ऐसा कह रहे हैं ।

(हंसी)

[श्री जयदीप सिंह बरार--

इनकी जो बात है कि यह अपनी प्रशंसा किया करते हैं उसी के बारे में मैं कह रहा था । तो मैं जलीय विद्युत के बारे में कह रहा था कि इसकी 24 पैसा उत्पादन लागत आती है । तापीय विद्युत् के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता उसके लिए जो माननीय मन्त्री जी कह दें उसको ही हम मान लेंगे । जिस बिजली की दरों का ये बराबर रोना रोते रहते हैं । हमारे यहां बिजली की दरें बहुत महंगी हैं, मैं फिर कहूंगा कि आप इसे राजनैतिक दृष्टिकोण से न लें । यदि आप रीजनेबिल कीमत पर बिजली उपलब्ध कराना चाहते हैं तो आनपारा की बिजलीघर परियोजना आप प्रधान मन्त्री को दे दें और टेहरी परियोजना को आप ले लें तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं अन्यथा नहीं ।

(इस समय 1 बजकर 23 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बेनी प्रसाद वर्मा पीठासीन हुए ।)

अभी माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की कि अबकी बार इस दफा "उपभोक्ता सेवा वर्ष" होगा । मैं कहना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं को वैसे ही आप पहले से बहुत सेवा कर रहे हैं, और बातों को तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल बिल जमा करने की बात को ही ले लें कि बेचारा उपभोक्ता चार-चार घंटे लाईन में लगा हुआ खड़ा रहता है लेकिन आसानी से अपनी बिजली का बिल नहीं जमा कर पाता है । यदि आप उपभोक्ता सेवा वर्ष से समझते हैं कि उसकी तकलीफें दूर हो जायेंगी तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है । आपके जो यह प्रतिबन्धात्मक और अप्रतिबन्धात्मक मानक हैं, उस पर आप ध्यान दें उन्हें समाप्त कर दें । आप कितने घंटे कहां पर और किसको बिजली दे रहे हैं, इस पर गौर करें । यदि आप उपभोक्ताओं को सहायता देना ही चाहते हैं, उनकी सेवा प्रणाली में कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो आप गांवों में ब्लाक स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर बिल जमा करने की सेवा को उपलब्ध करा दें और इस सेवा को नियमानुसार करा दें कि वहां पर जो बिलिंग वाला अफसर है वह जावेगा वह सब चीजों को देखेगा ।

माननीय मंत्री जी आप शायद सोच भी नहीं सकते कि उपभोक्ता तीन-तीन घंटे लाईन लगा कर खड़ा रहता है बिल जमा करने के लिए और जब तक उसके बिल जमा करने की बारी आती है कह दिया जाता है, कि अब समय समाप्त हो गया, आप कल फिर आ जाना । गलत बिल के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक उपभोक्ता काउन्सिल बनाइये, वह यह देखें कि बिलों में कैसे गलती आती है और उनको सुधरवाने के लिए उपभोक्ताओं को किन-किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है । यदि आप इस प्रकार की उपभोक्ता काउन्सिल नहीं बनाते हैं, तो रेवेन्यू भी ठीक से नहीं आयेगा और तब तक आपकी उपभोक्ता सेवा भी कुछ नहीं कर पायेगी । पर उपभोक्ताओं की सेवा इसे नहीं कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में आज उपभोक्ता परेशान हैं । विद्युतीकरण को ही आप देख लें दूसरे प्रदेशों के बारे में माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि कम्पेयर न करें क्योंकि उनके गांव की संख्या कम है क्षेत्रफल कम है परन्तु मन्त्री जी उसी हिसाब से जन संख्या कम है प्राकृतिक संसाधन भी उनके कम हैं और इन सबके बाद इन प्रदेशों ने पूरा विद्युतीकरण कर लिया है अपने ग्रामों का भी हो जैसे केरल है

पंजाब है, हरियाणा है और तामिल नाडू इन प्रदेशों में तो शत-प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण कर लिया गया है और इसी प्रकार से कर्नाटक, महाराष्ट्र हिमांचल प्रदेश, गुजरात 95% व मध्य प्रदेश जिसे यह भी पिछड़ा कहते हैं में 75% तक विद्युतीकरण गांवों में हो चुका है और यहां पर भी अभी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि हमने 66% तक विद्युतीकरण कर लिया है माननीय अधिष्ठाता महोदय इनके विद्युतीकरण की बात हमें और यहां के सारे उपभोक्ताओं को मालम है कि अगर कहीं पर 11 के0 वी0 तो कहीं पर 33 के0 वी0 और कही पर यदि 400 के0 वी0 की लाईन पहुंच गई है तो इसे यह विद्युतीकरण करना कहते हैं। इस लाईन को लेकर लोग क्या करें क्या इससे चिपट कर मर जांय क्या उस विद्युत् को लोग गांव में इस्तेमाल कर सकते हैं. इतना मैं अवश्य कहूंगा कि एल0 टी0. मेन्स से जो विद्युतीकरण हुआ है लगभग 38 गांव हुए जिसमें 41 हजार कुछ की संख्या है और माननीय मन्त्री जी की आगे की घोषणा यह है कि 1995 तक समस्त विद्युतीकरण के कार्य को पूरा कर देंगे जबकि वास्तविकता क्या है श्रीमन इनके कार्यों की गति की हमारी बरेली में ही आप इसी वर्ष देख लें जहां 40 गांव का विद्युतीकरण हुआ है और इसी अनुपात में पिछले वर्ष लगभग 45 गांव में हुआ था और 1,100 गांवों का होना शेष है, अगर इसी गति से आपका कार्य होता रहा तो 30 वर्षों में भी यह कार्य पूरे हो जायें, मुश्किल है।

दूसरे मान्यवर, माननीय सिंचाई मन्त्री जी अक्सर यहां घोषणा करते हैं कि हम तो ट्यूबवेल चलाना चाहते हैं और यह कार्य करना चाहते हैं, परन्तु बिजली साथ नहीं दे रही है और माननीय सिंचाई मंत्री जी यह सदन में कहते हैं कि हमने सिंचाई के समस्त साधन मुहैया कर लिए हैं और प्रत्येक राजकीय नलकूप समय पर 2 1/2 सौ एकड़ किसानों को पानी देना चाहते हैं लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही है और विद्युत् मंत्री इसके विपरीत करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार पूरी बिजली दे रहे हैं। तो मैं माननीय मन्त्रीगण से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बातें आप लोग यहां ऐसे क्यों कहते हैं एक दूसरे की पोल खोलते हैं? बजाए यहां कहने के कक्ष में बैठकर आपस में सारी बातें तय कर लें आपस में बिजली का आदान प्रदान करलें, यह देख लें कि दायां हाथ कहां है और क्या-क्या करना है उसे और बांया हाथ कहां है और उसे क्या-क्या करना है, मामला निश्चित रूप से तय हो सकता है, लेकिन जब आप में ही आपस में इतना तोल-मेल नहीं है तो आप गांव के लोगों का और उपभोक्ताओं का क्या भला कर सकेंगे?

दूसरे मान्यवर, बिजली में हर समय कटौती और लो वोल्टेज से कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बहुत परेशान है, क्योंकि निजी नलकूपों की संख्या उधर ही अधिक है और वैसे भी बिजली की खपत हमारे यहां ही अधिक है परन्तु उत्पादन क्षेत्र ज्यादातर पूर्व में है, मैं किसी प्रकार से क्षेत्रीय मतभेद की बात को कहना नहीं चाहता, केवल इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिजली की आये दिन कटौती से और अधिकतर लो वोल्टेज से बहुत ही परेशान है, कभी 290 का वोल्टेज आ रहा है, तो कभी 330 का तो कभी 270 तीन बार तो इस वर्ष मेरे नलकूप की मोटर जल चुकी है। मेरे खुद के कई हजार रु0 खर्च हुए और यह चीज मैं बराबर देख रहा हूं कि यह जो मोटर वाइंडिंग बांधने वाले टेक्निशियन्स हैं, उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है, वह मंत्री जी को आशीष दे रहे हैं। लगता कि यह विभाग उन लोगों से मिला हुआ है। इसलिए मैं मान्यवर कहना चाहूंगा कि इस परेशानी के दूर होने का रास्ता केवल एक ही है वह यह कि टेहरी योजना आप शीघ्र ले लें तो इससे लो-वोल्टेज और बिजली में आये दिन कटौती से होने वाली परेशानी से लोग बच जायेंगे और इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्योग भी बहुत प्रभावित हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि उद्योग बंधु में काम अब एक ही टेबिल पर हो जाता है उसे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है इधर-उधर। मान्यवर अभी तक यहां पर ऐसा कहीं नहीं है कि एक ही टेबुल पर काम हो जाए हां इतना अवश्य है कि टेबुल के नीचे से काम कराने पर फौरन काम हो जाता है एक ही मिनट में। वह टेबुल के ऊपर से नहीं होता है। आखिरकार विद्युत् परिषद् या किसी निगम का आंकलन करने का पैमाना क्या हो सकता है ? म कहना चाहूंगा कि असली पैमाना यह है कि उसकी वित्तीय स्थिति क्या है ? जो वित्तीय स्थिति विद्युत् परिषद् की है उसके बारे में विधान सभा में राज चर्चा होती रहती है, इसलिए उसको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि लगभग दो हजार करोड़ रुपया का ब्याज बकाया है और जो ऋण थे उनकी स्थिति माननीय मंत्री जी जानते हैं, वह 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गये के पिछले वर्ष और इनके कैश की कमी हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले साल इस कैश की कमी 100 करोड़ रु0 एन0 टी0 पी0 सी0 का देना है। यह कह रहे हैं कि बड़ा महंगी बिजली बना रहे हैं, और 40 व 43 पैसा प्रति यूनिट बिजली खरीदते हैं यह एन0 टी0 पी0 सी0 से और यह उपभोक्ता को बिजली 75 और 80 पैसे प्रति यूनिट देते हैं मुनाफाखोरी कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपया बकाया एन0 टी0 पी0 सी0 का है, 50 करोड़ रुपया कोयले का बकाया है, 35 करोड़ रुपया रेलवे के किराये का बकाया है और परिषद् उनको अदा करने की स्थिति में नहीं है।

मान्यवर, यहां विधान सभा में न जाने कितनी बार कहा गया कि इसका परिषद् का पुनर्गठन किया जाये, बीसियों वर्ष से माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं। परन्तु कभी भी सरकार ने उनके पुनर्गठन की ओर ध्यान नहीं दिया। आपको श्रीनगर कम्पोजिट योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लेना है, विश्व बैंक ने यह शर्त रखी है कि जब तक आप परिषद् का पुनर्गठन नहीं करेंगे। वह ऋण देने के लिये तैयार नहीं हैं। उसने कन्डीशन रख दी है कि ऋण तब देंगे जब पुनर्गठन करेंगे। विदेशी बैंक ने इनके ऊपर एक शर्त रखी है उसको यह मान लेंगे परन्तु इस विधान सभा के सदस्यों का नहीं मानेंगे। मान्यवर, यही वित्तीय स्थिति इनकी है। जो ऋणों की स्थिति है वह यह है कि पिछले साल 4646 करोड़ थी और इस साल 5151 करोड़ हो गयी है। पुलिस का पैसा खा गये। आप जानते हैं श्रीमन् किसी पुलिस का पैसा खा जाए तो पुलिस वाले उसके साथ क्या करते हैं। जब मंत्री जी प्रतापगढ़ जायेंगे तो वहां का दरोगा इनके साथ क्या कर डालेगा इसका यदि पुलिस को खबर मिल जायेगी कि उसका पैसा ले लिया है, उसका यह ध्यान कर लें। 13 करोड़ रुपया पुलिस कल्याण निधि का ले लिया है, भाषा निधि का 10 करोड़ रुपया ले लिया है, 5 करोड़ रुपया श्रम निधि का ले लिया है, मजदूरों का ले रखा है, तो यह इनकी वित्तीय स्थिति है।

मान्यवर, अब आप देख लें कि यह कितना परिश्रम करते हैं। इन्होंने कानून बना लिया, विधान सभा से पास करवा लिया कि जो बिजली की चोरी करता हुआ पकड़ा जायेगा सजा दी जायेगी, इस प्रकार इससे उपभोक्ता का शोषण तो हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, कानून पास होने पर लाइन लास बढ़ गया है ? आप अपनी वास्तविक स्थिति को देखें, पिछले साल जो विद्युत् बकाया था। वह 26[illegible] करोड़ की थी और इस साल दिसम्बर तक 419 करोड़ रुपया हो गयी। एक वर्ष में बकाया डबुल हो गयी, जबकि आपके हाथ में कानून था और उससे उपभोक्ता का शोषण होता है। हुकुम सिंह जी कह रहे थे कि किसानों को छूट दे रहे हैं कि 6 महीने बाद पेनाल्टी के बिना भी पैसा जमा कर सकते हैं। आप बकायों की वृद्धि देखें उद्योगों पर पिछले साल 65 करोड़ थे और इस साल 102 करोड़ दिसम्बर तक बकाया है। बकाया दुगुना हो गया है और निजी नलकूपों का पिछला 60 करोड़ और 83 करोड़ रुपया इस साल का बकाया है। इसमें 30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है और जो सरकारी नलकूप थे उन पर बकाया पिछले

साल 14 करोड़ रुपये था और इस साल 48 करोड़ रुपया हो गया है, 350 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। अन्य श्रेणियों में 63 करोड़ से बढ़कर 93 करोड़ रुपया हो गया है और यह कह रहे हैं कि किसानों को राहत दे रहे हैं। उन पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि वे क्या कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

कृपया संक्षेप में कहें।

श्री जगदीश सिंह बरार—

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं। यह वास्तविकता है। इनके पैसे के आंकड़े यह बता रहे हैं कि क्या हो रहा है ? किसानों को छूट दे दी गई है और उनके ऊपर 15-15 दिन हवालात में बन्द करने और दूसरे कानूनों की बात करते हैं। इसका रिजल्ट यह बताता है कि आप असफल रहे हैं। मान्यवर, यह सफल रहे हैं तो केवल किसानों से बकाया वसूल करने में और उनका उत्पीड़न करने में। मैं अन्त में सिर्फ एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इनका एक डाकुमेन्ट है, जो इनका प्लान एक्सपेन्डिचर है, उसकी स्थिति में बताना चाहता हूं। मान्यवर, 1987-88 में इनके ही बजट के अनुसार योजनागत में उत्पादन प्रोजक्ट हेतु जो धन आवंटित किया गया था वह 3088 लाख था। मैं प्लान से आधार पर उत्पादन की बात बता रहा हूं जो यह कह रहे हैं कि उत्पादन कार्यक्रम तेजी से अधिक बढ़ा। तो मान्यवर, इस 3088 लाख के अगैंस्ट अपने ड्राट प्लान के आधार पर उसे 2288 लाख कर दिया। इस तरह से पहले ही 33 प्रतिशत काट दिया। यह आज प्रस्तावित है। जो यह वास्तव में करने जा रहे हैं वह 1065 लाख। अर्थात् जब आप योजनाओं की घोषणा करते हैं तो मुख्य मंत्री जी दिल्ली में सब अखबारों को बुलाकर प्रेस में कहते हैं कि हमने इतना बड़ा प्रस्ताव पास कर लिया लेकिन जब उनके वास्तविक क्रियान्वयन होने की बात आती है तो वह 1/3 होता है। आप 1/3 पैसा उपयोग करने की स्थिति में ही हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने धनराशि की मांग की है उसे घटाकर 1/3 कर लें तो मैं भी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

श्री अरविंद तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए अवसर दिया है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् देश के सार्वजनिक क्षेत्र की नम्बर दो की इकाई है। मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में यह कहा कि हमने किसानों को 10 घंटे बिजली मुहइया करायी। मेरी इस सदन के माध्यम से मांग है कि गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में इस बात का उल्लेख कर दिया जाय ताकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने यह जो सराहनीय काम किया है उसको सारा संसार जान सके। इसके साथ ही मान्यवर, मैं कुछ गम्भीर मसलों की तरफ भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1 अप्रैल, 1976 तक जब तक कि राज्य विद्युत् परिषद् का नियंत्रण प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में रहा तब तक इसका प्लांट लोड फैक्टर 48 प्रतिशत था। लेकिन जब यह नियंत्रण प्रशासनिक अधिकारियों से अभियन्ताओं के हाथ में आया तब से यह प्लांट लोड फैक्टर 48 प्रतिशत नहीं पाया।

इसका मतलब यह है कि कहीं हमारी कमी है, इसको देखना होगा। कमी है प्रबन्ध कौशल में, सवाल है लेबर अनरेस्ट की, सवाल है इंडस्ट्रियल रिलेशन्स का। सही कार्य के लिये सही व्यक्ति का चयन नहीं किया जाता। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना

चाहता हूं कि टांडा पावर स्टेशन में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की नियुक्ति केवल सेनीटेशन, संडास और नालियों की सफाई हेतु की गई है। तो सबसे पहले हमें इस व्यवस्था को देखना होगा ताकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में प्रबन्ध कौशल के जरिये बिजली की बढ़ोत्तरी हम कर सकें। यह बड़ी खुशी की बात है कि तमाम मुश्किलात और दिक्कतों के बावजूद 30 नवम्बर, 1987 को 42,832 मिलियन यूनिट विद्युत् का कीर्तिमान राज्य विद्युत् परिषद् ने किया है इसके लिये उसके अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, जहां एक ओर पब्लिक इण्टरप्राइजेज ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि प्रति 500 कर्मचारियों पर एक कार्मिक अधिकारी हो वहीं जहां पर 4500 कर्मचारियों पर सिर्फ एक कार्मिक अधिकारी है।

लेबर वेलफेयर आफिसर की बुरी हालत है उसमें जो वेतनमान है वह 250 से 500 रु0 का वेतनमान दिया जा रहा है जब कि पार्लियामेंट का कानून है कि इसका स्टेटस आफिसर इंचार्ज का हो। दूसरी ओर यूनियन के दबाव में जो कुली का वेतन है वह 930 रु0 से बेसिक है जो मैं समझता हूं कि इस पद में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं दिया जाता है।

मैं निहायत अदब के साथ कार्मिक विभाग के पुनर्गठन की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा सुझाव है कि जो बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट में दिया है कि एक उद्योग में एक ही यूनियन हो इस सिद्धांत को यू0 पी0 इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में भी समावेशित किया जाय और उसी के अनुसार काम हो। आज हालत यह है कि यू0 पी0 राज्य विद्युत् परिषद् में 65 श्रमिक संगठन हैं तो इसके रहते यहां कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब यहां हड़ताल या दबाव न पड़ता हो। मेरा सुझाव है कि इस दिशा में मनन और अध्ययन करें।

रेवेन्यू रियलाइजेशन के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने जोर दिया है। मैं पावर थेफ्ट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी बहुत सारे सुझाव दिये वह इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करने जा रहे हैं लेकिन 1983-84 में पावर थेफ्ट का राष्ट्रीय औसत 20·86 प्रतिशत था वहां यह 73·76 प्रतिशत था। लाइन लौसेज 1983-84 में 55 प्रतिशत थे जिनको हमने घटाकर एक बेमिशाल कामयाबी हासिल की है वह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में आज 22 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सीमित साधनों, तमाम दिक्कतों के बावजूद काफी कारगर दिशा में प्रयास कर रहा है हमारे यहां अभियंता तंत्र में अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुये अफसोस है कि उनके ही दबाव के कारण शहजाद बहादुर को सरकार चेयरमैन नियुक्त नहीं कर सकी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का जो शक्ति भवन है जहां से नीतियों का निर्धारण होता है वहीं से शासन को प्रस्ताव आते हैं। वहां पर एक साजिश हुई कि प्रदेश के किसानों की और इस लोकप्रिय सरकार को लड़ाया जाय। जो पहले ट्यूबवेल के लिये बिजली का रेट 22·50 पैसे प्रति हार्स पावर प्रतिमाह था उसे बढ़ाकर 30 रु0 कर दिया गया। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जो किसानों की हमदर्दी रखते हैं, उनकी बेहतरी का हमेशा प्रयास किया है उसमें सरकारी नीति के अनुसार उस सारे प्रपोजल्स को टर्न डाउन कर 22·50 पैसा प्रति हार्स पावर प्रतिमाह ही रहने दिया।

हमारे माननीय मंत्री जी इस विभाग में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं हमें खुशी हुई कि इन तमाम संकटों के बावजूद अपने सीमित

साधनों को सामने रखते हुये इसे बेहतर बनाने का प्रयास किया है । मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक संदेश के रूप में शेर अर्ज करना चाहता हूं :

"फिर वक्त मिला तो सुलझा देंगे तेरी जुल्फों को,
अभी तो उलझे हैं वक्त को ही सुलझाने में ।"

इन शब्दों के साथ बरार जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि उन लोगों की एक आदत सी बन गयी है प्रधान मंत्री की हर बात को न करने की लेकिन इस मुल्क का इतिहास गवाह है कि उनके कुशल निदेशन एवं आदेशों से केन्द्र के वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो ग्रामीण एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिये कुटीर ज्योति का बजट प्रस्तुत किया है वह इस बात का द्योतक है कि केन्द्र की सरकार हो या यहां की सरकार हो हम ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत, सुविधा और रोशनी देने के लिये कृत संकल्प हैं । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, विद्युत् परिषद् में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत करते समय यह घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन और उसकी आवश्यकता को देखते हुए 20 और 35 प्रतिशत कम बिजली का कर पा रहे हैं । आवश्यकता अधिक है और उत्पादन कम है जिसको मंत्री जी ने स्वीकार किया है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि हम जब बिजली को लाइन पर ले जाते हैं तो कहा कि 22 प्रतिशत लास आता है यह भी कहा कि उसमें ज्यादातर चोरी के मामले हैं ।

इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि क्या विद्युत् परिषद् बतायेगी कि जितने प्रदेश में ट्रान्समीशन के सब-स्टेशंस हैं, इनमें आवक और जावक, इनकमिंग और आउट गोइंग, मीटर जो ट्रान्समीशन सब-स्टेशंस पर हैं कितने वह सही हैं ? यदि सही हैं तो किसी एक फिरोजाबाद और आगरे के सब-स्टेशन का मीटर चेक करा लें तो मालूम हो जायेगा कि कितना बिजली का उत्पादन है और वहां वितरण बिजली का कितना होता है ?

मान्यवर, उदाहरण देना चाहता हूं फिरोजाबाद और आगरा में जो ट्रान्समीशन के सब-स्टेशन हैं वहां बिजली की आवक और जावक दोनों को जोड़ लें तो पता चल जायेगा कि बिजली ज्यादा दी गयी लेकिन उत्पादन केन्द्र से बिजली मिली कम है और फिरोजाबाद में बिजली कम मिली है और वितरण ज्यादा कर दिखा दिया है । यह स्थिति ट्रान्समिशन सब-स्टेशंस की है । आपके मीटर यहां के खराब हैं, उत्पादन गृह के मीटर खराब हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? चूंकि इसमें बहुत बड़ा घपला है ।

मान्यवर, बिजली की चोरी कितने प्रतिशत हो रही है, इस संबंध में फिरोजाबाद का उदाहरण देना चाहता हूं । आप वहां रेवेन्यू की वसूली और वितरण का आंकड़ा देखें तो मालूम होगा कि वसूली रेवेन्यू में 47 प्रतिशत और चोरी 54 प्रतिशत है बिजली की । तो इसके क्या कारण हैं ? मान्यवर, यह मंत्री जी जब आगरा गये थे तो आपके सामने वहां और आज यहां कह रहा हूं कि विद्युत् चोरी का एक्ट विधान सभा से पास हुआ लेकिन सारे प्रदेश के इंजीनियर काश्तकारों को ट्रान्सफार्मर और तार एवं खंभे दे दिये, बिजली चल रही है लेकिन एग्रीमेंट और फार्म गायब हैं यह एक

अनियमितता हुई है। हमने इनसे कहा कि आगरा में अधिकतर इंजीनियर मिलकर यह काम कर रहे हैं, तो क्या आप इनकी जांच करायेंगे ?

यदि जांच करायेंगे और दोषी अधिशासी अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं के खिलाफ दण्ड दंडित करने की कार्यवाही करेंगे ? आगरा में जब फर्जी कनेक्शन पकड़ गये तो विभाग की तरफ से मांग हो रही है कि उनको रिगलराइज कर दिया जाये। इसलिये आप थोड़ी हिम्मत करके दिखायें तो जिन अभियंताओं ने गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही आप करेंगे तो आपका वह मंत्रिपरिषद् छीन लेंगे।

इसलिये निवेदन है कि इस ओर आपको बड़े कदम उठाने चाहिये। बिजली के मामले में आपने बहुत से आंकड़े देकर बजट को प्रस्तुत कर दिया लेकिन आपका आदेश है नवम्बर का कि बिजली की कटौती कर रहे हैं और आपने किसानों के निजी नलकूपों को आपने बिजली देना बंद कर दिया और फार्म लेना बंद कर दिया: मैं निवेदन करूंगा कि इस सूखे की स्थिति में किसानों को बिजली चाहिए, फार्म लेना बंद कर दिया, उद्योगों को देना बंद कर दिया तो हमारे सामने विकट स्थिति पैदा हो गई है। हम फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आपने जबसे यानी नम्बर से यह आदेश दिया है, उसको वापस ले लेते और किसानों को बिजली देने का काम करते, तो जो आज बिना एग्रीमेंट आदि के दिये गये हैं वह बात न होने पाती। एग्रीमेंट होने के बाद उसे ट्रांसफार्मर और खम्भे आदि अपने पैसे से ले जाना पड़ता है, तो यही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। इनके जो सेन्टर्स हैं, जहां केन्द्र से यह माल देते हैं, केबुल्स तार, ट्रांसफार्मर खम्भे आदि, उनमें बिना परसेंटेज दिये सामान उठाता नहीं है। वहां इंजीनियर्स से भी 10-15 परसेंट पैसा घूस में ले लिया जाता है, फिर वही इंजीनियर 25 परसेंट किसान से लेगा और फिर उससे कहेगा कि तुम अपने भाड़े पर इसे ले जाओ। उसको यह व्यवहारिक परेशानी है हमारी और किसान की और यह कहते हैं कि राजीव गांधी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर लिये जा रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां माल उठाने और ले जाने की कठिनाई है, आपके जो सब-डिवीजन बने हुए हैं, वहीं पर आप इसे उपलब्ध करा दें और जो आपके जे० ई० के घर में रखने की सामान के बात होती है, तो उसे सीधे किसान को देने की बात हो। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी हिम्मत के साथ स्वीकारें कि हमारे देश में केवल किसान है, जो मिनिमम चार्जेज देता है। उस समय भी देता है जब बिजली का कोई उपयोग नहीं होता है। वह मिनिमम चार्जेज वर्षाकाल के तीन महीने तक देता है। यदि आपको किसान के प्रति हमदर्दी है तो उसको आप खत्म करें। बिना बिजली दिये किसान से वर्षा काल का मिनिमम चार्ज लेना उसके साथ अन्याय है।

मंत्रियों और अधिकारियों के कक्ष में एअर कंडिस्नर्स लगे हुए हैं, उसमें जितनी ज्यादा बिजली का खपत होती है, उससे एक एअर कंडिस्नर्स पांच नलकूप चल सकते हैं और यदि यह सरकार किसानों को वास्तव में बिजली देना चाहती है तो जो एअरकंडिशनर्स लगे हुए हैं, वह उन्हें खत्म करा दें और सारी बिजली सीधे किसानों के खेतों तक भेजें। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि मेरे यहां गहसैना में एक बिजली का सब-स्टेशन बनना था यह 1978 में पास हुआ है, लेकिन वह आज तक नहीं बना है। मेरा अनुरोध है कि आप उसके कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराइये। जहां तक बिजली वितरण का सवाल है जो आपकी पुरानी लाइनें हैं उनका बदलवाना आवश्यक है। आप बिजली वितरण के आंकड़े देख लें आवक-जावक के आंकड़े देख लें और जहां गड़बड़ी है, वहां पर इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही करें। इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

यह बजट कांग्रेस के पंडित ने रखा है, और उसके बाद और दोनों तरफ से पंडित ही बोल रहे हैं और लोगों को भी आप बुलवाइये ।

(समय 20 बज कर 3 मिनट)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करते हुये कहना चाहता हूं कि :

जुल्फ हसीनों ने कई बार सम्भाली है ।
इनकी फितरत है बिखरना, यह बिखर जाती है ।।

विरोधी पक्ष को कितना सम्भाला एक आदत, एक ही नजरिया, भ्रष्टाचार की केवल इनकी पुरानी खराबी हर जगह विभाग में दिखाई देती है । श्रीमन्, इसका आप प्रमाण देखे बरार साहब को, उनके लिए कल तक यह सरकार बहुत अच्छी थी, विद्युत् विभाग बहुत अच्छा था, किन्तु जब आज वह विरोध पक्ष में बैठ गये, तो यह इतना खराब हो गयी कि जितना पहले कभी खराब नहीं थी ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं, अगर किसी आदमी को कहीं पर कोई बेइमानी पता चल जाय तो उसे उससे आंखें मून्द लेनी चाहिए या उसे प्रकाश में ला देना चाहिए ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, इस समय विद्युत् परिषद् की स्थिति बहुत अच्छी है । अभी इन्होंने वित्तीय स्थिति के बारे में बताया विद्युत् परिषद् के पास करीब दो हजार करोड़ रुपये का घाटा चल रहा है । इस सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि विद्युत् परिषद् ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में दूर-दराज के गांवों में भी बिजली पहुंचा रहा है । विद्युत् परिषद् को मार्च, 1987 तक क्षतिपूर्ति करनी थी, जो 1,522 करोड़ रुपये की थी, वह क्षतिपूर्ति भी अब तक एडजेस्ट नहीं हो सकी है अगर यह क्षतिपूर्ति एडजेस्ट की गई होती तो करीब 16 अरब रुपया इसमें एडजेस्ट हो जाता । अभी सूखे के नाम पर तीन अरब रुपये का घाटा हुआ है, जो सहकारी किसानों को बिजली देने से हुआ है । उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए यह संस्था बनी है और जिसमें यह कामयाब भी हुई है । सूखे के समय में प्रतिदिन बिजली देकर उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् ने एक इतिहास कायम किया है । जबकि हरियाणा में दो दिन में करीब 6 घण्टे बिजली दी जा रही है । जब हरियाणा में हमारी सरकार थी तब के आंकड़े आप उठा कर देख लें वहां पर कितनी बिजली की सप्लाई की जाती थी और जब से आपकी सरकार आई है हरियाणा में, तबसे दो दिन में 6 घन्टे बिजली मिल रही है :

"बातें करना आसां है, पर देश चलाना मुश्किल है ।
कांग्रेस ने जो कर दिखलाया, वह कर दिखलाना मुश्किल है ।।।"

मान्यवर, हमने बिजली के उत्पादन को बढ़ाया है, जहां 32 प्रतिशत के करीब उत्पादन था वहां अब 47 प्रतिशत उत्पादन हो गया है । इसकी प्रशंसा आप क्यों नहीं करते हैं ? ओबरा "बी" के बारे में कहना चाहूंगा अभी हाल ही में मैं पिछले महीने वहां गया था । उस समय 63 परसेन्ट पावर जेनेरेशन था इस समय 75 परसेन्ट पावर जनरेशन

हो गया है यह मैं ओबरा-बी सेक्शन की बात बता रहा हूं। यह अपने आप में बहुत बड़ा रिकार्ड है तो आप इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते हैं ?

(व्यवधान)

ओबरा के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा। ओबरा में जहां 69 सौ कर्मचारी काम करते थे आज वहां से हमने चार सौ कर्मचारियों को दूसरी जगह भेज दिया है, इस प्रकार से हमने कर्मचारियों की तनख्वाह में कमी की है, कोयले के खर्चे में कमी की है तेल के खर्चे में कमी की है, उसी तरह से हमने विद्युत उत्पादन बढ़ाकर एक रिकार्ड कायम किया है। दूसरी तरफ जितने बड़े-बड़े शहरों में बिजली प्राइवेट कम्पनियों से मिलती थी तो उनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। वह खराब हालत में थीं। उनके खम्भे, तारों की हालत खराब थी वह इस काबिल नहीं थे वह बिजली का लोट रोक सकें। लेकिन इस सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है और उनके सुधार के लिए जितने उचित कदम थे उठा लिये हैं। आज पहले से 2गुने 3गुने बिजली की सप्लाई हमने कर दी है। इम्तहान तो वक्त पर होगा, सूखे में हम पास हैं जिसकी प्रशंसा बरार साहब नहीं करते हैं। कर्मचारियों ने 20 दिन की हड़ताल की। 80 प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल पर चले गये लेकिन मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि हड़ताल के समय में कहीं पर बिजली की सप्लाई में कटौती हुई। बल्कि लोगों ने तो यह कहा कि यह हड़ताल बेहतर है। हमारे 20 परसेन्ट कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने बिजली की सप्लाई को बनाये रखा, जिसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं लेकिन बरार साहब ने प्रशंसनीय कार्य के लिये उनको धन्यवाद नहीं दिया। यह साधारण काम परिषद् के लोगों ने नहीं किया है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन लोगों को आपत्ति है कि राजीव गांधी को धन्यवाद दिया जाता है।

आपको मालूम है कि थर्मल पावर से जो बिजली पैदा होती है वह 82 पैसे 86 पैसे प्रति यूनिट तैयार होती है। वह महंगी पड़ती है। आज राजीव गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के लिये हाइडिल की इतनी बड़ी परियोजना स्वीकृत की है और 25 अरब रुपये हमें दे रहे हैं। इस सदन को चाहिये था कि वह उनको धन्यवाद देता। बरार साहब को खुले दिल से धन्यवाद देना चाहिए था, विरोध पक्ष के लोगों को कम से कम अच्छी चीजों में खुलकर राजीव गांधी की प्रशंसा करनी चाहिये। मान्यवर, इससे पहले इनकी पार्टी की सरकार थी और प्रधान मन्त्री थे तो उस समय यह परियोजना ये लोग क्यों नहीं ले आये। आज हमारी सरकार ने जब यह बड़ा काम कर दिखाया है तो उसकी प्रशंसा करने में इनको शर्म क्यों है ? मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद पहुचाना चाहता हूं।

*श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, गालिबन यह तीसरा बजट है सन् 1985 के बाद, और हर बजट में जब बिजली का बजट होता है तो मैं बोलता हूं। लेकिन जो समस्या उस वक्त थी वही अब है। मैं उस वक्त तक बोलता रहूंगा जब तक यह समस्या रहेगी। आजमगढ़ के पास हाफिजपुर और बलरामपुर है। 400-220 का भंडार वहां पर बिजली का रहता है। आजमगढ़ शहर में अगर बिजली कट जाती है तो उससे कनेक्ट नहीं किया जाता है लेकिन अगर सुल्तानपुर की बिजली कट जाती है तो उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। यह नाइंसाफी की बात है। 3 दिसम्बर को सारे आजमगढ़ के विधायकों ने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस शिकायत को दूर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जायेगा लेकिन अभी तक दूर नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि विभाग में चोरी बहुत होती है। सन् 1985 में जब हम लोग जीत कर आये थे तो देखा गया कि आजमगढ़ की शहर की कोतवाली के अन्दर भी बिजली की चोरी हो रही थी अंकुसी से फंसाकर बिजली की चोरी हो रही थी।

हम लोगों की सलाहकार समिति की बैठक हुई, तो यह देखा गया कि बिजली प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, अगर चोरी रोकी न गयी, तो जरूरतमंद लोगों को जरूरत के वक्त, समय से बिजली नहीं मिल पायेगी। उन्होंने सलाहकार समिति में यह आश्वासन दिया कि हम यह कोशिश करेंगे कि चोरी को हम सभी लोग मिलकर रोकेंगे, लेकिन अगर कोई बिजली के कनेक्शन की दरख्वास्त देगा, तो उस पर समय से बगैर रिश्वत के उसे कनेक्शन मिल जायगा। आज हम 88 में बोल रहे हैं, 1985 में सारी फारमल्टीज पूरी हो गयीं और मेरे गांव में बिजली नहीं लगा सके। मान्यवर, सारी बिजली की चोरी जो होती है, इनके विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से होती है। सलाहकार समिति की मीटिंग में विभाग ने यह कहा कि हम अगर कोई ट्रांसफर करते हैं, तो उसको आप लोग दबाव डाल कर नहीं रोकेंगे।

इस पर सब लोगों ने सर्वसम्मति से कहा कि बिलकुल कोई रुकावट नहीं डाली जायगी। ब्लाक मुहम्मदपुर सब-स्टेशन बन्दा बाजार जहां का जे0 ई0 सबसे ज्यादा गड़बड़ी कर रहा था, उसका स्थानान्तरण हुआ, परन्तु चीफ इंजीनियर जो गोरखपुर में रहता है, उससे मिलकर उसको कितना रुपया दिया, इसको पब्लिक जानती है, उस गोरखपुर के चीफ इंजीनियर ने ट्रांसफर रोक दिया। 8 दिसम्बर, 1987 को चीफ मिनिस्टर की मंडलीय मीटिंग में मैंने यह प्रश्न उठाया, जिस पर फिर स्थानान्तरण कर दिया गया, फिर वह चीफ मिनिस्टर के यहां आया, तब चीफ मिनिस्टर ने अपने आर्डर से उसका स्थानान्तरण रोक दिया। अब जिले के अधिकारियों से कोई गड़बड़ी की बात करे, तो वह फौरन जवाब देते हैं कि जब जे0 ई0 आदि के ट्रान्सफर में डाइरेक्ट चीफ मिनिस्टर हस्तक्षेप करेंगे, तो हम लोग विभागीय डिसिप्लिन नहीं रख सकते और गड़बड़ी नहीं रोक सकते।

इन सब चीजों को मैं बड़ी हिम्मत करके कह रहा हूं कि विभाग में जो बिजली की चोरी होती है, यह कर्मचारियों और बड़े अधिकारियों की साठ-गांठ से होती है, क्योंकि 3 साल से बराबर मैं इस समस्या के बारे में सदन में कह रहा हूं, मगर इस पर कोई हल नहीं निकला। मान्यवर, दिल के फफोले जल गये सीने के आग से, इस घर में आग लग गयी, घर के चिराग से। मान्यवर, मंत्री जी व सरकार अपने आस्तीन के सांप निकाल दें और विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनकी वजह से बिजली बोर्ड की सारी व्यवस्था गड़बड़ है, को दुरुस्त कर दें, तो बिजली जरूरत के अनुसार सबको मिलने लगे।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। अभी माननीय सदस्य बरार साहब कटौती का प्रस्ताव रखते हुए इस पुस्तिका को भी अपनी चर्चा में सम्मिलित कर रहे थे और यह बता रहे थे कि उनकी इस पुस्तिका की चमक से ईर्ष्या है, माननीय मंत्री जी के व्यक्तिगत से उनकी ईर्ष्या है, कांग्रेस सरकार की चमक से उनको ईर्ष्या है, राजीव गांधी जी की चमक से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको ईर्ष्या है और यह ईर्ष्या इसलिए है, क्योंकि जब से श्री बरार साहब ने दल बदला है, तब से इनके चेहरे की चमक धूमिल हो गयी है ।

श्री जयवीर सिंह बरार—

मान्यवर, यह जो आरोप लगाया गया है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय, मैंने दल नहीं बदला है । इसे मान्यवर, कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बरार जी आप बैठिये, आपको बोलने का मौका मिलेगा तब जवाब दे दीजियेगा ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, इन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, बहुत विद्वान सदस्य हैं माननीय बरार साहब, उन्होंने हमारे दल की ओर से कई बार बड़े महत्वपूर्ण सुझाव इस माननीय सदन में रखे, लेकिन आज वह कटौती का प्रस्ताव इस माननीय सदन के अन्दर रख रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके अन्दर से वही ईर्ष्या की भावना परिलक्षित हो रही है और साथ ही साथ कटौती के प्रस्ताव में उन्होंने किसी प्रकार का सुझाव नहीं दिया और किसी भी प्रकार के ऐसे सुझाव नहीं दिये, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की उन्नति और विकास सम्भव हो सके । मान्यवर, इन्होंने आधारहीन कटौती का प्रस्ताव रखा है । मान्यवर, माननीय विद्युत् राज्य मंत्री श्री प्रमोद तिवारी जी ने विशेष प्रयास करके सूखे की स्थिति में जिस तरीके से कुशल ढंग से हड़ताल के समय में विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित कराया, उससे प्रदेश का 70 प्रतिशत अनाज का उत्पादन सम्भव हो सका । इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं । तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने विद्युत् मंत्री को कि उन्होंने स्वयं प्रयास करके अपने अधिकारियों को आगे बढ़ाते हुए उनका सही ढंग से प्रयोग में लाते हुए, जब विरोध पक्ष टिकैत को उकसाने में लगा हुआ था, जब विरोध पक्ष तरह-तरह की राजनीति में अपना षड़यन्त्र रच रहा था, मान्यवर, जब विद्युत् परिषद् के अन्दर हड़ताल कराने में वहां के कर्मचारियों को विरोध पक्ष उकसा रहा था तो माननीय विद्युत् राज्य मंत्री ने बड़े कुशल ढंग से ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के किसानों को सूखे के समय में विद्युत् मुहैया करायी है इसके लिए मैं हृदय से माननीय राज्य विद्युत् मंत्री जी का स्वागत करता हूं ।

मान्यवर, मैं इसके लिए भी मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले समय तक कुल विद्युत् का 1/3 से कम किसानों को दिया जा रहा था लेकिन ऐसे वक्त में 1/3 से ज्यादा किसानों को विद्युत् उपलब्ध करायी गयी है, बड़े-बड़े उद्योगों से काटकर उनको विद्युत् उपलब्ध करायी गयी है जिसके कारण यह 70 प्रतिशत का उत्पादन सम्भव हो सका है । जब कि ऐसे सूखे की स्थिति में शतप्रतिशत नुकशान होना चाहिए था लेकिन फिर भी 70 प्रतिशत सम्भव हो सका है इसके लिए मैं विद्युत् विभाग को बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तापीय विद्युत् की बात कही है मान्यवर, निश्चित तौर पर हमारे रहनुमा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तापीय विद्युत् गृह की आधार शिला रखी थी, एक दिशा दी थी, मैं उनके प्रति नतमस्तक होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूं कि तापीय विद्युत् के माध्यम से हम सूखे जैसी चुनौती का सामना कर सकते हैं । तापीय विद्युत् का उत्पादन 32.7 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत पहुंच गया है ।

मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब गांव से आते हैं। गांवों में जो लक्ष्य था, वह पूरा नहीं हो पा रहा है जिससे गांवों को नुकशान हो रहा है और गावों के विकास में रुकावट आयी है। ग्रामीण विद्युतीकरण का जो वर्ष 1986-87 का लक्ष्य था वह पूरा नहीं किया गया है। अतः इसे समय रहते पूरा कराया जाय। मान्यवर, एक आग्रह करना चाहता हूं कि गांव का विद्युतीकरण तो कर दिया जाता है लेकिन हरिजन आबादी गांव के किनारे केवल एक ही मजरे में नहीं रहती है। गांव के किनारे रहते हुये कई-कई मजरों के रूप में हरिजन आबादी बसी हुई है। लेकिन विद्युतीकरण एक मजरे में कर दिया जाता है और बाकी छोड़ दिये जाते हैं जिससे हरिजनों का विकास सम्भव नहीं है। मेरा सुझाव है कि सभी हरिजन आबादी के मजरों को एक साथ विद्युतीकरण कर दिया जाय।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह जो रोस्टर प्लान विद्युत का बना हुआ है, उसकी सूचना किसानों को नहीं दी जाती है जिससे किसानों को बहुत परेशानी होती है। रोस्टर बनाते समय किस क्षेत्र में कब बिजली दी जाय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे हमारे क्षेत्र में आलू का उत्पादन होता है और रात में वहां बिजली दी जाती है। आलू का गूले तो रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देती हैं अतः उस समय पानी लगाना सम्भव नहीं है। अतः आलू उत्पादन के क्षेत्रों में दिन में बिजली उपलब्ध करायी जाय। इसके साथ ही यह भी निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में मन्धना है उसे केसा से जोड़ा जा सकता है। अतः मन्धना को भी शीघ्र से शीघ्र केसा से जुड़वाने की कृपा करें। इसी के साथ-साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जवाहर सिंह यादव--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, 17 दिसम्बर को मुख्य मंत्री हमारे यहां इलाहाबाद गये थे उस समय मीटिंग में अपने क्षेत्र के 40 गांवों का नाम लिखकर मैंने दिया था और बताया था कि इन गांवों में सन् 1981-82, 83, 84, 1985 तक की बिजली को लगाया कागज में दिखाया गया है। लेकिन चालीस गांवों में एक गांव में भी न खम्भा है, न तार है, न बिजली है। इस पर कहा गया कि इन्क्वायरी चल रही है। तो बिजली विभाग के जे0 ई0, ए0 ई0, एस0 ई0 और जो बड़े अधिकारी हैं, यही इन्क्वायरी कर रहे हैं और चार साल से जांच अधर में पड़ी है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि कृपया इस विभाग से इन्क्वायरी हटाकर यहां के कलेक्टर या जिले के दूसरे किसी अधिकारी से या किसी आई0 ए0 एस0 या पी0 सी0 एस0 अधिकारी से करा दें क्योंकि उनकी सांठ-गांठ इनसे नहीं है। बिजली विभाग में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला है। अगर ऊपर से भ्रष्टाचार बन्द नहीं होता तो नीचे का भ्रष्टाचार रोका ही नहीं जा सकता। यह लोग यह समझते हैं कि जे0 ई0 और छोटे कर्मचारियों से भ्रष्टाचार खत्म करा दें तो जब ऊपर भ्रष्टाचार होगा, तो भ्रष्टाचार जारी रहेगा। यह असम्भव है कि इस तरह से भ्रष्टाचार रुक जाय। मुझे बताया गया कि कुछ अफसर सस्पेन्ड हुए, लेकिन यह जानकर ताज्जुब है कि नाम मात्र के जे0 ई0, ए0 ई0 सस्पेन्ड किये गये। 40-40 गांवों की बिजली जला दी गयी, लेकिन वहां खम्भा नहीं, तार नहीं, तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन छोटे कर्मचारियों से सम्भव नहीं है। जब तक इसमें उच्च अधिकारियों को सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक गांव पर विद्युतीकरण का खर्च होता है 3 लाख तो जहां 40-40 गांवों की बिजली की बात है तो इसमें कितना बड़ा घपला होगा।

यह मामूली बात नहीं है । जरा आम जनता की बातों की जानकारी करने की कोशिश करें । शासन के प्रति आम आदमी में जब यह भावना जाग जायगी कि शासन वाले इसी तरह से लूट खा रहे हैं । जब गांव में पता लगा कि यहां तो 4-5 साल से बिजली कागज में लगी है, लेकिन गांव में एक खम्भा भी नहीं है तो सरकार के प्रति क्या भावना होगी । मैं चाहता हूं कि इस प्रकरण को माननीय मंत्री जी गम्भीरता से लें और मैं तो कहता हूं कि जांच तो चलती रहे, लेकिन एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं हो रही है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 करके उनको जेल भेज देना चाहिए तभी छोटे बड़े अधिकारी समझेंगे । आपके यहां सूखे के समय पम्प सेट लगाने के लिए बिजली बन्द कर दी गयी । मेरे क्षेत्र के सिसवां, मदारी गांव के दर्जनों लोगों ने एप्लाई किया कि हमको डीजल पम्प की छूट दे दी जाय, हम बिजली नहीं चाहते ।

इस पर भी बिजली वालों ने बाध्य किया और अनुमति नहीं दिया । फले ही विभाग से सम्बन्धित बात न हो, इस पर ध्यान दें । जो डीजल के पम्प सेट लगाना चाहते हैं, उसको बिजली के लिए क्यों मजबूर करते हैं ? आपके विभाग में फार्म भरने से लेकर बिजली के कनेक्शन देने तक इतना भ्रष्टाचार है, कम से कम लाइन मैन, जे0 ई0, ए0 ई0 कोई भी काम बिना घूस के नहीं करते हैं । जो लोग घूस दे देते हैं, उनका कनेक्शन 15 दिन में लग जाता है, जो काश्तकार घूस देने में असमर्थ हैं, उनका कनेक्शन 4-5 महीने में भी नहीं लगता । ऐसे काश्तकारों को भी सुविधा दीजिये, बिना घूस के । जिन लोगों ने 4-5 महीने पहले नाम रजिस्टर कराया कि कनेक्शन काट दिया जाय, उन पर अभी भी बिल आ रहे हैं। मेरे इलाहाबाद में लोगों ने सूचना दी है कि 22-23 काश्तकारों ने कनेक्शन कटा लिया फिर उनका बिजली का बिल क्यों आता है इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आप मुझे बोलने का अवसर दिया । मा0 विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और मा0 सदस्य श्री बरार के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, अभी बहुत से मा0 सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं । यह सही है कि प्रदेश जब सूखे से जूझ रहा था, उस समय मा0 मंत्री जी ने जो 10 घंटे बिजली मुहैय्या कराई, वह बड़ा सराहनीय एवं अतुलनीय कार्य रहा है ।

(इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इसी के साथ ही साथ में यह कहना चाहूंगा कि 10 घन्टे की बिजली के अलावा मैंने माननीय मंत्री से निवेदन किया था कि हर रविवार को सभी सम्मानित सदस्य दूरदर्शन पर "रामायण" देखते हैं उस समय बिजली अवश्य मुहैय्या करायी जाय । मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के तीनों ब्लाकों में रामायण देखने के लिए बिजली आती है मैं प्रदेश सरकार का इसके लिये आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, जब मेरे जिले में सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक हो रही थी तो उस समय सिंचाई विभाग के अभियंताओं ने कहा था कि बिजली नहीं आती है, हम लोगों की मांग पर 10 घंटे बिजली आई, उसी के साथ-साथ बहुत से ऐसे नलकूप थे जो ऊर्जीकृत नहीं थे, माननीय मंत्री जी के प्रयासों से इन नलकूपों का ऊर्जीकरण हुआ । हमारे जिले में सुचारु रूप से नलकूप चले हैं । मान्यवर, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं जो एक सराहनीय कार्य मंत्री जी ने किया है जिसके लिए मैं

उन्हें बधाई देना चाहता हूं वह यह कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बहुत से जे0 ई0 की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, पद रिक्त चले आ रहे थे, माननीय मंत्री जी के प्रयासों से डेढ़ सौ अनुसूचित जाति के इंजीनियरों की नियुक्ति हुई है। विद्युत् क्षमता बढ़ाने के लिए चाहे ऊंचाहार तापीय परियोजना हो और चाहे टिहरी परियोजनायें हों, के शामिल होने से अगले वर्ष में निश्चित रूप से हमारी विद्युत् क्षमता बढ़ेगी। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के विकास खण्ड मूरतगंज, नेवादा और चायल की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में वोल्टेज की कुछ कमी है। मैं चाहूंगा कि मूरतगंज से मनौरी के बीच में एक विद्युत् सब-स्टेशन बनाया जाय और नेवादा-चायल के बीच चरवा में एक विद्युत् सब-स्टेशन बनाया जाय। मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि विद्युत् सामानों की आपूर्ति में वहां बहुत कमी हो गई है जिस कारण विद्युतीकरण के कार्य में बड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ है, मैं चाहूंगा कि वहां अपेक्षित सामान उपलब्ध करा दें ताकि इस वित्तीय वर्ष में जिन गांवों में विद्युतीकरण होना है वह हो जाय। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चायल के बहुत सी हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जो अभी तक हरिजन बस्तियां विद्युतीकरण हेतु छूटी हुई हैं पिछली योजना को उनको प्राथमिकता देकर विद्युतीकरण कराया जाय। मान्यवर, मंत्री जी ने बिजली की चोरी रोकने के सम्बन्ध में हम सब माननीय सदस्यों का सहयोग मांगा है, इस दिशा में यह कहना जरूरी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां के कृषक भाइयों और लोगों ने जो विद्युत् कनेक्शन लेने के लिए कोशिश की है, जो इसके लिए इच्छुक हैं उसको प्राथमिकता देकर कोई सस्ता रास्ता अपनायें ताकि उनको शीघ्र विद्युत् कनेक्शन मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ विद्युत् मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं भाई बरार जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, चाहे पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों या स्वयं माननीय मंत्री भी जानते हैं कि जो बिजली विभाग है, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। मान्यवर, उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद के जो अध्यक्ष हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी जानते हैं माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि वे पिछले कई माह से बीमार चल रहे हैं, इस वजह से जो हमारे विद्युत् बोर्ड के कार्य हैं, वह बिल्कुल ठप्प पड़े हुए हैं, इंजीनियर्स मनमानी कर रहे हैं।

आपने सूखे में बहुत ढिंढोरा पीटा कि सूखे में हम पर्याप्त बिजली दे रहे हैं लेकिन स्थिति भिन्न रही। सूखे में आपने कुछ कनेक्शन मंजूर किए, किसानों ने काफी पैसा इस्टीमेट का जमा भी कर दिया, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं दिए गए। गांव में आप देखें कि इस विभाग की स्थिति क्या है, ट्रांसफारमर जब फूंक जाता है तो हम लोग चिट्ठी उसकी बाबत लिखते हैं एस0 ई0 चीफ को लिखते हैं, लेकिन जब तक गांव का किसान वहां एक हजार रुपया, दो हजार रुपया घूस नहीं दे आता तब तक ट्रांस-फारमर उठ नहीं पाता है। आप कहते हैं कि गांवों में हम 10 घंटे बिजली दे रहे हैं, गांव में लगातार 4 घंटे भी बिजली नहीं जाती है। शहर में आपको 24 घंटे बिजली रहती है, लेकिन किसान का बेटा, मजदूर का बेटा यदि रात में पढ़ना भी चाहे तो उसे बिजली नहीं मिल पाती है, रात में कोई फेज नहीं दी जाती है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कान्हउ सब-स्टेशन है, वहां पर कभी भी रात को स्कूल के बच्चों के लिए बिजली

महुंया नहीं कराई जाती है, जबकि आजकल बच्चों के इम्तहान चल रहे हैं । वहां पर शाम 6 बजे से ही बिजली चली जाती है । मेरे क्षेत्र में मान्यवर, पानी का लेबिल 85 फीट है और उसके लिए 10 हार्स पावर का मोटर होना चाहिए । लेकिन पानी का स्तर नीचे चला गया है, इस कारण किसानों ने 20 हार्स पावर का मोटर लगा लिया, इससे पावर को लाइनों पर लोड पड़ता है और तमाम किसानों का चालान किया जा रहा है । इसी तरह मान्यवर, मेरे क्षेत्र में चौगानी क्षेत्र है । मान्यवर, आप भी जानते होंगे कि बुन्देल खंड क्षेत्र में किसानों को सब्सिडी दी जाती है, लेकिन मेरे क्षेत्र में मान्यवर, किसानों को सब्सिडी भी नहीं दी जाती है । मान्यवर, वहां के किसान पशु के समान हैं । अभी एक मामला था वहां एक सब स्टेशन है, जहां इंजीनियर्स को पैसा बढ़ाने के लिए कुछ करोड़ रुपया की जरूरत थी ।

मान्यवर, इनके विद्युत मंत्री के अधिकारी ही बिजली चोरी करवाते हैं । और किसानों को बिजली दी नहीं जाती है दूसरी तरफ इन्होंने किसानों को बिजली का भाव भी साढ़े 8 रुपया बढ़ा दिया । उस कारण वहां पर आन्दोलन भी हुआ और कामखेड़ी सब स्टेशन पर गोलियां भी चलीं, तब जाकर इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और रेट फिर घटाकर 22 रुपये के करीब किए गये । मान्यवर, आज बिजली बोर्ड की स्थिति बहुत खराब है । इस बोर्ड के अध्यक्ष काफी दिनों से बीमार पड़े हुये हैं और उन्हें आपरेशन कराने जाना है । इसमें लाखों रुपया खर्च होगा । करोड़ों रुपया इनके पास हर डिस्ट्रिक्ट से आता है और मंडलों से भी तमाम पैसा आता है । मान्यवर जो समान खरीदा जाता है, इसको इनके अधिकारी बाजार में बेच लेते हैं और कोई भी सामान आज सब स्टेशन्स पर नहीं जा रहा है, आप इसकी स्वयं जानकारी कर सकते हैं । मान्यवर, सूखे के समय तमाम किसानों को बिजली के कनेक्शन देने की बात की गई थी, लेकिन वह कनेक्शन भी आज नहीं दिए गए और जो पैसा आवंटित हुआ था, उसको इनके अधिकारी खा गए । तो मैं कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग में अत्यन्त भ्रष्टाचार व्याप्त है और इनका बिजली विभाग हमेशा घाटे में जाता है, क्योंकि बिजली की चोरी इनके मिनिस्टर और इनके अधिकारीगण तथा इनके अध्यक्ष सब मिलकर करवा रहे हैं, क्योंकि इनको पैसा चाहिये । वह कहते हैं कि बिजली चाहे जाये या न जाये, लेकिन हमको पैसा चाहिए । हमको निश्चित बंधा हुआ पैसा बराबर चाहिए । मान्यवर, आज किसी आदमी को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इनके जो अध्यक्ष हैं, उनको बदलकर किसी अच्छे इंजीनियर को वहां का अध्यक्ष बनाया जाये, जो ईमानदार हो, जो इस विभाग को अच्छे ढंग से चला सके ।

श्री प्रदीप माथुर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट भाषण पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया । मैं विद्युत मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं और श्री बरार जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, माननीय बरार साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही हास्यास्पद है । वह सदस्य जो कल तक हमारी पार्टी में थे, वह आज बाहर होकर उल्टी भाषा में बोल रहे हैं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री को अपनी ओर से और मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भयंकर सूखे के बावजूद ग्रामीण अंचलों में 10-10 घन्टे बिजली मुहैया कराई है और इससे किसानों को लाभ हुआ है । इससे हमारे किसान भाईयों को बराबर पानी मिला है और अच्छी खेती भी हुई है । मान्यवर, आज प्लान्ट लोड फैक्टर में बराबर वृद्धि हुई है और नेशनल एक्सचेंकर में भी उत्तर प्रदेश की पोजीशन अन्य राज्यों से काफी अच्छी है मुझे इन विपक्षी भाईयों पर बड़ा

तरफ आता है, यह हाउस में चिल्लाते हैं और रोड़े अटकाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि बेहतर सुविधायें दी जायें।

मान्यवर, यह विपक्ष के भाई कर्मचारी भाईयों को भड़काते हैं कि काम मत करो और नुकशान करो। जब उत्पादन ठीक से नहीं होता, तब वह हाय-हाय करते हैं। मान्यवर, आप ही इन विपक्ष के लोगों को समझाइये कि यह किस तरह कार्य करें और लोगों को गुमराह न करें। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटने के लिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि यह हमारे विद्युत उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करें.... और मेहनत के साथ आगे बढ़ें और विद्युत के उत्पादन को बढ़ावें मैं अपने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के टिहरी प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा धन मुहैया करवाया है और उससे ज्यादा ज्यादा विद्युत का उत्पादन होगा और उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी। इसके अलावा मैं अपने मुख्य मंत्री जी को व माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने 100 हार्स पावर तक के कनेक्शन रिलीज कर दिये हैं। जो नई इण्डस्ट्रीज लगा रही हैं और जिन्होंने फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, उन्हें 100 हार्स पावर से अधिक से कनेक्शन रिलीज करने के आदेश देने की कृपा करें। ग्रामों में जो हेमलेट्स हैं, जहां अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन हेमलटों में भी विद्युतीकरण की योजनायें बनाई जायं।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र मथुरा-वृन्दावन की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ताजमहल के कारण वहां पर स्मोक इण्डस्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती हैं, अपितु इसकी जगह पर स्मोकलेस इण्डस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, इसलिए वहां पर हन्ड्रेड परसेन्ट पावर कट एगजेम्पशन दें, जिससे वहां पर उद्योग चल सकें। लाखों तीर्थ यात्री वहां पर आते हैं, विद्युत की वहां पर काफी आवश्यकता रहती है, इसलिए वहां पर विद्युत की न कटौती की जाय। हमारे यहां कुछ क्षेत्र में 3 के0 वी0 के स्थान पर 11 के0 वी0 के मैटीरियल की आवश्यकता है, मैटीरियल को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाय। कोशी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मथुरा में प्रस्तावित है, उनके लिए केन्द्र सरकार से ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध कराके उन प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी बनवाने की कोशिश करें।

आजकल हमारे क्षेत्र में वोल्टेज बहुत कम आता है, उसे बढ़ाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ, अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और गुमराह बरार साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि बहुत जल्द ही बरार साहब पुनः होश में आयेंगे और इधर आकर बजट प्रस्तुत करने का मौका पायेंगे।

श्री राज किशोर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री जय दीप सिंह बरार जी ने कटौती के प्रस्ताव को रख करके माननीय ऊर्जा मंत्री को ऐसी बखिया उधेड़ी कि उनकी भी बिजली गायब हो गई। कुछ सत्ता पक्ष के बुरा मान रहे हैं माननीय सदस्य इसमें कि माननीय बरार साहब यहां से वहां चले गये। कल आप लोग भी कहां रहेंगे कुछ पता नहीं। ये सब कहने की बातें नहीं हैं। आपने कहा कि गोर्बाचोव ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए प्रधान मंत्री को नहीं। माननीय मंत्री जी कह रहे थे। कि हमने सूखे में बड़ा कमाल का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि सूखे के समय किसानों की जो दुर्दशा थी, शायद वैसी दुर्दशा उसकी कभी नहीं रही

होगी । जो लोग कह रहे हैं कि 10 घण्टे बिजली दी गई, न मालूम यह बिजली इनके घर पर थी या केवल उनकी तारीफ में बोल रहे थे । बड़ी मुश्किल से 4 घन्टें बिजली लोगों को मिली है, यहां तक कि 3-3 दिन तक बिजली बन्द रहती थी, सूखे के समय जब किसानों को परेशानी थी तो आपके ट्रान्सफार्मर गायब थे । मैंने स्वयं मंत्री जी से कहा कि बनारस में ट्रान्सफार्मर गायब हैं । सूखे से सारी फसल सूख गई और आपका ट्रान्सफार्मर आपके पास ही रह गया । किसान अपनी लहलहाती फसल अपनी आंखों से सूखते हुए देखता रह गया । तो इस तरह से झूठ का अम्बार खड़ा करने से क्या लाभ है ? आज भी वास्तविकता यह है कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, जैसा आप करते हैं इसलिए आप इसको देखिये । सच्चाई को नकारने से कोई फायदा नहीं होते हैं चाहे वीर बहादुर सिंह की तारीफ करें या प्रधान मन्त्री की करें लेकिन जब तक किसान इस प्रदेश का, बिजली नहीं पायेगा, और उपभोक्ताओं को सहूलियतें नहीं देंगे, तब तक घोषणायें कागज पर रह जायेंगी ।

माननीय मन्त्री जी ने यह घोषणा नहीं की कि इस वर्ष कितने गांवों में कितनी हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण उपलब्ध करायेंगे । स्थिति यह है कि हर जिले के अन्दर बहुत बड़ी संख्या में हरिजनों के गांव पड़े हैं जहां बिजली नहीं है । सामान्य बस्तियों में भी यही हालत है । आप कहते चले जा रहे हैं कि विद्युतीकरण कर दिया । कहते हैं कि 1995 तक सारी बस्तियों में कर देंगे, लेकिन जिस गति से आपका विद्युतीकरण चल रहा है, उससे तो कई वर्ष लग जायेंगे लेकिन प्रदेश के हर गांव में बिजली नहीं पहुंचेगी । इस प्रदेश का तभी विकास सम्भव है जब गांव-गांव में बिजली पहुंच जाय और आम आदमी बिजली का इस्तेमाल उद्योग धन्धों में कर सके । पंजाब के प्रताप सिंह कैरो ने यही काम करके दिखाया, उसने घर-घर बिजली पहुंचायी और घर-घर में कारखाने खुले ।

इसके साथ ही दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा । पहला तो यह कि माननीय मन्त्री जी गांव की तरफ देखें । दूसरा, जहां अरबन एरिया है, अरबन एरिया में बहुत से गांव पड़ते हैं, जहां किसान खेती करते हैं, जैसे बनारस में अरबन एरिया के अन्दर बहुत से गांव पड़ते हैं, लेकिन उन गांव के किसानों को छूट रूरल एरिया के किसानों की तरह नहीं दी जाती है । मैं चाहता हूं कि अरबन एरिया के किसानों को भी वही छूट उपलब्ध करायें जो रूरल एरिया के किसानों को दी जाती है । हर विद्युत् परिषद् के दफ्तर में पर्याप्त मात्रा में सामान उपलब्ध करायें जैसे तार इत्यादि हैं वरना कोरे वादों से कम नहीं चलने वाला है । तार के लिये पैसा देना पड़ता है । आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करें । आप नौजवान हैं उत्साही हैं मुझे आशा है कि आप इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे । इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पावर या बिजली बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही महत्व का साधन है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । सभी माननीय सदस्यों ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया कि सप्लाई और हमारी जरूरतों में बहुत 'गैप' है, लेकिन इसको पूरा करने के लिये सरकार सतत प्रयत्नशील है । माननीय मन्त्री जी ने बताया कि आगे आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम्स हैं और क्या स्कीम है, इससे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस प्रदेश की बिजली की आपूर्ति पूरी होगी और कमी दूर होगी । मैं आपसे थोड़ी सी बात डिस्ट्रिक्ट लेबिल की भी कहना चाहता हूं कि जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डी0 डी0 आर0 और भी संस्थायें हैं उनका कोई भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सम्बन्ध, कोई भी ताल्लुक इस संस्थान से नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट प्लान सेक्टर में इसे कुछ हद तक रखा जाय जिससे बिजली का आउट ले डिस्ट्रिक्ट प्लान के मुताबिक डिटरमिन किया जाय इससे वहां की पब्लिक को सन्तोष मिलेगा और वहां की जनता को कुछ राहत मिलेगी ।

इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विलेज लेविल की जैसी बात अभी माननीय राजकिशोर सिंह जी ने कही, सही है कि विलेज लेविल पर कमियां हैं, यह साफ जाहिर है । इसमें ज्यादा कारण इस तरह से है कि हमारे लाइनमैन और दूसरे बिजली के कर्मचारी पूरी तरह से उसे अटेन्ड नहीं करते हैं । यदि ठीक ढंग से वे उसे देखें तो कोई कारण नहीं है कि दिक्कतें दूर न हों, इससे बहुत सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं ।

एक बात और कि हमारे यहां जो ट्यूबवेल हैं और जिसमें ऊर्जीकरण किया जाना है तो अभ्यर्थियों का प्रार्थनापत्र बहुत दिनों तक पड़ा रहता है और उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है तो इससे उनको बहुत मायूसी होती है। आज इसको दूर करने की आवश्यकता है ।

यह सही है कि आज हमारे गांव बिजली से बिल्कुल जुड़े हुए हैं अब अगर हम उसको बेहतर नहीं बनाते हैं तो वे पिछड़ जायेंगे और तरक्की नहीं कर पायेंगे । चाहे पम्पसेट हो, चाहें थ्रेशर हो, चाहे और कोई काम करने वाली मशीनें हों, आज सभी चीजें विद्युत् से जुड़ी हुई हैं । इसलिये गांवों में बिजली तेजी से ले जानी चाहिये, इसकी बहुत आवश्यकता है कि जिससे हम प्रगति कर सकें । इसके साथ ही साथ यह भी देखने में आता है कि शहरों के बिजली के तार बहुत पुराने हो गये हैं, ट्रान्सफार्मर अच्छे नहीं रह गये हैं, इसमें बहुत पैसे का व्ययभार है । अगर आप एक छोटे से शहर प्रतापगढ़ को ही ले लें तो वहां के लिये ही कम से कम 60 या 70 करोड़ रु0 की आवश्यकता होगी पूरी ओवर हालिंग करने के लिये । इसके लिये बहुत ही संसाधन की आवश्यकता होगी, फिर भी हमें चाहिये कि बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करें और तार को बदलें तथा ट्रान्सफार्मर को बदलें ।

कभी-कभी यह देखने में आता है कि अचानक ब्रेक डाऊन हो गया और बिजली चली गयी जिससे कि जनता को बहुत परेशानी हो जाती है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लड़कों की परीक्षायें चल रही हैं और बिजली में ब्रेक डाऊन हो गया, तो इसकी रिपेयरिंग तत्काल होनी चाहिये और इसके लिये भी सतर्क रहना चाहिये कि यदि कभी ऐसा मौका आ भी जाय, बिजली चली जाय, हम प्रकाश से अन्धेरे में न हो जायं इसके लिये भी हमें कोई न कोई व्यवस्था रखनी चाहिये । लेकिन बिजली की रिपेयरिंग भी ठीक ढंग के और जल्दी से जल्दी की जानी चाहिये जिससे कि लोगों की परेशानी कम हो सके ।

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में 66 परसेन्ट विद्युतीकरण हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है । इसके अलावा तीन-चार हजार विद्युतीकरण का एवरेज आता है गांव का । इसके साथ ही कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ प्रभावशाली लोग अपनी बस्ती में ही विद्युतीकरण करा लेते हैं और गरीब व कमजोर लोगों की बस्ती विद्युतीकरण से वंचित रह जाती है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि विद्युतीकरण में संतुलन बनाये रहने की बहुत आवश्यकता है, संतुलन कायम करना चाहिये कि गरीब बस्तियों में, कमजोरों की

बस्तियों में बिजली जानी चाहिये, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त जो स्ट्रीट लाईट्स हैं वह जब तक गांवों में नहीं लगेंगी तब तक आपका विद्युतीकरण सफल नहीं कहा जा सकता है, गांव सभाओं के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपने गावों में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करा सकें । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब स्ट्रीट लाईट के लिये पैसा गांव सभा नहीं दे सकती हैं तो वहां प्रकाश करने के लिये, पब्लिक को बिजली देने के लिये स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है ।

अन्त में अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा । कि इसमें पीपुल को, आम जनता को इन्वाल्व होने की आवश्यकता है कि गांव गांव में आप कमेटी बनाइये जिससे कि दूर-दूर तक बिजली का यूटीलाइजेशन हो सके । मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में, इसमें कोई सन्देह नहीं कि भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें बिजली की आपूर्ति पूरी की पूरी होगी, किसान, मजदूर, बिजनेसमैन और कामर्शियल इस्टैब्लिशमेन्ट सबको बिजली मिलेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शारदानन्द अंचल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन करने के लिए अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं । मान्यवर ऊर्जा विभाग का बजट पेश करते समय माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम काफी प्रगति की ओर हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि जो भ्रष्टाचार इस विभाग में है और इस विभाग को जितने भी निर्देश माननीय मन्त्री जी की ओर से दिए जाते हैं, उन निर्देशों के विरुद्ध इनके कर्मचारी और अधिकारी निरन्तर कार्य करते रहते हैं और जिला स्तर में जो अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, और अधिशासी अभियन्ता होते हैं, उनकी अगर शिकायतें होती हैं, तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । न मालूम इस प्रदेश के अन्दर कितनी बिजली चोरी हो रही है, कनेक्शन पर आय दिन धांधली बढ़ती जा रही है और हमारे यहां लाईन लासेज में भी बढ़ोत्री हो रही है ।

इस सम्बन्ध में मैंने एक बात माननीय मन्त्री जी से प्रश्नों के माध्यम से पूछी थी तो उन्होंने बताया कि 40 परसेन्ट के लगभग बलिया शहर के अन्दर होती है और हमारे विधान सभा क्षेत्र के बिलथरा रोड में लगभग 20 प्रतिशत होती है, लेकिन जहां चोरी कम होती है और जहां पर अधिक होती है, दोनों स्थानों पर पैसा दोनों को बराबर देना होता है । और जब किसान के यहां बिजली में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसे कोई ठीक करने वाला नहीं होता है, दूसरी तरफ उन्हें कनेक्शन दिए जाने में धांधली की जा रही है और तीसरी तरफ फर्जी आंकड़े बीस सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से कहा जाता है कि जिन गांवों की तरफ से होकर लाईन या खम्बे गुजर गये हैं, उन गांवों का विद्युतीकरण होना मान लिया जाता है, इस प्रकार के आंकड़ों के हिसाब से तो माननीय मन्त्री जी को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि हमारे यहां भी हरियाणा की भांति पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया है, और वहां के किसान पूरी तरह से लाभान्वित हो चुके हैं और फिर हम सभी लोग इस हिसाब से यह मान जाते कि माननीय वीर बहादुर सिंह के सरकार के असत्य आंकड़ों के आधार पर बीस सूत्रीय कार्य क्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश का विद्युतीकरण शत प्रतिशत पूरा हो गया है ।

मान्यवर, यह आंकड़े किस आधार पर बनाए गये हैं केन्द्र सरकार को धोखा देने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए और यही प्रयास माननीय मन्त्री जी कर रहे हैं इस आदरणीय सदन के अन्दर ?

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यही कारण हैं जिनकी वजह से इस विभाग का पूरा ढांचा खराब पड़ा हुआ है और अगर इस खराबी की शिकायत को लेकर कोई जाए तो उसकी सुनी नहीं जाती है, जहां कोई नया कनेक्शन स्वीकृत हो जाता है तो कर्मचारियों में आपस में लेन-देन शुरू हो जाता है, यह बात आज हर स्तर पर है और यही स्थिति आज मान्यवर यहां पर भी है कि जहां कर्मचारी के स्थानान्तरण के आदेश हुए, और इसके होते ही, बस लेन-देन की बात शुरू हो जाती है, फिर इस स्थानान्तरण को रोका जाता है, फिर बाद में इसे निरस्त कर दिया जाता है फिर वह कर्मचारी सीना तान कर कहता है कि हमारा कोई क्या करेगा ? साथ ही मान्यवर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बलिया में एक विद्युत तापीय गृह के निर्माण के लिए सर्वेक्षण हुआ, लेकिन इस ओर कुछ अधिक प्रगति नहीं हो पा रही है, इसलिए माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इस ओर जल्द से जल्द प्रयास करें और केन्द्र से अनुमति प्राप्त कर विद्युत ताप-गृह की स्थापना हमारे यहां करें। मान्यवर, विद्युतीकरण के बारे में बलिया जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसे त्वरित आधार पर स्वस्थ योजना प्रदान करने की कृपा करें। अभी तक हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है और वहां पर कारोबार रुका हुआ है। माननीय मंत्री जी, से अनुरोध है कि बेलथरा में एक मिनी प्लान्ट लगने वाला है, वह बिजली न मिल पाने के कारण रुका हुआ है, उद्योगों का विकास रुका है, खेती का विकास रुका हुआ है, नलकूप नहीं चल पा रहे हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि बिजली की समुचित व्यवस्था की जाये। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं।

(समय 3 बजे अपराह्न)

*श्री अजीत सिंह सेठी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण बजट पर, ऊर्जा के बजट पर जो माननीय मंत्री जी ने रखा है, समर्थन करने के लिये समय दिया और इजाजत दिया है कि विरोध पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करूं। माननीय बरार साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ टेहरी परियोजना प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी के सहयोग से पेश किया है, यह कितनी सुन्दर योजना है। माननीय अधिष्ठाता जी जो ऊर्जा की पैदावार है, यह दो प्रकार की है, एक तो थर्मल की है और दूसरी ओर दूसरी हाइडिल की है, तापीय बिजली और जलीय बिजली। हमारी जलीय क्षमता जो है वह कम है लेकिन वह कम कीमत पर पैदा होती है। जिस समय यह योजना बनाई गयी, उस समय 7 पैसा प्रति यूनिट प्रोडक्शन का लक्ष्य था और थर्मल का 55 पैसा प्रति यूनिट का था। 5 वर्ष में इस योजना को पूरा होना प्रस्तावित था और जब प्रस्ताव हुआ तो अनेकों कठिनाइयां इसके सामने आयी, अनेक बाधायें आयीं और यह कहा गया कि वहां पर बांध नहीं बन पायेगा। इन सारी कठिनाइयों को दूर करते हुये अब इस योजना को शुरू करने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुमति मिली है, मुझे बड़ी खुशी है कि वह बनाने के काबिल तो हुयी, लेकिन हमारे संसाधन इतने कम हैं कि इस योजना को पूरा करने के काबिल नहीं हैं और एक जरूरी चीज थी कि हाइडिल की क्षमता बढ़ेगी, इसलिये केन्द्रीय सरकार के साथ बात हुयी और उसके स्थान को देखा गया और इसको तय किया गया और यह पाया गया कि जितना खर्च बांध पर आयगा उससे हानि होने की सम्भावना नहीं है और इसी कारण यह बांध बनाने की शक्ल में है। बरार जी का कहना है कि केन्द्र सरकार को क्यों दिया, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रथम योजना है और इसको देश और प्रदेश मिलकर करेंगे और उसको जो उपलब्धि होगी वह इस प्रदेश को 50 प्रतिशत के ऊपर होगी। यह बड़ी परियोजना है और उसकी उपलब्धि हमको प्राप्त होगी और इसका सारा श्रेय राजीव जी को जाता है, और मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी तो मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, आपने लाल बत्ती दिखा दिया। मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया है। अब मैं थोड़ा खुशी प्रकट करना चाहता हूं

(व्यवधान)

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित कर दें। तब मैं बोल पाऊंगा। जितना आप लोग मेरा समय लेंगे, उतना ही मैं अपना समय लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री अजीत सिंह सेठी—

प्रदेश के अन्दर दैवी आपदाओं से सारे प्रदेश की जनता हैरान हो गयी थी। पिछले सालों में सन् 1986 में भी 10 घन्टा हम बिजली किसानों को नहीं दे सके और फिर जितनी हमारी अधिस्थापित क्षमता है 5963 मेगावाट की वह भी हम नहीं दे पाये थे लेकिन इस समय यह कैसे बढ़ गया। यह हमारे कर्मचारियों, अफसरों ने मुख्य मन्त्री के निर्देशों के अनुसार करके दिखलाया है वह 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 47 प्रतिशत करके दिखला दिया है। इसमें 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस लोड फैक्टर के साथ-साथ वोल्टेज की बात भी आती है। आज ट्रान्सफारमर बहुत स्थानों पर लग चुके हैं और लग रहे हैं। लोड फैक्टर के कारण ट्रान्सफारमर पर जो खराबियां आती हैं उनको दूर करके हमने इसमें 47 प्रतिशत तक इसको पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि हमारे इस राज्य विद्युत् परिषद् ने, उसके कर्मचारियों और अधिकारियों ने बहुत हिम्मत से काम लिया है, उनके अन्दर एक शक्ति आयी है, उसकी मैं सराहना करता हूं। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मिस्त्री रिपोर्ट की बात कही गयी।

श्री अधिष्ठाता—

सुझाव आप मन्त्री जी को लिखकर दे दीजिये।

श्री अजीत सिंह सेठी—

उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस प्रदेश में जो विद्युत् परिषद् के कर्मचारी लगे हुये हैं उनका कहना है कि....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सेठी जी, आप सुझाव लिखकर मन्त्री जी को दे दें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

उसमें कहा गया है कि एक मेगावाट के उत्पादन के लिये तीन व्यक्ति होने चाहिये लेकिन इसके विपरीत हमारे यहां 5 हैं....

श्री अधिष्ठाता—

समय हो गया है। आप बैठें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और बरार साहब के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बरार साहब जब सन् 1985 में सन् 1986 में इधर बैठते थे, तब भी मैंने उनकी बात सुनी थी और जब वे इधर बैठे हैं तब भी उनकी बात सुना रहा हूं। पहले वे क्या बोलते थे और आज क्या बोल रहे हैं? धन्यवाद।

*श्री माता प्रसाद पांडे—

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिये, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं, मान्यवर, माननीय बरार साहब ने इस बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ऊर्जा के इस बजट पर माननीय बरार साहब ने बड़ी सावधानी से उसके गुणों और अवगुणों पर अपने विचार रखे। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कहकर अपने को केवल अपने जिले तक ही सीमित रखना चाहता हूं। मान्यवर, इस विद्युत् परिषद् के विषय में चौराहे हैं रिक्शे वाले से लेकर घर में आयी कई नवेली दुल्हन तक क्षोभ प्रकट करती हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विद्युत् परिषद् किस ढंग के अपनी कार्य प्रणाली चला रहा है। मान्यवर, बस्ती में इसके दो डिवीजन हैं। वहां पर दो अधिशासी अभियन्ता रहते हैं, 7 हजार से अधिक वहां गांव हैं और अभी तक पूरे बस्ती जिले में 2200 गांव ही ऊर्जित हुये हैं। आपने सन् 2000 तक यहां के प्रत्येक गांव को ऊर्जित कर देने के लिये कहा है। हमारे जिले में जब लक्ष्य जाता है तो वह 40 या 50 गांवों का ही जाता है और 500 गांव उर्जित करने बाकी हैं। इस तरह से यदि 50 गांव का हिसाब आप कर लें तो मान्यवर, 21वीं तो क्या 22वीं सदी में भी बस्ती जिला उर्जित नहीं हो सकेगा? मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि पंडितों ने आपका समर्थन किया है मैं पंडित हूं इसलिये मैं भी आपके पक्ष में कुछ बोल दूंगा अगर आप जरा बस्ती का कोटा बढ़ा दें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र का जो पैमाना गांवों को ऊर्जित करने का है इसके लिये उनसे कहिये कि इसे बदलें। अगर आज से किसी 4 हजार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के0 वी0 लाइन किसी गांव से गुजरती है तो उस गांव को ऊर्जित कर दिया गया मान लिया जाता है। इसी तरह अगर किसी गांव में बिजली का एक खम्भा खड़ा कर दिया तो वह गांव ऊर्जित कर दिया गया मान लिया जाता है। तो इसे आप बदलें और जिस गांव में पूरी तरह से बिजली जलती हो उसे ही ऊर्जित माना जाय।

तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये जो धन आवंटित करते हैं वह एस0 इ0 या एडीशनल चीफ के माध्यम से जिलों को देते हैं। इसमें कोई भलाई नहीं है क्योंकि आप अपने अभियन्ताओं के घरों की जांच करा लीजिये जिस समय वह नौकरी में आये थे उसके बाद 10, 15 साल के बाद उनकी क्या हैसियत हो गयी है यह आप पता लगा लीजिये तो आपको मालूम हो जायेगा आपके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये जाता है वह उनके घरों में चला जाता है। इसलिये निवेदन है कि जो धन आप जिलों के लिये एडीशनल एरिया चीफ के माध्यम से देते हैं उसमें वह तमाम सौदेबाजी करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि स्कीमों में खर्च नहीं होता है वहां पर पैसे के अभाव में काम नहीं हो पाते हैं। इसलिये आप उस पैसे को सीधे जिला प्लान में दे दें।

अब मैं अपने बस्ती जिले में आता हूं हमारे यहां तो एक अलग से और ही विद्युत् परिषद् काम करती है लेकिन कुछ दिनों से माननीय मन्त्री जी की कृपा हुयी है उसमें कुछ कमी हो गयी है। हमारे यहां मेरे क्षेत्र में जो गांव 80, 81 82 में ऊर्जित करने के लिये लक्ष्य में निर्धारित किये गये थे वहां पर आज तक काम नहीं हुआ है। तीन-तीन चार-चार साल से खम्भे खड़े हैं लेकिन वहां बिजली नहीं गयी है जैसे गोरी कजहर, कनकटी, झिलौरी जहाँ पर खम्भे खड़े हो गये हैं लेकिन वहां आज तक ट्रान्सफारमर नहीं दिया गया है।

बस्ती जिले में आपको याद होगा 2 सौ किमी0 लाइन का तार काट कर चोर ले गये वहां पर भी आज तक ट्रान्सफारमर नहीं लगा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं आर0 इ0 एस0 के अन्तर्गत जो गांव पहले ऊर्जीकृत हुये थे उनको आपकी परिषद् ने नहीं लिया है उसका परिणाम यह हुआ है कि वहां ट्रान्सफारमर जल गये हैं और तार काट लिये गये हैं लेकिन कागज पर उनको ऊर्जीकृत होने की बात आपके विभाग में लिखी हुयी है। अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बस्ती जिले पर विशेष नजर दें विरोध पक्ष को पंडित समझ कर नजर रखेंगे और वहां काम करा देंगे।

*श्री विनोद कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया....

*श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ऊर्जा विभाग के बजट पर जब हमारे माननीय पाण्डे जी बोल रहे थे, तो सीधे उन्होंने कहा हम पंडित हैं इसलिये हमारे जिले की तरफ ध्यान दें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि पंडितों के अलावा जो बाकी लोग रह गये हैं उनका क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है, आप बैठिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, बाबूराम जी का मकसद यह है कि माननीय पाण्डे जी ने जाति-पाति की बात यहां पर चलाई है यह हमारे संविधान के खिलाफ है ।

श्री अधिष्ठाता--

इसमे कोई व्यवस्था की बात नहीं है, माननीय सदस्य को बोलने दें यही व्यवस्था है ।

श्री विनोद कुमार--

मान्यवर, आज जिस समय श्री बरार जी कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए खड़े हुए तो उनसे हमें उम्मीद थी कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं सूखे के समय में किसानों को राहत पहुंचाई है उन पर वह प्रकाश डालेंगे लेकिन खेद है कि वह एक तरफ तो कहते हैं कि मैं अभी इसी दल में हूं और मान्यवर, अभी तक तो मैं कहावत सुनता था कि गिरगिट रंग बदलता है लेकिन बरार जी ने सदन में ही गिरगिट की तरह रंग बदलकर [× ×] का परिचय दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है ।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है कि अभी श्री विनोद कुमार जी ने ओछेपन शब्द का जो प्रयोग किया है वह असंसदीय है इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री नक चन्द्र पान्डेय--

गिरगिट की तरह रंग बदलना एक मुहावरा है यह असंसदीय शब्द नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

हम इसको देख लेंगे यदि असंसदीय कोई शब्द है तो उनको निकलवा दिया जायेगा ।

श्री विनोद कुमार--

मान्यवर आज उत्तर प्रदेश में वही सरकार कांग्रेस की है, वही अधिकारी हैं और वही मशीनरी है, आप देखें कि प्लान लोड फैक्टर में गत तीन वर्षों में आशातीत सुधार हुआ है और तापीय लोड फैक्टर 34.40 से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गया है जिसके लिए मंत्री जी को और विद्युत् परिषद् के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, यही नहीं हमारे ऊर्जा मंत्री जी का लक्ष्य है कि अगले वर्ष 55 प्रतिशत तक इसे ले जायेंगे । आप देख कि और सारे देश की तुलना करें तो तापीय विद्युत् उत्पादन में सारे देश में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है वहीं उत्तर प्रदेश में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, । यह एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है ।

मान्यवर, श्री बरार जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उम्मीद थी कि सूखे के समय में प्रदेश के किसानों को जो बिजली देकर सिंचाई में राहत पहुंचाई गई है उसकी वह तारीफ करेंगे और यही नहीं केन्द्रीय सूखा राहत अध्ययन दल जो यहां आया था उसने 62 प्रतिशत तक फसलों के नष्ट होने का अनुमान लगाया था लेकिन मुख्य मन्त्री

नोट--[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार को और प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को उसके लिये बधाई देना चाहिए कि 62 प्रतिशत की जगह केवल 22 प्रतिशत ही फसलों का नुकसान होने दिया और प्रदेश में भीषण सूखा होते हुए रेकार्ड उत्पादन करके दिखाया है ।

मान्यवर, जहां तक मितव्ययिता का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि तेल की खपत 18 मिलीलीटर प्रति यूनिट से घटकर 9 मिलीलीटर प्रति यूनिट आ गयी है जिससे लगभग 16 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व का फायदा हुआ है इसके लिए मंत्री जी को और विद्युत् विभाग के अधिकारियों को बधाई देना चाहिए ।

मान्यवर, टिहरी बांध योजना के संबंध में अभी हमारे मंत्री जी श्री प्रमोद कुमार ने कहा था कि प्रधान मंत्री ने रूस के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण फैसला किया है, मैं तो चाहता था कि श्री बरार जी इस हाउस के माध्यम से प्रधान मंत्री जी को बधाई दें लेकिन उनके भाषण में कोई चीज देखने को नहीं मिली कि उपलब्धियों को वह स्वीकार करते और सुझाव देते । मुझे उम्मीद थी कि जब वह बोलने के लिए खड़े हुये तो किसानों के हित की कुछ बात करेंगे, कुछ अच्छे सुझाव देंगे, लेकिन इस प्रकार की कोई चीज नहीं आई । बिजली चोरी के बारे में जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने नई योजना बनाई है । मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत हद तक बिजली चोरी में कमी आयेगी, लोगों को बिजली चोरी करने में रुकावट आयेगी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर उपभोक्ता बिजली चोरी करते हैं, वह इसको भी देखें और मैंने स्वयं देखा है कि बिजली विभाग के कर्मचारीगण से मिलकर वह लोग यह काम करते हैं । आप इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से विभाग में राजस्व की वृद्धि होगी और प्रदेश की जनता व किसानों की आप और अधिक बेहतर सेवा कर सकेंगे । अन्त में मैं बरार साहब से एक शेर कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कहीं जब जिक्र चला अस्तीन के सांपों का, हमें अपने कई दोस्तों की याद आयी । अन्त में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री सत्य प्रकाश का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर श्रीमती विजय लक्ष्मी का नाम पुकारा गया ।)

श्री पूरन सिंह माहरा--

श्री माता प्रसाद ने ब्राह्मण की बात कही, किसी ने हरिजनों की बात कही और अब महिला की बात हो गई है, तो क्या कोई पहाड़ की भी बात होगी ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

क्या आप चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश में चलती रहे ?

(व्यवधान)

श्रीमती विजय लक्ष्मी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी बहुत ही आभारी हूं कि आपने विद्युत जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और उसी सन्दर्भ में अपनी दो चार बातें माननीय मंत्री जी के सामने आपके माध्यम से रखना चाहती हूं और अपनी परेशानियों को उजागर करना चाहती हूं । मैं बलिया जिले की बांसडीह विधान सभा क्षेत्र से आती हूं । मैंने सबकी बातों को

यहां सुनी । मेरे क्षेत्र में मान्यवर एक सुरहा ताल पम्प कैनाल है, जो बिजली से जुड़ी है, विद्युत की कमी से वह कैनाल बन्द पड़ी है और उसमें जंक तक लग रहा है । मैंने बार-बार इसको दोहराया है और आज भी दोहरा रही हूं । जहां तक मुझे जानकारी है प्रदेश सरकार के आदेशानुसार आपके विद्युत विभाग में जनपद के कुछ ब्लाकों में और एक-एक ब्लाक के 4-4, 5-5 गांवों में विद्युतीकरण के आदेश गये थे किन्तु हमारे यहां शायद तभी तक दो गांव ही पूरे हुए होंगे । तो उसे आप देख लें, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूंगी । मैं अपने क्षेत्र में घूमने पर यह देखती हूं कि विद्युत विभाग में ...

(ऊर्जा राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी, अभी तक एक ही महिला बोली हैं, उनका आप ध्यान रखिये ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, पूरा ध्यान है उनकी तरफ लेकिन मैं आपकी ओर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

महिलाओं को बोलने दीजिए कृपा करके ।

(व्यवधान)

श्रीमती विजय लक्ष्मी--

मान्यवर, क्षेत्र में निकलने पर यह देखने में आता है कि कहीं तार टूटे हुए हैं, कहीं खम्भे टेढ़े हुए हैं, कहीं तार छतों से लटके हुए हैं, जिससे मवेशियों के लिए और झोपड़ियों में रहने वालों के जान-माल का खतरा बना रहता है । अभी बदलाव नहीं हुआ पता नहीं पैसे की कमी है या अधिकारियों पर इनका नियंत्रण नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बांसडीह क्षेत्र में और बेरु आरबारी में एक सब-स्टेशन बनाए जाएं यह मैं जनता की तरफ से मांग करती हूं और एक बार फिर यह कहना चाहती हूं कि जो ट्रांसफार्मर जल गये हैं और जो तार टूट गये हैं उसको यह विभाग प्राथमिकता के आधार पर ठीक करा दे यह विभाग लोगों की जरूरतों को देखते हुए अपनी व्यवस्था को चुस्त करे । इन्हीं शब्दों के साथ बरार साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं ।

श्री बद्री सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय बरार साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । हमारे किसानों की कृषि के विकास के लिए विद्युत की बहुत आवश्यकता है ऐसे महत्वपूर्ण बजट पर ऐसे प्रमुख बजट पर बरार जैसे व्यक्ति ने कटौती का प्रस्ताव रखा इसका मुझे हार्दिक खेद है । यह स्पष्ट हो गया कि बरार साहब और उनके साथी और उनके विचारों जैसे लोग ही किसानों के

दुश्मन हैं। वह किसानों का विरोध करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि किसानों की समृद्धि हो अगर वह किसानों का भला चाहते तो इस बात का प्रस्ताव करते कि मंत्री जी ने जो कल्याणकारी बजट पेश किया है इसमें धनराशि बढ़ाई जाय न कि कटौती की जाय। जहां तक विद्युत विभाग की स्थिति की बात है मैं माननीय मंत्री जी को और अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योजनायें रखी हैं। वर्ष 1987-88 में ग्रामीण विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा है वह बीस हजार पांच सौ निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का है। चार हजार अस्सी ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। मान्यवर, जनवरी, 1988 तक 17 हजार 345 नलकूपों का ऊर्जीकरण और 1928 का विद्युतीकरण कर दिया गया है। इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। नवम्बर, 1988 तक 72 हजार 764 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। 1988-89 के लिए 15 हजार निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण तथा तीन हजार ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हमारी जो वित्त विद्युत् विभाग की योजनायें हैं उन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मैं समझता हूं यह प्रदेश के लिए बहुत ही कल्याणकारी बजट है। मैं अपने क्षेत्र कालपी के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में नियामतपुर नाम का सब स्टेशन है इसकी मशीनें खराब हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें और जो मशीनें खराब हैं उनका नवीनीकरण कराया जाय। इसी तरह से इटौरा में एक सब स्टेशन कायम करने की आवश्यकता है। मैं कुछ गांवों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, जैसे करमचेरपुर, बड़ागांव, दशहरी आदि गांवों का विद्युतीकरण कराया जाय। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री पारस नाथ यादव---

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इसका सम्बन्ध पूरे प्रदेश के विकास से है। माननीय मंत्री जी ने बड़ी ही कुशलता से इसे पेश किया है और उन्होंने कार्य भी किये हैं इससे नकारा नहीं जा सकता। मैं दो बातें मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आपने जो भी बिजली दी है या देने जा रहे हैं किसानों के लिए तो उसका निर्धारण जो आपने 10 घंटे का किया है वह सही नहीं है। यह आप खुद महसूस करते हैं क्योंकि आप भी गांव के और देहात के रहने वाले हैं। मान्यवर, यह भी आप निश्चित व्यवस्था कर दें कि जाड़े के सीजन में जो किसानों को बिजली रात में दी जाती है वह न दी जाय वह दिन में दी जाय। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं अब फसलें तैयार हो रही हैं मड़ाई के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिजली किसानों को रात में दी जाय गर्मियों के महीनों में जिससे किसानों की मड़ाई हो सके।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्युतीकरण कि बात चल रही है, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज जिस गांव में खंभे पहुंच जाते हैं उस गांव को विद्युतीकरण मान लिया जाता है। तो इस व्यवस्था को बदलें। जब तक गांव के घरों में रोशनी नहीं पहुंचती है तब तक गांव को विद्युतीकृत नहीं माना जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर ध्यान दिया जायगा।

*श्री नरेन्द्र देव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य मंत्री और विद्युत विभाग के राज्य मंत्री को बधाई देते हुये यह समर्थन भाषण शुरू करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्होंने सूखे के समय में और हड़ताल के समय में दिखा दिया है कि विद्युत् परिषद् सक्षम है किसानों के साथ चलने में और प्रदेश की जनता के साथ चलने में। मैं ऊर्जा की राजधानी मिर्जापुर का रहने वाला हूं और वहां से चुना गया हूं। मेरे थोड़े से सुझाव हैं। जिस समय बंढ़न में माननीय इंदिरा गांधी जी सिंगरौली में वेपर थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन करने गयीं थीं तो बटन दबाने से पहले इंदिरा जी ने पलट कर अधिकारियों से पूछा था कि यह बतायें कि विस्थापितों का क्या हुआ।

आज मैं माननीय मंत्री जी से सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि आनपारा में जो लोग विस्थापित हुये हैं, सन् 1960 में रिहंद में जो लोग विस्थापित हुए हैं और कई प्रोजेक्ट हैं जिनसे जो लोग विस्थापित हुये हैं उनको नौकरी दी जाय और उनको पूरा मुआवजा दिया जाय। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि उपभोक्ताओं की सर्विस पर ध्यान रखा जायेगा। मान्यवर, मंत्री जी आंकड़े मंगाकर देखें। मिर्जापुर में पिछले 10 सालों से सीढ़ी उठाने वालों, मीटर पढ़ने वालों, खम्भे पर चढ़ने वालों, तार ठीक करने वालों की कोई भर्ती नहीं हुई है। मिर्जापुर में चुनार, अहरौरा, राबर्ट्सगंज, घोरावल, मद्दूपुर, राजगढ़ इन सारी जगहों पर फोर्थ क्लास में पिछले 10-12 सालों से भर्ती नहीं हुई है। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर ऊर्जा की राजधानी है, मैं चाहूंगा कि मिर्जापुर से आपने जमीन ली है, यहां के निवासियों को आपने उजाड़ा है, उनके खेत लिए हैं, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी की है, आज मिर्जापुर सिर्फ एक चीज की मांग करता है कि हमें बिजली का पूरा-पूरा हक मिले, सुविधा मिले, क्योंकि हमने क्षेत्र के लिए अपना बलिदान दिया है। धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, आज नागरिक जीवन की, जनता के जीवन की बिजली सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तु बन गई है। 50, 60 या 70 साल पहले जो बिजली की कौतूहल का या मजाक का विषय थी, वह बिजली आज किसान, फैक्टरियां में काम करने वाले मजदूर, व्यापारी, आम नागरिक और उद्योग चलाने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गई है। ऐसे गम्भीर विषय पर चर्चा के समय मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी इस विषम समस्या पर कोई ठोस बात बिजली की जो आपूर्ति होनी चाहिये, उसको देने की दिशा की ओर कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। परन्तु हमारे युवा और चतुर मंत्री जी ने जो कभी न जली या कभी-कभी जली या बिना जली ऐसी बिजली की अकुशल और अक्षम विभाग की सारी असफलताओं को ढक कर बड़ी चतुराई से सफल बताने की कोशिश की है।

मैं आलोचना न करके, यह दिल से मानता हूं कि ऊर्जा मन्त्री जी अन्दर से स्वीकार करते हैं कि आज बिजली की स्थिति बड़ी गम्भीर है, जो उसका उत्पादन है, और जो लोगों की आवश्यकता है, उसका अन्तर बढ़ते-बढ़ते वह खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। वह इसके बारे में प्रयत्नशील हैं। मैं भी मानता हूं।

(इस समय 3 बजकर 31 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

लेकिन हकीकत यह है कि आप कितना भी कहें कि उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जनता कहती है कि उसका कष्ट लगातार बढ़ रहा है। जिस मात्रा में वह बिजली बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता उससे भी ज्यादा प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि किस प्रकार से

वह इस बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे, ताकि उस प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, किसान प्रदेश के आर्थिक विकास में अपना योगदान कर सके। मैं आगरा से चुन कर आया हूं। आगरा के लोग कहते हैं कि विभाग की कोई देन अगर है, तो वह यह है कि उद्योग नष्ट और जनता त्रस्त। मान्यवर, सारे उद्योग नष्ट हो रहे हैं और जनता त्रस्त हो रही है। अभी तो ऊर्जा मन्त्री जी का सौभाग्य है कि वह मार्च में बजट पेश करा रहे हैं। मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं कि आने वाले 6 महीने में, अप्रैल से अक्तूबर तक के महीने में भीषण बिजली के संकट में होंगे और उन्हें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह यह व्यवस्था करें कि लोग भीषण गर्मी में बिजली की कमी से त्रस्त और परेशान न हों। मेरे क्षेत्र के अनेक ऐसी बस्ती और मोहल्ले हैं, जिनमें बिजली के तार टूटे और पुराने, नीचे तक लटक रहे हैं। लेकिन वे ठीक नहीं होते। विभाग कहता है कि हमारे पास तार नहीं, केबिल नहीं, ट्रांसफारमर नहीं, कोई उपकरण नहीं और हुआ यह कि पिछले साल टीला माईथान में एक 12 वर्षीय लड़का बिजली के टूटे, गिरे हुए नंग तारों की वजह से मर गया और जब उत्तेजना फैली तब वहां तार लगा दिया गया। मेरे ही क्षेत्र में कुछ मोहल्ले हैं, जैसे कछपुरा, नगलाखेव जीठ, चांदनी गढ़ी, गढ़ी हुसैनपुर आदि जिसमें बिजली नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, हरिजन हैं और उनको यह दुःख है कि चारों ओर बिजली है, लेकिन हमारे क्षेत्र में सरकार बिजली नहीं दे रही है। अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मान्यवर, जनता की मांग केवल यह है कि उसे बिजली मिले।

मान्यवर, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि "जनता की खुशी तो इसमें है कि उसे बिजली जले, लेकिन आपके विभाग को, आपके अधिकारियों और कर्मचारियों को और आपके मंत्रालय को खुशी उसमें है कि बिजली न जले, क्योंकि चोरी, भ्रष्टाचार और सारे काले काम अंधेरे में ही हो सकते हैं। शायद आप किसी शायर के उस शेर से प्रेरणा ले रहे हैं कि जिसने कहा है कि "शबे महफिल है और रौनक है, गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी के काम में क्या काम है, इन जलने वालों का"? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप चिरागों को गुल कराने के बजाय, उन्हें जलाने का काम करें इन शब्दों के साथ मैं माननीय बरार जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री पूरन सिंह माहरा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि विधान सभा भी बड़ी है, बरार साहब की सीट भी बड़ी है, पता नहीं बात क्या है कि पिछले वर्ष जब बोले थे तो कुछ दूसरा ही था और इस वर्ष कुछ दूसरा ही बोल रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि "बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, इनका बरबादी के कुछ आसार नजर आते हैं।"

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह अभी पूरन सिंह जी कह रहे थे कि बरार साहब इधर बैठते थे तो कुछ और बोलते थे और उधर कुछ और बोल रहे हैं: मान्यवर, यह कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है--

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह न मेरे हैं, न तेरे हैं, यह सब मौसम के चेरे हैं।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मैं अपने नवयुवक, कर्मठ ऊर्जा राज्य मन्त्री श्री प्रमोद तिवारी को बधाई देता हूं इस माननीय सदन के माध्यम से कि उन्होंने थर्मल पावर का लोड फैक्टर जो 41 प्रतिशत था बावजूद इस सूखे के उसको बढ़ा कर 47 प्रतिशत किया है। मान्यवर, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि पावर जनरेशन जब कि सारे हिन्दुस्तान में 10 15 प्रतिशत है लेकिन इस उत्तर प्रदेश में बढ़ा कर 27 प्रतिशत किया गया है। इसके लिए माननीय मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, जबकि इतना भयंकर सूखा पड़ा, नहरों में पानी नहीं है, पानी वर्षा नहीं है तो हमारा लास 10 प्रतिशत हुआ। किसान की जो मांग है बिजली की ट्यूबवेल वगैरा के लिए वह 20 प्रतिशत बढ़ी लेकिन इस सबके बावजूद भी हमने किसान की मांग पूरी की। मान्यवर, जब भयंकर सूखा पड़ा तो एक तरफ हमारे सामने उद्योग थे जिनको 105 पैसे प्रति यूनिट की दर से देकर 300 करोड़ का फायदा हम ले सकते थे लेकिन एक तरफ किसान थे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को देखा और 300 करोड़ के नुकसान के बावजूद भी किसानों को विद्युत दी गयी जिससे आने वाली फसल लहलहा रही है, यह किसी से छिपा नहीं है।

मान्यवर, जो सबसे बड़ा काम विद्युत राज्य मन्त्री जी के नेतृत्व में विभागने किया है वह यह कि हमारे यहां कोयले की खपत पर भारी अनियमितता थी, तेल की खपत पर भारी अनियमितता थी। इस वर्ष 20 करोड़ रुपया केवल कोयले की खरीद पर बचत किया गया है और 16 करोड़ रुपया तेल की खरीद पर बचत किया गया है और 27 से खर्चे को 9 प्रतिशत पर ला दिया गया है जबकि वही मशीनें हैं और कर्मचारी भी वही हैं। मान्यवर मैं आपका ध्यान आपके माध्यम विद्युत राज्य मन्त्री की ओर दिलाना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में पावर कट न हो। वहां पावर कट होती है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, इसलिए पावर कट नहीं होनी चाहिये। वहां उद्योग में प्रोत्साहन देने के लिए आपने अलग से नियम बना रखे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब पौने चार बज गया है, समय निश्चित है, एक-एक मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सदन का वर्तमान माहौल है, मैं भाषण नहीं करना चाहता। कल भी भाषण नहीं किया, परसों भी सिर्फ बैठा ही रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय राज्य मन्त्री की दयनीय स्थिति है, भूतपूर्व मन्त्री की जो दयनीय स्थिति थी, उस पर संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद में विद्युत विभाग का कोई प्रशासन नहीं है। सारे आम बिजली की चोरी हो रही है। इनके अभियन्तागण चोरी करा रहे हैं। हमारे जिले निवासी दो जूनियर इंजीनियर हैं, तिवारी जी मौजूद हैं, इन्होंने आदेश दिया, मेरी शिकायत पर स्थानान्तरण का आदेश हुआ,

में नहीं समझता हूं कि किस पाजी अफसर ने उसको रद्द कर दिया । जब राज्य मन्त्री और कैबिनेट मन्त्री का आदेश था, फिर क्यों स्थानान्तरण रोका गया, हमारे यहां चोरी हो रही है, श्री शिव मंगल तिवारी जो हैबतपुर से 800 रुपया लेकर राम खिलाड़ी शर्मा लाइनमैन ने बिजली का कनेक्शन दिया । उसका अब बिल नहीं गया तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट की जिसमें लिखा है कि सेवा में श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, बैरिया, जिला बलिया । विषय--पैसा लेकर गलत बत्ती पंखा का कनेक्शन देने के सम्बन्ध में ।

मान्यवर, महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी हैबतपुर, पो0 सुरमनपुर, प्र0 द्वाबा, जिला बलिया का हूं । हमसे लाइनमैन (बिजली कर्मचारी), राम खिलाड़ी शर्मा जो जा रानीगंज बाजार के बैंक ग्रामीण बैंक के पास रहते हैं, वे हमसे 700 (सात सौ रुपये) लिये, बाकी बिजली का तार जोड़ दिये । बत्ती तो जल रही है, परन्तु आज तक मुझे कोई रसीद नहीं दिये । बार बार प्रमाण-पत्र मांगने पर हमेशा हीला-हवाला करते आ रहे हैं । करीबन 3/87 में दिया था लाइन, आज जब फिर आया तो पता चला उनके बच्चों से कि बैरिया पावर हाउस गये हैं । तो यहां भी मुलाकात नहीं हुई । मुझे शक है कि मेरा पैसा वे बिजली विभाग में जमा नहीं किये हैं । अतः श्रीमान्जी से प्रार्थना है कि उपर्युक्त तथ्यों को जाँच करते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें । प्रार्थी शिव मंगल तिवारी, पुत्र कन्हई तिवारी, सा0 हैबतपुर, प्र0दावा, जिला बलिया इसकी कापी श्रीमन् सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बांसडीह, बलिया को दी गयी है । मैंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि इस प्रकार से कर्मचारियों ने गांव बांट लिये हैं एक एक गांव में गलत चोरी की बिजली मेरा आपसे कहना है कि बनारस का जो इलेक्ट्रिक का चीफ इन्जीनियर है वह बेईमान है आप नियम बना लें, 5 साल, 10 साल जो भी हो स्थानान्तरण के लिये नियम बना लें और उसके बाद उनको दूसरी जगह स्थानान्तरित किया जाय वाराणसी में । बदनाम चीफ इंजीनियर का कहना था कि स्थानान्तरण एस0 आई0 करेगा, एस0 ई0 कहता है इक्जीक्यूटिव इंजीनियर करेगा । आज तक स्थानान्तरण नहीं हुआ मैं आपको वह पत्र दे रहा हूं । आप नियम बनावें कि 3 साल से अधिक जो कर्मचारी हैं, उनको अपने वर्तमान स्थान से हटवा देंगे और जो वाराणसी का मुख्य अभियंता है बदनाम मुख्य अभियंता है, उसको बनारस से हटा दीजिये, नहीं तो हम उसके खिलाफ घेराव करेंगे और उसको बनारस में रहने नहीं देंगे ।

श्री वीरेन्द्र सैन--

मा0 उपाध्यक्ष जी, अपने ऊर्जा के बजट पर बोलने का जो मुझे अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मा0 मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, और विपक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । मान्यवर वास्तव में मा0 ऊर्जा मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बहुत सोच समझ कर उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिये प्रस्तुत किया है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आगरा नगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । आगरा नगर में विद्युत की समस्या अत्यंत गम्भीर होती चली जा रही है । मान्यवर, आगरा में डिस्कपोजर स्कीम लागू की गयी । खत्म भी कर दी गयी, लेकिन आज तक वहां पर उपभोक्ताओं को न तो मीटर उपलब्ध कराये गये न ही लाइन डाली गयी । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको देखें ताकि वहां पर डिस्कपोजर स्कीम के माध्यम से जो मीटर और नई लाइन डाली जानी है, उसको तुरन्त लगवाने की व्यवस्था करें ।

इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में जो तारों की जर्जर हालत में लाईन पड़ी हैं, उसको बदलने की आवश्यकता है वहां खम्भे काफी प्राचीन काल के हैं, खम्भे जर्जर हालत

में हैं। वहां पर कम से कम मेरे क्षेत्र में 500 खम्भों की व्यवस्था की जाय जिससे पुराने खम्भ व लाइनें बदली जा सकें। मान्यवर, आगरा प्रदूषण की वजह से वहां पर जनरेटर प्रयोग नहीं हो रहे हैं और वहां पर कटौती की जा रही है, उससे जितनी वहां की औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं, वह चौपट होती जा रही हैं। वहां पर 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करें जिससे आगरा का विकास हो सके और आगरा का व्यापार उन्नति की ओर अग्रसर हो सके।

मान्यवर, मीटर रीडर गलत रीडिंग करके, मीटरों से रीडिंग न उतारकर गलत सलत बिल उपभोक्ताओं के पास भेजे जा रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसी व्यवस्था करायें जिससे मीटर रीडर स्वयं घरों में जाकर मीटरों से रीडिंग उतारें उसके उपरान्त ही उपभोक्ताओं के पास बिल भेजे जाये ताकि उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मान्यवर, मेरा क्षेत्र हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर काफी शहरी क्षेत्र भी है, वहां बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर विद्युत करण नहीं हो पाया है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां की हरिजन बस्तियों का शीघ्र विद्युतीकरण कराने की कृपा करें मान्यवर, इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी इस विभाग में आरक्षण को पूरा कराने के लिए जो सतत प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। इनके प्रयासों के फलस्वरूप तमाम अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को इस विभाग में नौकरी मिलने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा श्री बाबू राम यादव आदि के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

सामान्यतः 4 घंटे का समय एक बजट के लिए होता है और वह पूरा दिन होता है। साढ़े बारह बजे बजट शुरू हुआ था, 4 बजने वाले हैं, अब इसके बाद कटौती वाले बोलेंगे, फिर मंत्री जी बोलेंगे। इसके बाद उद्योग का बजट भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अब इस पर बरार जी बोलें।

जो लोग रह गए हैं, उनको उद्योग पर बुला लेंगे। अगर एक को एक मिनट देंगे, तो फिर सबको देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग बैठें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

श्रीमन् एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, आपसे एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं, जब हम कार्यस्थगन प्रस्ताव लाते हैं या अन्य प्रस्ताव लाते हैं, तो आप कहते हैं कि बजट के समय पर इसकी चर्चा कर लीजियेगा और, जब बजट पर चर्चा करने के लिये खड़े होते हैं तो आप कह देते हैं कि अन्य विभाग के बजट पर बोल देना। मान्यवर, यह सब चीजें कैसे संभव हैं। उद्योग विभाग और उर्जा विभाग यह दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन दोनों विभाग का बजट एक ही दिन रख दिया गया, तो कैसे व्यवस्था होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन का निर्णय है । मेरा कोई निर्णय नहीं है । यह तो सदन ने तय किया है । माननीय बरार साहब आप अपनी बात शुरू करें । जो लोग बोलना चाहते हैं, मैं उनका स्पष्टीकरण करवा दूंगा ।

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, मुझको बुलवा दें, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अगर आप को बुलवाऊंगा, तो सभी को बुलवाना पड़ेगा, इसलिये मैं किसी को बुलवा नहीं सकता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, आप इतना तो कम से कम सोचते कि हर जिले से कम से कम एक व्यक्ति को तो बुलवा देते । आप नहीं बुलवायेंगे, तो वह अपने जिले की बात कैसे कहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने एक दिन का समय दिया और इस पर 4 घन्टे बहस हो चुकी है । अब कोई बात नहीं होगी ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष--

जो लोग बोलना चाहते हैं, उनको मैं उद्योग के बजट पर बुलवा दूंगा ।

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण बजट है, इस बजट पर आप सभी को बुलवा लें और चाहें तो हाउस को 11 बजे तक चलायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बरार साहब, आप अपनी बात शुरू करें ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप लोग शाम तक खड़े रहें । मैं किसी को नहीं बुलवाऊंगा ।

श्री शकीलुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। मैं किसी को कोई व्यवस्था नहीं सुन सकता।

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद आप सभी माननीय सदस्यों को समुचित स्पष्टीकरण का अवसर दे दीजियेगा। आप अपनी कार्यवाही चलावें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप हमारी बात को सुनते कहां हैं। मैं तो यही समझा रहा हूं।

(समय 4 बजे अपराह्न)

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैंने आज माननीय विद्युत राज्य मंत्री द्वारा रखे बजट पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और मान्यवर, मुझे यह विश्वास था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य इस पर अपने सुझाव देंगे मान्यवर, कुछ अच्छे सुझाव भी आये हैं, मेरा ख्याल है कि मा0 मंत्री जी ने उन्हें नोट भी कर लिया होगा मैं जब इधर के माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि विद्युत परिषद् विचाराधीन नहीं है बल्कि जयदीप सिंह बरार विचाराधीन है। श्री पूरन सिंह मेहरा जी ने मेरी बरबादी की ओर इशारा किया, इसलिए मैं उन्हीं से शुरूआत करता हूं। "मेरे दोस्त अपनी बरबादी का मुझे गम नहीं, गम है कि इनको देश की बरबादी का गम नहीं है।" मेरे दोस्त विनोद तिवारी जी ने कहा, मैं कहना चाहूंगा "जब कभी देखा चित्र देश के गद्दारों का, बोफोर और पनडुब्बी के दलालों की याद आई।" इसके बाद मान्यवर, मैं और कहना चाहूंगा।

(श्री हरदेव के खड़े होने पर आपत्ति करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यदि कोई ऐसी बात कही होगी तो मैं कार्यवाही देख लूंगा और उसे निकलवा दूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार--

दलालों की बात सुनकर इनको बड़ी चिन्ता हो जाती है और उनकी सुरक्षा के लिये ये तत्पर हो जाते हैं। मान्यवर, मैं दो लाइनें और कहना चाहूंगा। "वो और थे जिन्हें आजादी के लिए हमने खून बहाते देखा, जो अब हैं, उन्हें खून किसानों का स्विश बैंक में जमा करते देखा।" मुझे तो कटौती के प्रस्ताव को रखने के बाद माननीय मंत्री जी ने पान-मसाला खिलाया था। हमारे साथी जो इधर से बोल रहे थे, मुझे लगता था कि जब वह अपना भाषण करते हैं तो पहले मुर्गा बोलता है, जो रात खाया था मंत्री जी के यहां जैसा कि गांधी जी ने भी लिखा है। पहले उस मुर्गे की तरह बोलते हैं उसके बाद जब इनको अपने चुनाव क्षेत्र की चिन्ता होती है, तब ये कुछ सुझाव देते हैं। माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं हैं मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि चोरी को रोकने की आवश्यकता है और इसके लिए सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग तो आपको अपने अधिकारियों से मांगना चाहिए

जो चोरी करवाते हैं। यदि माननीय सदस्य चोरी को रोकने के लिए फील्ड में चला जाता है और कहीं उसके साथ डा0 रजनीकान्त दत्ता का जैसा व्यवहार हो गया तो, फिर क्या होगा। क्या मंत्री जी उनकी सुरक्षा की गारन्टी लेते हैं। चोरी रोकने के लिए आप अपने परिषद् से सहयोग लीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर मैं माननीय मंत्री जी से पहले उत्तर चाहूंगा।

पनकी यूनिट नम्बर-2, मई, 1987 में क्षतिग्रस्त हुई थी, अब उसकी स्थिति क्या है। हरदुवागंज यूनिट-ए जो 70 मेगावाट का है और उसका प्लान्ट लोड फैक्टर गणना हेतु आप 30 एम डब्लू गिनते हैं। ऐसा क्यों है, इसी तरह कानपुर में एक रीवर साइड पर पावर हाउस है, इसकी क्या स्थिति है। आपने कहा कि कानपुर की लो वोल्टेज समस्या की जांच के लिए विदेश से एक कम्पनी बुलाई गई है, यहां पर क्या विद्युत परिषद् के इन्जीनियर अक्षम हो गये हैं? आई0 आई0 टी0, कानपुर द्वारा आप कम्प्यूटर माडल नहीं बना सकते? विलायत की कम्पनी को बुलाया है कि कानपुर की विद्युत् सप्लाई कैसे ठीक की जाय। अगर आप इसको इस पावर हाउस को ठीक कर दें तो समस्या हल हो सकती है, हालांकि ट्रांसमीशन के दोष दूर नहीं होंगे लेकिन उनको दूर करना जरूरी है, लेकिन वे भी वैसे दूर कैसे हो सकते हैं? जब प्लान बनता है तो उत्पादन के लिये अलग व्यय रखा जाता है और ट्रांसमीशन में अलग रखा जाता है, ट्रांसमीशन का पैसा करोड़ों रुपया दूसरी मदों में व्यय कर दिया जाता है। यह पैसा उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए खर्च किया जाता है, हाई टेन्शन का बिजली उनको सप्लाई करते हैं, जहां पर बड़े उपभोक्ता हैं, वहां पर ट्रांसमीशन को आपको कोई प्राब्लम नहीं है। एक-एक सब-स्टेशन पर जो कुछ होता है, किसान भाई सब जानते हैं कि क्यों ओवरलोडिंग होती है और क्यों ट्रिपिंग होती है। अगर 10 घंटे बिजली रहे तो भी उसकी दस बार ट्रिपिंग होती है। जिनको आप हाई टेन्शन पर विद्युत् सप्लाई करते हैं, उनसे भी उतनी ही दर लेते हैं, जितनी दर किसानों से लेते हैं और कहते हैं कि किसानों को सबसे कम दर पर बिजली देते हैं। वास्तव में इनबाल्व कंज्यूमर्स से और भी कम लेते हैं।

लाइन लासेज की बात इन्होंने कही कि वह घट जायगा, 1982-83 में 18.8 प्रतिशत था और 1987-88 में 21 प्रतिशत लाइन लास का लक्ष्य था, वास्तविक उपलब्धि हुई है 22 प्रतिशत। प्रतिशत लक्ष्य से भी अधिक लाइन लास हुआ है। इस लक्ष्य की पूर्ति किधर की है आपने रिकार्ड किधर को स्थापित किया है इसको अपने उत्तर भाषण में बता दें? सातवें प्लान में योजना थी 18 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है, आप बता दें कि 18 प्रतिशत पर कैसे लायेंगे, जबकि तीन वर्ष निकल गये और उसमें लाइन लास 22 प्रतिशत था।

इसी तरह से उपभोक्ता वर्ष के बारे में बात की थी। किसानों की बिजली जो हैं, ये आंकड़े दिखाते हैं कि 25 से 40 प्रतिशत किसानों को दे रहे हैं, इनका कोई मानक या पैमाना नहीं है। कनेक्टेड लोड काश्तकारों का निजी नलकूपों का उतना ही है जितना पूरे प्रदेश के उद्योग का है। उनका पावर कट अगर होता है, तो हिसाब होते ही बिल कम हो जाता है। लेकिन काश्तकार के लिए कोई मीटर की व्यवस्था नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप 5 लाख मीटर लगायें, अगर नहीं लगा सकते तो न लगायें लेकिन सब-स्टेशन पर ऐसा मीटर लगा दें, जो रूरल फीडर पर कितनी बिजली गयी, यह बता सकें। आपको इतना करना है कि उपभोक्ता परिषद् को गठित कर दें, सब-स्टेशन उसके अन्तर्गत कर दें, एक पावर मीटर आप लगवा दें 500 रु0 का भी नहीं आता है उसको सील कर दें। सरकारी अधिकारी की उपस्थिति में, उपभोक्ता की उपस्थिति में और परिषद् के

लोगों की उपस्थिति में सील तोड़ कर प्रत्येक माह रिकार्ड देख लिया जाय कि कितनी देर बिजली गयी। आज आप एक रजिस्टर रख लेते हैं, उसमें आप स्वयं ही नोट कर देते हैं कि इतने घंटे बिजली दे रहे हैं, उपभोक्ता कहता है कि इतनी देर बिजली नहीं मिली। अगर आप जलायें तो 1000 भी रूरल फीडर नहीं होंगे इस प्रदेश में सिर्फ 5 लाख रुपये का खर्च है फिर उसको क्यों नहीं लगा देते हैं ? लेकिन मुझे मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उससे परिषद् के रहस्य पर से परदा उठ जायगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, इसलिये आप नहीं करेंगे।

कमर्शियल पावर देते हैं। जो विकसित देश हैं, वहां पर भी अगर विद्युत् की कमी हो जाय तो ऐशो-आराम की चीजें समाप्त कर देते हैं। यहां पर हजरतगंज में, मैं देखता हूं और दिल्ली की सड़कों पर देखता हूं कि सोडियम लैम्प जलते रहते हैं, रात और दिन यहां पर सचिवों के, मंत्रियों के कमरों में एयरकंडीशन चलता रहता है, तो इसको देखकर लगता है कि कहां बिजली की कमी हुई ? इनको उदाहरण देना पड़ेगा, प्रदेश की जनता के सामने जो कमर्शियल पावर इस्तेमाल करते हैं, एयरकण्डीशन इस्तेमाल करते हैं, उनको वह बन्द कर दें, विद्युत् बचा के परिवेश में कमर्शियल पावर का इस्तेमाल ऐसी बात है जैसे तन की नंगी गहने पहन बैठी हो। अभी माननीय मंत्री जी ने दो फेज की सप्लाई देने की बात कही थी गांवों के लिये सारी रात, वह अभी तक नहीं हो पायी है।

बिजली-बत्ती के कनेक्शन पर आप गांवों में 15 रु0 प्रति माह की बिलिंग करते हैं जबकि गांवों में उपभोक्ताओं को कंज्यूमर्स को कनेक्शन देने की व्यवस्था इतनी जटिल है कि यदि आपको ग्रामीण विद्युतीकरण के घाटे की प्रतिपूर्ति करनी है तो आपको प्रयत्न करना होगा कि हमारे गांवों के कंज्यूमर्स बिजली का इस्तेमाल करें। हर ब्लाक स्तर पर आप प्रार्थना-पत्र लीजिए और एक महीने में उनको कनेक्शन दीजिए। आज आपका लाईनमैन नहीं चाहता है कि बिजली कनेक्शन उसको मिले क्योंकि उसको चोरी कराने में उसको हिस्सा मिलता रहता है। किसानों का पैसा लेकर लाइन मैन खा जाते हैं पर कनेक्शन नहीं लगने देते। कैपिटल रिसीट से रेवेन्यू में पिछले 6 वर्षों में आपके यहां 500 करोड़ रु0 का डाईवर्जन हुआ है। मैं सुझाव देता हूं कि माननीय मंत्री जी, जिन्होंने डाईवर्जन करोड़ों, अरबों रु0 का किया है, आप उनको दण्डित कीजिए, जिन लोगों ने ओबरा को फूंका है आप उसको दण्डित कीजिये, आपके जो ट्रांसफारमर खराब पड़े हैं, जल गये हैं, जिनकी लापरवाही से यह हुए हैं, उनको आप दण्डित कीजिए। मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूं और आप कहते हैं कि मैं कोई सुझाव ही नहीं देता।

विद्युत् परिषद् का उपभोक्ताओं पर 400 कुछ करोड़ रु0 का बकाया है, पता नहीं कैसे आप इसकी पूर्ति करेंगे। 1982-83 में बिजली में प्रति यूनिट कंज्यूमर पर बकाया एक पैसा प्रति यूनिट था लेकिन आज वही 1987-88 में वही बढ़ कर 15 पैसा प्रति यूनिट हो गया है, यानी कि 15 गुना बढ़ गया है। बढ़े हुए रेट भी मान लें तब भी दस गुना बकाया हो गया है प्रति यूनिट घाटा बढ़ता जा रहा है इस तरह यह आपके परिषद् के कर्मचारियों के सहयोग से यह घाटा हुआ है और हो रहा है। लाईन लासेस बढ़ती चली जा रही है, यदि इसमें परिषद् के कर्मचारियों का हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है ? अंदाजा है कि अगले वर्ष 1,000-1,200 करोड़ राजस्व की प्राप्ति होगी। 264 करोड़ मात्र यह अगले साल के लिए ब्याज अदा करेंगे, आप अंदाजा लगा लें कि कितनी आमदनी का एक चौथाई ब्याज में जाता है तो उसकी क्या हालत होगी ? आगे यह कैसे काम करेंगे, कैसे स्थिति को सुधारेंगे, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने वितरण व्यवस्था में बहुत सुधार किया है। मैं अधिक न कहकर केवल इतना ही कह रहा हूं कि आप गाजीपुर को ही ले लीजिए, गाजीपुर का मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि आप विद्युत् मंत्री तो हैं ही और गाजीपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं, वहां कासिमाबाद का 132 के0 वी0 का केन्द्र पिछले तीन साल से स्वीकृत है और आप दोनों हैसियत के मंत्री होते हुए भी उसमें कार्य प्रारम्भ नहीं करा पाये हैं। 33 के0 वी0 वाट केन्द्र बाराचंवर आज तक पूरा नहीं हुआ है कार्य शुरू हुए आठ साल से ज्यादा हो गये, 1220 के0 वी0 का प्रस्ताव है वह भी पूरा नहीं हुआ है इसके अतिरिक्त 200 ट्रान्समाटर जले हुए हैं वह भी आज तक नहीं ठीक कराये गये हैं। माननीय मंत्री जी, कृपया आप इन चीजों की ओर ध्यान दें और देखें। हमने गाजीपुर की मिसाल इसीलिए नहीं दी है कि सिर्फ वहीं खराबी है। सारे जनपदों में काम हो और उनकी सोचनीय स्थिति दूर हो, यही हम चाहते हैं।

मान्यवर, मेरठ के सदस्य हैं, माननीय भोपाल सिंह उन्होंने इसी विधान सभा में ध्यान आकर्षित किया था कि रेनबो स्टील फैक्ट्री मुजफ्फरनगर की, उसमें चोरी पकड़ी गयी और डिस्कनेक्शन हो गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिना किसी कार्यवाही के बिजली सप्लाई लखनऊ के आदेश से चालू हो गई। इसी प्रकार से ट्यूबवेल पकड़े जायें, दूसरी चोरियां पकड़ी जायें और इनके प्रति आपके यहां कार्यवाही करने का कोई इरादा है ही नहीं, बल्कि ऐसे मामलों को पैसा, रिश्वत ले दे कर तत्काल समाप्त कर दिया जाता है तो आप हमसे सहयोग की बात किस आधार पर कहते हैं कि हम ऐसी-ऐसी चोरियां पकड़ें और आपकी शिकायत न करें और उस पर आप कान न धरें। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यही बातें कही हैं कि उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में इस विभाग द्वारा की गयी गड़बड़ियों को उजागर करना चाहता तो इस स्तर से कभी भी सुनवाई नहीं हुई। माननीय भोपाल सिंह जी ने कहा कि इसी विधान सभा में मोदी नगर 3 एम0 वी0 का ट्रांसफारमर अवैध रूप से लगा है परन्तु उसके बारे में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और माननीय मन्त्री जी सहयोग की बात करते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि जो सूचना माननीय सदस्यगण देते हैं कि फलां क्षेत्र में गुंडों के बल पर चोरी बिजली की हो रही है, तो उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करते नहीं।

इसी प्रकार से एक चोरी का मामला रुदौली का सब स्टेशन के पास बल्कि ठीक उसके सामने एक मकान है, जिसके अन्दर कारखाना बना हुआ है वह कारखाना विद्युत् सब-स्टेशन इंचार्ज और आपका विद्युत् काटा इंचार्ज का सामना है जहां वेल्डिंग होता है, मोटर खराद चलाते हैं, बिजली का अवैध प्रयोग होता है यह सभी कार्य वहां पर होते हैं, उन्हीं के हाथों आपने बिजली की चोरी को पकड़े जाने की जिम्मेदारी दे रखी है, तो इस प्रकार की व्यवस्था है आपकी तो किस प्रकार से कल्याण होगा इस प्रदेश का और इस प्रदेश के रहने वालों का। साथ ही मैं मान्यवर टेहरी के लिए एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। इस पर मैंने पहले भी कुछ बातें कही हैं, जिस पर माननीय प्रधान मंत्री जी की बात भी सामने आयी थी तो किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमने उनकी आलोचना की है, ऐसी कोई बात नहीं है मान्यवर मैंने तो यही कहा था कि जो मदद अगर केन्द्र सरकार इस ओर करना ही चाहती है तो जो महंगी परियोजना है अमपारा वाली, उसे केन्द्र सरकार ले ले और टिहरी की परियोजना के कार्य को इस प्रदेश की सरकार को सौंप दे तो वह अवश्य बधाई के पात्र होंगे, यह बात मैंने कही थी। मैं व्यक्तिगत नहीं, नीतिगत आलोचना में विश्वास करता हूं। मेरे द्वारा किसी प्रकार की आलोचना का प्रश्न किसी भी माननीय सदस्य के लिए उठता है। भगवान ऐसा समझने वाले को सद्बुधि दे।

मान्यवर, यह बात सही है, मैं अपनी इसी बात

पर जोर देते हुये सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो टेहरी डैम जिसमें 23 मेगावाट 25 सौ करोड़ रु0 के खर्चे से तैयार होगी, उसे तो आपने केन्द्र सरकार को दे दिया है और जो योजना आनपारा-बी है, उस पर येन मंहगा होने के कारण खर्च 2 हजार करोड़ रु0 हो जाने की संभावना है जापान से ऋण लेकर एक हजार मेगावट की क्षमता का ही सृजन होगा। इसलिये मेरा आपसे सुझाव है कि टेहरी डैम परियोजना आप स्वयं क्रियान्वित करें और केन्द्र वास्तव में यदि आपकी मदद करना ही चाहता है तो यह मांग आप उनसे करें वैसे मैं इसको मानता नहीं हूं कि आप में इतनी हिम्मत हो कि अगर कल परसों की छुट्टी में यदि आप दिल्ली जा रहे हों और उनसे इस सम्बन्ध में बात कर सकें, मैं समझता हूं कि बात से पहले ही आपकी घिग्घी बंध जायेगी माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के सामने, बात करना और मदद लेना तो दूर की बात है।

(हंसी)

फिर भी मैं यह कहूंगा यदि ऐसा हो जाये तो इसका सीधा लाभ आपको मिलेगा और यहां की जनता राहत की सांस ले सकेगी बिजली की हर प्रकार की परेशानियों से।

अतः मैं एक बात और कह कर अपनी बात को खतम करना चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् को भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री और पद्मश्री विभूषण की उपाधियां किसी अच्छे कार्य के लिये दी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस विद्युत् परिषद् के भ्रष्टाचार को देखते हुये, अक्षमता और अकुशलता को देखते हुये, चोरी और धांधली को देखते हुये यह समझ में नहीं आता कि इसे कौन सी उपाधि दी जानी चाहिये कि भ्रष्टश्री, अक्षमश्री अथवा चोरश्री। मान्यवर, इन चीजों को देखते हुये इस प्रदेश का विकास कैसे होगा और अगर इस सदन में इस ओर जो सुझाव आते हैं उन सुझावों के प्रकाश में आप देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं तो राष्ट्र और इस प्रदेश का हित कहां होगा। एक बात और है कि इधर के सदस्यों ने कहा कि मैंने पहले टिहरी के बारे में आपत्ति न कर इस विधान सभा की कार्यवाही में रिकार्ड है, आप उसे देख लें' तो आप को पता चल जायेगा कि मैंने तब भी उस दल में बैठ कर भी विरोध किया था और कहा था कि इस योजना को राज्य सरकार को अपने पास रखना चाहिये और केन्द्र सरकार को नहीं देना चाहिये। यह बात मैंने उस समय कही थी जब मैं इनके दल में था और आज इन्होंने निष्कासित कर दिया है। मुझे बात कहने का दम था और इस समय भी है। इनमें दम है या नहीं, यही बता सकते हैं। जो योजना बनाई है उसका सही क्रियान्वयन नहीं होता है और योजना का तब तक सही क्रियान्वयन नहीं होगा, जब तक कुकर्म करने वाले अधिकारियों को दंडित नहीं किया जायेगा। मान्यवर, यह दंडित नहीं करते हैं, उनको इनाम देते हैं। हम लोग यहां पर जो सुझाव देते हैं, उन बातों को आप यह न समझें कि यहां पर बोलने के लिये कहा जाता है, उनके पीछे जनता की भावना होती है। मुझे विश्वास है कि आप जनता के उन भावों का आदर करेंगे।

श्री मैनेजर सिंह--

आप एक शेर सुना दीजिये।

श्री जयदीप सिंह बरार--

दिक्कत यह है कि माननीय मंत्री जी आगे बैठे हैं और मैं पीछे बैठा हूं। मैं पीछे से प्रहार नहीं करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभारी हूं इधर के माननीय सदस्यों का और उधर के माननीय सदस्यों का जिन्होंने ऊर्जा के बजट पर अपने सुझाव दिये। उसके लिये मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ में कहना चाहता हूं कि बरार जी को इसके पहले काफी बोलते हुये सुना है, लेकिन आज जब वह बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वह दिल से नहीं बोल रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ मजबूरी से बोल रहे हैं। यह मैं जानता हूं कि जब से उधर गये हैं उनकी आत्मा मरती जा रही है। थोड़े दिन पहले जब वह इधर बैठा करते थे तो आत्मा से बोला करते थे, लेकिन जब से उधर बैठ गये हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। जब वह इधर बैठा करते थे तो 41 परसेंट प्लांट लोड की तारीफ करते थे और आज उधर बैठ गये हैं, तो उसी का विरोध कर रहे हैं, जब कि वह 41 परसेंट से बढ़कर 47 परसेंट हो गया है। जिस आत्मा से पहले वह बोलते थे, उसमें अब दम नहीं रह गया है। बरार जी से कहना है कि वह उनकी मजबूरी है, नया मुल्ला जब होता है तो प्याज अधिक खाता है। अभी वह इधर से उधर गये हैं और दूसरे लोग उनका इस्तेमाल कब तक करेंगे। रामपुर में चाहे न मिलें लेकिन लखनऊ में इधर-उधर के बीच वाले लोग काफी मिल जायेंगे। इसके बारे में एक शेर है :--

लिबासे रहबरी पहने रहेगी रहजनी कब तक।
दगा देती रहेगी दोस्ती को दुश्मनी कब तक॥

*श्री राम शरण दास--

मान्यवर, बरार साहब ने शेर पढ़ दिया, उस समय मैं आपके चैम्बर में थे, उनको मैंने सुना, तो सदन में चला गया। मैं चाहता हूं कि वह कोई और शेर सुना दें। इस पर मैं एक शेर कहना चाहता हूं :--

वतन की मोहब्बत से आजाद है ये,
कि जयचन्द व जाफर की औलाद हैं ये।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, इनकी रहबरी के बारे में कहना चाहूंगा।

यह न पूछ कितने ऐसे लोग काफिलों को लूटकर....

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इस विधान सभा की कार्यवाही से अच्छा है यह बात साफ हो गई कि माननीय बरार साहब अब तक कभी बोलते हुये लड़खड़ाये नहीं लेकिन जैसे ही वे उधर गये, बोलते हुये उनकी आवाज गुम हो गई। इससे साफ जाहिर होता है कि वे आत्मा से नहीं बोल रहे हैं माननीय राम शरण दास जी की नजर कहीं रहती है और इशारा कहीं और रहता है। इससे पता चलता है कि जयचन्द्र उधर बैठे हैं इधर नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बरार साहब मेरे बड़े मित्र हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको इतनी सद्बुद्धि दें कि समय रहते वे उनको अपनायेंगे अन्यथा उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है जिसका मुझे बहुत बड़ा दुख होगा।

मान्यवर बरार साहब को हमारी हर चीज से आपत्ति है सिर्फ एक चीज से नहीं है और वह है जो हमने अच्छे काम किये हैं उनका कहना है कि इस किताब पर कितनी चमक है।

श्री फजलुल बारी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने माननीय बरार साहब को धमकी दी है, इसको कार्यवाही में से हटा लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

वे तो प्यार से कह रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इस किताब की चमक से बरार साहब को शिकायत है। यह तो विभाग की चमक है, कांग्रेस की चमक है, सरकार की चमक है, किताबों की चमक है, शहरों और देहातों की चमक है। एक वक्त था जब कि उधर के लोगों को इन किताबों में, दिलों में, नजरों में और हर गली में चमक दिखाई देती थी....

(व्यवधान)

मुझे विश्वास है कि अब दुबारा ऐसा नहीं होगा।

मान्यवर, बरार साहब ने आपत्ति की और बड़े जोरों से कहा कि टेहरी प्रोजेक्ट हम केन्द्र सरकार के माध्यम से रूस द्वारा बनाने जा रहे हैं। मान्यवर, विरोध पक्ष की यह भी जिम्मेदारी होती है, जब वे यह बात कहें तो कुछ रास्ता भी सुझा दें। वे अपनी कटौती के प्रस्ताव के जवाब में यह भी बता दें कि यह 2400 करोड़ रुपया जो हम इस परियोजना में लगाने जा रहे हैं उसे हम कहां से लायें। यह बताने का आप साहस करें और बता दें तो बहुत सी हमारी योजनायें हैं जिनमें हम इस धन को लगा सकते हैं। मान्यवर, केन्द्र सरकार के माध्यम से रूस के सहयोग से इसीलिये यह किया गया। उत्तर प्रदेश के जो संसाधन हैं वे इतने काफी नहीं हैं कि हम 2400 करोड़ रुपये किसी प्रोजेक्ट में लगा सकते। रूस ने मित्रता का हाथ बढ़ाया है और हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस दिशा में एक अहम् भूमिका निभाई है। इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया था।

मान्यवर, टेहरी प्रोजेक्ट इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है। आपने कहा कि रूस को यह टेहरी का प्रोजेक्ट ही क्यों दिया गया आनपारा उनको देना चाहिए था। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि आनपारा जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए जापान से सहयोग की बात चल रही है। अगर वह हमारी शर्तों पर मिला तो हम उसके लिए जापान का भी सहयोग लेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने रौस्टरिंग की बात कही। इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि रौस्टरिंग होना लाजिमी है जब हम प्रदेश को दो हिस्सों में बांट देते हैं 10 घंटे बिजली एक हिस्से में रहती है और फिर जब समय बीत जाता है तो फिर 10 घन्टे दूसरे हिस्से में दी जाती है।

निःसंदेह बिजली कभी किसी को रात में कभी किसी को दिन में मिलेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समय किसानों की फसल तैयार हो चुकी है उनको मड़ाई के लिये बिजली चाहिए।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सब जगह 24 घंटे बिजली क्यों नहीं देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

रात दिन के अलावा सुबह शाम भी दे दिया करें।

श्री प्रमोद कुमार--

बिजली हमारे यहां सीमित है तो उसको दो शिफ्ट में देना पड़ रहा है कुछ जिलों को 10 घंटे दिन में देते हैं और कुछ जिलों को 10 घंटे रात में देते हैं और इसमें भी परिवर्तन करते हैं जहां एक बार दिन में दिया वहां दूसरी बार रात में कर देते हैं। इसमें हम पहले सूचित नहीं करते थे। अब पिछले तीन-चार महीने से यह कर दिया है कि प्रेस के माध्यम से सूचना दे देते हैं कि किन जनपदों में दिन में बिजली मिलेगी और किन में रात में।

इसके अलावा उन्होंने कोई और महत्वपूर्ण बात नहीं कही जिसका हम यहां पर जवाब दें क्योंकि संभवतः उनके पास कटौती में कहने के लिये कुछ था नहीं। उन्होंने एक चीज जरूरी कही किताब के पृष्ठ 15 का उद्धरण दिया, बताया कि किसानों को महंगी और उद्योगों को सस्ती देते हैं और कहा कि 10 पैसे कहते हैं और 27 पैसे लेते हैं। मैं बरार साहब को बताना चाहता हूं वह ध्यान से पढ़ते नहीं हैं यह उस समय है जब सूखे का जिक्र नहीं था। उन्होंने एक बात और कही कि हमारे चश्मे बदल जाया करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जो लोग उधर बैठे हैं उनके चश्मे 100 साल के हैं बरार साहब जिस चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें उनके सामने अंधेरा ही नजर आ रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना चश्मा फिर से बदल लें तो उनको दिखाई पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये, उनके सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा माननीय प्रदीप माथुर जी ने मथुरा के बारे में कहा वहां वोल्टेज ठीक नहीं रहता है आदि तो मैं दिखाऊंगा कि क्या कुछ हो सकता है ? माननीय नरेन्द्र जी ने विस्थापितों की समस्या के बारे में कहा तो हमारी नीति है कि जो विस्थापित हों उनको जहां तक हो सके समायोजित किया जाय हम उनकी सहायता कर रहे हैं। हां अगर कोई प्रकरण वह बतायेंगे तो उनको हम दिखला लेंगे।

माननीय विकल जी ने कुछ ठोस कदम उठाने के लिये सुझाव दिये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिन पहले से बेहतर होंगे क्योंकि 6 मेगावाट से 40 मेगावाट का इजाफा होने वाला है। माननीय राज किशोर सिंह जी ने कहा कि इनके यहां 10 घंटे बिजली नहीं आती है। उनकी आदत है कि वह अपने घर में रहते ही नहीं हैं। तो उनको क्या मालूम कि कितनी बिजली उनके घर में जाती है। मैं बनारस का प्रभारी मंत्री हूं तो मैंने स्वयं देखा है कि 10 घंटे बिजली जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने कैसे आदत क [illegible] कि वह दूसरों के घर रहते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

जब मैं उनके घर गया तो पता लगा कि वह दूसरों के घर में रहते हैं ।

माननीय मैनेजर सिंह जी ने स्थानान्तरण नीति को कड़ाई से पालन करने के लिये कहा । उसके लिये भरसक प्रयत्न होगा कि एक स्थान पर तीन साल से ज्यादा रहने पर क्या हो सकता है ? माननीय वीरेन्द्र सोन जी ने विद्युतीकरण के काम को और बढ़ाने के लिये कहा तो उसमें देखेंगे कि क्या हो सकता है । इसके अलावा जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं उनके सम्बन्ध में विस्तार से कहने का समय नहीं है मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन सभी सुझावों पर गौर कर उचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री मोपाल सिंह--

मान्यवर, हमारे क्षेत्र चौगामा में वाटर लेवल 85 फुट है, तो मैं चाहता हूं कि बिजली का बिल वाटर लेवल के हिसाब से आने चाहिए इसमें बता दें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, ठीक है, माननीय सदस्य श्री मोपाल सिंह की समस्या को भी दिखवा लूंगा ।

मान्यवर, बरार जी जब इधर बैठते थे तो हमारी समस्या को समझा करते थे और उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश कितना गरीब है लेकिन अब उनका जिनसे सम्बन्ध हो गया है वह डालरों से सम्बन्धित लोग हैं । हो सकता है कि उनका फेयर फैक्स से सम्पर्क हो गया हो, इसलिये उनको यहां की समस्यायें कम दिखाई पड़ रही हैं ।

मान्यवर, इधर बैठा दल ईमानदारी के साथ 100 सालों का इतिहास है और देश को आजादी दिलाई है । हां, अब कुछ गुमराह लोग देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, लेकिन चेहरे बेनकाब किये जा चुके हैं । उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि न्याय पालिका का सब को भरोसा है, इतिहास साक्षी है कि फेयर फैक्स कम्पनी का सहारा किसने लिया है ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री जयदीप सिंह बरार--

कानपुर में वितरण व्यवस्था के लिये विदेशी कम्पनी की सहायता लिया तो क्या वह इनके हितैषी हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

निसंदेह मान्यवर, उन्होंने जो नाम लिया था इसलिये जवाब देना जरूरी हो गया था । सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो कहा, वही बात मैंने दोहराई है ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य शांति बनायें रखें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

(व्यवधान)

व्यवस्था का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी खड़े हैं इसलिये व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । आप बैठ जांय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अब मैं इधर और उधर, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । जिन्होंने सुधार हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये और उन सुझावों पर अमल किया जायेगा ।

अन्त में मैं श्री सुरेन्द्र सिंह जी (गाजीपुर) के लिए एक शेर कहना चाहता हूं :

"इतना न बढ़ा दामन, साकी तो जरा देख,
बन्दे से न डर तो काबे से जरा डर ।"

मान्यवर, कहने का मतलब नीचे वालों से न डरें तो ऊपर वाले से तो डरें ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि 1977 में जिला बस्ती में 33 के0 वी0 का सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति हुई और वह 1986-87 में इसी असेम्बली में तत्कालीन विद्युत् मंत्री ने जवाब दिया था कि 1986-87 में मखौड़ा का 35 के0 वी0 का और 1987-88 में हर्रैया का 120 के0 वी0 का बनाया जाएगा और यह एक ऐतिहासिक स्थान है, तो क्या माननीय मंत्री जी इन दोनों सब-स्टेशनों को बनवायेंगे ? और दूसरी बात यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष--

पान्डे जी यही तो आप जबरदस्ती करते हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

जिन गांवों में 1977 से 1980 के बीच में काम चलाया गया, और जहां पर खम्भे लग गये, तार बिछ गये थे, किन्तु ट्रांसफार्मर नहीं लगे थे और अब सारा काम रुक गया, तो क्या वहां पर ट्रांसफार्मर लगवाकर आप विद्युतीकरण करवाने की कृपा करेंगे ? इन दोनों प्रश्नों का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जो मखौड़ा की बात कही गई...

(श्री हरदेव के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात का तो जवाब कोई दे ही नहीं सकता है । अब आप थोड़ी देर लाबी में आराम कर लीजिए, आप सबेरे से खड़े होकर बड़ी मेहनत कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार--

श्री सुखपाल पान्डे ने इस मामले में मुझसे पहले भी मिलकर जिज्ञासा जाहिर की थी, मैंने इसे देख लिया है और मखौड़ा में देखकर उस पर शीघ्र कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मैं यह जानना चहता हूं कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण आप करवाते हैं, उसका मतलब यह है कि गांव में एक खम्भा लग जाना और एक बल्ब लग जाना, मेरी आपसे अपेक्षा है कि जब पूरे एक रेवन्यु विलेज में विद्युतीकरण हो जाए तभी उस गांव का विद्युतीकरण माना जाए, और दूसरी बात यह है कि जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो उनको सालों तक बदला नहीं जाता है, जबकि शहरों में शीघ्र हो जाता है, तो क्या आप इसके लिए कोई अवधि निश्चित करने की कृपा करेंगे कि इतने समय में ट्रांसफार्मर बदल जाएगा ?

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय सदस्य ने जो बात कही कि खम्भे गड़ जाते हैं तो वहां विद्युतीकरण मान लिया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है । यह दो तरह के कार्यक्रम होते हैं और कार्य होता है । एक तो सी0 टी0 है जिसमें यह सही है कि ऐसा मान लिया जाता है, लेकिन एल0 टी0 जहां स्वीकार होता है वहां पूरे एक गांव में करना आवश्यक होता है । दूसरी बात जो उन्होंने कही....

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अब फसल कटने के बाद फसलों की थ्रेशिंग होगी, तो क्या किसानों को इस समय भी फसल के समय की तरह थ्रेशिंग के लिए वह बिजली देंगे और जो हमारे यहां के गांवों में 1986-87 व 1987-88 में विद्युतीकरण किया गया गया था बलीपुर, नगला-खंगर, सरसई-मासूमपुर, अतिकुल्लापुर, गड़िया, अहवादपुर व खन्डनी आदि में वह अभी अधूरा पड़ा है, तो क्या उसको वह पूरा करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय सदस्य मेरे जवाब को तो सुनें । मुझे कहने तो दें । मैंने कहा मड़ाई सीजन के लिए, चाहे जो परिस्थितियां हों, किसानों का हित सुरक्षित रखने के लिए हर तरह से उसे अवश्य बिजली उपलब्ध करायेंगे । मान्यवर, मैं इनका जवाब तो दे दूं । मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मड़ाई के लिए विद्युत् उपलब्ध करायी जायेगी ।

श्री कनक सिंह--

मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में 1985 से 33 के0 वी0 के दो सब-स्टेशन स्वीकृत हैं । इन पर धन भी उपलब्ध हो गया है लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो इसमें अतिशीघ्र काम शुरू करवाने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय सदस्य मुझे लिखित रूप में दे दें इसको देख लें ।

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं पहले एक शेर कहना चाहूंगा :--

"इस तरह मौसम बदलता है बताओ क्या करें,
शाम को सूरज निकलता है बताओ क्या करें,
ये वो शहर है जिसमें, आदमी को देखकर
आईना चेहरा बदलता है बताओ क्या करें ?

यह वह शहर है जिसमें आप भी बैठे हैं और सुनील शास्त्री जी भी बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐरी जी आप बैठें, आप औरों के बारे में न कहें ।

(व्यवधान)

श्री अफसर यू० अहमद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं . . . .।

श्री उपाध्यक्ष--

अरे मंत्री जी आपके पास ही तो बैठे हैं आप उनसे ऐसे ही पूछ लीजिये, मुझसे क्या कह रहे हैं ?

श्री अफसर यू० अहमद--

मान्यवर, बस आधा मिनट लूंगा, बस्ती जनपद में दो हजार गांवों का विद्युतीकर हो पाया है पांच हजार गांव बाकी हैं तो यह बीस सौ तक क्या हो पायेगा ?

(व्यवधान)

श्री कुशल पाल सिंह--

मान्यवर, शेरगढ़ और मांट विद्युत सब-स्टेशन जो हैं यह तीन साल से अधूरे पड़े हैं । बिजली का घोर संकट पैदा हो गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी दो महीने के अन्दर उसको शुरू कराने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात जो किसानों के नाम पर ट्यूबवेल कनेक्शन हैं उनके मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी के नाम से वह स्वाभाविक रूप से होने चाहिए, तो क्या मंत्री जी ऐसा करने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा है । आप लोग इकट्ठा बोल रहे हैं ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा :

न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है,

घुटकर मर जाऊं यही मर्जी मेरे सैय्याद की है ।।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप लोग शान्ति बनाये रखें ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, जो पांच हजार रुपया हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए दिया गया है, उसको बढ़ाकर 15 हजार कर दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

हरदेव जी बैठें ।

श्री अफसर यू0 अहमद--

मान्यवर, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें, बस्ती बहुत पिछड़ा हुआ जिला है ।

(व्यवधान के मध्य)

आप सबकी बातों का जवाब दिलवा रहे हैं आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिलाया है ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

*श्री दीप चन्द्र सोनकर--

मान्यवर, आपके माध्यम से एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । आपकी जो पुस्तिका है उसके पेज 87 पर जनपद जौनपुर में आपने एक गांव चन्दोघाट का वैकल्पिक ऊर्जा के सम्बन्ध में चयन किया है और कहा है कि इसको फोटो वोल्टिक लाइट के अन्तर्गत चयन किया है । तो यह बतायें कि यह किस विकास खंड में आता है ?

(उत्तर नहीं आया)

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, बाबू राम यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि मड़ाई के लिए हम किसानों को सबसे ज्यादा बिजली देंगे । लेकिन बिजली तो आप देंगे जब जनरेशन, ट्रान्समिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ठीक हों । ट्रांसमिशन वाले डिस्ट्रीब्यूशन को बिजली नहीं देते हैं तो आप किस तरह से मड़ाई के लिये बिजली देंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, सोनकर जी का कहना है कि जिस गांव का जिक्र किताब में किया गया है वह गांव जौनपुर में है ही नहीं । मंत्री जी को इस सम्बन्ध में बताना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बरार जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं आया)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10 ऊर्जा विभाग के संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 3,49,76,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या—4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या—5 उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या—6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या—7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या—8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) तथा अनुदान संख्या—9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

पर्वतीय विकास एवं सहकारिता राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 6,10,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 36,10,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 42,72,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 45,28,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि की स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 17, 42, 73, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,63,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।]

मान्यवर, वर्ष 1988–89 के बजट के समय में उद्योग विभाग की मांगों के सम्बन्ध में मैं विभाग के कार्य–कलापों की चर्चा सदन के समक्ष आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे बोलने के लिए नहीं खड़े हुए हैं । मान्यवर, यह उद्योग विभाग का बजट है, आप माननीय उद्योग मन्त्री को निर्देशित करें कि वह उद्योग विभाग के बजट पर बोलने के लिए खड़े हों ।

श्री राम प्रीतार दीक्षित—

मैं भी मंत्री हूं । मान्यवर, संयुक्त दायित्व है, इसमें किसी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, माननीय शाही जी की चिन्ता स्वाभाविक है । मान्यवर, क्या माननीय उद्योग मंत्री इस काबिल नहीं हैं कि वह अपना बजट सदन में प्रस्तुत कर सकें ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री जी इनके पास ही बैठे हुए हैं, उन्हें उद्योग विभाग का बजट प्रस्तुत करना चाहिए । माननीय दीक्षित जी तो पर्वतीय विकास मंत्री हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें तो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, माननीय दीक्षित जी खड़े हुए हैं, इसमें कोई अनुचित नहीं है ।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, हमारा प्रदेश स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले उद्योग के सम्बन्ध में काफी पिछड़ा हुआ था और यदि हम यह कहें कि उद्योग के सम्बन्ध में शून्य था, तो यह कोई अतिशयोक्ति न होगी। मान्यवर, 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम से आन्दोलन के इस बात की जानकारी दी और 1857 में अंग्रेजों को इस बात का आभास हुआ कि उत्तर प्रदेश राजनैतिक दृष्टि से देश में बहुत ही अगुवाई कर रहा है और यही कारण था कि हम उद्योग के मामले में आगे नहीं बढ़ पाये, इसीलिए हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद हमने उद्योग के अन्तर्गत काफी तरक्की की, उसे मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। शासन द्वारा अपनाई जा रही बहुआयामी नीति के फलस्वरूप प्रदेश में लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों को लेकर बड़े विराट कारखानों का एक साथ तेजी से विकास हो रहा है। इसी संदर्भ में मान्यवर, आपके समक्ष यह बताना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लघु उद्योगों की संख्या 1,10,770 थी और उत्पादन था 2,145 करोड़ रुपया तथा रोजगार 9.20 लाख लोगों को मिला था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हमारा है एक लाख इकाइयां बनाने का, हमारी कुल स्थापित इकाइयों की संख्या 54, 905 है और हम चाहते हैं कि 2.78 लाख लोगों को इससे रोजगार मुहैया हो। हम इस कार्यक्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ वर्ष 88–89 के लिए हमारा लक्ष्य 22 हजार लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का है। जहां तक मान्यवर, दस्तकारी का सम्बन्ध है 1.4.87 को यह संख्या 2,98,617 थी, इसके विपरीत कि 87–88 में 30 हजार इकाइयों की स्थापना करें।

मान्यवर, औद्योगिक सेवा व्यवसाय (आई0 आर0 डी0) के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। वर्ष 1988 की उपलब्धि 2,89,645 और वर्ष 1987–88 का लक्ष्य 2,53,200 और उपलब्धि है 2,28,865 इकाइयों की। मान्यवर, ट्राइसम योजना के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि वर्ष 1986–87 में प्रशिक्षित व्यक्ति 32,264 था और फरवरी, 1988 तक उनकी संख्या 22,175 का लक्ष्य था और उपलब्धि 19,170 हुई। मान्यवर, शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 की प्रगति बैंकों को भेजे गये प्रार्थना–पत्र 36,469 है इसमें से 23,436 प्रार्थना–पत्र स्वीकार हो चुके हैं। वितरित ऋण प्रार्थना–पत्र की संख्या 13 हजार है और 20 हजार 532 प्रार्थना–पत्र बैंकों को भेजे जा चुके हैं।

श्री विजय सिंह राणा—

आपका डिपार्टमेन्ट तो है नहीं, काहे को सिर खपा रहे हैं।

श्री राम औतार दीक्षित—

राणा साहब, जो हमारे विभाग ने किया है उसकी प्रगति तो आपको बता दूं। आप बैठें तो।

(व्यवधान के मध्य)

श्री विजय सिंह राणा—

वीर बहादुर सिंह जी के जो नवरत्न हैं वह तो मुन्शी जी हैं। वह तो उसमें आते नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

राणा जी आप बैठें, बीच में नहीं बोला करते, जब नम्बर आये तो खूब बोलें।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, नीति विषयक सवालों का जवाब कौन देगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह जवाब दे देंगे। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह जवाब दे लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह जवाब दे लेंगे जवाब की जिम्मेवारी उनकी है, आपकी थोड़े ही है।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, कैबिनेट का तो कर सकता हूं लेकिन पर्वतीय राज्य मंत्री इसको कैसे रख रहे हैं ? मान्यवर, श्याम सूरत उपाध्याय जी तो बोल सकते हैं, लेकिन राज्य मंत्री उद्योग के रहते हुए राज्य मंत्री पर्वतीय विकास कैसे बोल सकते हैं ? ऐसे हैं तो सत्तारूढ़ दल का कोई एम0 एल0 ए0 बोल लेता।

श्री उपाध्यक्ष--

गुस्से में मत आइये, यह चिन्ता आप क्यों करते हैं ? आप बैठें।

श्री कुतियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई व्यवस्था नहीं है, आप बैठें।

श्री कुतियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, कैबिनेट का कर सकता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह चिन्ता तो उनको होनी चाहिए, आप काहे को परेशान हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, तो मैं कह रहा था।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि बड़े मंत्री कर रहे हैं या छोटे मंत्री कर रहे हैं । बड़े उद्योग वाले हैं या छोटे उद्योग वाले लेकिन मुझे जानकारी है कि हमारे विभाग के प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव और जो उत्तर प्रदेश के उद्योगों के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं, लघु उद्योग निगम, उसके एम0 डी0 नहीं हैं । प्रमुख सचिव नहीं हैं । जब कि ऐसी परम्परा रही है कि जिस समय बजट हो...

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, इन अधिकारियों को तो रहना ही चाहिये ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, अवस्थापन सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि उद्योग विभाग द्वारा अब तक 94 औद्योगिक आस्थान विकसित किये गये हैं । उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र 88 हैं । शीघ्रातिशीघ्र प्रत्येक विकास खंड में एक मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं । हमने वर्ष 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 में जो मिनी औद्योगिक आस्थान स्वीकृत किये हैं उनकी संख्या 380 है । वर्ष 1988-89 के लिये लक्ष्य 300 है । अब तक 98 स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, 75 स्थलों का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है और सभी जगहों पर काम आरम्भ हो गया है । उद्यमिता विकास के सम्बन्ध में प्रदेश में उद्योगों को चुनने, उद्योग लगाने और चलाने हेतु प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था की गई है । प्रति वर्ष 15,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है । तहसील और ब्लाक मुख्यालय पर 6 दिवसीय कोर्स, जिला स्तर पर 15 दिवसीय कोर्स एवं मण्डल मुख्यालय पर 45 आयोजित किये जा रहे हैं जिससे उद्यमियों को लाभ हो रहा है ।

मान्यवर, अपर्याप्त साधनों वाले उद्यमियों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत 30,000 तक का ऋण सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृत किया जाता है । एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत 50,000 तक जिला सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा और 50,000 से 3 लाख तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है । मान्यवर, हम आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि यह जो मार्जिन मनी की योजना है, इससे काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और जो पिछड़े उद्यमी हैं, वह उद्यम करने की ओर अग्रसारित हो रहे हैं । मान्यवर बिक्रीकर छूट के सम्बन्ध में जो हमारे कीर्तिमान हैं, हमने उद्यमियों को बिक्रीकर में छूट की बात कही है, उसमें 3 लाख से अधिक की इकाइयों को 'ए' श्रेणी के पिछड़े जनपदों में 7 साल, 'बी' और 'सी' श्रेणी के जनपदों में साल तथा गैर पिछड़े जिलों में 5 साल तक के लिये बिक्रीकर से मुक्ति प्रदान की जाती है । 3 लाख से कम इकाइयों के लिये यह सुविधा 5, 4 व 3 साल के लिये उपलब्ध है । इसी संदर्भ में केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना का हमारा कार्यक्रम है और इस संदर्भ में यह योजना 31 जनवरी, 1988 तक लागू थी और इसका कार्यकाल 31 मार्च, 1988 तक के लिये बढ़ा दिया गया है । इस

हमको केन्द्रीय सरकार से काफी सहायता मिलती है और यह योजना हमारे प्रदेश में सफल हुई है। इस योजना के अन्तर्गत मान्यवर···

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, यह कोई व्यवस्था नहीं है कि फाइल से भाषण किया जाय। आप सहायता के लिये आंकड़े दे सकते हैं लेकिन पत्रावली नहीं पढ़ सकते।

श्री राम औतार दीक्षित--

अगर आपको कभी कटौती का प्रस्ताव रखने का अवसर मिले और एक कागज भी आप हाथ में न लें तो मैं चुनौती देता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह--

आप केवल आंकड़े दे सकते हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

आप केवल आंकड़े दे सकते हैं, पत्रावली नहीं पढ़ सकते।

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, यह आंकड़े हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

इसकी एक-एक प्रति हम लोगों के पास भिजवा दीजिये। मान्यवर, यह गलत परम्परा है यहां पूरा का पूरा भाषण पढ़ना।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आंकड़े देख रहे हैं, पेपर्स से एसिस्टेंस ले रहे हैं।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इसका कार्यकाल 31 मार्च, 1988 तक के लिये बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पूंजीगत लागत का 'ए' श्रेणी के पिछड़े जनपदों को 25 प्रतिशत सबसिडी, 'बी' श्रेणी जनपदों में 15 प्रतिशत और 'सी' श्रेणी जनपदों में 10 प्रतिशत सबसिडी उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 75.35 करोड़ रु0 का इकाइयों को भुगतान कर भारत सरकार को क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमें 61.09 करोड़ रु0 भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 15 करोड़ रु0 प्राप्त होना शेष है। इसके लिये भी हम लोग प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना से हमारे यहां के लोगों को काफी लाभ मिला है। सबसे ज्यादा धन इस योजना के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में आया है। इसी सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नियंत्रित कच्चामाल इकाइयों को उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लोहा, कोयले तथा प्लास्टिक मैटेरियल व अन्य कच्चे पदार्थों का वितरण करता है। इकाइयां सीधे भी वह सुविधा उत्पादकों से प्राप्त करती

हैं । प्रदेश में पिछले वर्ष 1986 में 26000 बैगनों की आमद के विरुद्ध वर्ष 1987 में 30,000 बैगन कोयला प्राप्त हुआ । आवश्यकता पड़ने पर उसको आगे बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे । गुणवत्ता सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि के सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने फूड टेक्नोलाजी एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट का एक रीजनल आफिस स्थापित किया है जिसका भवन निर्माणाधीन है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट फार प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी का एक शाखा कार्यालय भी कार्यरत हो गया है । उद्यमिता विकास हेतु औद्योगिक विकास संस्थान, लखनऊ में खोला गया है, जिसकी एक शाखा गोरखपुर में भी खोली जा रही है । आगरा में फाउण्ड्री उद्योगों के विकास के लिये एक पी0 पी0 डी0 सी0 (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर) की स्थापना की जा रही है । मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स इण्डस्ट्री के विकास के लिये एक पी0 पी0 डी0 सी0 भारत सरकार यूनिट की सहायता से खोला जा रहा है । देहरादून में मिनीयेचर बल्ब उद्योग के विकास के लिये वर्तमान में फील्ड टेस्टिंग लेबोरेट्री को विकसित करके एक पी0 पी0 डी0 सी0 स्थापित करने का प्रयास है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

फिरोजाबाद की बाबत भी तो बता दें ।

श्री रामऔतार दीक्षित--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी फिरोजाबाद के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में एक ग्लास टेक्नोलाजी इन्स्टीट्यूट की स्थापना का प्रयास है । मान्यवर, कन्नौज में इत्र एवं सुगन्धित तेल उद्योग के विकास के लिये टेक्नीकल डेवलपमेंट एण्ड सर्विस सेन्टर खोला जा रहा है । फर्रुखाबाद में एक आलू पर आधारित उद्योग इसी वर्ष करने जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह तो हर बार कहते हैं ।

श्री राम औतार दीक्षित--

माननीय गुप्त जी, इस वर्ष हमने उनके लिये प्राविजन कर लिया है । रुड़की में एक ड्राइंग एवं सर्वे इन्स्ट्रूमेंट्स की टेस्टिंग के लिये एक टेस्टिंग लेबोरेट्री खोली जा रही है ।

(इस समय 5 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह भी बताना चाहता हूं । पहले आप लोग सुन लें । बाद में अपने भाषण के समय बोल लीजियेगा । मुरादाबाद में पीतल, बस्ती में भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है । काफी बड़ी संख्या में औद्योगिक शेड भी बनाये जा चुके हैं । वहां कारीगरों को वितरित कर दिया गया है । 25-40 शेड लगभग रह गये हैं । निकट भविष्य में वह भी वितरित कर देंगे । चर्म विकास नगरी जिसकी स्थापना की बात आगरा में है । उसकी भूमि की अध्याप्ति का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस वर्ष हमने उसकी स्थापना के लिये कार्यवाही की है । धन का प्राविधान भी हो रहा है । मान्यवर, सहारनपुर में लकड़ी की नक्कासी के काम को करने के लिये एक टेक्निकल सर्विस सेन्टर स्थापित किया जा रहा है, जिसका काम इस समय काफी प्रगति पर है । मान्यवर, इसी तरह औद्योगिक वातावरण बनाने के सम्बन्ध में लघु उद्योगों के विकास में मध्यम एवं वृहत् उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान होता है । प्रदेश में वर्तमान में 733 मध्यम व वृहत्

उद्योग हैं, जिनमें से 4283 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी विनियोजित है। मान्यवर, वर्तमान में प्रदेश में कई केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनायें भी क्रियान्वित की जा रही हैं। इसमें बी0 एच0 ई0 एल0, वाराणसी, हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि0, सुल्तानपुर, आई0 टी0 आई0 मनकापुर, बी0 ई0 एल0, कोटद्वार आदि प्रमुख हैं। मान्यवर, प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिये इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 7000 करोड़ रुपये के पूंजी विनियोजन करने की आशा है।

अब मान्यवर, मैं इसी सन्दर्भ में अपने कुछ निगमों के कार्यकलाप के बारे में जानकारी देना अपना कर्तव्य समझता हूं। मान्यवर, सबसे खुशी की बात है कि राज्य खनिज विकास निगम इस वर्ष सहारनपुर और पौड़ी में अपना काम प्रारम्भ करने जा रहा है इसके अतिरिक्त वहां पर सोना निकालने का काम भी किया जा रहा है।

मान्यवर, इसी तरह इलाहाबाद जिले के लालापुर में भी खनिज विकास निगम अपना काम कर रहा है। मिर्जापुर में इस निगम के माध्यम से, बांदा में, इलाहाबाद में और देहरादून में इस निगम ने काफी प्रगति की है और जहां मान्यवर, पिछले वर्ष हमने 117 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया था, वह इस वर्ष बढ़कर करीब 3 करोड़ होने की सम्भावना है।

मान्यवर, इसी तरह हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक वित्तीय आयोग का गठन किया है। इस आयोग के माध्यम से हम अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं और इस काम के लिये 5 करोड़ रुपये की पूंजी निर्गत की गई है। इसके माध्यम से हम उनको नौकरी दिलाने का काम भी करते हैं और उनको हर तरह से प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम इस आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन लोगों को इस आयोग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी योजना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, हमारे यहां उत्तर प्रदेश से कुछ वस्तुओं का निर्यात भी होता है और हमारा निर्यात निगम इस काम को देख रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1986-87 में 240.31 लाख रुपये की वस्तुओं का निर्यात हुआ था और वर्ष 1987-88 में हमने लगभग 250 लाख रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया है। मान्यवर, वर्ष 1988-89 में हम इसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको हम 15-20 प्रतिशत आगे ले जाना चाहते हैं। मान्यवर, इसी तरह हस्तशिल्प के विकासार्थ विपणन की सहायता प्रदान करने हेतु निगम अपने प्रदर्शन कक्षों के माध्यम से बिक्री कर रहा है। इस तरह के सेन्टर्स आगरा, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर आदि जगहों पर स्थित हैं।

मान्यवर, चिकन के सम्बन्ध में भी मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। चिकन का कार्य भी कराने के लिये हमने अल्पसंख्यकों के माध्यम से इस काम को शुरू किया है, जिसमें लखनऊ का चिकन हिन्दुस्तान भर में मशहूर है और यहां की महिलायें चिकन का काम बहुत अच्छा करती हैं। यह महिलायें हाथ की बड़ी अच्छी कारीगर हैं, उनकी कारीगरी को प्रोत्साहन देने के लिये यह निगम बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

मान्यवर, अब मैं सीमेन्ट कारपोरेशन की बात आपके सामने रख रहा हूं। मान्यवर, इस कारपोरेशन ने इस वर्ष अपने काम में काफी तरक्की की है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा यह निगम नुकसान में चल रहा है। ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से हमको इस क्षेत्र में काफी कम्पटीशन करना पड़ रहा है। लेकिन मान्यवर, यह ऐसा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से

हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमारा सीमेन्ट का उत्पादन काफी बढ़ा है। हमारा एक वित्तीय निगम है, जिसके माध्यम से उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस वर्ष इस निगम ने 160 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं और उसमें से 130 करोड़ रुपये वितरित भी किये जा चुके हैं। 31 मार्च, 1987 तक 7600 कमजोर वर्ग के लोगों को और 7138 बुनकरों को क्रमशः 12·54 करोड़ रुपये व 4·30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें काफी प्रगति हुई है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हमारा यह निगम अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।

मान्यवर, हम पिक-अप के माध्यम से भी उद्यमियों को ऋण देते हैं। उसके कार्यकलापों की व्याख्या करने में अपना परम कर्तव्य समझता हूं। हमने 1986-87 में 139 इकाईयों को 96·55 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की। चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी तक 133 इकाईयों को 100·68 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है 132 इकाईयां जो संयुक्त क्षेत्र में लगाई गई हैं, उनमें लगभग 2660 करोड़ रुपये का विनियोजन प्रस्तावित है। हम इन्डोगल्फ फर्टिलाजर एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन लि0, उरई, वेजप्रोफूड्स एण्ड फीड्स लि0, रायबरेली में, मेसर्स नेशनल स्विच गीयर्स लि0, गाजियाबाद में, मेसर्स हैरीग क्रैन्कशाफ्ट्स लि0, हल्द्वानी में स्थापित किया जाना है। जिनके कार्य लगभग प्रगति पर हैं।

हमारे पास और भी बहुत से निगम हैं, जिनके कार्यकलाप बहुत अच्छे हैं। उनमें यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन भी है, ओखला में हमारा उद्योग विकास क्षेत्र बन रहा है। यहां पर हम उद्यमियों को आकर्षित करने के लिये बिजली, सड़क और अन्य सुविधायें दे रहे हैं और ओखला के अन्तर्गत काफी लोग आकर्षित हो रहे हैं। उसे हम बराबर डेवलप कर रहे हैं ताकि बाहर के उद्यमी भी हमारे प्रदेश में आयें। उनको हम समुचित सहायता देंगे, जिससे हमारे प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में भी काफी काम किया गया है। इस सदन के माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगले दो वर्ष में आगरा में एक 100 करोड़ रुपये का इलेक्ट्रानिक प्रोजेक्ट स्थापित हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, जो भी उद्योग विभाग ने कार्यकलाप किए हैं, उनको मैंने आपके समक्ष संक्षेप में रखा। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारा उद्योग निरन्तर बढ़ता रहेगा। उद्योगों को बढ़ाने के लिए हमारा यह एक आन्दोलन है। इस आन्दोलन को बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि इसमें हम सब भागीदार बनें इसका प्रचार-प्रसार ज्यादा होना चाहिए। अन्त में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आज हमने खादी उद्योग क्षेत्र में भी काफी विकास किया है, खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से अनेकों काम किये हैं, कालपी में कागज का काम प्रगति पर है, मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि हाथ से बने हुए कागज को अधिक से अधिक प्रयोग में लायें और हमारा सहयोग करें, जिससे खादी ग्रामोद्योग से बनी चीजों को समाज के सामने ला सकें। हथकरघा में भी काफी काम हुआ है और इधर जनता धोती में 2·00 रु0 से बढ़ाकर 2·75 रु0 की सबसिडी देकर जनता धोती बनाकर हम गरीब बुनकरों की मदद के लिये कृत संकल्प हैं।

श्री हरिश्चन्द्र, श्री हरीश जी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग),

अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या 7--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण), अनुदान संख्या 9--उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि को काटकर 1 रु0 कर दिया जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

मान्यवर, मैंने माननीय मन्त्री जी को बहुत अच्छी तरह सुना है। उन्होंने काफी कुछ पढ़ा और जो कुछ लिखकर मिला था उसे भी सुनाने में कटौती कर दी, लेकिन यह सब सुनने के बाद मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आपकी आलोचना और कमियों की बात कम करूंगा और उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन कैसे हो, इसके विषय में सुझाव देना चाहूंगा। माननीय मन्त्री जी ने पूरी गाथा गाई कि यह खोला वह खोला, इतना रुपया दिया, उतना रुपया दिया। अगर उन्होंने यह कह दिया होता कि मेरे वर्ष भर काम करने का परिणाम यह हुआ कि गरीबी में कमी आई, वस्तुओं की उपलब्धता को इतने प्रतिशत बढ़ाया है, तो मैं मान लेता कि उद्योग विभाग ने कुछ किया है लेकिन यदि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती गई हो, सामानों की उपलब्धता में कमी आई हो, तो यह मानना होगा कि उद्योग विभाग विफल रहा है। उद्योग विभाग का उद्देश्य है कि बेरोजगारी को दूर किया जाय गरीबी को घटाया जाय, सामानों की उपलब्धता बढ़ाई जाय।

उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद क्रमशः बढ़ती जा रही है और 46 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गये हैं। अगर 5 साल पहले 25-30 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे तो आज 46-47 प्रतिशत उसके नीचे पहुंच गये हैं, आपका उद्योग विभाग क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 33 लाख है, अगर 5 साल पहले 20 लाख थे तो आज 33 लाख हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उद्योग विभाग क्या कर रहा है? जहां बेरोजगारी है, गरीबी है, वहां आपका उद्योग विभाग क्या कर रहा है? मैं जानता हूं कि आप कुछ नहीं कर पायेंगे क्योंकि आपकी नीति ही इतनी गलत है कि अगर इसको नहीं बदला गया तो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन कदापि नहीं होगा। आज के वर्तमान मुख्य मंत्री जी 1984 में जब उद्योग मन्त्री थे तब आपने बजट भाषण में कहा था कि "यही नीति हमारी सरकार की है और यह देखना पड़ेगा कि वहां ट्रांसफार्मर है या नहीं, रेलवे लाइन है या नहीं, सड़कें हैं या नहीं, बिजली की सुविधायें हैं या नहीं यह देखना होगा, वहीं उद्योग खोले जायेंगे।" मान्यवर, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां बिजली होगी, जहां सड़कें होंगी, जहां रेलवे की लाइन होगी, जहां ट्रान्सफारमर होंगे, वहां उद्योग खोले जायेंगे या जहां बेरोजगारी होगी, जहां भुखमरी अपना पैर तोड़ कर बैठी होगी, जहां गरीबी अपना नंगा नाच कर रही होगी, वहां उद्योग खोले जायेंगे? जहां बेरोजगारी होगी, जहां भुखमरी होगी, वहां सड़कें बनाई जायेंगी, वहां रेल की लाइन पहुंचाई जायेगी, वहां के लिए यदि आप कहते कि हम उद्योग खोलेंगे तो मैं मान लेता और कुछ न कहता। आप कहिये कि जहां गरीबी होगी, जहां बेरोजगारी होगी वहीं आप उद्योग धन्धे खोलेंगे।

आज गांव में उद्योग नहीं हो रहे हैं, मुझे मुरादाबाद से विरोध नहीं है, मुझे फिरोजाबाद से विरोध नहीं है, मुझे मेरठ से विरोध नहीं है, मुझे बनारस से विरोध नहीं है, मुझे बरेली से विरोध नहीं है। आज आप कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग नहीं खोल रहे हैं, आज आप शहरों में, मुट्ठी भर जगहों में मुट्ठी भर लोगों के लिए जिसका केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथों निर्माण होगा। काम हो, वहां आप उद्योग धन्धे खोलें

रहे हैं । इसी कारण से आज गांव का आदमी भाग कर शहरों में, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में जा रहा है । क्यों ? क्योंकि परेशानी है कि गांव में काम नहीं है । खेती के लिए जमीन नहीं है । गांव में 91 प्रतिशत लोग दस बीघा से नीचे वाले किसान हैं 18 प्रतिशत भूमिहीन हैं । इसलिए गांव में काम नहीं है, वह भाग कर शहरों में दूर दराज जा रहा है काम की तलाश में क्योंकि आप वहीं पर अपने उद्योग और धंधे नहीं खोल रहे हैं । एक युवक अपनी पत्नी को, परिवार को, गाय को, बछिया को छोड़ कर दूर जाने के लिए मजबूर है और वह भाग कर दिल्ली, कलकत्ता, बनारस जा रहा है । अगर आप बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं तो गांव में ही आप उद्योग खोलिये ताकि वहां के लोगों को काम मिल सके और लोग राहत महसूस करें ।

मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, नाम तो नहीं लूंगा परन्तु एक मंत्री जी ने मुझसे पूछा कि आप कहां के रहने वाले हैं तो मैंने कहा मैं बांसगांव तहसील का रहने वाला हूं । वह मजाक के मूड में आ गये और पूछने लगे कि अच्छा वही बांसगांव तहसील जहां की बहुएं घर छोड़ कर भाग जाती हैं ? मैंने कहा हां, यह कांग्रेस सरकार की ही देन है कि जहां की बहुएं घर से भागने के लिए मजबूर की जाती हैं क्योंकि गांव के लड़कों को गांव में काम नहीं मिलता है और वे रोजी-रोटी कमाने के लिए बाहर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं अपना परिवार छोड़कर ।

मैं आपको बतला रहा हूं कि हमारे गांव का एक लड़का किसी दूसरे शहर में रोजी-रोटी कमाने के लिए गया था । एक दिन उसके घर तार गया कि फौरन घर आ जाओ । तुम्हारा गौना है वह घर के लिए चल दिया । दो दिन उसे घर पहुंचने में लग गये, दो दिन काम पर वापस जाने में लग गये, एक दिन वह अपनी बारात को लेकर आया, दूसरे दिन लौटा रात में बहू के कंगन भी नहीं छूटे कि सबेरे वह जवान लड़का अपनी बहू को छोड़ कर काम पर लौट गया । जवानी को इस जुदाई में कोई कब तक सम्हाल सकेगा । तो कांग्रेस की नीति ही ऐसी है जिसके कारण घर तबाह हो रहे हैं । लोगों को अपने ही गांव में जहां उनके घर-परिवार के लोग रहते हैं, गाय, जानवर उनके होते हैं, वहां उनको उद्योग में काम मिलना चाहिए, लेकिन जब तक आप गांवों में उद्योग खोलेंगे नहीं, तब तक यह हो सकना सम्भव नहीं है । आप गांवों में उद्योग धंधे खोल नहीं रहे हैं । महात्मा गांधी ने कहा था गांवों का उत्पादन का केन्द्र बनाये जांय, शहरों में बेचने का काम होगा । लेकिन गांव को उत्पादन का केन्द्र नहीं बनाया जा रहा है, जब तक यह नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा । आज गांवों में लोगों के पास रोजगार के नाम पर गाय, बैल, बछिया और थोड़ी सी भूमि है । वहीं शहरों में आप जाइये, तो वहां सड़ांध हो रही है । आज जवानी गांव से भाग रही है । आज गांव से जवानी भाग रही है । आज हालत यह है कि गांव से जवानी और गांव का कच्चा माल शहरों को जा रहा है और फिर लौट कर वह तैयार होकर गांव में आ रहा है और गांवों का धन बड़े-बड़े शहरों में मुट्ठी भर लोगों के हाथों में लुप्त हो रहा है आज गांव निर्धन हो रहे हैं, गांव गरीब हो रहे हैं । शहर परेशान हैं सड़कों से आज गांव परेशान हैं अपने अभाव से । मान्यवर, गांव में उद्योग धन्धा खोलने के लिए अभी आपका ध्यान नहीं है, अतः इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव को उत्पादन का केन्द्र बनाया जाय आज महात्मा गांधी (अध्यक्ष पीठ की ओर इशारा करते हुए) वहां खड़े हुए हैं, सरकार उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही है । पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने कहा था कि हर हाथ को काम दिया जाय, लेकिन यह नहीं हुआ । अभी जब मैं अपने गांव की हालत के बारे में बतला रहा था तो मेरे सामने बैठे हुए सदस्य मुस्करा रहे थे । आप गांव में

रहने वाले की पीड़ा को क्या समझें ? गांव में रहने वाला ही उस पीड़ा को समझता है। गांव में रहने वाले लोग उसको समझते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं एक दिन मैं एक बस में जा रहा था, जिसमें एक गाना हो रहा था, पत्नी कह रही थी कि हमारे लिए हाथ का कंगन पैर की पायल और कमर की करधनी ला दो तो इस पर पति कहता है कि जब मैं बम्बई और कानपुर जाऊंगा तो लाऊंगा यह सब लाऊंगा। मान्यवर, इस पर मुझे कहना यह है कि आज प्रदेश के हर छोटे-बड़े का यह विश्वास बन चुका है कि इस प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है उद्योग के नाम पर जब तक कहीं बाहर जाकर कुछ कमायेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, मान्यवर छोटे-छोटे उद्योग जो पहले गांवों में हुआ करते थे, कताई-बुनाई के, मोचियों के, सोनारों के, बढ़ई-लोहार के जिनके जरिए इनकी जीविका चला करती थी, धीरे-धीरे सब समाप्त होता जा रहा है।

साथ ही मान्यवर आज 15 लाख बुनकर परिवार में प्रदेश भुखमरी के कगार पर पहुंच रहा है, इधर मान्यवर, सूत के दाम भी बेतहाशा बढ़े हैं। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिस सूत का दाम आज से 10 माह पहले 82 रु0 में पौने पांच किलों का बंडल मिला करता था वह आज 165 रुपयों में हो गया है और जो रेशम प्रति किलो 4 माह पहले 400 में मिलता था वह अब 1,140 रु0 में हो गया है, तांबे के तार जो प्रति किलो 2 माह पहले रु0 34 में मिलते थे अब 86रु0 में हो गया है, इसलिए मान्यवर, जब सूत मंहगा हुआ तो रेशम में भी महंगी आ गयी और इनके कपड़ों की बिक्री में भी मंदी आ गयी, जिससे इनकी परेशानियां दूनी हो गयी हैं और एक बात मान्यवर, और कहना चाहूंगा कि जब से सहकारी समितियां बनी हैं, यह बड़ा ही गोरख-धंधा है, एक यूपिका को ही ले लीजिये, यह वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ-साथ हथकरघा उद्योग भी संचलित करता है, इसके केन्द्रीय कार्यालय में 1952 कर्मचारी/अधिकारी हैं, जिनमें प्रति माह 21 लाख और 50 हजार रु0 का वेतन वितरित होता है, दूसरे एक डिपो मैनेजर है और तीसरे फर्जी सहकारी समितियां यह तीनों मिलकर बुनकरों को मिलने वाले रिबेट को खाए जा रहे हैं, इससे बुनकरों की पहले से कमजोर कमर और टूटती गयी है।

एक बात की ओर आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहूंगा छोटे उद्योग की तरफ। इस सम्बन्ध में आपने अपनी एक पुस्तक "1988-89 उद्योग इलेक्ट्रानिक्स एवं निर्यात-प्रोत्साहन विभाग नामक में यह लिखा है कि "प्रदेश में जितने भी बड़े उद्योग स्थापित हैं उनके लिए पूरक उद्योगों का विकास किया जाता है। इस प्रकार लघु उद्योगों के विकास हेतु किये जा रहे प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 20 हजार नये उद्योगों की स्थापना हो रही है।" इसलिए माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जब तक प्रदेश में बढ़ावा नहीं मिलेगा छोटे उद्योगों को तब तक सही प्रकार से बेरोजगारी का उन्मूलन प्रदेश का नहीं होगा क्योंकि छोटे उद्योग औद्योगिक नीति के मूलाधार हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि यह छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के आज पूरक बने हुए हैं, जो बहुत ही गलत है, अगर इस नीति को आपने ठीक कर लिया तो फिर छोटे उद्योग पनपेंगे और इनका प्रसार होगा और हर हाथ को काम मिलेगा और तभी देश और प्रदेश की जनता का सही उत्थान होगा, यह केवल नीतिगत बात है, जिसको तुरन्त ठीक करने की कृपा करें। आपने छोटे उद्योगों को पैसा कम दिया है, बड़े उद्योगों को ज्यादा दिया है। इसलिए आप इस नीति में परिवर्तन करें, आप इसमें नीतिगत परिवर्तन और करें। मैं कहना चाहता हूं कि छोटे और बड़े उद्योगों में, उनके बीच में कोई सीमा रेखा नहीं है। इसका परिणाम मान्यवर, यह हो रहा है कि बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को निगलते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप निश्चित कर दें कि कुछ आइटम बड़े उद्योगों

में बनेंगे और बाकी सभी आइटम छोटे उद्योगों में बनेंगे । आप निर्धारित कर दें कि कौन-कौन आइटम बड़े उद्योगों में बनेंगे और कौन-कौन आइटम छोटे उद्योगों में बनेंगे, इससे आपका कदम गरीबी उन्मूलन की ओर बढ़ेगा और मुनाफा ज्यादा लोगों में वितरित होगा और पूंजीवाद नहीं पनपेगा । आप अमुक चीजों के लिए छोटे उद्योगों को सुरक्षित कर दें और उन चीजों के लिए बड़े उद्योगों को प्रतिबन्धित कर दें, तभी गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन हो सकेगा ।

आपने बड़े उद्योगों की बात कही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बड़े उद्योगों की बात करते हैं, लेकिन छोटे उद्योगों को तो चला नहीं पा रहे हैं । बड़े उद्योगों की दुर्दशा है । आप कहते हैं कि फैक्टरी खड़ी कर दो । आप उनको पैसा दिला नहीं पाते हैं, उनको पैसा मिलता नहीं है, कैसे फैक्टरी खड़ी करा दें । जब उनको पैसा देने की बात आती है, तो सौदेबाजी होती है । यदि उद्योग विभाग ने रुपया दिया फैक्टरी खड़ी हुई, पैसा बैंक से उनको मिला नहीं, बिजली मिली नहीं और उत्पादन शुरू हुआ नहीं और ब्याज बढ़ता गया और वही हालत हो गयी, बनने गये थे चौबे जी छब्बे और लौटकर आये बनकर दुबे । जो उद्योगपति बनने गये थे, वह कंगाल बन गये थे ।

आपकी सरकारी किताब में है कि 115 उद्योगों में से 66 उद्योग सिक हो गये बीमार हो गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा काम किया जा रहा है ? अगर किसी उद्योगपति ने सुल्तानपुर में उद्योग स्थापित करने के लिए वह सिक हो गया हो, तो आप इस बारे में कड़ाई से कदम उठावें और अगर सचमुच में वह सिक हो गया है तो आप अपनी इस नीति पर फिर से विचार करें । मैं पूछना चाहता हूं कि ग्राम संवर्धन योजना और जिला उद्योग केन्द्र के जो भूतपूर्व उद्योग मंत्री श्री राम प्रकाश जी की नीति थी, उसका क्या किया है । मिनी आस्थान की बात कही गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1985-86 में 51 स्थानों पर, वर्ष 1986-87 में 124 स्थानों पर और 1987-88 में 209 स्थानों पर मिनी आस्थान खोलने का काम किया गया है । आप कहते हैं कि इसके लिये जमीन नहीं है । इन 40 वर्षों में 384 ब्लाकों में यह खोले गये हैं और हमारे प्रदेश में 895 ब्लाक हैं, तो 80 वर्ष कम से कम लग जायेंगे जबकि कागज पर मिनी आस्थान आप खोल लेंगे । अभी 80 वर्ष और लग जायेंगे, तब कागज पर खुल पायेंगे ।

बस्ती जिले के बांसी में कागज पर 1985-86 में खुल गया, लेकिन आज तक वह धरती पर नहीं खुला है । यह मौके पर नहीं है । कागजी काम हो गया, तब तो 80 वर्ष लग जायेंगे । केन्द्रीय उपादान योजना की बात कही गयी है, इसमें तीन श्रेणियां हैं, ए श्रेणी के जिले को 25 लाख, दिया जाय बी श्रेणी को 20 लाख और सी श्रेणी को 15 लाख रुपया दिया जाता है । अगर जौनपुर, सुल्तानपुर और कानपुर ए श्रेणी म हो सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बलिया, बस्ती, फैजाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच और प्रतापगढ़ में ए श्रेणी में न रखने का क्या कारण है ? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सुल्तानपुर, जौनपुर और कानपुर को शून्य उद्योग क्षेत्र में दे दिया और बलिया, बस्ती, फैजाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच और प्रतापगढ़ को इस श्रेणी में न रखने का क्या कारण है । यह नीति आपसे राजनीतिक भेदभाव से बुरी तरह से प्रभावित है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए ।

मान्यवर, जितने इस सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके लिये कुछ बात कहना मुझे खुद अपने को अपमानित करना है । मान्यवर, यहां पर इस समय 59 उपक्रम हैं । इनमें घाटा है, गबन है बदमाशियां हैं, भ्रष्टाचार है अधिकांश निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं । ये निगम उत्तर प्रदेश की पीठ पर भारी बोझ स्वरूप हैं । इन

59 निगमों में इस समय कुल 50 अरब रुपये की पूंजी लगी हुई है और 20 अरब रुपये का घाटा है। जो 8 आपकी वस्त्र निर्माण की इकाइयां हैं। 1982-83 में इनकी पूंजी 1.8 अरब रुपये थी और घाटा 16 करोड़ रुपये थे। 1985-86 में इनकी पूंजी 3.2 अरब रुपये हुई तो घाटा 52 करोड़ हो गया। 1986-87 में पूंजी 2.2 अरब हुई तो घाटा 2.26 अरब हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी पूंजी लगी थी उसी के लगभग घाटा हो गया और मुनाफा जहन्नुम में चला गया। तो घर की पूंजी से इनको चलाने का क्या औचित्य है ?

मान्यवर, चुर्क सीमेन्ट उद्योग की बात कही गई (व्यवधान) जिनके घर की बात बोल रहे हैं मंत्री जी, वे ठीक समझते होंगे। आपके सामने सब कुछ लिखकर दे दिया गया, आपको इधर से कमियां पता नहीं चलेंगी तो आप कैसे सम्भलेंगे और कैसे सरकार को सम्भाल पायेंगे। आपकी चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी की उत्पादन क्षमता के बारे में बताना चाहता हूं कि उसकी उत्पादन क्षमता 4.80 टन प्रति दिन है जब कि वह 0.15 टन पैदा करती है। इसी प्रकार डाला सीमेन्ट फैक्टरी की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 4 टन है और वह पैदा कर रही है 0.34 टन। इसी प्रकार चुनार सीमेन्ट फैक्टरी की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 11.44 टन है और वह पैदा कर रही है 5.98 टन। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उत्पादन कैसे घटता चला जा रहा है। जिस विकास निगम की आपने बड़ी तारीफ कर डाली उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की, उसके बारे में बताना चाहता हूं। कहते हैं सहारनपुर में सोना निकलने जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे पास इस खनिज विकास निगम के सम्बन्ध में एक कागज है, अगर मैं उसे यहां पर पढ़ दूंगा तो सरकार का सर शर्म से झुक जायगा। यह कागज मैं मंत्री जी को सौंप दूंगा। मुझे शर्म आती है इस खनिज विकास निगम के सारे में कार्यकलापों को सदन में पढ़ने से। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इसको देखेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी संकीर्णता, ओछेपन, अनियमितता का घिनौना उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस निगम को 8 करोड़ रुपया दिया था काम करने के लिये। आप पूछें कि यह कहां चला गया। वह इलाहाबाद बैंक में 8 प्रतिशत सूद पर जमा कर दिया गया। आपने 14 प्रतिशत सूद में लिया होगा और 8 प्रतिशत पर इलाहाबाद बैंक में जमा हो गया। उसका हिसाब बतायें। एक बात और कहना चाहूंगा कि चोपन, कर्वी, शंकरगढ़ की इकाइयां बन्द होने की स्थिति में हैं। खनिज विकास निगम में 173 नियुक्तियां हुई हैं और 17 प्रतिनियुक्तियां हुई हैं। अनेक लोग लिये गये हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इससे ज्यादा कोई ओछा, नंगा और घिनौना काम और दूसरा हो सकता है ? यदि यह होगा तो हमें सार्वजनिक जीवन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये इस ओर आप ध्यान दें। जो भी पैसा दिया जा रहा है उसका सही उपयोग हो। जिन लोगों को लगाया जा रहा है वे सही ढंग से काम करें ताकि हमारी और आपकी इज्जत बनी रहे। विपक्ष के लोग भी सरकार में रह चुके हैं और आप भी विपक्ष में रह चुके हैं। किसे हम सबका पता नहीं है। सभी जानते हैं। यदि आप इसे ठीक नहीं चला पायेंगे, तो जनता का हमसे और आप से विश्वास उठ जायेगा और अराजकता आ जायेगी तो इस तरह से कोई भी सरकार को चला नहीं पायेगा। आप देखिये कि जो पैसा दिया गया है वह कहां जा रहा है आपके कर्मचारी और अधिकारी क्या करते हैं ? इसके साथ ही यदि आपके विभाग द्वारा बेरोजगारी और बेकारी का उन्मूलन नहीं होता है तो उद्योग विभाग चलाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि महात्मा गांधी की इस बात को मान लीजिये कि गांवों को उत्पादन का केन्द्र बनाया जायेगा,

छोटे-छोटे उद्योग गांवों में खोले जायेंगे और छोटी-छोटी पूंजी से ज्यादा लोगों को काम देने की व्यवस्था की जायेगी ।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिला केन्द्रों पर उद्योगों को चलाने के लिये पूंजी, कच्चा माल, टेक्निकल ज्ञान, प्रबन्ध क्षमता का ज्ञान देने वाले सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करें और लोगों को लखनऊ और कानपुर न दौड़ायें । औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल, पूंजी, प्रबन्ध तंत्र का ज्ञान कराने के लिये सक्षम अधिकारी रखे जायं । हर ब्लाक स्तर पर जो उद्योग खोलने की बात कर रहे हैं उसके साथ ही हर न्याय पंचायत में एक-एक केन्द्र खोलकर छोटे-छोटे ग्रामीण उद्योग लगाने के काम का ज्ञान हो और उनका मार्गदर्शन कराइये । जब इस पैमाने पर काम करेंगे तो बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन होगा और उद्योग विभाग का औचित्य सिद्ध होगा । इन शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये आशा करता हूं माननीय मंत्री जी इन बातों पर ध्यान देंगे ।

डाक्टर रजनीकान्त दत्त--

मान्यवर अधिष्ठाता महोदय माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उद्योग विभाग के बजट का समर्थन करता हूं...

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय मंत्री जी ने भाषण करते समय कहा कि सहारनपुर में सोना निकला है तो तब से माननीय राम शरन दास जी विक्षिप्त से हो गये हैं वह चिंतित हैं कि वह सोना कहां है जिसका मंत्री जी ने जिक्र किया । तो आप मंत्री जी को बता दें कि वह बतायें कि वह सोना कहां है ?

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मेरी परेशानी बढ़ गयी है । जब माननीय मंत्री जी ने हमारे यहां सोना निकलने की बात कही । हम वहां के रहने वाले हैं वह बता दें कहां है, हम थोड़ा खुदवा कर देख लें, थोड़ा हमें भी मिल जाय ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, सोना इसलिये नहीं बताया जा रहा है कि कहीं वह सोने को गायब न कर दें ।

डाक्टर रजनीकान्त दत्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आज औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जितना विकास हुआ है उसका नतीजा है कि हिन्दुस्तान के उद्योगशील प्रान्तों में हमारा भी एक स्थान बनता जा रहा है । मान्यवर, आपट्रान द्वारा निर्मित ब्लैक एन्ड ह्वाइट तथा कलर टी0 वी0, कम्प्यूटर आदि किसी भी माने में किसी विदेशी मानक से कम नहीं हैं । हमने बहुत कुछ किया है । मैं माननीय उद्योग मंत्री, माननीय राज्य मंत्री जी तथा उद्योग विभाग के सम्बन्धित सभी अधिकारियों का साधुवाद करता हूं । मैं अपने क्षेत्र बनारस के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, बनारस हस्तशिल्प कला का केन्द्र रहा है, यहां निर्मित वस्तुयें अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी स्थान रखती हैं । उनकी एक मान्यता है, उनकी मांग है और उनका एक निर्यात में स्थान है । इस हस्तशिल्प कला उद्योग में लाखों लाख लोग लगे हुये हैं जो हरिजन हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, जनजाति के हैं, गरीबी

की रेखा से नीचे आते हैं उनके तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां सिल्क मटका उद्योग था वह वहां से भागलपुर चला गया है। पीतल की जालियों, जिसमें मरसराइज्ड से भी ज्यादा पतली जालियां बनती थीं वह हरियाणा में चल गया है। बरी उद्योग मेरठ की तरफ जा रहा है और लकड़ी के खिलौना और बीड़ी उद्योग सतना और मध्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं। टिकली और बिन्दी उद्योग महाराष्ट्र जा चुके हैं।

मान्यवर, अब रेशमी धागे की वजह से रेशमी वस्त्र उद्योग दक्षिण भारत की ओर जा रहा है। आपने तो मेहनतकश मजदूरों और बुनकरों के लिये बहुत कुछ किया है लेकिन कुछ तथ्यों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, रेशम की खुदरा बिक्री पर 10 प्रतिशत सेल्सटैक्स और इस पर 2 प्रतिशत सरचार्ज है। यानि 100 रुपये की खुदरा रेशम की खरीद पर गरीब बुनकर को 10·20 रुपये सैल्स टैक्स के रूप में खुदरा बाजार में देना पड़ता है जिससे उसकी बनाई हुई साड़ियां थोक बाजार में बड़े बुनकरों की बनाई हुई साड़ियों से महंगा पड़ जाती है और वह बाध्य हो जाते हैं कि बड़े बुनकरों के यहां से कच्चा माल लाकर उसके द्वारा तय की हुई दिहाड़ी पर उसका काम करें, यह उसके बंधुआ मजदूर बनाने की प्रक्रिया है। इससे प्रान्त को कभी भी 30 लाख रु० का राजस्व वर्ष भर में सेल्सटैक्स के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। मान्यवर, 150 लाख करघे बनारस और आजमगढ़ जनपद में हैं और 5 लाख परिवारों की रोजी रोटी उनके ऊपर आश्रित है।

मान्यवर, यह अपनी स्वपूंजी से काम करते हैं, उनको सरकार बहुत अनुदान दे रही है। बुनकरों के लिये हितकारी कार्यक्रम चला रहे हैं लेकिन आज इस 30 लाख रुपये के राजस्व के कारण बनारस में रेशमी धागा समय-समय पर बाजार से गायब हो जाता है। जब बड़े बुनकर जो रेशमी धागा स्वयं बनाने के लिये बाहर से मंगाते हैं तो उस पर कोई सेल्सटैक्स नहीं है और इसका कुछ हिस्सा और दरवाजे से खुदरा बाजार में बेचते हैं। जब ऐसा करने में उन्हें परेशानी होती है तो सेल्सटैक्स की मिली भगत से वहां रेशम के खुदरा बाजार में छापे डलवाते हैं जिससे बाजार से रेशम गायब हो जाता है और उसके दाम आसमान छूने लगते हैं। इसलिये रेशमी धागे की खुदरा बिक्री से सेल्सटैक्स हटायें।

मान्यवर, लकड़ी के खिलौने बनाने में कोरय्या और दूधिया लकड़ी काम में आती है जो जंगल में खरपतवार की तरह उगती है, यह फर्नीचर बनाने तो क्या जलाने के काम भी नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाराणसी स्थित खोजवां बाजार जहां लकड़ी के खिलौने बनाने वाले 500 कारीगर रहते हैं वहां इस लकड़ी का डिपो खोला जाय ताकि कच्चा माल ठीक दामों में मिल सके।

मान्यवर, अब मैं सहकारी समितियों की दशा पर कहना चाहता हूं कि उनकी दशा बहुत खराब है। मान्यवर, 124 सहकारी समितियां आज से वर्षों पहले थीं और आज भी इनकी संख्या इतनी ही है, वह इसलिये है कि बड़े लोग जो मैनीपुलेशंस करते हैं उन्होंने गरीब बुनकर के नाम पर फर्जी सहकारी समितियां खोली हैं, जिनके सम्बन्ध में मैं मांग करता हूं कि इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच कराई जाये और यह भी मांग करता हूं कि बुनकरों के नाम पर सहकारी समितियां उनके लिये होनी चाहिए जो सही माने में बुनकर हैं।

मान्यवर, वाराणसी में बीड़ी का बहुत बड़ा उद्योग था, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तेंदू की पत्तियों की उपलब्धता का प्रबन्ध

किया जाये और वाराणसी में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना करने का निर्णय वर्ष 1986-87 में लिया गया था इस पर शीघ्र कार्य आरम्भ करायें। वाराणसी को हस्तशिल्प उद्योग नगर घोषित करें। मान्यवर, आप बनारस को हस्तशिल्प उद्योग नगर घोषित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, मैं आज के इस कटौती के प्रस्ताव पर वह देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

और वैसे तो इस कटौती का समर्थन स्वयं व खुद उद्योग राज्य मंत्री जी कर रहे हैं, और जैसे कि यह सर्वविदित है आज का जो यह बजट है यह बुनकर विरोधी है और हमारे राज्य मंत्री जी खुद बुनकर हैं और बुनकरों से उनके गहरे ताल्लुक रहे हैं, और जब उन्होंने बजट को पढ़ा तो साफ कह दिया कि यह बुनकर विरोधी बजट है, मैं इसको सदन में नहीं प्रस्तुत करूंगा, नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जैसे पुलिस अदालत में अपने फर्जी मुकदमें में गवाह में खड़े कर देती है, वैसे ही आज यहां दीक्षित जी को खड़ा कर दिया गया है फर्जी गवाह की तरह यह बजट पढ़ने के लिए। उनके हाथ में बजट दे दिया गया और उन्होंने भाषण देने के बजाए उसे पढ़कर सुना दिया....।

(व्यवधान)

तो हमारे दीक्षित जी फरमा रहे थे कि बहुत तरक्की हुई है और अंग्रेजों के जमाने से अब उद्योगों ने बहुत तरक्की की है।

बेशक मैं मानता हूं कि तरक्की हुई है और 60 लाख बुनकर आज तबाही और बर्बादी के शिकार हुए हैं, 80 प्रतिशत करघे आज बन्द हैं और इस समय जितनी सोसाइटियां हैं वे डिफाल्टर्स हैं उतने पिछले 40 सालों में कभी नहीं हुई। अभी तो मैं बैठ जाऊंगा, मंत्री जी बता दें। स्वयं मंत्री जी कहते हैं सदन के बाहर कि इतनी खराब हालत बुनकरों की कभी नहीं रही है, जितनी इस सरकार के दौर में है। 40 साल बाद आज दस्तकारों की जो सबसे बड़ी तादाद है वह भुखमरी के शिकार हैं। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद उन्हें क्या मिलता है? आज अपने ही मुल्क में यह बुनकर दस्तकार बेइज्जत हैं, नंगे पैर का सफर, बेछत के मकान हैं, बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी, तबाही और बर्बादी का जीवन बिताते हैं। इस सरकार की जो नीति है, उसके चलते जो हरामखोर हैं उनको अच्छे-अच्छे बंगले और अच्छी-अच्छी कारें मुहैय्या हैं और मेहनतकशों के पेट के लाले पड़े हैं। यही सुविधाएं यदि बुनकरों को मुहैय्या हो जाएं तो प्रदेश और देश में उद्योग की पता नहीं कितनी उन्नति हो जाए और प्रदेश विकास के किस जमाने में पहुंच जाए। मैं दो-तीन छोटे से सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। यह जो खराब हालत हुई है, वह सरकार की गलत नीति के चलते हुई है। वह नीति आपकी यह है कि जो डायरेक्टर आफ हैण्डलूम और टैक्सटाइल है वही सरश हैण्डलूम कारपोरेशन का एम0 डी0 है। यह कभी हो नहीं सकती है कि एक आदमी दो चीज देखे तो काम भली प्रकार उसका चले। एक आदमी के यह दो-दो महत्वपूर्ण विभाग को काम देखने से कोई भला हो ही नहीं सकता है।

भारत सरकार से अनुदान होना चाहिए बुनकरों को जब कि वह उनको न मिलकर निगम को जाता है। समिति को 50 हजार रुपया शो-रूम बनवाने के लिए मिलता है। उसमें उसको 25 हजार में रिबेट मिलता है। लेकिन जब वह बुनकर शो रूम लगा देता है तो उसमें रिबेट नहीं होता है। यह हैण्डलूम कारपोरेशन का बहुत बड़ा अन्याय है, इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है? वह हैण्डलूम कारपोरेशन्स के जो एम0 डी0 है वह कारपोरेशन को लाभ में दिखाने के लिए बुनकरों का खून चूसकर रिबेट देते हैं। होना तो यह चाहिए कि बुनकरों को शेयर 101 रुपये से पांच सौ रुपये तक दिए जाएं और उनको डायरेक्टर चुनने का अधिकार होना चाहिए। आप पैसा लगाते हैं, तो 30 परसेन्ट आपके भी डाइरेक्टर हों। आज जिस तरह से घोटाला हो रहा है यह पूरे प्रदेश का प्रश्न है दूसरा सफेद हाथी यूपिका है इसमें साढ़े सात करोड़ रुपया बकाया है इतना रुपया बुनकरों का बकाया है। यूपिका की चेयरमैन जो हैं वह महिला चेयरमैन हैं।

मान्यवर जिस तरह से महिलायें सौन्दर्यीकरण पर विश्वास रखती हैं ठीक उसी तरह से यूपिका के शो रूम का सौन्दर्यीकरण किया है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मान्यवर, यहीं इंदिरा नगर लेखराज मार्केट है मैं चुनौती के आधार पर यह बता रहा हूं मान्यवर, इन्दिरा नगर में 60-60 हजार की दुकानें बिकी हैं और चीफ मिनिस्टर की लाडली चेयरमैन प्रेमवती तिवारी जी ने साढ़े चार लाख में दुकान को खरीदा है आप लोग अभी वहां चले और देख लें 10 मिनट लगेंगे, साढ़े चार लाख की दुकान खरीदी गई है आप वहां चलकर अभी देख लें तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, पता नहीं इसमें कितनी कमीशनबाजी हुई है। करोड़ों रुपयों की बरबादी हो रही है। साढ़े सात करोड़ का बुनकरों का मामला है किस तरह से यूपिका में बेईमानी हो रही है। मान्यवर, मैंने कोआप्टेक्स, तमिलनाडु का शो रूप देखा, तन्तुजा पश्चिम बंगाल, और आल इण्डिया हैण्डलूम हाउस शो रूम में मैंने देखा वहां पर पांच-छः सेलसमैन होते हैं, लेकिन यूपिका के शो-रूम में 18 से लेकर 20 लोगों की नियुक्ति माननीय चेयरमैन साहिबा ने कर दी है। इसमें बुनकरों का एक भी प्रतिनिधि नहीं लिया गया है एक विशेष जाति के लोगों को इसमें नियुक्त कर दिया गया है।

मान्यवर, इसी तरह से जो जनता धोती है उसको लेकर बुनकर जब यूपिका वालों के पास जाते हैं तो वह कोई नुक्स निकालकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर उनका दलाल खड़ा होता है वह उसको कम दाम पर खरीद लेता है। इस तरह से बुनकरों का शोषण किया जा रहा है। आर0 बी0 आई0 के बारे में कहना चाहूंगा। आर0 बी0 आई0 से जो रुपया मिलता है हथकरघा समितियों को इसमें 25 प्रतिशत रुपया कमीशनबाजी और घूसखोरी में निकल जाता है और जो 25 प्रतिशत रुपया बचता है वह दाम कम होने से घाटा हो जाता है दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा है यह पूरे प्रदेश में सूखा राहत देने का एलान करते हैं वैसे किसानों को खाद तथा कीटनाशक दवायें आदि दी जाती हैं तो इसी तरह से यह एक अरब रुपया बुनकरों को रा-मैटीरियल के लिए दे। अच्छा कच्चा माल खरीद कर बुनकरों को दिया जाये। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि सूत के दामों को सब्सिडाइज करने के लिये आप एक समिति बनायें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

यह जो बजट है उसमें सूत के दामों को कम करने या रूई को बाहर न भेजने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज पूरे प्रदेश में जो बुनकरों की हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। आज पावरलूम को यह करघा नहीं मानते हैं। किसान जो खेत सींचने के लिये पानी निकालता था अगर आज उसको बिजली दे दी गयी है या उसके पास ट्रैक्टर हो गया है तो क्या हम उसको किसान नहीं मान रहे हैं। जो पावरलूम पर काम करते हैं, 95 प्रतिशत धागे लेकर कपड़े तक का काम हाथ से करते हैं केवल 5 प्रतिशत काम बिजली से होता है। लेकिन उसको कोई रियायत नहीं मिलती है। सिर्फ एक शेर पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

जमीं पर भी चलने का जिन्हें शऊर नहीं,
उन्हीं का दावा है, हम आसमां उठायेंगे।

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री निसार अहमद अंसारी)--

मान्यवर, आज उद्योग का बजट माननीय दीक्षित जी ने पेश किया और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य सीतापुर ने हालांकि नाम उनका बुनियाद हुसैन है लेकिन उन्होंने बे-बुनियाद इल्जाम लगाये। हम दोनों मिलकर यह विभाग देखते हैं लघु उद्योग में और भारी उद्योग दीक्षित जी देखते हैं। यह हमारे मुख्य मन्त्री जी का आउटलुक है।

श्री फजलुलबारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप मन्त्री जी को बुलवा रहे हैं तो क्या बहस को खत्म कर दिया है। क्या वह जवाब दे रहे हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

अधिष्ठाता महोदय, बहस के दौरान कोई मन्त्री जी आम सदस्य भी होते हैं वह चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, इन्टरवेंशन कर सकते हैं।

श्री निसार अहमद अंसारी--

मान्यवर, पहली चिन्ता जो व्यक्त की गयी वह यह है कि सूत मंहगा है। मैं बहुत ही सफाई से यह अर्ज करना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्ताव को मूव करते वक्त माननीय सदस्य ने कहा कि 24 नं0 का सूत 85 रुपये बन्डल मिल रहा है। तो यह बात सही है कि कुछ दिनों पहले 24 नं0 का सूत 85 रुपये में मिल रहा था। वह जब था जब रूई के दाम 3,115 रुपये भी गांठ थे। जब रूई के दाम गिरे तो आप ही लोगों ने आन्दोलन छेड़ा महाराष्ट्र में और बड़ा शदीद किस्म का आन्दोलन छेड़ा कि रूई के दाम बढ़ने चाहिये। उसके बाद सपोर्ट प्राइस, सरकार ने सहारा कीमत पर रूई खरीदी। उसके बाद अगर ऊपर वाले की नजर या मेहरबानी खिंच जाय, दूर हो जाय जिसको दैवी आपदा कहते हैं तो उसका इलाज किसी सरकार या किसी गद्दी के पास नहीं है। बहुत ही सफाई से मैं कहना चाहता हूं कि कपास की पैदावार कम हुयी है इसलिये रूई से दाम बढ़ना शुरू हुये और उसके बाद जो भयंकर सूखा पड़ा उन सारी स्टेट्स में जो रूई पैदा करती हैं उससे भी रूई के दाम बढ़े। उसका नतीजा यह हुआ कि 3,115 रु0 एक गांठ का दाम अप्रैल, 1986 में था, वह इस वक्त 7,300 रु0 हो गया है। यह काम मान्यवर, सूखे के कारण बढ़ गया है। इस वक्त जो उत्पादन सूखे के कारण हुआ है, वह आवश्यकता से

कम है। लगभग 20 लाख गांठ की कमी है और देश की कुछ मिलें रूई के अभाव में बन्द हो गयी हैं, परन्तु उत्तर प्रदेश की 24 मिलें जो हैं, वे अपनी पूरी क्षमता से चल रही हैं और हमारी सरकार और माननीय मुख्य मन्त्री ने यह प्रयास किया है कि रूई के लिये हम और हर सम्भव प्रयास करेंगे और यहां भी मिलों को चालू रखेंगे। इस वक्त प्रदेश में सूत की कोई कमी नहीं है। रूई के लिये माननीय मुख्य मन्त्री जी ने महाराष्ट्र सरकार के चीफ मिनिस्टर को खत लिखा है कि रूई हमारे प्रदेश को बराबर वहां से उपलब्ध होती रही। हमारी 24 की 24 मिलें अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। सूत का उत्पादन हमारी जरूरत से ज्यादा हो रहा है, बल्कि सूत हमारे पास फालतू है।

मान्यवर, सूत का दाम बढ़ने से हमारे बुनकर भाइयों को जो आर्थिक परेशानी हो गयी थी, उसको दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश सरकार ने पहले ही 5 रु0 प्रति जोड़ा जनता धोती की खरीदारी का दाम बढ़ा दिया था और अब और 5 रु0 दाम बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से जो हम साढ़े 34 रु0 में माल खरीदते थे, वह अब सरकार साढ़े 44 रु0 प्रति जोड़ा खरीदेगी। इस तरह से इन बुनकरों की भी आमदनी बढ़ गयी और उनको भी राहत मिली है। भारत सरकार ने इक्साइज ड्यूटी में भारी छूट की घोषणा की है, फलस्वरूप 35 नम्बर के ऊपर के सूत में 25, 30 रु0 प्रति बन्डल दाम गिर गया है। सूत के दाम में वृद्धि होने से बुनकर भाइयों की परेशानी 40 सेन्थटिक धागे यानि पालिस्टर, टेरीकाट धागों में भारत सरकार ने काफी इक्स इज ड्यूटी की छूट दे दी है और ये धागे काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे बुनकर भाइयों को यह सलाह दें कि वे सेंथटिक धागों का प्रयोग बढ़ायें, जिससे इनको ज्यादा आमदानी का भी अवसर प्राप्त हो सके।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जब माननीय उद्योग मन्त्री जी भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने ऊपर वाले का नाम लिया। मान्यवर, इस प्रदेश में उद्योग विभाग को माननीय मुख्य मन्त्री, मन्त्री या राज्य मन्त्री चलाते हैं, ये ऊपर वाले अधिकारी जो मुख्य मन्त्री और मन्त्री से बढ़कर उद्योग विभाग में हैसियत लिये हुये हैं, वह कौन हैं? मान्यवर, कहा जाता है कि दैव-दैव आलसी पुकारा, विभाग ये चला रहे हैं और कमियों के लिये दोष दे रहे हैं ऊपर वाले को।

(व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, इनको शायद अपने ऊपर वाले का पता नहीं है, उसका ध्यान कर लीजिये।

श्री विजय सिंह राणा—

यह ऊपर वाले की मेहरबानी आज तक हरदेव के ऊपर क्यों नहीं हो पायी?

(व्यवधान)

(श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री यदुनाथ सिंह, श्री मुनियाद हुसैन अंसारी तथा श्री हरदेव आदि सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक नीति उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों और हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनायी जा रही है। विकास के कार्यक्रमों में उद्योग विभाग का सबसे अधिक महत्व है। औद्योगिक रूप से उत्तर प्रदेश का जितना पिछड़ापन है उसका कारण उधर बैठे हुये सरकार के लोग हैं ये उसके जिम्मेदार हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये कोई वातावरण नहीं है। विगत वर्षों में बाहर के पूंजीपतियों ने उत्तर प्रदेश के अन्दर पूंजीनिवेश करने का कोई अभियान यहां की सरकार द्वारा नहीं चलाया गया और न उसके लिए प्रोत्साहन आदि देखकर वातावरण बनाया गया उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बाहर के पूंजीपतियों को उत्तर प्रदेश की सरकार इतना परेशान करती है बिजली देने में, आशय-पत्र जारी करने में, जमीन उपलब्ध कराने में कि वह यहां पर उद्योग लग कर महाराष्ट्र में और राजस्थान के रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक रूप से पिछड़ता चला जा रहा है।

विधान सभा में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को सुविधा देने के सम्बन्ध में मेरा एक सवाल था जिसमें "ए" श्रेणी में ही सुल्तानपुर को रखा गया बताया गया था जब कि सुल्तानपुर जनपद में 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी निवेश विगत 5 वर्षों में हो चुकी है तो अब भी उसे "ए" श्रेणी में रखने का क्या कारण है। इसी प्रकार से मान्यवर, रायबरेली में भी एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश विगत 10 वर्षों में हो चुका है। उसके बाद भी रायबरेली को "बी" श्रेणी में रखा गया है। मान्यवर, मैं पूर्वी जिलों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं ये पूर्वी जिले बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, बलिया हैं। ये जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये हैं और शून्य हैं। मान्यवर, देवरिया में कहा जाता है कि 14 चीनी मिल लगे हुये हैं, किन्तु वे मिलें आपके जमाने में नहीं लगे हैं। इसको पहले अंग्रेजों ने 1930 के आस-पास लगाया था। मान्यवर, मैं पूंछना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में क्या आजादी के बाद उद्योगों को लगाने हेतु पूंजी निवेश रहा है और कितने उद्योग लगे हैं। देवरिया औद्योगिक क्षेत्र में अत्यन्त ही पिछड़ा और औद्योगिक रूप से शून्य जनपदों में है। वहां पर बड़े उद्योग लगाये जाने नितान्त आवश्यक हैं।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपके इस तरह के राजनीतिक पक्षपात पूर्ण ढंग से जारी किये गये आशय-पत्रों तथा लाइसेंसों के कारण आज उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से असन्तुलन पैदा हो गया है। मान्यवर, देवरिया ऐसे पिछड़े हुये जिले को आप "ए" श्रेणी में रखकर 25 प्रतिशत सब्सिडी देने की व्यवस्था करें जिससे कि वहां पर पूंजीपतियों द्वारा नये उद्योग लगाने को प्रोत्साहन मिले। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि देवरिया जनपद में लोहिया मशीन्स का टू व्हीलर स्कूटर का कारखाना लगाने का लाइसेंस 1982 में दिया गया था किन्तु उसने देवरिया जनपद के लाइसेंस के आधार पर कानपुर में उस कारखाने को कैसे लगा लिया? उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है तथा देवरिया में उस कारखाने को लगाने के लिये क्या कार्यवाही चल रही है। मान्यवर, अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने खनिज निगम का जिक्र किया। मान्यवर, खनिज निगम के प्रशासक ने अपने बिरादरी के 400 लोगों को बिना किसी योग्यता के, जो तृतीय श्रेणी में पास थे जिसकी लिस्ट अभी माननीय हरीश जी ने दिखलाई, को रख लिया है। ये नियुक्तियां पक्षपातपूर्ण ढंग से भाई भतीजावाद तथा घूस खोरी के आधार पर की गई हैं।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन नियुक्तियों के बारे में जांच करावें और यही कारण है कि यह भ्रष्टाचार बढ़ा है और सारे उद्योग घाटे की ओर जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चल रही स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत युवकों को काम के अवसर नहीं मिल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि देवरिया में हेतिमपुर और बघौचघाट में एक-एक चीनी मिल की स्थापना करावें। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, आपने मुझे माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास हुआ है। इसको हमारे विपक्ष के भाई भी मानते हैं, लेकिन चूंकि परम्परा पड़ गयी है कि आलोचना होनी चाहिये, इसलिये आलोचना करते हैं। आज इस बात में बहस नहीं है कि अगर यहां पर औद्योगिक विकास न हुआ होता तो बेरोजगार और ज्यादा होते। यहां पर औद्योगिक विकास हुआ और सरकार ने स्वतः रोजगार योजना भी चला दी। यहां पर लघु उद्योग न होते तो बेरोजगार कहीं ज्यादा होते। हम स्वीकार करते हैं कि आज भी बेरोजगार हैं, लेकिन हमारी सरकार की नीयत साफ है। हमारी सरकार बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के जरिये से रोजगार देना सुनिश्चित करती है, लेकिन स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत अभी भी सभी पात्र लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ट्राइसम योजना में लोगों को जो अपने धंधे करते हैं, उनमें विकास हुआ है। सुझाव के रूप में एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि यह सही है कि उद्योग मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की सरकार और शासन इस प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं, जब ऐसा होता है तो कुछ कहने की इच्छा होती है।

मान्यवर, जो भी उद्योग लगाए जायं, मेरा सुझाव है कि जनपदवार प्रत्येक जनपद में सर्वे करा लिया जाय कि वहां पर कौन सा रा मैटीरियल कच्चा माल उपलब्ध होगा और किस सीमा तक जनपद का पिछड़ापन है और किस सीमा तक उद्योग लगाए गये हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि वे जनपद जहां औद्योगिक विकास नहीं है, कोई रा मैटीरियल नहीं है, वहां औद्योगिक विकास किया जा रहा है और पिछड़े जनपदों में जाने नहीं क्यों उदासीनता बर्ती जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान फैजाबाद मण्डल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां के 6 जनपदों में गोण्डा भी है। वहां के विकास की, औद्योगीकरण की जब बात आती है तो गोण्डा जनपद न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है, न पूर्वी में और उसकी स्थिति त्रिशंकु की भांति मान ली जाती है। जो भी योजना आती है, उससे फैजाबाद मण्डल में बहराइच जनपद और गोण्डा जनपद अछूते रहते हैं और सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, बाराबंकी जनपद में योजना चली जाती है। मैं यह नहीं कहता कि उनका विकास न किया जाय, लेकिन वहां के एक डिवीजन में दूसरे जनपद के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाय। यह अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, हमारे जनपद में रा मैटीरियल की दृष्टि से दो फैक्ट्रियां लगाना अति-उत्तम होगा। वहां जो रा मैटीरियल उपलब्ध है, नेपाल पास में होने के कारण पत्थर उपलब्ध है और सीमेंट फैक्ट्री लग सकती है। इस दृष्टि से सर्वे हुआ है, और गोण्डा जनपद सीमेंट फैक्ट्री के लिये उपयोगी पाया गया है। इसी प्रकार गोण्डा में पेपर के मैटीरियल के रा मैटीरियल उपलब्ध हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं और सुझाव देता हूं कि गोण्डा जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये वहां पर पेपर मिल और सीमेंट फैक्ट्री लगवाएं तो बड़ी कृपा होगी। साथ ही साथ जो योजना है। मान्यवर, आई0 टी0 आई0 के बारे में कहा जाता है कि गोण्डा में मनकापुर में आई0 टी0 आई0 खोल दी है, इसके लिये मैं

उत्तर प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का आभारी हूं, जिनके सहयोग से यह फैक्ट्री खुल पायी, लेकिन एक मात्र बड़ी फैक्ट्री खोल देने से गोण्डा जनपद का विकास नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाय । मान्यवर, एक मिनट और लूंगा । एक सुझाव यह रखना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल स्टेट प्रत्येक जनपद में खोली जाय, मैं केवल गोंडा के लिये नहीं कहता हूं । वहां पर कोई इन्डस्ट्रियल स्टेट खोलने के लिये काम नहीं हुआ है, उस ओर ध्यान देने की जरूरत है । मान्यवर, बीस एनसिलरीज मनकापुर आई0 टी0 आई0 में लगनी हैं, मेरा यह भी कहना है कि कम से कम गोंडा मुख्यालय पर 10 एनसिलरीज खोलने की कृपा की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, एक मिनट मेरा आपसे एक आग्रह है ।

मान्यवर, हमारे सम्मानित विपक्ष के सदस्य इस समय सदन में करीब 11-12 मौजूद हैं, जबकि सत्तापक्ष के बहुत अधिक सदस्य हैं । इसलिये मेरा आग्रह यह है कि आपकी पीठ से यह व्यवस्था हो जाय कि जब इधर से दो लोग बोल लें तब विपक्ष से एक बोलें, क्योंकि वहां सदस्य कम मौजूद हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई बात नहीं है, जैसी व्यवस्था चल रही है, वैसी ही रहेगी ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, विपक्ष के लोग तो असल में जनता के प्रतिनिधि के रूप में हैं यह तो बंधवा मजदूर हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपस में माननीय सदस्य बात न करें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय हरिश जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । और माननीय राम औतार दीक्षित जी द्वारा यहां प्रस्तुत किये गये उद्योग विभाग के बजट का विरोध करता हूं । मान्यवर अभी माननीय निसार अहमद अंसारी राज्य मंत्री जी कताई, कालीन उद्योग, बुनकर और रेशम तक ही सीमित रहे और अपनी बात कहे, उस पर हमारे बुनियाद हुसैन भाई ने भी बात कही । मान्यवर, इनकी पूरा उद्योग नीति को उठाकर देखा जाय, तो आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में कोई माहौल नहीं रहा है । कहीं पर भी नहीं रहा, जिस जिले को चाहेंगे, पिछड़ा घोषित कर देंगे और जिसके लिये चाहेंगे ध्यान देंगे, जिसके लिये नहीं चाहेंगे, नहीं ध्यान देंगे । प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर का कारखाना लगा देंगे, वह ट्रैक्टर कारखाना घाटे में है । इनके कुछ ऐसे लोग हैं, आई0 ए0 एस0 लोग हैं, या ऊपर के लोग हैं, पता नहीं इनकी उद्योग नीति कहां से प्रभावित रहती है । दूसरे प्रान्तों को देखें, महाराष्ट्र को देखा जाय, हरियाणा को देखा जाय, पंजाब को देखा जाय वह कितना आगे निकल गये हैं और हम कहां हैं ?

मान्यवर, यहां जब माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने उद्योग विभाग का बजट रखा था, तब मैंने उस समय उस बजट पर यहां कटमोशन प्रस्तुत किया था । उस समय से आज की स्थिति देखता हूं, भले ही मैं यहां आज पांच मिनट बोल लूं, लेकिन क्या बोलूं

इतना डिवेल्यूशन लग रहा है कि किस तरह से बोलें, क्या मर्यादा रह गयी है, किस तरीके से बोलूं । मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो इधर से माननीय नरेन्द्र देव खड़े हो गये और बात कहने लगे, व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगे, आप तो सत्तापक्ष के लीव बंधुआ मजदूर की हैसियत से यहां हैं । एक माननीय हरदेव जी बिल्कुल न्यूसेंस हैं । इस न्यूसेंस से कोई वातावरण बनायेंगे ? यह हरदेव जी तो वीर बहादुर सिंह के भैंसा हैं, हर समय पानी में अकड़ते रहते हैं ।

मान्यवर, हमारे यहां एक सीमेन्ट कारपोरेशन है, वहां एक मजूमदार साहब हैं, माननीय रामनरेश यादव जी जब यहां मुख्य मंत्री थे उस समय से हैं, पूरा का पूरा सीमेंट कारपोरेशन आज घाटे में है । मिर्जापुर में उद्योगों की स्थिति आप देख लें क्या है ? हिन्डालकों का 16 करोड़ का बिजली का बिल बकाया है, उसे आप बिजली देते चले जा रहे हैं । लेकिन, हम लोगों को बिजली नहीं देंगे । इन्डस्ट्रियल स्टेट जो हैं, चाहे बनारस में हो, फैजाबाद में हो, आगरा में हो, मेरठ में हो, जिस भी कमिश्नरी में हो, कितना वहां माहौल है उद्योगों का कितने उद्योग बन्द हुए हैं । मान्यवर, मैं इंजीनियर आदमी हूं, मुझे दो मिनट का समय और दे दें । मान्यवर, जहां इनका कच्चा माल है, जहां इनके रिसोर्सेस हैं, जहां इनके लेबर हैं, वहां यह उसका उपयोग नहीं करते हैं। और जहां चाहते हैं, वहां उद्योग लगा देते हैं। मान्यवर, इनके एक मंत्री हैं श्री निसार अहमद अंसारी, इनको कुछ नहीं आता है और यह भाग्य का सहारा लेते हैं। मान्यवर, इनकी हर बात के बीच में ईश्वर आ जाता है । मान्यवर, हमारे जिले मिर्जापुर में ओबरा पावर हाउस है और यह मिर्जापुर जिला आबादी में सबसे आगे है, वहां पर ओबरा में बिजली पैदा की जाती है, लेकिन हम लोग बिजली के लिये तरसते हैं । ओबरा से 40 हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है ।

श्री अधिष्ठाता--

यदुनाथ सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठें ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, आप तो हमारी प्राक्कलन समिति के चेयरमैन रहे हैं, थोड़ा बोल लेने दें । तो मान्यवर, मैं बता रहा था कि 16 मेगावाट बिजली सीमेन्ट कारपोरेशन के लिये चाहिये । आज प्रमोद कुमार तिवारी जी उर्जा का बजट रख रहे थे, उन्होंने पूरा झूठ का पुलिन्दा खोल के रख दिया है । मान्यवर, जहां बिजली न मिल पायें, कच्चा माल न मिल पायें, वहां यह उद्योग लगा देते हैं । कामर्शियल कोयले का आज ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है । मान्यवर आपके पास 40 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिये जल नहीं है । मान्यवर, कोई रिसोर्सेस तो वह पैदा नहीं करते । इसलिये मैंने कहा था कि बांध सागर परियोजना और कनहर परियोजना से पानी रख लो, लेकिन यह नहीं माने । आज इसी कारण ओबरा से लेकर और भी जितने थर्मल पावर हाउस हैं, 2 हजार मेगावाट के भी, यह सब पानी के अभाव में खत्म हो जायेंगे ।

मान्यवर, रामनगर क्षेत्र वाराणसी का है, इसी प्रकार बनारस का साड़ी उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग और कानपुर तथा आगरा का चर्म उद्योग इन सबको चलाने के लिये इनके पास दिमाग नहीं रह गया है । यह उद्योग के नाम पर दिवालिये हैं । इनके पास उद्योग के लिये कोई नीति नहीं है । मान्यवर, मिर्जापुर में 2 लाख लोग खान खनिज के बेकार पड़े हुये हैं, मान्यवर, जिन्हें कुछ नहीं आता था वह आज खनिज निगम में प्रबन्धक

हो गये, उसके बाद महाप्रबन्धक हो गये । भूतपूर्व काशी नरेश की तरह इनके निगम के लोग हो गये हैं । मान्यवर, जिस पत्थर का विधान सभा बना हुआ है और जिस पत्थर का कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है, ऐसे पत्थर का मिर्जापुर में तमाम भंडार हैं, उसका उपयोग किया जाना चाहिये । इसी के साथ में हरीश जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और जो श्री राम औतार दीक्षित जी ने बजट रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री महमूदुल हसन अन्सारी--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, मैं हरीश जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट आज प्रस्तुत किया है, वह सभी तबकों से फायदा के लिहाज से बहुत अच्छा बजट है । चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र हों, या मैदानी क्षेत्र हों, यह बजट दोनों ही क्षेत्रों के लिये अत्यन्त लाभदायक है । चाहे पश्चिम की बात हो, चाहे पूरब की बात हो यह उनके लिए भी अच्छा बजट है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में खेती के बाद बुनकरों का धन्धा दूसरे नम्बर पर आता है और बुनकर सूत की महंगाई की वजह से आज परेशान हैं, यह परेशानी दूर करने का मंत्री जी प्रयास करें ।

खेती के बाद सबसे बड़ी तादाद बुनकरों की है, उनको सहूलियत दी जाय, जिससे कि वह परेशान न हों । सूत का जिक्र आया । यह सही है कि आज सूत का रेट दुगुना हो गया है । हम कहते हैं कि उसके रेट को आप 4 गुना कर दीजिए, लेकिन उसके बिक्री का इन्तजाम आप कर दीजिए । बुनकरों को मजदूरी कैसे मिले, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बुनकरों की मजदूरी का रेट आप तय कर दीजिए ताकि वह सही तरीके से जीवन गुजर-बसर कर सके । हैण्डलूम प्रोजेक्ट व जनता धोती की बात कही गई । इस पर जो सब्सिडी दी जाती है, वह बुनकरों के नाम पर आती है । अगर बुनकर कपड़ा ही न बनाये तो उस सब्सिडी का क्या मतलब है । जनता धोती पर यह सब्सिडी 30 रुपया आती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी जगह पर आप उन्हें 20 रुपए मजदूरी दे दें । जनता धोती जोड़ा की कीमत इस समय साढ़े 30 रुपए है लेकिन इसे साढ़े 29 रुपए में बेचा जाता है । इस पर जो सब्सिडी दी जाती है वह 8 रुपए प्रति जोड़ा दी जाती है ।

मैं माननीय मन्त्री जी से व इस महकमे के अफसरान से कहना चाहता हूं कि साढ़े 45 रुपए आप उन्हें दीजिए ताकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिल सके । एक साल पहले मैंने कहा था कि जिस प्रकार आप गन्ना, चावल, धान आदि का रेट तय करते हैं, उसी प्रकार सूत व रुई का रेट भी आप तय कर दें । मिलों के लिए रुई बाहर से मंगाई जाय ताकि मिलों को कोई परेशानी न हो, उनको आप सब्सिडी दीजिए ताकि उनको घाटा न हो, ऐसा न किया जाय जिससे बुनकरों को परेशानी हो । रेशम के उद्योग के बारे में मैं कहना चाहता हूं, इनसे सेल्स टैक्स माफ किया जाय, जिससे बुनकरों को फायदा हो । बैंकों द्वारा बुनकरों को जो लोन दिया जाता है, वे लोग बहुत परेशान करते हैं । बुनकरों को परेशानी न हो, माननीय मंत्री जी की तरफ से उनको निर्देश जाने चाहिए ।

मेरे क्षेत्र अफजलगढ़ में एक ब्रश फैक्ट्री है, उन्हें मैटीरियल लेने कानपुर और मद्रास जाना पड़ता है, उनकी परेशानी को दूर किया जाय । मेरा क्षेत्र बहुत बैकवर्ड क्षेत्र है, बिजनौर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा कि सरकार बिजनौर जिले को बैकवर्ड घोषित करें ताकि वहां सब्सिडी मिलने के साथ-साथ वह तरक्की कर सके । मैं

चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में अफजलगढ़ में दो फैक्ट्री लगाई जाय । एक गन्ने की फैक्ट्री हो व दूसरी, पेपर मिल की हो । इसी के साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आयातित उद्योग मंत्री, श्री दीक्षित जी व वर्तमान के उद्योग राज्य मंत्री श्री अंसारी साहब-दोनों के प्रवचनों को हमने अच्छी तरह से ग्रहण किया । श्रीमन्, आयातित उद्योग मन्त्री ने नीतियों का बखान किया और दूसरे मन्त्री ने सूत के बारे में बखान किया । मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । एक उद्योग-बन्धु की स्थापना का जिक्र किया गया था । पिछले साल भी उद्योग बन्धु के बारे में कहा गया । इसका मकसद यह था कि जो उद्योग लगावें और जो लोग उनसे मिलें, वह उन्हें मदद करें, लेकिन इस उद्योग-बन्धु के यहां एक-एक उद्योगपति की फाईलें 5-5 साल लम्बित पड़ी रहती हैं । इस प्रकार प्रदेश में उद्योग आयात करने में व उद्योग लगाने में कैसे मदद मिल पायेगी ।

मेरी अपनी जानकारी के अनुसार एक गुजरात के उद्योगपति ने मिर्जापुर और मुजफ्फरनगर में उद्योग लगाने के लिए एप्लीकेशन दी, लोन के लिए, बिजली के लिए, स्थान के लिये एप्लाई किया, लेकिन दो साल हो गये, पत्रावली इतनी मोटी हो गई है, लेकिन उनके लिये आदेश नहीं हुए कि उद्योग कहां पर लगायें । वह वहां से जाकर गुजरात में उद्योग स्थापित कर भी चुका है । ऐसे उद्योग बन्धु से कोई फायदा नहीं है । उद्योग बन्धु में प्रार्थना-पत्रों को अधिक से अधिक 3 महीने में निस्तारित करें और उद्योग लगाने वालों को सहयोग करें तब तो उद्योग बन्धु सफल है । दूसरी बात निवेदन करना चाह रहा हूं माननीया बख्शी जी को हरिजन समाज कल्याण में लिप्त हैं और वही मूंगफली जिसमें फंगस लगी है, उसी में व्यस्त हैं । दूसरा बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं, आपने व्यवस्था की कि हमने नये नौजवानों को रोजगार देने के लिए सामान्य उद्योग प्रबन्धक के कार्यालय जिलों में खोले हैं, आई० आर० डी० में आवेदन-पत्रों को प्राप्त करते हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि जितने प्रार्थना-पत्र ऋण के लिए प्राप्त होते हैं, जिनको स्वीकार करते हैं उनको बैंक से लोन कम मिलता है । बैंक वाले रुपया ले लें, और विभाग वाले रुपया ले लें, तब सेलेक्शन होता है । जब सही फिगर्स देखेंगे तो मालूम होगा कि जितना रुपया आवेदन-पत्र देने और स्वीकार कराने में खर्च किया है, उतना ही रुपया फिर बैंक में परसेण्टेज में देना पड़ता है । यदि आपने 100 दरखास्तें बैंक को भेजी हैं तो 20 प्रतिशत को रुपया मिलेगा । जो आंकड़े आपने पढ़े हैं फिर दिखवा लें । आगरा की टाइसेम योजना में जितना रुपया दिया गया है, उसको दिखवा लें ।

निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कोयले का संकट रहता है, हर महीने में साल में कोयले की रैक सस्पेण्ड हो जाती है । कोयला मूवमेंट बैगन को चैक करा सकें कि उत्तर प्रदेश का रेलवे बैगन का कोटा कम न हो, उद्योग के हिसाब से बढ़े और जो कमी हो वह अगले साल में पूरी हो । इनके विभाग के लोग अपने कोटे को सुरक्षित करने का काम करें तो उद्योगों की प्रगति हो सकती है ।

जो मिनी औद्योगिक संस्थान खोलने की बात की है, मिनी औद्योगिक संस्थान को ब्लाकों में खोलने जा रहे हैं, आजकल उनमें ज्यादातर उनको प्लाट मिल रहे हैं जो पहले से बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, अपने लड़कों के नाम भाइयों के नाम प्लाट ले रहे हैं । इसको

बैंक नहीं करेंगे तो दोनों योजनाओं को बड़े लोगों को दे देंगे, मेरा कहना यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं, उन्हीं को प्राथमिकता दें नहीं तो योजनायें रखी रह जायेंगी। ताज को प्रदूषण से मुक्त करने की 100 करोड़ रु0 की योजना है, इसे अगर छोटे-छोटे उद्योगपतियों को देंगे तो भला होगा नहीं तो निगम घाटे में चला जायगा। और उद्योग नहीं लगेगा इसी के साथ में कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में आपने मुझे चर्चा का अवसर दिया, आभारी हूं।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री श्री वीर बहादुर सिंह और उद्योग राज्य मन्त्री को बहुत बधाई देना चाहता हूं उद्योग विभाग का एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए और भाई हरीश जी, जो विद्वान सदस्य हैं, जिनसे बहुत कुछ सुनना चाहते थे, उनके कटौती प्रस्ताव का विरोध मुझे उनको सुनने के बाद करना पड़ रहा है,

उन्होंने दो-तीन महत्वहीन बातें कहीं इस उच्च सदन में। उन्होंने कहा कि जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर न हो, जहां बिजली न हो, जहां सड़क न हो, जहां रास्ता न हो, वहां उद्योग लगा दीजिये। यह उनके कटौती के प्रस्ताव में है। मान्यवर, महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर ही कांग्रेस चल ही रही है, खादी विलेज इण्डस्ट्री उसी की देन है। आज खादी विलेज इण्डस्ट्री में हमने 72 आईटम सुरक्षित किये हुए हैं। मान्यवर, आप लाल बत्ती को बन्द कर दें।

मान्यवर, आई0 आर0 डी0 से लेकर लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये नीति अपना रहे हैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का शासन इसके लिये बधाई का पात्र है कि पिछले दिनों में उसने औद्योगिक वातावरण को पैदा किया है। मैं इसके साथ ही साथ बुनकरों के ऊपर जो समस्या इस समय आयी है, वह निश्चित रूप से दैवी आपदा के कारण आयी है, इसका कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि हमने उनको सुना है मुख्य मन्त्री जी के चैम्बर में, वहां बुनकरों के प्रतिनिधि गये थे। वहां माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि दस करोड़ रुपया खर्च करके हमने जनता धोती खरीद ली है, अब आप हमें समस्या का और हल बतला दें? उन लोगों ने कहा कि समस्या का हल हमें नहीं मालूम है। ये समस्या का हल नहीं जानते हैं, यह सिर्फ आलोचना करना जानते हैं।

अन्त में, मैं अपने जनपद के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां उद्योग में काफी कटौती की गयी है जिसके कारण हमारे यहां का उद्योग मृतप्राय सा हो गया है। मैं अन्त में सुझाव देना चाहता हूं कि मान्यवर, पहले आप लाल बत्ती को बन्द कर दें, मुझे समय कम मिला है। तो मैं कह रहा था कि चुनार में पाटरी उद्योग है, मिर्जापुर में पत्थर मजदूरों के लिये, कालीन उद्योग के लिये, रेशम के कीड़े पालने के लिये, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन से अपील करूंगा कि मिर्जापुर जनपद की ओर आप विशेष ध्यान दें। इसके साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बाबू राम यादव—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे माननीय हरीश जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये समय दिया।

श्री हरदेव--

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, यह जो व्यवधान हो रहा है बीच-बीच में इसके लिये हमें समय और दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरदेव जी, क्या बात है ?

श्री हरदेव--

मान्यवर, आपकी पीठ से यह निर्णय हुआ था कि जो लोग ऊर्जा के बजट पर नहीं बोले हैं उनको उद्योग विभाग की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा । इस पर आप विचार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये ।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, मैं माननीय हरीश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा था । आज मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैंने माननीय मन्त्री जी का भाषण सुना, मुझे आशा थी और यह आकांक्षा थी कि आज उत्तर प्रदेश में जब उद्योग विभाग का बजट पेश हो रहा है ।

इसमें कुछ होगा, लेकिन देखने से मालूम हुआ कि उसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, जिससे करोड़ों-करोड़ों जनता की भलाई हो सकेगी और जो करोड़ों की तादाद में गरीब, भूखे और पिछड़े लोग हैं, उनके लिये कोई रास्ता इसमें दिखाया जायेगा, लेकिन आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उससे निराश ही हुयी है और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि यह सरकार पूंजीपतियों की रखैल है और इन्हीं बड़े लोगों को आगे बढ़ाने और इनको खुश करने वाला बजट है, इस बजट से आम जनता से, गरीबों और मजदूर से और बुनकरों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें खुले तौर पर बड़े उद्योगों की हिमायत की गयी है और किसानों की बेश-कीमती जमीन को लेकर आप इन्हें दे देते हैं और टुकड़ों-टुकड़ों में पैसा इन्हें दिलवाते हैं ।

दूसरे मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बेशर्म सरकार ने किसानों, गरीबों और मजदूरों के विकास की ओर बिल्कुल ध्यान न पहले दिया है और न आज दे रही है और जब तक आप कुटीर उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, तो इस प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता है और जब तक आप यह कानून नहीं बनायेंगे कि रेल के इंजन हैं यहां बनें, मोटरें हैं, यहां बनें और बड़-बड़े उद्योग यहां पर लगाये जायं, इनके कारखाने यहां खुलें, जिससे हमारे हर हाथ को काम मिले । दूसरे छोटे-छोटे उद्योग जैसे कपड़े के उद्योग, साबुन बनाने के कारखाने व अन्य छोटी-छोटी मशीनों के बनाये जाने के उद्योग लगाये जायें, ऐसा जब तक नहीं यहां किया जायेगा, तब तक यहां की आम जनता इसी प्रकार से त्राही-त्राही करती रहेगी, और इस प्रकार से उसका कल्याण होने वाला नहीं है ।

कुटीर उद्योग का इस बजट में जिक्र किया तो गया है, लेकिन इसके लिये कोई भी लाभकारी योजनाओं के प्राविधान नहीं किये गये हैं इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जब तक यह छोटे उद्योग नहीं पनपेंगे, तब तक इन बड़े-बड़े कारखानों के ऊपर रोक लगाई जाय और हाथ से बनाई गयी चीजों का प्रयोग किया जाये और बड़े उद्योग वालों से कहा जाये कि अगर तुम्हारा कपड़ा, साबुन व अन्य सामग्री का प्रयोग यहां नहीं होगा और इसे जाकर तुम विदेशों में बेचो और हाथ की बनी हुयी चीजें यहां पर बिकेंगी, ऐसा जब तक नहीं किया जायेगा, तब तक यहां विकास संभव नहीं है। साथ ही मान्यवर, मैं गांधी आश्रम और खादी ग्रामोद्योग के बारे में जैसा कि दीक्षित जी ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि इनमें काम करने वाले लोगों पर, यहां की विधवाओं पर और बेसहारा लोगों पर निगाह डाली जाये, तो देखकर रोना आता है। जबकि महात्मा गांधी ने इन्हीं बेसहारा लोगों को दृष्टि में रखते हुए इस खादी का प्रचलन किया था और चाहा था, हाथ से बने हुए कपड़ों का प्रचलन हो इस पर जोर बहुत दिया था और इससे इन बेसहारा लोगों की गरीब जनता को जीविका चलेगी, लेकिन आज इसका शोषण हो रहा है। इस सरकार से इस ओर कहना ही क्या है, सब बेकार है, बेशर्म हो जाने की वजह से इनके ऊपर अब कोई असर नहीं होता। इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा सुझाव के रूप में, इनके लिये एक अलग से बहुत बड़ी राशि अनुदान के रूप में हो जिससे इनके जीवन में कुछ सुधार आवे....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया बिराजें, समय बहुत कम है, कृपया बैठें।

श्री बाबू राम यादव--

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध।

श्री प्रदीप माथुर--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के बजट पर बोलने का मौका आपने दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और माननीय हरीश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(इस समय 6 बजकर 58 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास हो रहा है और नये-नये उद्योग लगाये जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को आवश्यकता इस बात की है कि यहां पर इण्डस्ट्रियल एटमासफेयर बनाया जाये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्रीज लगाने में बड़ी परेशानी है। जो उद्यमी होता है वह फुटबाल की तरह इधर-उधर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में घूमना पड़ता है। जो भी कारपोरेशन्स हैं जैसे यू0 पी0 एफ0 सी0, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 आदि वहां पर उसको भटकना पड़ता है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी नीति बतायी जाये, जिससे जो उद्यमी हैं, उनको जगह-जगह पर भटकना न पड़े। मान्यवर, उद्योग स्थापित करने के लिये आजकल सबसे बड़ी समस्या कैपिटल की है। उद्यमियों को कैपिटल बैंक से उपलब्ध हो पाती है, लेकिन उनकी नीति में सुधार की आवश्यकता है। उद्यमी से

जब तक कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ले ली जाती है, तब तक उनको लोन सैंक्शन नहीं किया जाता है। तो मैं कहना चाहता कि कोलेटरल सिक्योरिटी को मांग न की जाये और कैपिटल उपलब्ध करा दी जाये।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर इण्डस्ट्रियल सिकनेस बढ़ रही है, उसको रोकना होगा। शासन की नीति है कि नये-नये उद्योग लगाये जायें लेकिन शासन को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि जो उद्योग सिक हो रहे हैं, उसका क्या कारण है, उनमें क्या कमी है ? मान्यवर, हमें गांवों तक उद्योगों को पहुंचाना होगा। खादी उद्योग को जो यूनिट्स हैं, उनको गांवों में पहुंचाना होगा। इसके अतिरिक्त में एक चीज और कहना चाहता हूं कि इन उद्योगों में ग्रुप इन्श्योरेंस की स्कीम को लागू करना होगा और जो लोन दिया जाता है उसके लिये इन्श्योरेंश करना आवश्यक है। खादी बोर्ड पर आधारित उद्योगों के उद्यमियों को जो परेशानी हो रही है, उसमें से एक यह है कि उनको आडर्स नहीं मिल पाते हैं, उनको आडर्स दिया जाना बहुत जरूरी है। मान्यवर, मथुरा इण्डस्ट्रियल एरिया जो है वह बहुत पिछड़ा हुआ है तथा बर्बाद हो गया है। शासन की नीति के अन्तर्गत सारे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो वहां का इन्डस्ट्रियल एरिया है वह पानी में डूबा रहता है वहां की बिजली काट दी गयी है और उद्यमियों को परेशान किया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। इस समय उनको यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 से मदद देने की आवश्यकता है। मान्यवर, कोसी क्षेत्र में इन्डस्ट्रियल एरिया है जो 117 एकड़ का है, उसकी ड्राप करने का प्रस्ताव है, उसमें मान्यवर, फैक्टरीज लगी हुई हैं, इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं और मान्यवर। मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया है कि मथुरा में उद्योग लगाने की आवश्यकता है और मैं कहना चाहता हूं कि कोसी में इन्डस्ट्रियल एरिया बनाने की आवश्यकता है। स्वतः रोजगार योजना में लाटरी सिस्टम है, उसको समाप्त किया जाना चाहिये। इस कारण जो सही लोग हैं, जिनको लोन मिलना चाहिये, उनको लोन नहीं मिल पाता है। इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

हरीश जी, को गाड़ी पकड़नी है और अन्य सदस्यों को भी गाड़ी पकड़नी है, तो आप समाप्त करें। आप स्पष्टीकरण कर लें। मैं उसको मौका दे दूंगा।

(व्यवधान)

मैंने एक बात कही कि सबको जाना है, बारी साहब दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री फजलुल बारी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं हरीश जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे निसार साहब अभी बड़े जोश में खड़े हुये और उन्होंने तो ऊपर वाले को तोहमत लगा दी। अगर ऊपर वाले से उनका मतलब अल्लाहतआला से था तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे कुरान में यूसुफ अलहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया है कि 7 साल बारिश होगी और फसल अच्छी होगी और 7 साल सूखा पड़ेगा उनके अकल है उसको वे इस्तेमाल करते . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री फजलुल बारी--

दो मिनट में तो नहीं हो पायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय नहीं है । बोलने वाले बहुत हैं ।

श्री फजलुल बारी--

मैं कहना चाहता हूं कि उस ऊपर वाले से तो उन्हें कोई वास्ता नहीं है ।

एक सदस्य--

कुरान समझाने के लिये उन्हें असेम्बली के अलावा और कोई जगह नहीं है....

श्री फजलुल बारी--

ऊपर वाले से ताल्लुक है तो उसी ऊपर वाले से जो यह सारी साजिश हो रही है जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है । दिल्ली में इनका ऊपर वाला बैठा है । तस्करी कर रहा है, जो बुनकरों का हित नहीं चाहते हैं । राजीव गांधी बिग हाउसेज को ही डेवलप करना चाहते हैं। उनके हितों की बात तय करते हैं । सिन्थेटिक यार्न बनाने के लिए बिग हाउसेज को डेवलप करेंगे ताकि वे पैसा स्विस बैंक में जमा कर सकें....

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय बारी साहब ने कहा है कि इनके ऊपर वाले दिल्ली में बैठे हुये हैं । मान्यवर, हर एक का ऊपर वाला जहां पर जो बैठा है वहीं पर है लेकिन सबका ऊपर वाला एक ही जगह पर बैठा है । मान्यवर, माननीय बारी साहब ने आरोप लगाया है कि माननीय प्रधान मंत्री बुनकरों के हित के विपरीत हैं और उनके हितों के विपरीत काम कर रहे हैं और वे बड़े घरों को डेवलप करना चाहते हैं । यह सबसे गलत बात है । माननीय राजीव गांधी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था बुनकरों के लिए हो सकती है, वह कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है । ऐसी बात न होती तो चाइना से रेशम लेने के लिये, सारी चीजों को लेने के लिये साधन जुटाकर सस्ता से सस्ता सूत बुनकरों को न उपलब्ध कराया गया होता और जनता धोती को साब्सीडाइज करके बुनकरों को न दिया जाता । मान्यवर, सारा कार्य बुनकरों की भलाई के लिये हो रहा है । लेकिन बारी साहब की तरह के कुछ लोग उनको भ्रमित किये हुये हैं, उन्हें गलत रास्ते में ले जा रहे हैं । मान्यवर, यह सरकार और माननीय राजीव गांधी की सरकार बुनकरों की पूरी मदद करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ।

श्री फजलुल बारी--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत सही कहा कि वे बुनकरों के हितों की रक्षा कर रहे हैं । इसलिये वे कपास, जो हमारे देश में पैदा हुई थी, उसको बाहर

निर्यात किया गया। जो सूत था उसको बाहर निर्यात कर दिया। नतीजे के तौर पर यहां पर उसकी कमी हो गई और दिन-ब-दिन सूत का दाम बढ़ गया और बुनकरों के हितों का ख्याल नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि आप उनकी कितनी भलाई चाहते हैं। आपने रेशम पर 2 प्रतिशत सेलटैक्स और 10 प्रतिशत सरचार्जर लगाकर बनारस के मजदूरों को अपंग बना दिया है। इसको आप केबिनेट की मीटिंग में तय कर सकते थे लेकिन दो महीने हो गये हैं यह छोटा सा काम भी नहीं कर पाये हैं। आज 44 रुपये 50 पैसे जनता धोती का दाम हो गया है यह आप बता रहे हैं तो आप यह बता दें कि उसमें बुनकरों को कितनी मजदूरी मिलेगी ? जब हरीश जी बोलेंगे तो वह सारे हित सामने आ जायेंगे। पोलिस्टर धागे को तरक्की देने के लिये केन्द्र से लेकर यहां तक की सरकार लगी हुई है और एक बुनकरों के विरुद्ध षड़यंत्र इन्होंने चलाया है। जो गरीब बुनकर अपने करघे को 5 सौ से 7 सौ रुपये में चला सकता है उसे यह 15 हजार रुपया (प्लास्टिक पर) चला पायेगा। जिन राजीव गांधी और उनके खानदान की यह दुहाई देते हैं कुछ दिनों बाद इनको मालूम हो जायेगा क्योंकि रिलायंस कम्पनी को जिस तरह से यह मजबूत बनाना चाहते हैं उसे पूरी क्षमता से चला रहे हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया है उसमें रिलायंस कम्पनी को पलिस्टर में छूट देकर मजबूत करने का पूरा काम किया गया है। इन अल्फाज के साथ में, हरीश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी--

मैं आपके माध्यम से माननीय फजलुल बारी साहब, जो मुसलिम लीग के सदस्य हैं, बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम इस बजट के मौके पर बी0 जे0 पी0 के प्रस्ताव का समर्थन तो किया है।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, इनका काम ही है एक दूसरे को लड़ाओ और राज करो। उसी कंनवंशन पर यह सरकार चल रही है।

(समय 7 बजकर 10 मिनट)

श्री अफसर यू0 अहमद--

मान्यवर, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट का समर्थन करने के अवसर दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय वीर बहादुर जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति अपनाई है वह निश्चित रूप से हमारे इस पिछड़े प्रदेश को जो पहले उद्योग में पीछे था और यहां पर छोटी-छोटी चीजों का भी उत्पादन नहीं हो रहा था लेकिन आज यह सरकार की नीतियों के कारण उस पिछड़ेपन को दूर करने का मौका मिला है। हमारे जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं या बड़े उद्योग हैं उनको यहां स्थापित करने के लिये उनको बढ़ावा देने के लिये, श्रमिकों को रोजगार देने के लिये बहुत मदद मिलेगी। अभी मैं माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था उधार से लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग यहां उद्योग लगाने में कतराते हैं। हमारी सरकार उनकी कोई मदद नहीं करती है। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं अपनी उद्योग विभाग की टीम के साथ महाराष्ट्र की महानगरी बम्बई गये थे। वहां उन्होंने एलान किया था कि यहां बम्बई और महाराष्ट्र में बसने वाले लोगों से कहा था और महाराष्ट्र के उद्यमियों से भी कहा था कि आप उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने में योगदान दीजिये।

हम उसमें पूरी सहायता करेंगे। तो शायद यह बात हमारे विपक्षी लोगों को मालूम नहीं है।

हमारे बस्ती जनपद के माननीय सदस्य हरीश जी ने इस पर कटौती का प्रस्ताव रखा और उसमें जो सारी बातें रखी वह राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही महात्मा गांधी का नाम लेकर कहा कि गांवों में उद्योग केन्द्र होने चाहिये। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की यही नीति है जो गांधी जी ने बताई है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सीमित संसाधन हैं इसलिये अभी प्रत्येक गांव में उत्पादन यूनिट नहीं बनाई जा सकती है। फिर भी इलाकों तक उद्योग धंधे लगाने के लिये यह सरकार मजबूती से लगी हुई है। मैं दो शब्द बुनकरों के बारे में भी कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री अफसर यू० अहमद--

दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

दो मिनट नहीं। एक मिनट में समाप्त करें औरों को भी बोलना है।

श्री अफसर यू० अहमद--

मेरा कांस्टिटुवेंसी में 60 हजार से अधिक बुनकर हैं हमारे मगहर इलाके में बुनकर परेशान हैं। मैं माननीय फजलुल बारी साहब को बताना चाहता हूं कि काटन के उत्पादन पर यहां के किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है। उसमें ऊपरी शक्ति का हाथ है। काटन का उत्पादन गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, आन्ध्र प्रदेश में होता है जहां पर आपके भाई की हुकूमत है। आपको मालूम होगा आन्ध्र प्रदेश में सैकड़ों किसानों के सामने वहां कपास की खेती न होने से संकट आया है

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठे।

(व्यवधान)

श्री अफसर यू० अहमद--

यह हमारी ही सरकार है जिन्होंने बुनकरों की मदद की है....

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

आप बैठ जायें। आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद मसूद खां--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आजमगढ़ जनपद में ...।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री अफसर यू0 अहमद आप बैठ जायं । व्यवधान न करें । मैंने श्री मसूद खां को बुला लिया है, आप बैठ जायं ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ जनपद में 7 तहसीलें हैं तहसील सदर, लालगंज, फूलपुर, सगड़ी, मुहम्मदाबाद, मऊ और घोसी । इनके दो जिले बनने वाले हैं । मऊ जिला में मऊ, घोसी और तहसील मुहम्मदाबाद का सठियांव और जहानागंज ब्लाक को छोड़कर और आजमगढ़ जिले में तहसील सदर, फूलपुर, लालगंज, सगड़ी और मुहम्मदाबाद सठियांव और जहानागंज ब्लाक । उद्योग की दृष्टि से आजमगढ़ जिले में जो तहसीलें या क्षेत्र आते हैं उनमें उद्योग के नाम पर तिनका बनाने का भी उद्योग नहीं है । मऊ जिले में जो क्षेत्र आता है उसमें कुछ उद्योग जरूर हैं परन्तु वह भुखमरी के शिकार हैं । सबसे ज्यादा बदकिस्मती यह है कि इसे ए या बी श्रेणी में रखा गया है जबकि वह सबसे पिछड़ा जिला है इसलिए सुझाव है जहां कोई उद्योग नहीं है और इसे सी श्रेणी में रखने के बाद जो सुविधा उपलब्ध होती है वह उपलब्ध कराई जाये ।

मान्यवर, दूसरा निवेदन है कि पूर्व के जिले आजमगढ़ और जौनपुर जो उद्योग में पिछड़े जिले हैं उनकी तरक्की का एक रास्ता है कि शाहगंज में नोएडा टाइप की स्कीम चालू करें जिससे सारे जिले में उद्योग बढ़े । आजमगढ़ एक तो उद्योग में सबसे पिछड़ा जिला है लेकिन उसको सबसे ज्यादा उत्पीड़ित किया जाता है । मैं मिसाल देना चाहता हूं कि वहां पाइनियर प्लास्टिक उद्योग है उसको 1970 में ऋण दिया गया जिसको उसने ब्याज सहित अदा कर दिया लेकिन अन्तिम किश्त फरवरी 1987 में अदा किया क्योंकि वहां सूखा बाढ़ और ओला पड़ा था, इसलिए जो रियायत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली लेकिन जितना कर्जा नहीं लिया उससे ज्यादा 12 1/2 प्रतिशत के हिसाब से दंड और ब्याज लगा दिया गया जो लगभग 27 हजार तो दंड का ही होता है । इसलिए निवेदन है कि यदि पिछड़ा जिला है, वाकई में वहां उद्योग नहीं है और यदि कोई लगाना चाहता है तो उसको जो दिक्कतें हों उनको दूर करने से वास्ते यदि लोन मय सूद के अदा कर देता है तो दंड नहीं लगाना चाहिए । इसलिए एक तो वह पिछड़ा जिला है और एक दो लोग कोशिश करते हैं उद्योग लगाने को तो उनको उत्पीड़ित किया जाता है, इसलिए वह उद्योग नहीं लगाते हैं । इसलिए निवेदन है कि यदि कहीं छूट और भूल हो गयी है तो उसको देखना चाहिये और उसको दूर करना चाहिये ।

मान्यवर, जैसे अंग्रेजों ने उद्योग को उत्पीड़ित करके समाप्त किया था । वैसे ही आप करने जा रहे हैं जैसा कि कहा गया है कि "मानचेस्टर में ढाके को फांसी मिली और बनारस के सनाथ को नींद आ गयी, शाह राहों पर शिफील्ड की हर छूरी हिन्दी तलवार पर मुस्कराने लगी" । तो सारे इंडस्ट्री की यह हालत हो गयी है और सारी इंडस्ट्री समाप्त हो गयी है । इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कर्नल केशरी सिंह ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

मुझे बोलने का समय क्यों नहीं दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

कर्नल केशरी सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं श्री हरीश जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं....

(व्यवधान)

मैंने श्री हरीश जी का भाषण सुना और उन्होंने गावों में (व्यवधान) उद्योग इकाइयां लगाने की बात कही....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सभी को एक साथ समय नहीं दे सकता हूं, इसलिए आप लोग व्यवधान न पैदा करें । आप बैठ जायं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सबको एक साथ समय नहीं दे सकता हूं ।

[श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) और श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित के जोर-जोर से बोलते रहने पर व्यवधान ।]

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

आप से इस [×××] की उम्मीद नहीं की जाती है ....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित--

आप वही कर रहे हैं, जो सरकार आप से करवा रही है, हम लोगों का आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

कर्नल केशरी सिंह--

माननीय हरीश जी ने अभी बहुत भावुक भाषण इसपर दिया, गावों के उद्योगीकरण के बारे में कहा, तो हमारे कांग्रेस पार्टी की तो यह नीति ही है कि गांवों में अधिक उद्योग लगाये जायें और उसके द्वारा हम विकास खंडों का और जिलों का विकास करने जा रहे हैं हर ब्लाक में उद्योगी इकाई लगाने की नीति इसी की है। प्रदेश ने उद्योग के क्षेत्र में पिछले ही दिनों अभी काफी प्रगति की है । इसका जीता-जागता उदाहरण हमारा पिकअप, अपट्रान, खादी ग्रामोद्योग है ।

नोट—[×××] यह अंश उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री अम्मार रिजवी--

जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अभी यह कर रहे थे कृपया वह न करें, क्योंकि इस कुर्सी की कुछ मर्यादायें और गरिमायें हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है वह मैं बता नहीं सकता हूं। यह ठीक है कि उनको भी मौका मिलना चाहिये। जब आप मुनासिब समझेंगे उनको मौका देंगे ...।

श्री उपाध्यक्ष--

यही बात है।

श्री अम्मार रिजवी--

यहां पर आपके सामने सत्ता या अपोजीशन की कोई बात नहीं है, आपके सामने सब बराबर हैं। जो कुछ उन्होंने कहा, उसको आप कार्यवाही का हिस्सा न बनायें, जो यह कहा कि आप सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप तो श्रीमन्, स्वतन्त्र हैं। हम सब आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। चाहे वह जितना गर्म, लम्बा-चौड़ा भाषण दें, वह हैं अभी हमारे व्हिप के अन्दर, वह हमारे व्हिप के अब भी बाहर नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित--

मुझे उपाध्यक्ष के प्रति पूर्ण आदर है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो ...

(व्यवधान)

कर्नल केशरी सिंह--

आज बस्ती जिले की 40 लाख के लगभग की जनता उद्योगों से पूर्ण रूप से वंचित है और उसकी हर मामले में उपेक्षा की जा रही है। यह वही ऐतिहासिक जनपद है जिसने सन् 1857 की स्वतन्त्रता की लड़ाई से लेकर सन् 1947 तक हर आजादी की लड़ाई में बढ़चढ़ कर सदैव हिस्सा लिया है, किन्तु आजादी के बाद से पूर्णरूप से वह उद्योग से उपेक्षित है। वर्ष 1932 के लगभग की लगी 4 चीनी मिलें हैं बस वही उद्योग है जो अपर्याप्त है। एक प्लास्टिक का उद्योग लगाने का प्रयास किया गया था, किन्तु वह भी फेल हुआ। बेरोजगारी चरम सीमा पर वहां पर है। जैसा हरीश जी ने कहा वह प्रदेश कांग्रेस की नीति से पिछड़ा है, सो वैसी बात नहीं है, बस्ती जिला कांग्रेस की नीति और उसकी औद्योगिक नीति से नहीं पिछड़ा है, उसकी बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, बल्कि यह तो जनसंख्या के बढ़ने से हुआ है। जिस फेमिली प्लानिंग का हमारे विरोध पक्ष के भाई विरोध करते हैं। इसी कारण जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कुछ म भूतपूर्व सैनिकों के बारे म कहना चाहता हूं, उनके पुनर्वास के लिये उद्योगों की एक स्कीम सेल फेम्स लागू की गई थी, किन्तु उसमें हर प्रकार का रोड़ा अटकाया जा रहा है, किसी भी भूतपूर्व सैनिक को ऋण नहीं मिला है, उनका आरक्षण भी उद्योगों में बहुत कम है, जो सरकार की नीति के खिलाफ है, उनका आरक्षण पूरा किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

कर्नल साहब, समाप्त करें।

कर्नल केशरी सिंह—

बुनकरों की समस्या वास्तव में गम्भीर है, बस्ती में बड़ी संख्या में है। इनकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सरदार सिंह। अब कर्नल साहब, आप बैठें।

(व्यवधान)

कर्नल केशरी सिंह—

एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि जिलों का आप सर्वे करा लीजिए एक और उद्योग के दृष्टिकोण से उन्हें वर्गीकरण किया जाय। इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सरदार सिंह—

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जैसा माननीय उद्योग मन्त्री समय-समय पर आश्वासन देते आए हैं कि जो खास जिले हैं, जिन जिलों में धुवें द्वारा निकलने वाली गैस के कारण कारखाने नहीं लग सकते हैं, वहां इलेक्ट्रानिक उद्योग लगेंगे। तो मान्यवर, उसमें मथुरा भी ऐसा जिला है, उसमें यदि कोई जनरेटर भी चला लेता है तो उसका आप चालान कर देते हैं, किन्तु आप मथुरा के बारे में किसी इलेक्ट्रानिक उद्योग की अपने बजट में घोषणा नहीं की है, इसका हमें दुख: है। मथुरा रिफायनरी से लगने वाले जो केमिकल कारखाने थे वह बाहर ले जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि खांड के कारखाने जो यह लगाते हैं, जो मथुरा रिफायनरी बाई प्रोडक्ट्स हैं, वहां लगाये जाएं। मान्यवर, जो एस0 आई0 डी0 सी0 की जमीन थी जो छोटे-छोटे उद्योगपतियों को आवंटित की गयी थी उस पर उन्होंने कारखाने लगा लिए थे, इस जमीन के सिलसिले में बाबा जयगुरुदेव कोर्ट में चले गये वह मुकदमा हार गये हैं, जो आपकी दी हुई जमीन थी उस पर उद्योगपतियों ने जो उद्योग लगाए थे वह खत्म हो गये उनका पैसा डूब गया, तो मेरा निवेदन है कि इन उद्योगपतियों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप यह बता दें। यह उन लोगों के अधिकारों का प्रश्न है वह जमीन भी बहुत उपजाऊ नहीं है, तो इसमें आप ऐसा कर दें कि वह जमीन न ली जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मान्यवर, इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और इससे पहले यह कहना चाहता हूं कि इतने दिन सत्र में खड़े होने के बाद पहली बार आज मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान उद्योग विभाग का बजट, जो राजस्व मंत्री जी ने रखा है, उसके बारे में कहना चाहूंगा। आई0 डी0 बी0 आई0 जो लोन देती है, बाहरी प्रदेशों की अपेक्षा हमारे उत्तर प्रदेश के बैंकों में ज्यादा डिपाजिट होता है फिर भी, आई0डी0बी0 आई0 हमारे प्रदेश को किसी भी इंडस्ट्री को लोन नहीं देती है। हमारे प्रदेश की कोई इंडस्ट्री वायबिल नहीं थी इसलिए हमारी किसी इंडस्ट्री को लोन नहीं दिया। गाजीपुर

जनपद पिछड़ा हुआ क्षेत्र है नजीमाबाद से जो हमारे विधायक आते हैं और आजमगढ़ से मसूद साहब आते हैं उन्होंने भी कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी का जो उद्योग है उसकी जर्जर स्थिति है किसी भी समय उसको बन्द किया जा सकता है। जनपद जौनपुर जिले में जीरो इन्डस्ट्री घोषित की गयी है उसी तरह से बलिया, आजमगढ़ को भी करने की कृपा करें। मिर्जापुर में मान्यवर, ऊर्जा इन्डस्ट्री को छोड़कर और कोई इन्डस्ट्री नहीं है पूरे वाराणसी मंडल में कोई उद्योग नहीं है।

दूसरी बात मान्यवर, मैं ट्राईसम योजना के बारे में कहना चाहता हूं। ट्राईसम योजना के अन्तर्गत छोटे-छोटे उद्योग लगा कर जो बेरोजगार हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दें। मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्राईसम योजना के तहत छोटे-छोटे लघु उद्योग लगायें ताकि जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाय। इसी तरह से मैं बुनकरों के बारे में कहना चाहता हूं। गाजीपुर में बहादुरगंज में बहुत बुनकर हैं। बुनकरों के सम्बन्ध में यहां पर बहुत सी बातें कही गयी हैं उनको दोबारा कहकर मैं और समय नहीं लेना चाहता हूं। जो बुनकरों की स्थिति है उससे सभी परिचित हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण हमारे यहां जहूराबाद और बहादुरगंज में बुनकरों की बहुत क्षति हुयी है। वाराणसी में बुनकरों के बारे में अभी दत्ता साहब ने बताया मैं उसके बारे में प्रकाश नहीं डालना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अब बैठिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

मान्यवर, गाजीपुर में स्टील बोन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की बात की गयी थी। गाजीपुर में मुख्य मंत्री जी तीन बार 10 अगस्त, 1986, 23 दिसम्बर, 1986 और 25 दिसम्बर, 1987 को गये थे और उन्होंने वहां पर स्टील कारखाना लगाने की बात की थी। लेकिन वह कारखाना नहीं लग पा रहा है। पार्लियामेन्ट में श्री राज कुमार राय ने क्वेश्चन किया था उस पर इस्पात मंत्री जी ने कहा था कि ऐसी कोई योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है। जो लाइसेन्स दिया गया था मेरा कहना है कि गाजीपुर जनपद में वह कारखाना लगवाया जाय और गाजीपुर के पिछड़ेपन को वहां पर उद्योग लगाकर और छोटे-छोटे उद्योग लगाकर बेरोजगारी को दूर किया जाय। आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री इकबाल अहमद--

मान्यवर, आपने मुझे उद्योग के बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे यहां पर, हमारे इलाके में बहुत से लोग हैंडलूम के काम में लगे हुए हैं। हैंडलूम वहां की एक बड़ी सनअत है। बहुत से लोग इस सनअत में लगे हुये हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 50 लाख लोग अपनी रोजी रोटी इससे कमाते हैं। लेकिन हालत यह है कि सूत के दाम काफी तेज हो गये हैं सूत के दाम 80 प्रतिशत से 135 प्रतिशत बढ़ गये हैं और इस बढ़ोत्तरी की वजह से माल की निकासी नहीं हो रही है। माल निकासी में बड़ी दुश्वारी हो रही है। माल के दाम न बढ़ने से हैंडलूम में जो लोग लगे हुये हैं वह बेकार होते चले जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां यू0 पी0 4 का जो कन्ट्रोल क्लाथ है उसमें जो सूत इस्तेमाल होता था उसके दाम 135 प्रतिशत बढ़ गये हैं परन्तु जो जोड़ा बनता है उस पर केवल 3 रु0 50 पैसे मात्र बढ़े हैं जबकि इसके अतिरिक्त

6-7 रुपये बढ़ना चाहिए । सूत के दामों के बढ़ने से इसकी लागत म 10 रुपये बढ़े हैं इसलिए इस पर 6-7 रुपये प्रति जोड़े बढ़ने चाहिए ।

अगर दाम नहीं बढ़ाये गये तो बहुत से लोग बेकार हो जायेंगे । मान्यवर, आजादी के 40 साल के बाद हमारे यहां के बुनकर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और तबाही के रास्ते पर सनअत चली गयी है । इसकी वजह है कि आज सूत तथा रुई बाहर निर्यात कर दी जाती है । इसीलिए सूत के दाम भी बढ़ गये हैं । रेशम पहले 400 रु0 किलो मिलता था आज उसके दाम बढ़कर 12 सौ रुपये किलो हो गये हैं । बनारस में जो लोग सुहाग का जोड़ा तैयार करते थे वह बेकार हो रहे हैं । उनकी रोजी-रोटी का कोई सहारा नहीं रह गया है । हमारी सरकार ने सूती जोड़ा साड़ी पर 2 रुपये 75 पैसे सब्सिडी प्रति वर्ग मी0 कर दी है । आज एक जोड़ा साड़ी पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट 28-29 रुपये सब्सिडी देती है लेकिन उससे बुनकरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है । इसलिए अगर साड़ी का रेट नहीं बढ़ाया गया तो हमारे उत्तर प्रदेश के बुनकर तबाह हो जायेंगे और उनको तबाही से बचाया नहीं जा सकता है ।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । विरोध पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में करीब 35 टैनरीज जिनको बन्द कर दिया गया है जिसकी वजह से 10 हजार लोग विशेषतौर से हरिजन बेकार हो गये हैं और उनके परिवार भूखों मर रहे हैं । अगर ऐसी ही नौबत रही तो वह बेचारे भीख मांगने पर आमादा हो जायेंगे । तो मैं यह चाहूंगा आपके माध्यम से शासन से कि इसका कुछ निष्कर्ष निकाला जाय, इनका फैसला किया जाय, ताकि जो 10 हजार हरिजन भूख से तड़प रहे हैं, उनको रोजी-रोटी मिल सके । कानपुर में हमारा उत्तर प्रदेश फाइनेंस कारपोरेशन है, उसके द्वारा तमाम लोग इण्डस्ट्री लगाने के लिए बांटे जाते हैं, लेकिन उस कारपोरेशन में हरिजनों ने और हमारे सवर्ण भाइयों ने अप्लाई किया, लेकिन आज तक कोई एक भी मिसाल नहीं है कि एक लाख, चार लाख रु0 ऋण दिया गया हो । मैं चाहता हूं कि इस मामले में इन्टरवीन किया जाय । इस प्रकार का वहां पर फैसला करवाया जाय, वहां पर बहुत सी दरख्वास्तें पड़ी हैं, लेकिन उनको नजरंदाज किया गया है । मैं आपका ध्यान बिल्लौर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है, यद्यपि मैंने पिछले दिनों में शासन से अनुरोध करके यह तय करवाया था कि इसे इण्डस्ट्रियल इस्टेट घोषित किया जाय । मान्यवर, बिल्लौर इण्डस्ट्रियल इस्टेट घोषित हो गया है । मान्यवर, मैं इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर से प्रार्थना करता हूं कि उसमें इण्डस्ट्री डेवलप की जाय, आलू की फैक्ट्री वहां पर लगा दी जाय या और कोई फैक्ट्री वहां पर लगा दी जाय, कि यह पिछड़ता हुआ क्षेत्र आगे बढ़ सके । इन शब्दों के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री महेन्द्र भाटी--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं माननीय हरीश जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मैं चन्द सुझाव मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं । मान्यवर, नोयडा में 3300 हेक्टेयर से अधिक उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और यह दावा किया है कि नोयडा ने 44 हजार लोगों को रोजगार दिया है । मान्यवर, मेरी निश्चित

जानकारी है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनमें से 1 हजार लोगों को नौकरी नहीं मिली है। जिस तरह नोयडा है, उसी तरह फ्री ट्रेड जोन है और नोयडा फेज दो और सूरजपुर इण्डस्ट्रियल एरिया और एन0 टी0 पी0 सी0 हैं, मेरा मानना है कि जो भी अधिग्रहण करने वाली एजेंसी है, जब वह किसी इण्डस्ट्रियल यूनिट को जमीन दे, तब उसको फैक्ट्री वालों के साथ यह एग्रीमेन्ट करना होगा कि वह जिन लोगों की जमीन ली गयी है, उनको नौकरी दे। मान्यवर, उन लोगों को नौकरी देनी होगी और लोकल लोगों को उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लेना होगा।

मान्यवर, जो भी इस अधिग्रहण से प्रभावित लोग हैं, उन लोगों को अब इण्डस्ट्री लगाने के लिए इनसेन्टिव दिया जाना चाहिए। यदि उन सब लोगों को यह सब कुछ सुविधा नहीं दी गयी, तो वे लोग जमीन पर आ जायेंगे और भूखों मरने की स्थिति में हो जायेंगे। मान्यवर, नोयडा में अब स्थिति यह हो गयी है कि जो भी किसान अब आकर किसी खेत में मिट्टी खोदता है, तो उसके ऊपर चोरी का मुकदमा चलाया जाता है, सजा दी जाती है। नोयडा के लोकल लोगों का प्राधिकरण ने भी कुछ मदद नहीं की है। यहां पर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहां पर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि वहां के लोग कुछ सीख सकें और इण्डस्ट्रीज का काम कर सकें। इन शब्दों के साथ में माननीय हरीश जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बद्री सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया। मान्यवर, मैं उद्योग विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, "न मन्दिर में, न मस्जिद में, न गिरजे के आस-पास में, न पर्वत पर, न नदियों में, न काबे कैलास में, खोज ले कोई राम मिलेंगे, दीन जनों की भूख-प्यास में।" मान्यवर, हमारी सरकार इन दीन जनों की भूख-प्यास मिटाने के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। मान्यवर, हमारा जो आज यह उद्योग विभाग का बजट पेश हुआ है, इसमें भी कई कल्याणकारी योजनाएं रखी गयी हैं और यह कल्याणकारी बजट है। मान्यवर, वर्ष 1986-87 में हमारे लघु उद्योग की संख्या 1.46 लाख हो गयी जिसमें लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार मिला। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2.11 लाख इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति ब्लाक में मिनी औद्योगिक आस्थापन स्थापित करने की योजना है। इस समय प्रदेश के 895 विकास खण्डों में से 380 विकास खण्डों में इनके स्थापना की जाने की स्वीकृति हो चुकी है। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग निदेशालय द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में 22000 लघु स्तरीय, 30000 दस्तकारी इकाइयों और 17,700 ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है। प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 1986-87 में 16,400, 1987-88 में 15,310 और 1988-89 में 15, 500 उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य हैं। मान्यवर, प्रत्येक विकास खण्ड में 50 खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित करने की योजना है। बुनकरों को कताई मिलों के गेट पर सूत विक्रय केन्द्रों की स्थापना का निर्णय किया गया है। बुनकरों की समस्याओं को हल करने के लिए बुनकर बन्धु का गठन किया गया है।

मान्यवर, मैं कालपी क्षेत्र से आता हूं। मेरा क्षेत्र उद्योग शून्य क्षेत्र है। मेरे कालपी क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग लगाये जाने की कृपा की जाय। कालपी में छोटे-छोटे उद्योग हाथ कागज, हथकरघा, पावरलूम, कालीन बुनाई उद्योग हैं जिनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है उनको सरकार से आर्थिक सहायता और सरकार का संरक्षण

दिया जाय, तथा मार्केटिंग की सुविधा दी जाय और उनकी जो भी समस्यायें हैं उनका निराकरण किया जाय। मान्यवर, कालपी उद्योग आस्थान में 33.65 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है यह बहुत ज्यादा है इसे घटाकर आधा कर दिया जाय। उरई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 15 रु0 प्रति वर्ग मीटर रखा गया है। उरई मुख्यालय है और कालपी पिछड़ा क्षेत्र है, यहां पर उसका यह रेट बहुत ज्यादा है।

मान्यवर, औद्योगिक स्थान कालपी में जल, विद्युत, पुलिस चौकी और जाने के रास्ते की व्यवस्था की जाय। कार्पेट काम्पलेक्स की स्थापना की जाय, कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया जाय और उद्यमियों को पेमेन्ट एक वर्ष से नहीं किया गया है उनका पेमेन्ट किया जाय। सोमानिया स्टील जोलूपुर मोड़ पर लगाने का प्रयास किया जाय। उन्होंने कुछ लोगों से जमीन के कुछ एग्रीमेन्ट भी किये थे। सोमानिया स्टील वालों को प्रेरित करके शीघ्र यह इंडस्ट्री जोलूपुर मोड़ पर लगवाई जाय। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैंने दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को सुना है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। जो कुछ मुझे कहना था मैंने पहले ही कह दिया था लेकिन माननीय मंत्री जी का कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान दें कि जहां भी निगम और उपक्रम हैं। इस विभाग की कहीं भी किसी लेखे जोखे की कोई अभी तक आडिटिंग की व्यवस्था आप नहीं करा पाये हैं। मान्यवर, ऐसे करिये कि जो भी उसका हिसाब किताब है उसका आडिट करायें। जिससे गबन घोटाले का ठीक से पता चले। जब तक उन लोगों के विरुद्ध जो इन घाटों के लिए जिम्मेदार हैं, कठोर कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक इन निगमों के अन्दर के घाटों पर कोई नियंत्रण नहीं रख पायेंगे। इसके साथ ही मान्यवर, निवेदन है कि रेशम पर बिक्रीकर लेते हैं, रेशम बहुत थोड़ा है, बहुत कम बिक्रीकर मिलता होगा, 2-4 लाख मिलता होगा, इस पर से बिक्रीकर उठा लें इससे इस काम में जो लोग लगे हैं उनको राहत मिलेगी।

जो आदेश आपने 31 मार्च, 1988 तक का किया है कि जो लोग जिनको ऋण दिया है बुनकरों को वह अगर ब्याज देंगे तो मूल धन सरकार देगी। मान्यवर, इस अन्तिम तारीख को जो 31 रखी है इसको कृपाकर आगे बढ़ा दें और इसको अनुदान में परिवर्तित कर दें। इसके साथ ही साथ जितनी दरख्वास्ते लोन के लिए दी गयी हैं वह 6-6 महीने से पेन्डिंग पड़ी हैं, साल-साल से पेन्डिंग पड़ी हैं, एक महीने के अन्दर उसका निस्तारण करवा दीजिए। इसके साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि बस्ती का प्लास्टिक उद्योग बड़े शौक से आपने शुरू किया था, वह बन्द होने की हालत में है उस पर ध्यान दें। अभी कांग्रेस की ओर से कर्नल केशरी सिंह जी ने भी कहा कि बस्ती का उत्तरांचल का 20 लाख की आबादी वाला है और वहां एक भी उद्योग नहीं है। आप विचार करें। मैं कहना चाहता हूं कि 20 लाख का बस्ती जिले की उत्तरांचल की आबादी में उत्तरांचल में एक भी उद्योग नहीं है, कृपया एक उद्योग तो कम से कम देने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ कुछ गांवों के नाम इसलिए दे रहा हूं कि मैंने कहा कि पूरे प्रदेश में 6-6 महीने से बुनकरों के बकाया धन का भुगतान नहीं हुआ है उसमें मैं कुछ गांवों के नाम दे रहा हूं आपको आसानी हो जायेगी। मेरे क्षेत्र में भिटिया, डडौरा, बसडीला, कमरिया अलरी, बेलोहा आदि कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर पिछले 4 महीने से बुनकरों का भुगतान नहीं हुआ है। मान्यवर, इस तरह से एक निवेदन और करना चाहूंगा। मंत्री जी बोल रहे थे तो इन्होंने कहा कि दैवी आपदा के लिये कोई क्या कर सकता है। सूखा पड़ गया, रुई मंहगी हो गयी। आप जानते हैं कि इसी के लिये सरकार बनी है कि विपत्ति से बचाए,

दैवी आपदा से बचाए, अकाल से बचाए । उपाय मैं बताता हूं । आप सूत पर सब्सिडी दे दीजिये, उसको सब्सिडाइज कर दीजिये सूत 50 परसेन्ट सब्सिडाइज कर दीजिये । रुई महंगी है । सूखे का प्रकोप है । बुनकर तबाह हो रहा है । उसका उपाय सरकार के पास है । सब्सिडी का उपाय है । उसका हल निकल सकता है । माननीय मंत्री जी इसमें सुधार कर सकते हैं । इसी प्रकार से यूपिका साड़ी की खरीद करती है । आप देख लें कि मार्च, अप्रैल, 1987 से 29 फरवरी, 1988 तक जो उसका लक्ष्य था, उसका क्या हुआ ? लक्ष्य का केवल 25 परसेन्ट खरीद की गयी है ।

अगर ऐसा है तो जो 10 मार्च तक केन्द्र सरकार की 2 करोड़ 38 लाख की सब्सिडी है, यह सब्सिडी यूपिका के लोग डिपो के मैनेजर और फर्जी बुनकर समितियां तीनों मिलकर खा जायेंगे और खरीदी बेची का कागज भर दिया जायगा । मान्यवर, यूपिका की खरीद जो एक साल में केवल 25 परसेन्ट हुई है, इस पर ध्यान दें, ताकि जो सब्सिडी 2.38 करोड़ की है, उसे बिचौलिये न खा जायं । अपनी बातों की ओर मैंने ध्यान आकृष्ट कर दिया है । इन शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कि जिस उद्देश्य से कि विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना, इसके लिये कटौती का प्रस्ताव रखा है, अब भी इस पर बल देता हूं, इस आशा से कि आलोचना पर ध्यान देंगे और कमियों को दूर करेंगे और सुझावों के अनुसार उपाय करने की कृपा करेंगे ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, माननीय हरीश जी ने तथा और भी हमारे साथियों ने उद्योग के बजट में हिस्सा लिया और उन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिये । साथ ही साथ सबसे पहले माननीय हरीश जी को मैं ग्राम की ओर ले जाना चाहता हूं । कोई भी काम शुरू करने के पहले ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष--

इस वक्त गांव न ले जायं ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, गांव की ओर जरूर ले जाऊंगा, बिना गांव ले जाए नहीं छोड़ूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, गांव में तो ठीक है, उद्योग मंत्री ले जायं, लेकिन खेत में न जायं ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

इस वक्त नहीं ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमने 1985-86 तक 175 मुख्य औद्योगिक आस्थानों में से 173 में भूमि अर्जन कर लिया है । 5 वर्षों में प्रत्येक ब्लाक में एक मुख्य औद्योगिक आस्थान का लक्ष्य है । इस क्रम में 5 वर्ष लग जाना बहुत बड़ी बात नहीं है । हमारा लक्ष्य है कि ब्लाक में जा रहे हैं । ब्लाक लेबिल पर एक औद्योगिक आस्थान की स्थापना करके वहां के उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे । इसी

के साथ-साथ हम एक काम और करने जा रहे हैं। जो भी बड़े-बड़े काश्तकार, जिनकी पूंजी वहां के बैंकों में जमा है या घर में जमा है, जो लोग काम नहीं करना जानते, या जिनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, सरकार की ओर से उनको आकर्षित करने के लिये एक ब्लाक लेबिल पर उद्योग की स्थापना करें, हम इस ओर अग्रसर हैं। जहां तक कहा गया कि इस ओर काम नहीं हो रहा है, मान्यवर, 20 हजार इकाइयों में लाखों लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार दस्तकारी की 30 हजार इकाइयों में 80 हजार आदमी काम कर रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग मंडल स्तर पर कुछ संस्थान बनाये हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को सुझाव देंगे, तकनीकी जानकारी देंगे, ताकि ग्रामीण अंचल में खादी ग्रामोद्योग काम कर सके। जहां तक वित्तीय सहायता का सवाल है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 85 परसेन्ट से अधिक सहायता लघु व लघुत्तर उद्योगों को ही दी जाती है उनका मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वस्त्र निगम की 13 इकाइयां लगने के कारण सूत का उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। हमने देश के अन्दर सबसे ज्यादा सूत का निर्यात किया है, सबसे ज्यादा सूत बनाया है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सूत की जो इकाइयां थोड़ी सी कमजोर हो गयी हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिये कदम उठाये हैं उनका जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। मान्यवर, जहां तक सीमेन्ट निगम का सवाल है 1986-87 में इसकी कैपिसिटी 39 परसेन्ट थी और 10.10 परसेन्ट हमने प्रोडक्शन किया माननीय हरीश जी को मैं बताना चाहूंगा कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। जहां तक सेन्ट्रल इन्वेस्टमेन्ट सबसिडी का सवाल है, उसके बारे में पूंजीनिवेश का एक आधार है, एक क्राइटेरिया है, सेन्ट्रल इन्वेस्टमेन्ट सबसिडी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि वह भारत सरकार करती है, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं है।

मान्यवर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उद्योग विभाग बहुत बड़ा विभाग है। इसके न जाने कितने कार्यकलापों पर हम चर्चा ही नहीं कर पाये। औद्योगिक क्षेत्रों में हमने कितना काम किया है, समय को देखते हुए उसका पूरा जिक्र ही नहीं कर पाये। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज मैंने यह भी देखा यहां पर कि कुछ विशेष लोगों को उसमें कोई रुचि ही नहीं थी। एक विषय पर ज्यादा उभारा गया हथकरघा और सूत का मामला। इस विभाग के तमाम विषय हैं। मान्यवर, निगमों के बारे में कहा गया कि निगमों की जांच पड़ताल करें। हमारा निर्यात निगम, खनिज विकास निगम और हमारे कई निगम फायदे में चल रहे हैं। लेकिन, जहां उन पर अंकुश लगाने की बात कही, यह सुझाव अच्छा है, हम उस ओर अग्रसर हैं। मान्यवर, मैं यह भी बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि हमने 28 राजपत्रित अधिकारियों, 17 क्लास वन के अधिकारियों के कार्यों की हमने जांच करायी है, बहुत से लोगों के ऊपर जहां भी हमने उचित समझा है, कार्यवाहियां भी की हैं। यह चूंकि बड़ा डिटेल में चिट्ठा है, सभी लोग इस समय किस रुचि में हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जो गलत काम करने वाले लोग हैं उन पर अंकुश जरूर लगाया है।

माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी ने एक बात कही, औद्योगिक आस्थान जो बन रहे हैं, उनकी ओर आकृष्ट किया। इसमें दो राय नहीं है कि इसमें हो सकता है कि बड़े इण्डस्ट्रलिस्ट, जैसी उनकी प्रवृत्ति होती है कि इसमें भी अपना अधिकार करने की चेष्टा करें, सुझाव अच्छा है मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा। जो हमारी धारणा है, जिस संकल्प को लेकर हम चले हैं जो आस्थान स्थापित किये हैं या करने जा रहे हैं, उसमें उन लोगों पर विशेष बल देंगे जो साधारण किस्म के लोग हैं, जिन लोगों के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सकता है और उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है।

हमारा कभी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा कि बड़े लोग ही आयें, जो औद्योगिक आस्थान बन रहे हैं, वहां पर भी बड़े इण्डस्ट्रलिस्ट का आधिपत्य हो जाय और छोटे इण्डस्ट्रलिस्ट हैं उनको मौका न मिले। मान्यवर, हमने खादी ग्रामोद्योग पर विशेष बल दिया है। गांधी जी के सपने को सरकार करने की ओर हम अग्रसर हैं। हम चाहते हैं कि ग्रामीण अंचलों में भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हों। खेती के बाद ही उद्योग ऐसा विभाग है जिससे लोगों को कार्य दिया जा सकता है उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। मैं उन सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस में भाग लेकर विभाग को बहुमूल्य सुझाव दिये। माननीय हरीश जी से अपेक्षा करता हूं कि इन सबको देखते हुए वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हरीश जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4--उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 6,10,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5--उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 36,10,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 42,72,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 45,28,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 17,42,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9--उद्योग विभाग (निप्रोत्साहनाक्षेपयवंत्क) अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकरएयतिकर जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9--उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,63,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डाक्टर संजय सिंह तथा श्री जयदीप सिंह बरार के निर्दलीय होने की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष--

एक सूचना है, वह मैं आप लोगों को दे दूं।

दो माननीय सदस्यों की सदन में स्थिति के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है :

"श्री वीर बहादुर सिंह, नेता, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल कांग्रेस दल (आई) ने अपने पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1988 द्वारा सूचित किया है कि डा0 संजय सिंह, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर) तथा श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य, विधान सभा (बरेली) को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल कांग्रेस दल (आई) से निष्कासित कर दिया गया है। इस संबंध में उक्त दोनों माननीय सदस्यों को दिनांक 1 मार्च, 1988 को पत्र भेज कर एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। डाक्टर संजय सिंह ने अपना अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु श्री जयदीप सिंह बरार ने अपना पत्र दिनांक 15 मार्च, 1988 में मुख्यतः दो बातों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है--

(1) प्रथम यह कि उनका निष्कासन अवैध है।

(2) दूसरे यह कि जब तक नेता कांग्रेस (आई) अपने दल संबंधी विवरण प्रस्तुत न करें तब तक उनके पत्र दिनांक 25-2-1988 पर कोई कार्यवाही न की जाय।

मैं श्री बरार के तर्क से सहमत नहीं हूं। मेरे लिये न तो यह मुमकिन है और न मुनासिब कि मैं उस बात की जांच करूं कि श्री बरार के निष्कासन की कार्यवाही नियमों के अनुकूल है अथवा नहीं? मेरे लिये इतना पर्याप्त है कि कांग्रेस (आई) दल के नेता ने मुझे लिखित सूचना दे दी है कि उन्होंने उपरोक्त दोनों सदस्यों को अपने दल से निष्काषित कर दिया है और वे सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं रह गये। मेरे लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि नेता सदन द्वारा अपने दल संबंधी विवरण प्रस्तुत करने की तिथि तक इस मामले में मैं प्रतीक्षा करूं। दिनांक 9-9-86 को निर्णय के वक्त भी मैंने इन्हीं सिद्धान्तों का अनुपालन किया था।

वर्णित परिस्थितियों में निदेश देता हूं कि डाक्टर संजय सिंह तथा श्री जयदीप सिंह बरार को अग्रेतर निदेशों तक निर्दलीय सदस्यों के रूप में बैठने की व्यवस्था की जाय। दलीय सूची को तदनुसार संशोधित किया जाय।"

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत केवल 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसमें से प्रथम सूचना श्री फजलुल बारी, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री दीप चन्द्र सोनकर व श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद सोउद को तस्कर द्वारा विष दे कर हत्या किये जाने विषयक सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है। दूसरी सूचना सर्वश्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, हर्ष वर्धन, मित्रसेन यादव, राम शरण दास, कमल किशन पाण्डेय, राम गोबिन्द चौधरी, जवाहर सिंह यादव, राज किशोर सिंह, राम चन्द्र बख्श सिंह, राम संजीवन व सूर्य प्रताप शाही की जौनपुर जिलान्तर्गत थाना मुंगरा बादशाहपुर में मुकदमा अपराध संख्या 74/87 के अन्तर्गत धारा 364 भा0 द0 वि0 को विवेचनाधिकारी द्वारा धारा 302 में परिवर्तित किये जाने विषयक पर सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है। शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

ग्राम बढ़ौनी कलां, थाना रोहनियां, वाराणसी में श्री बिहारी लाल गुप्त की कुएं में दबकर मृत्यु हो जाने के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य—

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 8-2-1988 को श्री बिहारी लाल गुप्त, निवासी ग्राम बढ़ौनीकलां, थाना रोहनिया अपने कुएं में उतरकर उसमें स्थित पम्प सेट ठीक कर रहे थे कि अचानक कुएं की दीवार धंस गयी जिससे दबकर श्री गुप्त की मृत्यु हो गयी।

सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल तथा फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गया और श्री गुप्त का शव निकालने का प्रयास आरम्भ किया गया। इसी बीच जर्जर कुएं का शेष भाग भी धंस गया और पुलिस बल तथा ग्रामीणों के अथक प्रयास के उपरान्त दिनांक 12-2-88 को मलबा हटाकर श्री गुप्त का शव बाहर निकाला जा सका। शव का पंचनामा कराने के पश्चात् इसे अन्तिम संस्कार हेतु मृतक के परिवार वालों को दे दिया गया।

इस घटना में किसी अपराधिक कृत्य का होना नहीं पाया गया है। अतः जनता में किसी प्रकार का क्षोभ या रोष व्याप्त नहीं है।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है, उसमें कुछ तथ्यों को छिपाया गया है। वह पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं की गई और न ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद दी गई। वहां कोई देखने तक नहीं गया। बड़ी मुश्किल से 5 दिन में उस सड़ी हुई लाश को कुंए से निकाला गया। पुलिस का जो रवैया रहा, वह अत्यन्त निन्दनीय रहा है। दूसरी बात श्री बिहारी लाल के परिवार में उनके सिवाय और कोई नहीं था। उनकी एक विधवा पत्नी श्रीमती सुनीता देवी हैं, उनकी एक वृद्ध माता हैं, उनके 4 नाबालिग बच्चे हैं, जो 4 से लेकर 9 साल तक के हैं। उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। कोई भी परिवार को देखने वाला नहीं है। अभी तक प्रशासन की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई है। आवश्यकता इस बात की है कि शासन उनको पर्याप्त सहायता पहुंचाये और उनकी क्षतिपूर्ति करे।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, माननीय सदस्य को प्रश्न करना चाहिए।

श्री राज किशोर सिंह--

मेरा प्रश्न यह है कि मृतक के परिवार को आप कितनी क्षति पूर्ति देने के लिये तत्पर हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जैसे ही सूचना मिली, पुलिस कर्मी वहां तुरन्त पहुंचे। वहां से उनको निकाला गया। वैसे भी मान्यवर, माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि उस कुंए की हालत कोई ठीक नहीं है। वह पम्प सेट ठीक कर रहे थे, अचानक दिवाल धंस गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। कोई रायोट में या साम्प्रदायिक दंगे में तो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, नियमानुसार तो उनको कोई क्षति पूर्ति का प्राविधान नहीं है लेकिन फिर भी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वे बहुत गरीब हैं। हमको भी उनसे हमदर्दी है। हम इसे दिखवा लेंगे। अगर आर्थिक सहायता देना मुनासिब समझेंगे तो उसके लिये कार्यवाही करेंगे ?

जनपद आगरा की नहर में पानी की आपूर्ति न होने से भीषण संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 12 माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं सोमवार को 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 5 मिनट पर सोमवार दिनांक 21 मार्च, 1988 के अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

18 मार्च, 1988

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 38 (2) के ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

संलग्नक

वर्ष 1987–88

(धनराशि लाख रुपये में)

	गाजीपुर	वाराणसी
1––प्राकृतिक आपदाग्रस्त व्यक्तियों को राहत देने हेतु	58.35	43.74
2––तकावी	14.00	..
3––बाढ़ प्रभावित हथकरघा बुनकरों को क्षति-ग्रस्त-औजारों/उपकरणों की मरम्मत/प्रति-स्थापन हेतु अनुदान	3.50	40.00
4––लघु/सीमान्त कृषकों को उर्वरकों पर क्रमशः 25 तथा 33 1/3 प्रतिशत की दर से अनुदान	13.00	18.03

राहत की दरें

1––अहेतुक सहायता	500 रु0 प्रति पात्र परिवार।
2––गृह अनुदान	200 रु0 प्रति आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान, 1,000 रु0 प्रति पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान।
3––अनुग्रह अनुदान	5,000 रु0 प्रति मृत व्यक्ति, 15,000 रु0 तक अधिकतम एक परिवार को।
	2,500 रु0 प्रति व्यक्ति जिसकी दोनों आंखें जाती रही हों या उसका कोई हाथ अथवा पैर बेकार हो जाय।
	1,000 रु0 प्रति मृत बड़ा जानवर, 250 रु0 प्रति छोटा जानवर — एक परिवार के दो ही पशुओं तक।
4––भू-राजस्व में छूट/स्थगन	50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर।

अवर सचिव

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

सर्वश्री--

1--वीर पाल सिंह
2--सोहन लाल
3--धर्म सिंह
4--विजय सिंह
5--जगत सिंह
6--अजब सिंह
7--देवेन्द्र
8--टीका राम
9--वेद प्रकाश
10--रामपति
11--विजयपाल
12--ज्ञानमसी
13--प्यारे
14--शेरू
15--पान सिंह
16--सोम पाल
17--कुंवर सिंह
18--ऊदल सिंह
19--हरिया
20--बुद्धू
21--प्रकाश
22--हुलासी
23--सुखराम
24--जबर सिंह
25--मेवा राम
26--करन सिंह
27--सुखलाल
28--फकीरा
29--श्यामलाल
30--जयराम
31--रघुबीर सिंह
32--राजपाल सिंह
33--भूकन सिंह
34--मुन्ना लाल

सर्वश्री--

35--हर किशन
36--हरदयाल
37--बिहारी
38--गंगाराम
39--फकीरा
40--चेतराम
41--बाबूलाल
42--वाजिद
43--हनीफ
44--अकबर
45--हरबंश
46--इमामी
47--कल्लन
48--गोरा
49--अकील अहमद
50--परम सिंह
51--शकील अहमद
52--रफीक
53--जहीरुल हसन
54--अख्तर शाह
55--बाबू
56--ताहिर
57--रईस अहमद
58--इन्तजार नन्हें
59--सरबत-हसरत-हिकमत
60--अहमद हसन
61--बुन्दा-अफसर-फकीरा
62--भूरा
63--अख्तर
64--मोहम्मद अली
65--शाहिर
66--मबस्सर हुसेन
67--बलीयेर
68--शकील

पी0 एस0 यू0 पी0--7 वि0 सभा--13-7-88--813--(पी0 डी0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा